(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] षष्टम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या 13

शुक्रवार,

दिनांक 23 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न श्री गुलाबचन्द !

उदयपुर नगर के पोषाहार केन्द्र

365. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में चलने वाले पोषाहार केन्द्रों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रों पर वितरण की जाने वाली सामग्री भी घटिया स्तर की होती है एवं मात्रा में कम वितरित होती है ?

(3) इनका उचित वितरण हो इसके लिये कोई नागरिक समिति बने, ऐसा राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) उदयपुर नगर के लिये 100 विशेष पोषाहार केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 57 केन्द्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं।

(3) शहरी क्षेत्रों में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे विशेष पोषाहार कार्यक्रम की देख-रेख एवं उसका सुचारु रूप से संचालन करने एवं कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु जिलाधीश की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया हुआ है जिसमें स्थानीय विधायक, आयुक्त नगर परिषद् आदि सदस्य हैं। उक्त समिति पोषाहार केन्द्रों का चयन, स्थापना स्थानान्तरण एवं इससे सम्बन्धित समस्त मामलों में केन्द्र के सुचारु रूप से संचालन हेतु महत्वपूर्ण परामर्श देती है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता, कृपया बिराजिये।

Page No 2

(2)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पहले जो 57 केन्द्र थे और उनमें अलग-अलग व्यवस्थाएं थीं उनको बदलकर सारा सामान एक ही जगह बनाने की व्यवस्था की है, यह व्यवस्था किस कारण से की गई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उस सम्बन्ध में निवेदन है कि पहले जो केन्द्र चल रहे थे उनके बारे में कई तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। केन्द्र सुचारु रूप से नहीं चल रहे थे और सामग्री का वितरण भी ठीक प्रकार से नहीं होता था इसलिये उस व्यवस्था को बदलकर जिला समिति की राय से जेल में सामान तैयार किया जाता है और फिर उसका वितरण किया जाता है। माननीय सदस्य स्वयं कमेटी के सदस्य हैं। अगर कोई समस्या है तो मेरे ध्यान में लायें। राज्य सरकार अवश्य उस पर विचार करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पहले पचास केन्द्र थे। प्रति केन्द्र 40 रुपये दिये जाते थे। इस समय जेल में 10 कर्मचारी काम करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर 200 रुपये खर्च किये जा रहे हैं। क्या यह सच है ?

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है कि जेल में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। यह सही है कि सामान जेलों में तैयार किया जाता है। किस कर्मचारी को कितना पैसा दिया जाता है, इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्रीमती श्यामा कुमारी (कपासन) : माननीय मन्त्री महोदय, वह काम विधवाओं को मिल जाय, इसके बारे में आपका क्या विचार है ? दूसरी बात यह है कि मेरे क्षेत्र में कहीं भी बच्चों को नाश्ता नहीं मिला है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पोषाहार केन्द्र किस आधार पर खोले जाते हैं और उनके ऊपर राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जाती है ?

श्री कैलाश मेघवाल : पोषाहार केन्द्र की तीन एजेन्सी हैं, उनके लिए पैसा 'केयर' से मिलता है। राज्य सरकार केवल सामान तैयार कराने के लिये पैसा देती है। मैं यह मानता हूं कि जो स्केल बना हुआ है वह बहुत कम है, इस स्केल को बढ़ाने की कोशिश की जायगी। जैसा अभी माननीय सदस्या की ओर से सुझाव दिया गया है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर के माननीय सदस्य उस कमेटी के सदस्य भी हैं। वह उस कमेटी की बैठक में इस बारे में विचार करके राज्य सरकार को सूचित कर दें। राज्य सरकार उस पर अपना निर्णय ले लेगी।

भ्रष्टाचार की जो शिकायत की गई है, उसकी जानकारी मेरे पास आयेगी तो जांच करवायी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या पोषाहार केन्द्र केवल उदयपुर में ही हैं ? राजस्थान के किसी और भाग में नहीं हैं ?

श्री खेत सिंह राठौड : जो केन्द्र खोले जाते हैं, उनका आधार क्या है ? किन किन आधारों पर केन्द्र खोले जाते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पवास केन्द्र पहले चलते थे उनमें घोटाले नहीं थे और अब जेल अधिकारी, राज्य कर्मचारी और समाज कल्याण अधिकारी ही इस घोटाले के जिम्मेदार हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न का जवाब नहीं आया, किन आधारों पर यह केन्द्र खोले जाते हैं ?

श्री रतनलाल वर्मा : प्रश्नकर्ता पहले पूछेंगे ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम का नाम है 'अतिरिक्त पोषाहार केन्द्र'। अतिरिक्त पोषाहार की जिनको आवश्यकता है, वही इसका आधार है। जहां पर मजदूर लोग रहते हों, जहां पर गरीब तबके के लोग रहते हों जहां पर बालकों को न्यूट्रीशन की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थान इनके लिए चुने जाते हैं, यही इनको खोलने का आधार है, जहां पर पोषाहार की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, जैसे मजदूर क्लास जहां रहती है, अनुसूचितजाति व जन जाति वाले लोग या समाज के गरीब वर्ग के लोग जहां रहते हैं, वहीं पर इनको खोला जाता है। अब रहा सवाल घोटाले का, अगर जेलों में कोई घोटाला होता है तो जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए, जिससे इसमें कोई भूल नहीं हो, माननीय सदस्य जिला कमेटी में विचार कर सकते हैं। जिला कमेटी की राय से योजना बनायी जा सकती है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अकेले उदयपुर शहर में ही यह केन्द्र क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष : No more supplimentary.

(व्यवधान)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों पर भी बहुत कम समय मिलता है, इस समय भी टाइम नहीं मिलेगा तो कब पूछेंगे ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पोषाहार का कार्यक्रम केवल उदयपुर में ही क्यों चलाया जा रहा है ?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) । उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी हो, माननीय सदस्य । नेक्स्ट ।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न केवल और ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं । आप मुझे विवश मत करिये ।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्राइबल बैल्ट केवल बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में ही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति अथवा वीकर सेक्शन के लोग वहीं रहते हैं, यह जो कमजोर वर्ग के...

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में ।

श्री ओंकारलाल चौहान : इनके अलावा क्या कोटा में भी आप सर्वे कराने की कृपा करेंगे ? किशनगंज, शाहबाद में

Page No 4

(4)

(श्री ओंकारलाल चौहान)

सहरिया लोग रहते हैं। इसी तरह से दूसरे इलाके भी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन एजेंसी के द्वारा इस तरह के पोषाहार केंद्र चलाये जाते हैं। सारे राजस्थान की जानकारी प्रश्न की परिधि में नहीं आती है, उदयपुर के बारे में पुछा है, वह बता दिया।

श्री ओंकार लाल चौहान : यह पॉलिसी का मैटर है।

श्री सुमित्रा सिंह (झुंझुनू) : माननीय सदस्य की शारीरिक बनावट को देखते हुए पोषाहार केन्द्र माननीय सदस्य के यहां भी खुलना चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पोषाहार केन्द्र खोलने में भी पक्षपात किया गया है, वह भी उदयपुर में ही खोले गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके यहां तो खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

नेक्स्ट।

श्री प्रद्युम्न सिंह।

राज्य में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

366. **श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 31 मार्च, 1977 तक कितने प्रतिशत बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया ?

(2) राज्य में शत प्रतिशत बस रूटों का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(3) बस रूटों के राष्ट्रीयकरण के बारे में वर्तमान राज्य सरकार की नीति क्या है ?

यातायात मंत्री (श्री केदार नाथ) : (1) राज्य में मार्च, 1977 तक 34.8 प्रतिशत बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।

(2) निगम ने वर्ष 1983–84 के अन्त तक 76 प्रतिशत मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना बनाई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के उपरान्त शेष मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना बनायी जायेगी।

(3) राज्य सरकार की नीति राज्य की सभी यात्री परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह सही है कि पूर्व में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह इस प्रकार था :—

31 मार्च, 1977 तक 60 प्रतिशत

31 मार्च, 1978 तक 80 प्रतिशत

31 मार्च, 1979 तक 100 प्रतिशत

श्री केदार नाथ : मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार यह फैसला पिछली सरकार के वक्त का है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका फैसला सुना दीजिये।

श्री केदार नाथ : उत्तर के भाग (3) में सरकार ने अपनी नीति घोषित कर दी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नीति तो है, लेकिन कोई टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाया है आपने ?

श्री शिवचरण सिंह : क्या यह सही है कि 1983 तक केवल 76 प्रतिशत मार्गों का ही राष्ट्रीयकरण करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : छठी पंचवर्षीय योजना तक कांग्रेस सरकार ने शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य रखा था।

श्री केदारनाथ : उसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर मंत्री महोदय ने नहीं दिया। 31 मार्च, 1979 तक शत प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का पिछली सरकार का घोषित लक्ष्य था। किन कारणों से 1979 से समय बढ़ाकर आप 1983–84 तक ले गये ? 1983–84 तक भी केवल 76 प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया संक्षेप में पूछें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किन कारणों से घोषित नीति में रद्दोबदल कर रहे हैं, यह नहीं बताया। क्या इससे यह जाहिर नहीं होता कि आपका राष्ट्रीयकरण की नीति में विश्वास नहीं है और यह केवल आपकी घोषणा मात्र थी ?

श्री केदारनाथ : उत्तर के भाग (3) में सरकार की नीति की घोषणा कर दी गई है। कम्प्लीट राष्ट्रीयकरण की नीति है, लेकिन कब और किस वर्ष में होगी, यह आज मैं नहीं कह सकता। कई परिस्थितियां आ सकती हैं, उनको साल्व करना पड़ेगा, लेकिन हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप कम से कम यह तो बता दें कि किस वर्ष तक शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर देंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा प्रश्न यह था कि किन कारणों से आपने पहली घोषित नीति में परिवर्तन किया ?

(व्यवधान)

मैं पूछ रहा हूं कि क्या कारण है कि जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम था उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं ? शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण को आप आगे 5 वर्ष के लिए बढ़ा रहे हैं जब कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में पूरा राष्ट्रीयकरण हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री केदारनाथ : अब तक 34.8 प्रतिशत 1983–84 तक 76 प्रतिशत। आप इनको कम समझते हैं क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : किस कारण से विलंब कर रहे है ? क्या वजह है ? आप दूसरे राज्यों के पीछे चले जा रहे हैं, कारण क्या है ?

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी ठेकेदारों से मिली हुई है ?

श्री शिवचरण सिंह : घोषित नीति के बाद आप पीछे क्यों जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने शायद इस प्रश्न की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की है कि राज्य का शत प्रतिशत बस राष्ट्रीयकरण कब तक किया जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए थी। पहले की नीति कब तक पूरा राष्ट्रीयकरण करने की थी, क्या टार्गेट्स थे, यदि डेवीएट किया है तो क्यों किया है, यह जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए थी।

श्री केदारनाथ : पार्ट (3) में मैंने निवेदन कर दिया है कि कम्पलीट राष्ट्रीयकरण की नीति हमारी है। लेकिन कौनसी डेट से हो, यह अलग चीज है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय तैयार होकर नहीं आए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

विधि मंत्री (श्री सम्पत राम): Would like to submit one thing.

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय ने प्रश्न को स्थगित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। मैं महसूस करता हूं कि जो पूरक प्रश्न हैं उनका जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता तब तक मूल प्रश्न का उत्तर आथेंटिक नहीं माना जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनन्दन व्यास।

ग्राम ओडा में गिरदावरी के मामले

367. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ओडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही में किसानों के खेत एक ही खसरा में हैं और इस कारण गिरदावरी बराबर नहीं होती ?

(2) क्या यह सही है कि इसी गांव में ओडा बांध में पानी में डूबी हुई जमीन की भी बीघाड़ी ली जाती है ? यदि हां, तो क्या यह पूरी ली जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां नहरी कमांड एरिया है जिसमें कभी भी सिंचाई नहीं हुई है और न होगी और उस जमीन का विकास करके हजारों रुपये बकाया निकाले गए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि ओडा व अखापुरा गांव खालसा थे अर्थात् वहां कोई जागीरदार नहीं था ? यदि हां, तो क्या इन दोनों गांवों का लगान दूसरे गांवों से दुगना है ?

(5) क्या यह सही है कि इसी बांध के नीचे 5 लाख रुपया गैरवाजिब जुर्माना पानी के दुरुपयोग के नाम पर बकाया रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इन सबकी जांच करवाई जा रही है ? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका दंड दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसे स्थगित किया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड : इनको ताड़मा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। श्री नूरा।

ग्राम पंचायत विजयनगर द्वारा आवंटित भू-खण्ड

368. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वतंत्रता जयन्ती वर्ष पर अजमेर जिले की ग्राम पंचा-

(श्री नूरा)

यत विजयनगर ने समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के 800 भूमिहीन लोगों के आवास के लिए इन्दिरा नगर योजना प्रस्तावित की थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत 600 लोगों को रिहायशी भू-खंड 51 रुपये प्रति के रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए थे और प्रत्येक से 11 रुपये कालेज भवन निर्माण के लिए जन सहयोग के रूप में अतिरिक्त प्राप्त किए गए थे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना तत्कालीन उप जिलाधीश की सहमति से बनाई और क्रियान्वित की गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त 600 भू-खण्डों के स्थायी पट्टे भी ग्राम पंचायत विजयनगर द्वारा 1974 में जारी कर दिए गए हैं किन्तु अब तक भी उक्त सभी 600 भू-खण्डों के कब्जे नहीं दिए गए हैं और न भवन निर्माण की इजाजत दी जा रही है ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार अजमेर जिले की नून्दरी मेहदरातान, नून्दरी भादातान और देलवाड़ा ग्राम पंचायतों द्वारा भी कमजोर वर्ग के सैकड़ों भूमिहीन लोगों को पट्टे दिए गए थे जिन्हें मकान बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कमजोर वर्ग के उक्त लोगों को कब तक उक्त भू-खण्डों का कब्जा और मकान बनाने की इजाजत दे रही है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : इस प्रश्न की मेरे पास सूचना है, जवाब भी तैयार है लेकिन पूरक सूचना नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करने को निवेदन करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : हर प्रश्न को टालने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री नूरा : वहां के लोगों को पट्टा तो दे दिया गया लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : सारा जवाब है लेकिन ...

श्री मूलचन्द डागा : क्या इसी अधिवेशन में जवाब देंगे या दूसरे अधिवेशन में ?

श्री कैलाश मेघवाल : जवाब तो मेरे पास है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पूरे फीगर्स हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के, वीकर सेक्शन्स के, सप्लीमेंट्री सवालों के लिए जो जरूरी हैं, वे न होने से इसे स्थगित किया जाए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में सारी आवश्यक जानकारी हो ताकि पूरक प्रश्न पूछे जा सकें । इसे बहाना न बनाया जाए प्रश्न स्थगित कराने का ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको सीरियसली लेना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपको चैम्बर में आकर बताऊंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, नहीं, चैम्बर में तो हम जायेंगे, आपको अधिकार नहीं है ।

श्री शिवचरण सिंह : कोई परीक्षार्थी यदि परीक्षा में उत्तर न दे सके तो क्या होता है ?

श्री मूलचन्द डागा : वह फेल हो जाता है।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ में कुछ कार्यवाही करना चाहेंगे जिन्होने प्रश्न की पूरी जानकारी उनको नहीं दी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस अधिकारी को तुरन्त सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर आपमें हिम्मत हो तो आप उसे तुरन्त सस्पेन्ड करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। पहले मन्त्री महोदय यह बतायें कि क्या वह जानकारी नहीं देने के लिए अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

मेजर श्री फतहसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक मैं समझता हूं कि यह प्रशासन जागरूक नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मन्त्री महोदय को ताड़ना दीजिये कि समय पर जानकारी दें। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने से उन्हें भी समझ में आयेगा और प्रश्नों का जो मतलब है वह भी पूरा हो सकेगा। अगर जानकारी पूरी नहीं आती है तो प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सरकार सुस्त है।

विधि मन्त्री (श्री सम्पतराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि जो माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं वे जिस भावना से करते हैं उनकी वह भावना पूरी करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है। वह पूरी जानकारी दे पर कई बार ऐसा होता है कि बावजूद कोशिश करने के जानकारी प्राप्त होने में काफी दिक्कत आ जाती है। अधिकारी, कर्मचारी सभी कोशिश करते हैं पर इसके बावजूद फेक्ट्स पूरे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिये प्रश्न को स्थगित करने के लिये निवेदन करना पड़ता है। इस प्रश्न पर अगर किसी पर्टीक्यूलर अधिकारी या कर्मचारी की गलती रही होगी तो सरकार उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड : उपाध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न के लिये यह कहना उचित नहीं है कि जानकारी पूरी उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये उसको स्थगित किया जाय। यह बात अलग है कि पूरे राजस्थान भर से वेरियस सूचनायें उपलब्ध करनी हों। मगर यह दो प्रश्न तो ऐसे आये हैं कि इनमें तो बहुत थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी थी, इनमें ऐसी

(श्री खेतसिंह राठौड़)
कोई बात नहीं थी कि इनको स्थगित कराया जाता। सरकारी अधिकारियों की जान बूझ कर लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। सरकारी अधिकारी आज धारते नहीं हैं मन्त्री लोगों को, इसलिए ये प्रश्न बार बार स्थगित कराये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

नेक्स्ट प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन।

कृषि मण्डी चांदपोल, जयपुर के पैसों का दुरुपयोग

369. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित चांदपोल की कृषि मण्डी में मण्डी के विकास कार्यों के लिये, लिये गये पैसों का दुरुपयोग परिवार नियोजन विभाग ने किया है? यदि हां, तो किस आधार पर और कितना?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पैसे को नसबन्दी कराने वालों को बांटा गया है?

कृषि मन्त्री (श्री सम्पतराम): (1) जी नहीं। चांदपोल की मन्डी वास्तव में कृषि उपज मन्डी समिति (अनाज) जयपुर का ही गौण मण्डी प्रांगण है। मण्डी समिति निधि से कोई पैसा परिवार नियोजन विभाग को नहीं दिया गया है। किन्तु कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 11-10-76 और जिला प्रशासन के अनुरोध पर मण्डी क्षेत्र में लगाये जाने वाले परिवार नियोजन कैम्पों में पुरस्कार स्वरूप रुपये 100.00 नसबन्दी कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को और जिसने उसके लिये प्रेरणा दी उस प्रेरक को 11 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से देने का निर्णय लिया गया था। यह व्यय तत्कालीन सरकार के परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत किया गया था। इस पर रुपये 1,61,285.00 खर्च हुए।

(2) जी हां। पुरस्कार राशि नसबन्दी कराने वालों को एवं प्रेरकों को बांटी गई थी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, क्या वर्तमान सरकार भी इसी तरह परिवार नियोजन कार्यक्रम चलायेगी?

श्री सम्पतराम: उपाध्यक्षजी, पिछली सरकार ने लोगों को जानवरों की तरह ले जाकर नसबन्दी करा दी थी उस तरह तो यह सरकार नहीं करेगी?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है, क्या आपकी सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम में विश्वास रखती है? अगर कोई मनुष्य स्वतः नसबन्दी कराने आयेगा तो क्या आप उसके लिए प्रोत्साहन देना चाहेंगे? इस सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, जो यह प्रश्न आपने पूछा है, वह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आधे प्रश्न का जवाब देते हैं, आधे प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके विचार जान गया हूं। आप स्थान ग्रहण करें। वैसे राज्य सरकार की यह नीति है कि ज्यादा आबादी का विस्तार नहीं हो, यह तो स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : सुनिए, सुनिए···

श्री खेतसिंह राठौड : सुनिये, सुनिये, यह क्या है ?

श्री सम्पतराम : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय···

श्री खेतसिंह राठौड : आपने 'सुनिये–सुनिये' कैसे कहा ? हम जनता नहीं हैं। हम भी आपकी तरह चुने हुए जन–प्रतिनिधि हैं, सम्माननीय सदस्य हैं, आपके बराबर हैं। 'सुनिये' शब्द पार्लियामेन्ट्री नहीं है।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है जो इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यह पॉलिसी मैटर है। सरकार ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए पाबन्द नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्री जी ने यह कहा, 'सुनिये, सुनिये'। हम कोई स्टूडेन्ट नहीं हैं कि यह हमें 'सुनिये, सुनिये' कहें। यह कोई अध्यापक नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। कृपया शान्त रहें।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, 'सुनिये सुनिये' कोई गाली तो नहीं है ?

श्री मूलचन्द डागा : यह पार्लियामेन्ट्री डेकोरम में नहीं आता है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पक्ष के सदस्य एक साथ बोल कर हमारा समय खराब करते हैं जिससे कि हमारे प्रश्न रह जाते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा कि पुरानी सरकार ने जानवरों की तरह लोगों को ले जाकर नसबन्दी करवा दी। जो लोग स्वतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना चाहते हैं उनके लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पोलिसी मेटर है। इसको आप वाद–विवाद का विषय न बनाइयें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर भी, मन्त्री महोदय, इसमें··

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये। यह पहले ही कह दिया गया है कि यह केबीनेट डिसीजन पर डिपेन्ड करता है कि वह क्या डिसीजन ले।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि···

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह केबीनेट डिसीजन की बात नहीं है। जो मनुष्य स्वतः आता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। आप विराजिये प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस पक्ष वाले हमारे प्रश्नों को भी नहीं आने देते हैं। अपना समय खराब करते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : तो क्या, उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता पार्टी सरकार परिवार नियोजन को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह सरकार का पौलिसी मेटर है। पहले की कांग्रेस सरकार ने पशुओं की तरह लोगों को ले जा कर उनकी नसें काट दीं और उनको रुपये दे दिये। पर हमारी नीति इस प्रकार की नहीं है कि हम लोगों की पशुओं की तरह नसें काट दें और पैसे दें। मन्त्री महोदय को चाहिये कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर देवें।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले ही व्यवस्था दी है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय यह कांग्रेस पक्ष वाले लोग हमारा समय खराब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती सुमित्रासिंह।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न रह गये हैं। मैं सप्लीमेन्ट्री प्रश्न इस पर पूछना चाहती हूं।

एक माननीय सदस्य: मेरा सप्लीमेन्ट्री।

श्री उपाध्यक्ष : आपका सप्लीमेन्ट्री निकल गया। विराजिये।

सरपंच एवं उप सरपंच के विरुद्ध जांच

207. **श्रीमती सुमित्रासिंह** (झुंझुनू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत नागल डौसा बोहरा पंचायत समिति झोटवाड़ा जिला जयपुर के सरपंच श्री नारायण माली एवं उप सरपंच श्री नन्दकिशोर शर्मा ने अपने पद के प्रभाव का प्रयोग करके गम्भीर अनियमिततायें बरती हैं?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 6–6–72 को जिलाधीश, जयपुर ने एक जांच रिपोर्ट ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ राज्य सरकार को पेश की थी और सरपंच को निलंबित करने की सिफारिश की थी?

(3) क्या इस सिफारिश को मानते हुए राज्य सरकार ने 30–4–77 को सरपंच को निलम्बित कर दिया था एवं भूमि विक्रय

Page No 12

(12)

(श्रीमती सुमित्रासिंह)
पत्र जारी करने पर पाबंदी लगा दी थी ? यदि हां, तो दिनांक 2–6–77 को इस सरपंच को बहाल कैसे किया गया ? क्या जांच पूरी होकर सरपंच निर्दोष पाया गया ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां। श्री नारायण सरपंच ग्राम पंचायत नागल डोला बोहरा ने अपने पद के प्रभाव से अनियमिततायें की हैं। परन्तु श्री नन्दकिशोर उप सरपंच के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार को उपरोक्त सरपंच के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट जिलाधीश, जयपुर से दिनांक 11–11–76 को प्राप्त हुई लेकिन आरोप सिद्ध न होने से कांग्रेस दल के आग्रह पर दुबारा जांच कराई गई जिसका प्रतिवेदन दिनांक 11–1–77 को प्राप्त हुआ। रिपोर्ट में सरपंच को निलम्बित करने का सुझाव दिया है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सरपंच को दिनांक 30–4–77 को निलम्बित कर दिया गया है। साथ ही भूमि विक्रय के अधिकार भी दिनांक 16–5–77 को वापिस ले लिये गये। निलम्बन आदेश के विरुद्ध सरपंच ने दिनांक 17–5–77 को राज्य सरकार को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उस पर पुनर्विचार कर दिनांक 2–6–77 को बहाल कर दिया गया है। विभागीय जांच जारी है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : आन ए पाइन्ट आफ ओर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन आवर में कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या यह बात सही है कि जब चुनी हुई लोकतान्त्रिक सरकार नहीं थी तब अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके पहली वाली सरकार के आदेशों को निरस्त किया ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या से निवेदन करूं कि जो बहाली के आदेश हुए हैं दिनांक 2–6–77 को उस समय चुनी हुई सरकार नहीं थी। अधिकारियों ने अधिकारों का दुरुपयोग किया या नहीं, कुछ कह नहीं सकता।

श्रीमती सुमित्रासिंह : प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में, जांच में यह बात आयी है कि वह दोषी है तो चुनी हुई सरकार ने उसको निलम्बित कर दिया लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान उस निलम्बन को रिवाइज करने का क्या कारण था ? वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकार इस बात को महसूस नहीं कर रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय सदस्या को निवेदन करना चाहता हूं कि तत्कालीन सरकार ने उस सरपंच के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के कहने के आधार पर दुबारा जांच की थी। पहली रिपोर्ट के आधार पर सरपंच के विरुद्ध कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। सब ने शिकायत की कि यह जनसंघी है, विरोधी पार्टी का है। आप चाहेंगी तो मैं जांच रिपोर्ट सदन में रखूंगा। बहाली के आदेश में साफ लिखा हुआ है कि आउट आफ वे जाकर, मंत्री महोदय ने जल्दी

Page No 13

(13)

(श्री कैलाश मेघवाल)
जल्दी में निलम्बित करने के आदेश किये, तथ्यों के आधार पर निलम्बित नहीं किया।

कई माननीय सदस्य : शेम। शेम।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या यह बात सही है कि जिलाधीश ने इस सरपंच को निलम्बित करने के लिए सिफारिश नहीं की थी ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह मैं स्वीकार करता हूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : एक प्रश्न के उत्तर में हां और दूसरे प्रश्न के उत्तर में ना कह रहे हैं। आपका उतर एम्बीग्युटी से भरा हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : जिलाधीश से सिफारिश आती है तो राज्य सरकार को देखना होता है कि जांच रिपोर्ट आयी है, उसमें आरोप की गम्भीरता क्या है, आरोप किस प्रकार के हैं, गबन के आरोप हैं, या भयकर दुरुपयोग के आरोप हैं। उसी आधार पर देखकर निर्णय देते हैं। जिलाधीश तो सिफारिश करता है। सब बातों को देखा जाता है। इसमें विभागाध्यक्ष ने महसूस किया और 30–4–77 को निलम्बित किया लेकिन नोट पर लिखा हुआ है, आउट आफ वे जाकर, फाइल मंगवा कर यह कहा कांग्रेस पार्टी ने सरपंच जनसंघी है, इसको निलम्बित करना है। इस दृष्टि से निलम्बित किया।

श्री मूलचन्द डागा : यह रिकार्ड पर नहीं हो सकता कि यह जनसंघी है।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड के आधार पर ही है, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : सदन की मेज पर वह फाइल मंगाई जाय जिसमें मंत्री महोदय ने लिखा है कि यह जनसंघी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको आवश्यक नहीं समझता।

एक माननीय सदस्य : गलत इन्फार्मेशन दे रहे हैं मंत्री महोदय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस सरपंच ने हरिजनों के पक्के मकान नेस्तोनाबूद करवा दिये। शायद सरकार के पास रिपोर्ट पहुंची है।

श्री कैलाश मेघवाल : आप इस तरह का प्रश्न कीजियेगा, मैं जवाब दे दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : कलेक्टर महोदय ने किस बात की सिफारिश की ? वह क्या है ? सरकार उस सिफारिश को क्यों नहीं मानने को तैयार है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : आपको अभी बता तो दिया।

श्री मूलचन्द डागा : कलेक्टर ने जो सिफारिश की, सरकार उसको मानती।

श्री उपाध्यक्ष : समुचित उत्तर आ चुका है जो कि बिलकुल पर्याप्त है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका सातवां सप्लीमेन्ट्री हो रहा है।

प्रश्न संख्या 37।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्रीमती श्यामा कुमारी।

Page No 14

(14)

पेस्टीसाइड इण्डिया की मान्यता प्राप्त यूनियन का मांग-पत्र

372. **श्रीमती श्यामाकुमारी** (कपासन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पेस्टीसाइड इण्डिया के नाम से कम्पनी काम कर रही है ? अगर हां, तो इसके मैनेजमेंट का कौन कौन संचालन करते हैं व यह कितने वर्षों से चलाई जा रही है और इस कम्पनी में कितने कर्मचारी काम करते है ?

(2) इस कम्पनी में कितनी यूनियन्स पंजीकृत हैं और उनके कितने कितने सदस्य हैं ?

(3) क्या यह सही है कि पेस्टीसाइड इण्डिया कर्मचारी संघ, जिसकी कि पंजीयन संख्या 2177 है, जो भारतीय मजदूर संघ से एफीलियेटेड है, भी काम कर रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि इस यूनियन द्वारा 12–4–77 को एक मांग पत्र अपनी मांगों को लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट पेस्टीसाइड को दिया था जिसकी एक कापी क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, उदयपुर को भी भेजी थी जो कि आज तक विचाराधीन ही है और आज तक कोई उत्तर नहीं लिखा है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मांगों के पश्चात् मैनेजमेंट द्वारा बराबर इसकी मांग करने और पदाधिकारियों को किसी न किसी रूप से नौकरी से हटाया गया और नौकरी छोड़ने को बाध्य किया गया और आगे भी सभी को जो पदाधिकारी हैं उन सभी पर कोई न कोई चार्ज लगा कर हटाया जा रहा है ?

(6) क्या यह भी सही है कि यूनियन के द्वारा मांग पत्र दे देने के पश्चात् ही यूनियन के अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर पंड्या को झूठी योजना बनाकर निकाला गया जिसका केस भी श्रम न्यायालय में चला और उप श्रम आयुक्त एवं समझौता अधिकारी श्री चारण और श्रम निरीक्षक श्री जे. डी. शर्मा व मैनेजमेंट की मिली भगत से श्री गिरजाशंकर को बाध्य करा कर समझौता कराया गया है जिसकी सूचना 4–8–77 को मुख्य श्रम आयुक्त राजस्थान सरकार को भेजी जा चुकी है ?

(7) उक्त यूनियन के बनने और मांग पत्र देने के पश्चात् किन किन पदाधिकारियों और सदस्यों को हटाया गया है और किन-किन के स्थानान्तरण किये गये हैं तथा सशर्त त्याग-पत्र लिये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) क्या राज्य सरकार मैनेजमेंट द्वारा यूनियन के निकाले गये पदाधिकारी सदस्यों की जांच करवा कर वापस नौकरी दिलायेगी और इस यूनियन के सदस्यों का मनोबल गिर रहा है उसको बल प्रदान करायेगी ?

श्रम मंत्री (श्री केदारनाथ) : (1) यह सही है कि उदयपुर नगर में पेस्टीसाइड इण्डिया सन् 1961 से कार्य कर रही है। इस संस्थान के मैनेजिंग डाइरेक्टर, श्री बी. बी. मित्तल हैं। फैक्ट्री मैनेजर श्री एम. यूसुफ हैं। इस कम्पनी में करीब 400 कर्मचारी कार्य करते हैं।

(श्री केदारनाथ)

(2) इस कम्पनी में श्रमिकों की दो यूनियन पंजीकृत हैं। प्रत्येक यूनियन के अधिकृत सदस्यों की जानकारी नहीं है।

(3) जी हां।

(4) यह सही है कि पेस्टीसाइड कर्मचारी संघ द्वारा दिनांक 12-4-77 को एक मांग पत्र दिया गया और उसकी प्रतिलिपि क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, उदयपुर को भी दी गयी। उक्त कार्यालय द्वारा दोनों पक्षों को प्रारम्भिक वार्ता के लिये बुलाया गया। तत्पश्चात् दोनों पक्षों ने सम्मिलित रूप से वार्ता के लिये समय की मांग रखी। दिनांक 7 9-77 को यूनियन द्वारा एक पत्र पेश किया गया कि संघ एवम् उसके सदस्यों के बीच वार्ता चलने के कारण वे आगे तिथि चाहते हैं। अब दिनांक 21-9-77 को उपरोक्त मांग पत्र पर वार्ता रखी गयी।

(5) प्राप्त सूचना के अनुसार यूनियन के सात पदाधिकारियों में से दो पदाधिकारी फैक्ट्री में नियोजित नहीं थे (आउटसाइडर) दो पदाधिकारी फैक्ट्री के अन्दर कार्य कर रहे हैं। तीन पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। कार्यरत पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की चार्जशीट विचाराधीन नहीं है।

(6) यह सही है कि मांग पत्र देने के पश्चात् यूनियन के अध्यक्ष श्री गिरजा शंकर पांड्या को नौकरी से हटाया गया था एवं संबंधित पदाधिकारी द्वारा विभाग को अपना विवाद पेश करने पर दोनों पक्षों में समझौता वार्तालाप हुआ। समझौता किसी प्रकार का दबाव डाल कर नहीं कराया गया।

(7) यूनियन के बनने और मांग पत्र देने के पश्चात् इस संस्थान में निम्नलिखित कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया :—

1. श्री मोतीलाल
2. श्री सुनील सक्सेना
3. श्री डी. एस. गहलोत
4. श्री मदनलाल मठावाल
5. श्री पीताम्बर शर्मा
6. श्री एन. एल. जैन, उपाध्यक्ष
7. श्री जी. एल. बंसल
8. श्री एन. एल. पारीख महा मंत्री
9. श्री आर. के. जैन
10. श्री महेश श्रीवास्तव

निम्नलिखित कर्मचारियों की छंटनी की गयी :—

1. श्री शिवलाल
2. श्री चुन्नीलाल
3. श्री रोडीलाल
4. श्री खेमा
5. श्री जोसूफ

निम्नलिखित कर्मचारी का ट्रान्सफर किया गया :—

श्री जी. एल. बंसल

निम्नलिखित कर्मचारी को बर्खास्त किया गया, बाद में समझौता किया गया और बर्खास्तगी के स्थान पर पृथक्करण किया गया :—

श्री जी एस. पण्ड्या, अध्यक्ष

(8) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा छानबीन कराई जा रही है। यदि उचित समझा गया, तो राज्य सरकार अवश्य हस्तक्षेप करेगी।

श्रीमती श्यामा कुमारी : कम्पनी की ओर से बहुत अत्याचार किये गये हैं। क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि न्याय करायेंगे ?

श्री केदार नाथ : विक्टीमाइजेशन की शिकायतें आयी हैं और लेबर कमिश्नर जांच कर रहे हैं। कार्यवाही की जावेगी।

श्रीमती श्यामा कुमारी : कब आयीं ?

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 12–4–77 को जब मांग पत्र दिया, उसके बाद ही सारे कर्मचारियों को निकाला गया या उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्या इसके पीछे यह मंशा नहीं थी कि इस प्रकार मजदूर शिकायत कर अपनी मांगों के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं कर सके ?

श्री केदारनाथ : इस मामले में मौजूदा कानून के अनुसार लाजिमी कार्यवाही जो की जानी है, वह की जायेगी।

श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या डी. सी. एम. के साथ जो समझौता हुआ वह आज तक लागू नहीं हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे रेलेवेन्ट नहीं है।

नेक्स्ट।

श्री किशनसिंह भाटी।

स्थायी अकाल वाले क्षेत्रों की रोकथाम की स्थायी योजना

373. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार के पास स्थायी अकाल वाले क्षेत्रों में इसकी रोकथाम की स्थायी योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं है ? यदि हां, तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल राहत मंत्री (श्री सम्पतराम) : जी नहीं। अकाल प्राकृतिक आपदा है जिसकी रोकथाम की कोई स्थायी योजना बनायी जाना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका को भविष्य में कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने फैमिन कोड के अतिरिक्त सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम (डी0 पी0 ए0 पी0) मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा राजस्थान नहर जैसी परियोजनायें हाथ में ले रखी हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : मंत्री महोदय, क्या इसका यह अर्थ समझा जाये कि जहां स्थाई रूप से अकाल होते हैं वहां के लिए अभी भी कोई योजना नहीं है और उसके नाम से दूसरे स्थानों पर पैसा बर्बाद होता रहेगा ? इसका अर्थ यही है ?

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल हमेशा होता है, वह नेचुरल कैलेमिटी की वजह से होता है। बारिश का नहीं होना, सूखा पड़ना, फसल में बीमारी फैल जाना इस तरह के कारण होते हैं तो अकाल होता है। इसलिये अकाल को रोकना सरकार के हाथ की बात नहीं है और न ही लोगों के हाथ की बात है। फिर भी जो माननीय सदस्य ने संकेत दिया कि क्या इसी तरह से पैसा बेकार होता रहेगा तो मैं यह मानकर चलता हूं कि सौभाग्य तो यह होगा कि

(श्री सम्पतराम)
राजस्थान में न अकाल पड़े और न ऐसी स्थिति आये । मैं फिर भी यह मानकर चलता हूं कि यदि अकाल पड़ा तो जिस तरह से पहले लूट खसोट हुई थी वैसी अब नहीं होगी।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आपकी मान्यता है कि अकाल बिल्कुल ही प्रकृति पर आधारित है लेकिन पश्चिमी राजस्थान में यह उतना ही मानव निर्मित है। वहां रेगिस्तान को हटाने की कोई योजना नहीं बनी, वहां वृक्ष नहीं हैं और कई कारण हैं वहां अकाल के । क्या इन कारणों को हटाने के लिए कोई कारगर योजना सरकार बनायेगी और बनायेगी तो कब तक ?

श्री सम्पतराम : मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी ही देर पहले जवाब दिया है। जो माननीय सदस्य की चिन्ता है वह सरकार की भी चिन्ता है। इसके लिए कोई योजना बन सके तो बनायी जानी चाहिए । लेकिन इस विषय में जितनी चिन्ता करनी चाहिए और टेक्निकल असिस्टेन्स लेनी चाहिए उतनी हम नहीं ले सके हैं पिछले सालों में। ऐसी हालत में हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि कोई स्पेसिफिक जवाब दे सकें कि ऐसी स्कीम होगी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से पूरे रेगिस्तानी इलाके का सर्वे कराया है और जैसलमेर, शेरगढ़, बाड़मेर इन सब क्षेत्रों का डिटेल्ड सर्वे हो चुका है। कई ऐसे पेचेज हैं जहां 10 हजार से लेकर 30 हजार गैलन प्रति घन्टा पानी निकल सकता है। तो उन इलाकों में ट्यूब वैल योजना लागू कर दें तो निश्चित रूप से अकाल का कोई स्थाई हल निकल सकता है। इससे जो अकाल की सूरत होती है वह भी नहीं होगी। लोगों को भी मेहनत मजदूरी मिल जायेगी और वे अपना गुजारा कर सकेंगे। क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

एक माननीय सदस्य : आपने क्यों नहीं किया ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : किया है।

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, यह अच्छा है । इस प्रकार का सर्वे हुआ है और रिपोर्ट है तो सरकार उस सर्वे रिपोर्ट को निकलवाकर विचार करेगी और जो भी इस दिशा में हो सकेगा वह करने की कोशिश करेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डिटेल्ड सर्वे हो चुका है। यह सर्वे हो चुका है कि वहां बहुत पानी है।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कह दूं····

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी तो आप चेम्बर में दे दें। इस प्रश्न पर पहले भी बहस हुई थी।

श्री किशनसिंह भाटी : स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय इजराइल ने एक योजना····

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि लूटखसोट पहले की तरह नहीं होगी । तो जब मंत्री महोदय को

(श्री रामकरण सिंह)
मालूम है कि लूटखसोट पहले हुई है और पहले के मंत्रियों ने की है तो माननीय मंत्री महोदय स्पष्टीकरण करें कि उस पर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री किशनसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के समय इजाइल ने एक स्कीम प्रस्तुत की थी। राजस्थान के अन्दर उसको लागू करने के लिए क्या आप विचार करेंगे ? उस रिपोर्ट को भारत सरकार से निकलवाकर उसको राजस्थान में लागू करने का विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : भाटी जी, बैठें। सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन बहुत विषयान्तर हो गया है।

श्री किशनसिंह भाटी : It is very relevant for our area. यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है मंत्री महोदय इसका जवाब दें क्योंकि यह पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसी योजना नहीं है। मैं कहूंगा कि योजना एक जगह पड़ी है उसको लागू करेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद जहूर : कामां तहसील में स्थाई रूप से बाढ़ आती है। इस समय भी बाढ़ है क्या कृषि मंत्री जी उसका कोई स्थाई हल निकालेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में डिमाण्ड के समय प्रश्न उठ चुका है। यह प्रश्न उसमें कवर हो चुका है। अब इस पर और कोई सप्लीमेन्टरी नहीं होगा।

स्थगित प्रश्न।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत अहम मसला रखा है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बात कही है कि पहले की तरह अब लूटखसोट नहीं होगी तो जब ऐसी लूटखसोट पहले की इनकी नोलेज में है· · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष। माननीय सदस्य, आप कह चुके हैं।

श्री रामकरण सिंह : इसका उत्तर आना चाहिए, मैं यह चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री रामकरण सिंह : मैं तो यह प्रश्न कर रहा हूं कि इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ? व्यक्ति का नाम बतायें तो सही कि किसने लूटखसोट की है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री दाऊदयाल जोशी : जिस जिस ने लूटखसोट की है सब जेल जाने की तैयारी कर लो।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्थगित प्रश्न लिये जायेंगे।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 सितम्बर, 1977)

बाड़मेर जिले में म्यूटेशन के मामले

78. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर जिले में इस समय म्युटेशन के कितने मामले कब से पेन्डिंग हैं ? नामावली देते हुये तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) यह सभी मामले पटवारियों एवं ग्राम पंचायतों के पास कितने दिन तक पेन्डिग रहे ? प्रत्येक मामले की देरी का विवरण देते हुए सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) पटवारियों द्वारा देरी से म्युटेशन फार्म भर कर ग्राम पंचायत में पेश करने के कारण किस किस के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाया गया ?

(4) क्या जिला प्रशासन की ओर से उक्त म्युटेशन के मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए इस वर्ष सन् 77–78 में कोई अभियान चलाया गया। यदि हां, तो अभियान के समय की प्रगति के बारे में जानकारी देने की कृपा करें।

(5) क्या राज्य सरकार विभिन्न जिलों में इस विषय में विशेष अभियान चलाने के लिए कार्यक्रम बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) बाड़मेर जिले में म्युटेशन के 557 मामले इस समय विचाराधीन हैं। तहसीलवार नामावली की सूची "क" सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) विचाराधीन मामले कितने समय से चल रहे हैं इसका काल विभाजन सूची "ख" में किया गया है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। इसके बाबत आसामीवार विवरण सूची "क" में भी अंकित है।

(3) पटवारियों द्वारा म्युटेशन भर कर देरी से पेश करने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(4) जिला प्रशासन ने वर्ष 77–78 में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया।

(5) जी हां। राज्य सरकार ने दिनांक 1–10–77 से एक मास की अवधि के लिए विशेष राजस्व अभियान आयोजित करने के आदेश दिए हैं। इस अभियान के तहत नामांतरकरण के मामलों को भी निपटाया जाएगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गई)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, म्युटेशन फार्म भरने में पटवारियों द्वारा कतई विलम्ब नहीं किया गया। म्युटेशन फार्म बराबर समय पर भर कर दिये गये। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि फिर भी इतना विलम्ब हुआ। यह जवाब दिया गया है कि जितना भी विलम्ब हुआ है यह पंचायतों की मीटिंग नहीं होने के कारण हुआ है। क्या पंचायतों की मीटिंग नहीं होने के कारण बताये गये हैं ? यह विलम्ब होने के कारण है तो क्या 2 अक्टूबर से जो राजस्व अभियान की कार्यवाही हो रही है उसमें पंचायतों की मीटिंग करवाने के भी निर्देश देंगे ? पंचायतों की मीटिंग 2 अक्टूबर को बुलाने का निर्णय लेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है यह इसकी सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। इस पर विचार किया जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना दी गयी है, इसके अन्दर बताया गया है कि पंचायतों से विलम्ब हुआ है और यह विलम्ब इन्सपेक्टर से नहीं हुआ है। तो, मैं तो मेरी इनफार्मेशन के आधार

Page No 20

(२०)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
पर कहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पंचायतों के कारण गलती हुई और रेवेन्यू इन्सपेक्टर और तहसीलदार की तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। यद्यपि यह जो तहसीलदार नामावली की सूची है....

श्री उपाध्यक्ष : हर इन्डिविजुअल केस के बारे में कहां तक जानकारी लेंगे ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तथ्य छिपाया गया है। यह कहा गया है कि न तो पटवारी से मिस्टेक हुई, न इन्सपेक्टर से हुई और न तहसीलदार से। मैं कहता हूं कि तहसील से मिस्टेक हुई है। 5–6 महीने तक म्यूटेशन के मामले डिस्पोज आफ नहीं किये गये तो क्या आप रेवेन्यू इन्सपेक्टर और तहसीलदार के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार हैं ? यह कहा गया है कि इस विभाग की कतई गलती नहीं है और सारा दोष ग्राम पंचायतों पर डाला है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं 5–3–77 को तहसीलदार से जवाब गया। तहसीलदार से पूछने पर अभी भी कहा गया कोई मामला डिस्पोज आफ नहीं हुआ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कहा गया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

एक माननीय सदस्य : म्युटेशन के मामले कितने कितने दिन तक पैंडिंग थे ?

श्री कैलाश मेघवाल : पैंडिंग रहने पर ही यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपने दृष्टांत दिया है। मैंने केवल कहा है कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर देरी हुई है, तो किसान ने शिकायत नहीं की। म्यूटेशन के लिये राज्य सरकार द्वारा एक महीने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सब के सहयोग से अधिक राहत पहुंचाई जा सकेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं जानना चाहता हूं, जो विशेष राजस्व अभियान चलेगा, इसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि तारीख बदल दी है। आपने कहा है कि 2 अक्टूबर से वह अभियान चलेगा। परन्तु यह अभियान 15 सितम्बर से चलाया जा रहा है। जब हम पहुंचेंगे तो वे खत्म भी कर देंगे। निश्चित रूप से आपकी पार्टी के सदस्यों के साथ भी यही होगा कि जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक अभियान खत्म करके चले आयेंगे। जब तक उनके साथ इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव नहीं रहेगा वह अभियान मायने नहीं रखता। जोधपुर जिलाधीश को आज ही आदेश दें कि अभियान बन्द करें और 2 अक्टूबर से वापस चलायें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा पिछली बार इस सदन में तय हुआ था, माननीय सदस्य 30 सितम्बर तक यहां रहेंगे इसलिये वह तारीख बदली गई थी। अगर प्रशासनिक दृष्टि से कहीं आदेश पहुंचे हैं तो उसके आधार पर संशोधित आदेश भेज देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : रेडियो पर कह दीजिये।

श्री नूरा (मसूदा) : अभियान के दौरान नामान्तरकरण करने के अधिकार तहसीलदार को दे दिये गये हैं ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्नोत्तर काल में कट मोशन्स की तरह भाषण देते जा रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आदेश निकाले गये हैं उसकी कापियां सदस्यों को नहीं दी गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी पहुंच जायेंगे।

श्री गुरुशरण छाबड़ा।

जन्म वर्ष के विरुद्ध शपथ-पत्र

80. श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि श्री टी. एस. मेहता, उप निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय राजस्थान, जयपुर ने सरकार के समक्ष शपथ पत्र के साथ यह लिखकर दिया है कि श्री आर. एन. भंडारी का जन्म वर्ष 1923 नहीं है बल्कि 1919 है तथा वह 1974 में ही अधिवार्षिकी आयु पर पहुंच गये थे? यदि शपथ-पत्र में वर्णित तथ्य सही हैं, तो श्री भंडारी अभी तक सेवा में कैसे बने हुए हैं? और यदि झूंठ है, तो श्री मेहता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री केदारनाथ): जी हां। श्री टी. एस. मेहता, उप निदेशक, नियोजन विभाग, राजस्थान ने राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र के दिनांक 5–5–77 को प्रस्तुत किया था कि श्री आर. एन. भंडारी निदेशक, नियोजन विभाग की जन्म तिथि का वर्ष 1923 नहीं है बल्कि 1919 है। यह मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और इस माह के अन्त तक इसका फैसला कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : एक इम्पार्टेण्ट प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इम्पार्टेण्ट प्रश्न बाद में आयेगा।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि यह प्रश्न विचाराधीन है सन् 1972 के अन्दर सरकार ने इसी सदन में कहा था कि श्री भण्डारी की जो रिटायरमेंट की अवधि है वह अक्टूबर, 74 है। यह प्रश्न आज नहीं कितनी दफा विचाराधीन रहा। यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा?

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री आर. एन. भण्डारी डाक्टर एल.एम. सिंघवी के मामा हैं। राजनैतिक कारणों से पिछली सरकार ने 1919 के बजाय जन्म तिथि 1923 कर दी इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे रहे हैं।

श्री केदारनाथ : जब उन्होंने जोधपुर रियासत में सर्विस की, सर्विस बुक में डेट आफ बर्थ 19 जून, 1923 लिखी गई। इन्होंने 23–3–66 को मैट्रिक का सर्टिफिकेट पेश किया उसमें जन्म की तारीख 13–10–1919 थी। उस डेट को मानते हुए राज्य सरकार ने 13–10–69 को नोटिस दिया था तब उन्होने रिप्रेजेन्टेशन

Page No 22

(22)

(श्री केदारनाथ)
पेश किया कि सर्विस बुक की डेट को सुपरसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। तब जो रिटायरमेंट का नोटिस दिया गया था वह निरस्त कर दिया। यह मसला एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को दिया गया। उसकी जांच की रिपोर्ट आ गई है। इस माह के अन्त तक फैसला दे देंगे।

श्री ईश्वरचन्द्र : क्या श्री भंडारी के छोटे भाई की जन्म तिथि 1921 है ?

श्री उपाध्यक्ष : छोटे भाई की उम्र रिकार्ड पर नहीं होगी।

श्री ईश्वरचन्द्र : उनकी रिकार्ड पर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुप्ता जी।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुझे उपाध्यक्ष जी ने इजाजत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इजाजत नहीं दी है, आपको बिराजने के लिये कहा है।

श्री गुरूशरण छाबड़ा : क्या मंत्री महोदय की जानकारी में है कि श्री भण्डारी ने स्कूटर लेते वक्त स्वयं लिख कर दिया कि जन्म तिथि 1919 है और रिटायर 1974 में होने जा रहा हूं। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का उदाहरण और क्या हो सकता है ? 1974 से 1977 आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : पहले श्योपतसिंह जी को पूछने दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, अगर एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट जांच कर यह रिपोर्ट देता है कि इनकी जन्म तिथि 1919 ठीक है तो क्या जितनी सर्विस उन्होंने ज्यादा की उस अवधि का पैसा उनकी पेन्शन और ग्रेच्युटी में से काटा जायेगा ?

श्री केदारनाथ : यह अलग से प्रश्न है।

श्री ईश्वरचंद्र : राजस्थान पत्रिका में भी छपा है। सिंघवी साहब केस को दबवा रहे हैं आई.ए.एस. आफिसरों से मिलकर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सवाल बड़ा स्पष्ट है। एन्टी करप्शन अगर श्री भण्डारी के खिलाफ यह जजमेंट दे देवे, यह कमेंट्स देवे कि तिथि 1919 मान ली जावे तो उस हिसाब से 1974 में रिटायरमेंट होना चाहिये। फिर आप क्या करेंगे ? आपको चीट करके 77 तक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : श्रीमान्, मेरा छोटा सा सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेन्ट्री प्रश्न तो बहुत हो गये इस पर।

श्री श्योपत सिंह मकासर : तीन साल तक जिसने चीट किया उसके लिये आप क्या करना चाहते हैं, यह तो कम से कम बता दें ?

मेजर श्री फतह सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एफिडेविट किस तारीख को दिया गया था ? क्या सरकार उस एफिडेविट में दिये गये तथ्यों को सही मानती है ? अगर सही नहीं

(मेजर श्री फतह सिंह)
मानती है, तो उस एफिडेविट देने वाले के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ? मुझे यह सरकार बताये।

श्री केदारनाथ : एफिडेविट 5-5-77 को दिया गया।

मेजर श्री फतह सिंह : तो, क्या सरकार सही मानती है ? क्या..

(व्यवधान)

श्री केदार नाथ : मैंने इस माह के अन्त तक फैसला कर देने के लिये कहा है।

श्री श्योपत सिंह मकासर : सरकार यह समझती है कि एफिडेविट में दिये गये तथ्य सही नहीं हैं ? अगर हां तो एफिडेविट देने वाले के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये, और उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट करना चाहिये।

श्री केदार नाथ : अगर एफिडेविट गलत होगा, तो एक्शन होगा।

श्री श्योपत सिंह मकासर : Which type of action ? अगर एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट यह एक्शन ले लेता है कि गलत एफिडेविट दिया है...

(व्यवधान)

एक्शन, एक्शन क्या होता ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। विधि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

मेजर श्री फतह सिंह : श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें बड़ी पर्सनलिटी इन्वोल्व हैं, लक्ष्मी मल सिंघवी जैसे व्यक्ति। इसलिये क्या सरकार इस सदन के 1, 2, 3, 4, 5 माननीय सदस्यों की कमेटी जांच करने के लिये नियुक्त करने को तैयार है ?

श्री मूलचन्द डागा : जरूरत ही क्या है, एन्टीकरप्शन का निर्णय होने वाला है।

विधि मंत्री (श्री सम्पत राम) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न पर काफी चिन्ता प्रकट की है। वास्तव में चिन्ता होनी भी चाहिये और सरकार को ध्यान देना चाहिये। इस सदन के सामने जो तथ्य आये हैं उनके अनुसार फोजदारी का केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस में भी हो सकता है। मेरा अनुरोध है माननीय सदस्यों के पास जो जानकारी है वह दे दें। एन्टीकरप्शन की इन्क्वायरी के बाद उसे देख लेंगे। अगर सही नहीं है, तो कार्यवाही की जायगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। एक एक माननीय सदस्य बोलें :

श्री राम कृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): आधे घन्टे की चर्चा इस विषय पर होनी चाहिये....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इसकी बहस करने के लिये आधे घंटे का समय दिया जाय।

Page No 24

(24)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री सूर्य नारायण चौधरी (नीम का थाना) ; उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सरकार ने विचार करने में कितना समय लिया है और कितना और लेगी ?

श्री खेत सिंह राठौड़ : एक महीना ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको दुबारा मौका नहीं दूंगा, आप बिराजिये ।

श्री रतन लाल वर्मा : . . मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया । हमें यह उम्मीद नहीं थी कि यह इस प्रकार घपलेबाजी करेंगे । सीधी सादी बात है, आप अधिकारी को बचाने की कोशिश करते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : यह बात सच है ।

मेजर श्री फतह सिंह : ऐसे बड़े अधिकारी हैं जिनके खिलाफ यह सरकार और एन्टी-करप्शन विभाग, मैं समझता हूं, एक्शन लेने में हिचकिचा रहा है । इसलिए सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त करने के लिए कहा जाय जिससे हमारी कथनी और करनी में अन्तर न हो । इस कलंक को मिटाने के लिए जनता सरकार दृढ संकल्प है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : I am not being allowed to put supplementary.

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ।

श्री केदार नाथ : मेरे पास रिकार्ड है । न सवाल समझे, न जवाब समझे । इसका मुझे बड़ा अफसोस है कि यह नहीं समझे, मेन प्रश्न का स्कोप क्या है । जो भी कागजात मेरे पास हैं, वह मैं सदन की मेज पर पेश कर देता हूं । जो भी माननीय सदस्य देखना चाहें, देख लें ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप इस बात से सहमत क्यों नहीं हैं कि सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक समिति बना दें ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, मुझे कुछ तो कहने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कुछ कहने तो दीजिए, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

जैसी सदन के सदस्यों की भावना है, मैं अपनी तरफ से निर्णय नहीं दूंगा कि वे इस प्रश्न को कैसे निपटायें ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आधे घन्टे की चर्चा हो जाय अलग से ।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : मुझे निवेदन करते हुए खेद है. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजिये तो सही । एक-एक माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य बोलना चाहेंगे तो मेरे पास समय की परिधि है। लेकिन आप सब विराजिये तो सही।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नकाल समाप्त होने पर व्यवस्था का प्रश्न उठाइये। अभी बिराजिये।

श्री गुरुशरण छाबड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं आपको कई बार कह चुका हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। आइन्दा मैं ध्यान रखूंगा कि कहां तक आपको इजाजत दी जाय। आप मुझे मजबूर करना चाहते हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : एक बात निवेदन करना चाहता हूँ···

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, विराजिये। मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं। सुन लें पहले उनको।

श्री केदारनाथ : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में जैसी माननीय सदस्यों की भावना है, मैं सारे पेपर्स माननीय उपाध्यक्ष महोदय के चैम्बर में पेश कर रहा हूं। जो चाहें वहां पर देख लें।

श्री किशनसिंह भाटी : Facts should come before the House.

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : हाउस के अन्दर फैक्ट्स आने चाहिये··

(व्यवधान)

श्री केदारनाथ : पहले पूरी बात सुनिये, न बात समझते हैं और न प्रश्न को। राज्य सरकार यह कतई भावना नहीं रखती कि सदन के सामने तथ्यों को पेश नहीं करे। मैं चैम्बर में पेश कर रहा हूं जिससे साफ हो जायेगा कि क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं और इन्क्वायरी में क्या क्या कार्यवाही हुई है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार है। जनता सरकार भी उस भ्रष्टाचार को छिपा रही है···

(व्यवधान)

कांग्रेस सरकार के मुख्य मन्त्री हरिदेव जी जोशी इस भ्रष्टाचार में इन्वाल्व्ड थे। जनता सरकार भी भुलावे में डाल रही है. यह बात नहीं चलेगी।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : इन्वाल्व्ड तो आप हैं और नाम ले रहे हैं कांग्रेस का।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : भूतपूर्व मुख्य मंत्री जोशी जी ने इनको बचाया है। यह कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार है···

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप बिराजिये। माननीय सदस्य; बिराजिये।

श्री किशनसिंह भाटी : हम यह जानना चाहते हैं कि एण्टी करप्शन सदन से भी ऊपर है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। मैं देख रहा हूं कि आसन की ओर से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका ठीक तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। मुझे बड़ा खेद है इसका। खेद व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री केदारनाथ : इसके बारे में रूल्स में जो प्रावधान हैं उनकी पालना करने को मैं तैयार हूं। राज्य सरकार कोई फैक्ट्स छुपाना नहीं चाहती। चेम्बर में पेपर्स पेश कर रहा हूं, आप इनको देख लें और जो कुछ डिस्कस करना चाहें, कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप एग्जामिन कर लीजिए बाद में।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखिये)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

चम्बल की दायीं प्रमुख नहर बन्द रहने से नुकसान

371. श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल की दायीं प्रमुख नहर दो माह तक बन्द रहती है ? यदि हां, तो क्यों ? बन्द रहने के कारणों को दूर करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(2) उक्त दायीं प्रमुख नहर को बारह मासी पानी सप्लाई योग्य कब से बना दी जावेगी ? क्या यह सही है कि उक्त दायीं चम्बल नहर को दो माह बन्द रखने के कारण किसानों को प्रतिवर्ष खेती से सम्बन्धित बड़ा भारी नुकसान होता है ?

उत्तर

(1) जी हां। नहर बन्द रहने के कारण निम्नलिखित हैं —

(क) नहर पर आवश्यक तकनीकी कार्यों का निर्माण,

(ख) विश्व बैंक के कार्यों के अन्तर्गत लाइनिंग का कार्य किया जाना,

(ग) वार्षिक मरम्मत, कागी की सफाई आदि आवश्यक कार्यों का कराया जाना,

(घ) मध्य प्रदेश जो कि इस नहर में भागीदार है अभी तक विश्व बैंक के कार्यों के लिए पूरी तरह रजामन्द नहीं हुआ है। इस कारण को दूर करने के लिए चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड में कार्यवाही की जा रही है।

(2) कार्यों को पूर्ण होने पर बारह मासी सप्लाई योग्य बनाये जाने की सम्भावना है। नहर के बन्द रहने के कारण गन्ना पैदा नहीं किया जा सकता है अगर कुए बनाकर उस समय पानी ले लिया जाये तो यह भी फसल की जा सकती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सूचना देता हूं कि कल रात को हरियाणा ने, उफीणा नाली का रैगुलेटर तोड़ दिया है और पानी की मात्रा बढ़ा दी है जिससे भयंकर रूप से पानी पहाड़ी और कामां तहसीलों में आ रहा है। सारा एरिया पानी में डूबने का खतरा है। श्रीमान्, मन्त्री महोदय को कहें कि वह सदन में वक्तव्य दें कि उनको बचाने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : पूरा भरतपुर डूब जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर प्रस्ताव देंगे तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर स्थिति गंभीर है, तो जरूरत के मुताबिक तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री मूलचंद डागा : मैंने कल ...

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, अभी नहीं।

याचिका का उपस्थापन

मनोहरथाना को तहसील बनाना

नेक्स्ट जो कार्य सूची का विषय है वह है याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा, मनोहर थाना को सब तहसील बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित, मनोहरथाना को सब तहसील बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसके लिए स्वीकृति दी जाती है।

जयपुर के फूटे खुर्रे की मरम्मत

श्रीमती उजला अरोड़ा, जयपुर में फूटे खुर्रे की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार नागरिकों के द्वारा हस्ताक्षरित जयपुर में फूटे खुर्रे की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री मूलचन्द डागा : पहले प्रस्ताव रखिये, स्वीकृति लीजिये फिर रखिये। यह तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इंप्लाइड रूप से परमिशन मान ली गई है। परमिशन दी जाती है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रतन लाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने 18–8–77 को एक क्वेश्चन दिया था। यहां एप्लीकेशन भी सदन में पेश की थी लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा था, मैंने एडमिट कर लिया है। आप चेम्बर में मिल लें।

श्री रतन लाल वर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : मुझ से चेम्बर में मिल लें। मैं आपको विस्तार से जानकारी दे दूंगा। अभी आप विराजिये।

श्री मूलचन्द डागा : आपने आश्वासन दिया था कि चित्तौड़गढ़ में अल्प संख्यकों के साथ जो घटना घटी उसके बारे में आप स्टेटमेंट दिलवायेंगे । आपने कहा था कि 24 तारीख को मंत्री महोदय स्टेटमेंट देंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे या मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दूं ।

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृपया इसमें एक संशोधन करें । चित्तौड़गढ़ में अल्प संख्यकों के साथ जो घटना हुई, उसके स्थान पर चित्तौड़गढ़ में जो घटना घटित हुई, यह कर दिया जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : चित्तौड़गढ़ में अल्प संख्यकों के साथ ज्यादती हुई है । कुछ लोगों ने, साम्प्रदायिक तत्वों ने हमला किया, कातिलाना हमला किया · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह उनका अधिकार है । जिस रूप में वे चाहें प्रस्ताव दे सकते हैं । लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं कह सकते ।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां साम्प्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले नियमों को देख लीजिए । इस तरह से आपत्ति नहीं कर सकते ।

श्री मूलचन्द डागा : भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और बहुत बड़े बड़े नेता चित्तौड़ में जाकर आए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा जी, सरकार अपने तरीके से जानकारी प्राप्त कर रही है । कल तक इसके बारे में वक्तव्य देने की संभावना है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सरकार तो जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करने जा रही है ।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ की घटना के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा, इसकी तारीख बतायें कि सदन में किस दिन वक्तव्य देंगे ताकि मैं भी उस समय सदन में हाजिर रहूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कल तक वक्तव्य दे देंगे ऐसी जानकारी मिली है । फिर भी आप चैम्बर में मिल लीजिए । मैं निश्चित जानकारी दे दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक पोईन्ट आफ आर्डर कल उठाया था । श्रीमान्, माननीय सदस्य जो भिनाय से आए हुए हैं, उन्होंने कल ट्रेजरी बैंचेज के पास गैलेरी में बैठे हुए आफिसरों की तरफ संकेत करते हुए कुछ कहा था । बहुत बातें कहीं थीं जो प्रोसीडिंग्स में मौजूद हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता । नियम 269 · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपसे इस बारे में चेम्बर में मिलने को निवेदन किया था । मैं प्रोसीडिंग्स देख कर एग्जामिन करूंगा । आप निश्चित रहिये, मुझे उसके बारे में जानकारी है और याद है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था कि

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)
बीकानेर जिले के अन्दर अति वर्षा से हजारों लोग बेघरबार हो गए हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ता जी, आपके प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझ से चैम्बर में मिल लें। मैंने पहले भी निवेदन किया था माननीय सदस्यों को कि वे जो भी काल अटेंशन, एडजोर्नमेंट मोशन दें या उनके सम्बन्ध में या और भी कोई जानकारी लेना चाहें तो मुझसे चेम्बर में मिल लें। मैं आपका स्वागत करूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सरकार ने वहां पर अब तक क्या व्यवस्था की है, इस विषय पर सरकार को जो भी जानकारी हो दो मिनट में देनी चाहिए। हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गए हैं·

श्री उपाध्यक्ष : अभी मैं कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दूंगा। पूरी जानकारी मिलते ही अगर सरकार वक्तव्य देना चाहेगी, तो मैं समय निर्धारित कर दूंगा। मैं उनसे बात कर लूंगा।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप उनको आदेश तो दें। माननीय सदस्यों को तो आप चुप कर लेंगे लेकिन जनता चुप नहीं रहने वाली है। लोगों की जो दिक्कतें हैं···

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, मुझसे चेम्बर में मिल लें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हजारों व्यक्ति बेघरबार पड़े हुए हैं जिनमें छोटे 2 लोग हैं, अनुसूचित जाति के हैं, मेघवाल हैं, दूसरे लोग हैं····

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपकी चिन्ता से सहानुभूति रखता हूं। कृपया मेरी भी मजबूरी समझिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यहां उत्तर देने में क्या आपत्ति है ? चार पांच दिन हो गए हैं, इस विषय पर वक्तव्य देना चाहिए। क्या क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह बताने को सरकार को बाध्य करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको निवेदन किया है कि जानकारी मिलते ही इस बारे में निर्णय करूंगा। आप चेम्बर में मिल लें मुझ से।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है····

श्री उपाध्यक्ष : हर बात को सदन में उठाने से पब्लिसिटी तो आपकी हो जाएगी लेकिन जो आपकी चिंता है उसका समाधान करने के लिए मुझ से चेम्बर में मिल लें। हर बात को सदन में उठायें यह आवश्यक नहीं है। अब आप बिराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस घटना में पांच बच्चे मर गए हैं···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बिराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यहां पर इसीलिए मामला उठाते हैं कि लोगों की जो कठिनाइयां हैं उनमें राहत दिला सकें, कुछ उपाय कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बिराजिये। माननीय गुप्ता जी, बिराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हम तो बैठ जायेंगे लेकिन जनता नहीं बैठेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक माननीय सदस्य हैं। सदन के माननीय सदस्य के नाते आपसे कम से कम यह अपेक्षा की जाती है कि किस प्रश्न को किस रूप में किस अवसर पर उठाया जाय। आप नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर के मुझ से चैम्बर में मिल लें। कई बार मैं माननीय सदस्यों को निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ...Democracy thrives in the House not in the chamber.

श्री उपाध्यक्ष : इतनी स्पष्ट बात कहने के बाद भी आप बोल रहे हैं ! बिराजिए। मैं कह चुका हूं कि आप विराजिए। इस प्रश्न को बार–बार यहां पर न उठावें। आपको जो भी जानकारी लेनी हो, वह चैम्बर में आकर ले लें।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय सदस्य सदन के अमूल्य समय को व्यर्थ कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह झूठा आरोप हम पर लगाया जा रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न दिए थे, उनका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप यह उचित समझती हैं कि प्रश्नों के बारे में भी जानकारी सदन में दी जावे ? मैंने यह निवेदन कर दिया है, आप चेम्बर में आकर मिल लें।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 14 सितम्बर को एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। श्रीमान, बराबर सात दिन हो गए हैं। मैं आपका अमूल्य समय ले रहा हूं, सदन का समय ले रहा हूं। मुख्य मंत्री जी ने यह कह डाला कि इधर बैठने वालों की नींद हराम हो जाएगी। यह हमारे विशेषाधिकार का हनन है ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको निवेदन कर चुका हूं। जो मेरी विवशता है वह आप जानते हैं। जो बैठक की अवधि है उसके बाद रात के 11 बजे तक बैठना पड़ता है। समय कम मिल रहा है। सुबह मुझे जल्दी आना पड़ता है। मैंने आपसे समय मांगा था और आपने स्वीकृति दे दी थी। मैं जरूर इसके बारे में व्यवस्था दूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नींद हराम हो रही है।

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, आप मुझे समय दे दीजिए। इसको उठाने का अवसर दे दीजिए। मैं आपको कन्विन्स कर दूंगा कि हमारे विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री नूरा : चार पार्टियां इधर बैठती हैं। किस की नींद हराम हो जाएगी, यह खुलासा कर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह खुलासा हो जाएगा, आप निश्चिन्त होइए।

परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है····

श्री उपाध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज पेश किया गया है, लेट आवर्स में।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : हुजूर आपको गलत फहमी है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह अदालत नहीं है कि आप हुजूर कहें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आदत नहीं जा सकती।

श्री मूलचन्द डागा : आपको गलत आदत सुधारनी पड़ेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सदन है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि तीन दिन पहले यह मोशन रखा था।

श्री मूलचन्द डागा : तारीख बता दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में कुछ कमी दिखा कर उसको दूर करवाने के लिये दस्तखत करवाए गये थे। आज आपने यह कहा कि इसको नामन्जूर किया है। आज माइन्स विभाग की मांगे हैं, मैं इस पर चर्चा कर सकता हूं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यह केवल माइन्स विभाग से ही संबन्धित नहीं है। सारा माइन्स का रिकार्ड गायब कर दिया गया है। इसलिए आप इसके महत्व को समझ कर मुझे चैम्बर में बुलाने का कष्ट करें ताकि मैं आपको इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दूं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो मोशन दिया था, दरअसल वह रिक्वीजिट कापीज के साथ नहीं था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह आपकी गलत इन्फार्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मुझे आप चैम्बर में बुला लें। मैं आपकी खिदमत में पेश होकर सारी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो काल अटेन्शन मोशन है, उसको मैं एडमिट करूं या न करूं, यह मेरा डिस्क्रीशन है। मैं इसको अस्वीकार कर सकता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि जो काल अटेन्शन मोशन है, उसके मूवर हैं, उनको बुला कर चर्चा करूं, उनका एक्सप्लेनेशन लूं, जानकारी लूं। गृह विभाग से संबंधित डिमाण्ड 26 तारीख को प्रस्तुत होने वाली है और माइनिंग डिपार्टमेंट की आज पेश हो रही है। आपकी जो समस्या है, वह आप डिमान्ड पर विचार के समय प्रकट कर सकते हैं।

Page No 32

(32)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह मेट ग्रावर्स में नहीं दिया है। समय पर दिया है। स्पष्ट रूप से मेरा एक निवेदन है कि ग्राप इसकी जानकारी कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप निश्चिन्त रहिये। हर काल ग्रटेन्शन मोशन पर मैं स्वयं के डिस्क्रिशन के ग्राधार पर उचित व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ग्रापकी रूलिंग के आगे नत मस्तक हूं। ग्रासन का यह जो मानस है, जो ग्रापने व्यक्त किया है।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या है ? This is too mu·h ग्रासन पर ग्राक्षेप है। इसको प्रोसिडिंग से हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसिडिंग्स देख लूंगा।

श्री समरथ लाल : ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। ग्रासन के प्रति इस प्रकार के ग्राक्षेप ग्रगर लगाते हैं····

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह सदन का ग्रपमान है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैंने यह कहा है हुजूर, मैं यह नहीं चाहता कि ग्रासन का यह मानस बने। इसमें कोई गलत बात नहीं कही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पहले ग्रापको हुजूर कहा। फिर यह कहा है कि जो ग्रापने रूलिंग दी है, वह ठीक नहीं है, इसको मैं मन्जूर नहीं करता, यह गलत है····

श्री उपाध्यक्ष : जिस रेफरेन्स में यह बात कही गयी है, उसको मैं एग्जामिन करूंगा। यदि यह उचित समझा कि इस सम्बन्ध में कोई ग्रावश्यक कार्यवाही करनी है या इन शब्दों को प्रोसिडिंग से हटाना है तो मैं इस सदन के ग्रधिकारों की रक्षा करूंगा। मैं इस बारे में सभी माननीय सदस्यों को ग्राश्वस्त करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी, श्री कैलाश मेघवाल।

ग्रनुदान की मांगें

मांग संख्या 40 (सामुदायिक विकास), व मांग संख्या 43 (माइन्स) की प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री, सामुदायिक विकास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6 करोड़ 18 लाख 75 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43, माइन्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11 करोड़ 26 लाख 31 हजार रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 40 व 43 पर कटौती प्रस्ताव

1. गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : (1)—मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों को विकासीय एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (पंचायतों-पंचायत समितियों के कार्यों से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा प्रदेश की खनिज सम्पदा का उचित सर्वे कराने एवं प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. श्रीमती उजला आरोड़ा : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परियोजना खण्डों द्वारा विकास कार्यों की उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज में परिवर्तन व सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रदेश में भरे पड़े खनिजों का उचित सर्वेक्षण नहीं किये जाने से उत्पन्न हानि पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों को दृष्टिगत रखते हुए खानों के विकास हेतु चर्चा के लिये)।

9. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज के चुनाव कराकर उन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

11. श्री अजीत सिंह (टौंक) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री अजीत सिंह)
दिया जाय (छोटे बन्धों की मरम्मत कराके लघु सिंचाई को प्राथमिकता देने हेतु चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग में हुए सारे खर्चे का मूल्यांकन करने पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

14. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में ग्राम पंचायतों के चुनाव करीब 12 साल तक न कराये जाने पर ग्रामीण जनता में असंतोष है अतः जल्दी से चुनाव कराने के विषय पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में खनिज सम्पदा की खोज के लिये विस्तृत सर्वे कराने में राज्य सरकार की उदासीन नीति पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में रॉक फास्फेट की बाहुल्यता होते हुए भी उसका उपयोग करने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

17. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के जरिए ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में विभाग की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये)

18. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर में ग्रेनाइट एवं ग्राम करडा के खनिज विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खनिज सम्पदा के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण कर खनिज उत्खनन योजनाओं को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

20. श्री राम रघुनाथ (डेगाना): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के चुनाव अविलम्ब करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत चल रही प्राथमिक

(श्री रामरघुनाथ)
शालाओं में अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु चर्चा के लिये।

22. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराने की संगमरमर की खानों का योजनाबद्ध तरीके से विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेगाना माइन्स का विकास करने हेतु चर्चा के लिये)।

24. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास खण्डों के पास साधनों की कमी के कारणों पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निष्क्रिय सामुदायिक विकास योजनाओं को सरकार द्वारा पुनः सक्रिय करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज आधारित उद्योग खनिज क्षेत्र में स्थापित करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स क्षेत्रों का समुचित विकास न करने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

28 मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय लेखन सामग्री समिति के समक्ष स्टेचनरी के सेम्पल तो अच्छे किस्म के रखे जाते हैं और माल घटिया किस्म के कम्पनियों द्वारा सप्लाई किये जाने पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा सप्लाई की जाने वाली लेखन सामग्री घटिया किस्म की होने से राज काज में होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

30. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले व सारे राजस्थान में पंचायती राज की समाप्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के भरतपुर व सवाईमाधोपुर जिलों की सैण्ड स्टोन माइन्स को विभाग द्वारा चलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

32. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री रामसिंह विश्नोई)
कम कर दिया जाय (पंचायतों के चुनाव तुरन्त कराने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पहल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

33. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर–सिरोही जिलों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, लघु सिंचाई कार्यक्रमों को त्वरित गति से लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सामुदायिक विकास में ग्राम सेवकों के काम के रवैया से धन का दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों में आवासीय व्यवस्था नहीं की जा रही है इस पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों तथा पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार विशेषकर जमीन बिक्री के भयंकर घोटालों की चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर–सिरोही में खानों और खनिज का दोहन नहीं हो रहा है और इसी संदर्भ में जालोर से ग्रेनाइट फैक्टरी को हटाना चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही के खनिज कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के के लिये)।

39. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिरोही जिले में माइन्स के उपयोग पर चर्चा के लिये)।

40. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्राम सेवकों को व्यवहारिक ज्ञान अधिक कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज क्षेत्रों में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

42. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत अकलेरा एवं पंचायत समिति मनोहर थाना के विकास अधिकारी के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बावत चर्चा के लिये)।

43. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिस जिस पंचायत के जितने भी छोटे तालाब हों उन्हें तुरन्त बंधवाने का काम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

44. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों की कार्य पद्धति में आमूल परिवर्तन किया जाकर हर पंचायत समिति में पांच पांच गांव आदर्श गांव बनाने का काम हाथ में लिया जाने हेतु चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की निष्क्रियता से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (कृषि सम्बन्धी पूरा काम पंचायत समितियों में रखने तथा कृषि विभाग में न सौंपने की चर्चा के लिये)।

47 मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय। (पंचायत समिति में फंड के अभाव में छोटे तालाबों को ठीक नहीं कर पाती हैं सो इन्हें साधारण ब्याज पर कर्ज देने या इनसे छोटी सिंचाई भी ले लेने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय। (प्राथमिक शालाओं को पंचायत समिति से न हटाने के कारण उत्पन्न स्थिति तथा एक ही पंचायत समिति में अध्यापक को रखने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम करा दिया जाय, (अच्छे ग्राम सेवकों को विकास अधिकारी के पद तक पदोन्नति नहीं किये जाने से विकास कार्यों में आई शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय। (सामुदायिक विकास में विकास अधिकारी तथा ग्राम सेवकों को पूरी तरह कृषि, गऊ पालन व ग्रामोद्योगों के लिये लगाने के लिये चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खान क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से सड़कें बनवाने हेतु विभाग द्वारा कदम उठाये जायें, इस पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिजोलिया क्षेत्र में पत्थर की खानों के नए ऐरिया को इसी क्षेत्र एवं माण्डलगढ़ क्षेत्र के हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (खेती और खातेदारी की जमीन खनिज क्षेत्र में न ली जाये इस पर चर्चा के लिये)।

54. श्री समरथ लाल (राजगढ़): मांग संख्या मुख्य 40, शीर्षक–सामुदायिक विकास

(श्री समरथ लाल)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के आफिसरों को नियुक्त किया जाये इस पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पंचायत रैणी व डेरा पचायत समिति रैणी तहसील राजगढ़ (अलवर) में हुए पशु मेला के घोटाला पर चर्चा के लिये]।

56. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राजगढ, (अलवर) एरिया का सर्वेक्षण कराने हेतु चर्चा के लिये]।

57. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं के पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के विपुल खनिज सम्पदा के अधिकाधिक उपयोग करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिकराय क्षेत्र में बन्द भांखरी की खान को चालू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

61. श्री शीशराम ओला (पिलानी): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण विकास किये जाने पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जाय (ग्रामीण विकास के कार्यों के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–मइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माईनिंग क्षेत्र में ग्रामीण लोगों से पत्थर बजरी की विभाग द्वारा रायल्टी की वसूली पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों पर चन्द बड़े लोगों के एकाधिकार को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

66. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास

(श्री ईश्वरचन्द्र)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र की अधूरी पड़ी हुई विकास योजनाओं की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा के विकास अधिकारी द्वारा वाहनों के दुरुपयोग व खाद घोटालों की चर्चा के लिये)।

68. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने हेतु इनके पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

69. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा चुनाव कराये जाने का विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिये जाने से उत्पन्न परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

70. श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के पुनर्गठन एवं शीघ्र चुनाव कराने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के लीज में पुराने लोगों का एकाधिकार समाप्त कर नये लोगों को स्थान दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

72. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण विकास हेतु चर्चा के लिये)।

73. श्री मणिराम (नारानगर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों में पंचायत अधिकारियों द्वारा किये गये गबन घोटालों पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान एवं जिला परिषदों के जिला प्रमुख जो भ्रष्ट थे उनके कार्यकलापों की जांच हेतु चर्चा के लिये)।

75. श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार व निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत सर्किल छोटे किये जाएँ इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री श्योपत सिंह मकासर)

77. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों के कार्यों को चलाने के लिए इन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत किये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स की ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करने पर चर्चा के लिये)।

79. श्री अमृत लाल (डूंगरपुर) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिलों में सामुदायिक विकास कार्यों में फैले भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (डूंगरपुर एवं अन्य स्थानों में सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों की गति तीव्र कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर में मांडव माइन्स एवं अन्य माइन्स के संबंध में चर्चा के लिये)।

82. श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के चुनाव शीघ्र कराये जाने हेतु विभाग द्वारा शीघ्र निर्णय नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों, पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा पंचायतों में ग्रुप सचिव रखने की योजना से उत्पन्न सचिवों की बेकारी की समस्या पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (1975 में भंग न्याय पंचायतों के कर्मचारियों का शेष भुगतान न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले की अभ्रक की खानों के उचित एवं वैज्ञानिक ढंग से विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अभ्रक की खानों से निकले अभ्रक के निर्यात के निरन्तर ह्रास पर चर्चा के लिये)।

Page No 41

(४१)

88. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाये जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति किशनगढ़ जिला अजमेर के अन्तर्गत तिलोनिया, बुहांरु व फलोदा ग्रामों की प्राथमिक शालाओं को क्षेत्रीय जनता के विरोध के बावजूद समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को हस्तान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों को तहसील व विधान सभा क्षेत्र के समकक्ष बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति किशनगढ़ जिला अजमेर को वर्तमान मुख्यालय ग्राम सिलारों से स्थानान्तरित कर सम्बन्धित क्षेत्र के मध्य रखने पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास विभाग के तिलोनिया ग्राम तह. किशनगढ़ जिला अजमेर स्थित भवन व भूमि को समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्रों को अनुचित लाभ देने के प्रयोजन से हस्तान्तरित करने से राज्य सरकार को हो रही हानि पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में वाहनों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा एकत्रित शिक्षा कर के वितरण पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत के सरपंचों को बिना जघन्य आरोपों के होते हुये भी निलम्बित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

96. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों का विकास पंचायतों के माध्यम से व्यापक रूप से कराने हेतु चर्चा के लिये)।

97. श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों की हालतें सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रतन लाल वर्मा)
100 रु. कम कर दिया जाय (विकास विभाग अकर्मण्यता से ग्रामों का समुचित विकास नहीं हो सका इस पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (माइन्स के कार्यों की उचित निगरानी के अभाव व लीज तथा इसकी स्वीकृति तत्काल दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

100. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अन्तर्गत चल रही प्राथमिक शिक्षा की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुओं का जल स्तर बढ़ने पर पंचायतों द्वारा सिंचाई के लिये प्रयास हेतु साधन उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय। (जिन ग्रामों के कुओं से सिंचाई की जाती है उनकी मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खान क्षेत्रों के विकास नहीं किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगमरमर मकराना की खानों का पानी निकालने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना मारबल माइन्स पर मलबे की समस्या का समाधान करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना मारबल माइन्स को नई खानें देने की नीति पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मारबल माइन्स पर सेन्ट्रल माइन्स सेफ्टी एक्ट लागू करने में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना माइन्स एरिया में सड़क की दयनीय स्थिति पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

Page No 43

(43)

(श्री अब्दुल अजीज)

109. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना मारबल माइन्स में बाढ़ के पानी को निकलवाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना मारबल माइन्स को राजस्थान वित्त निगम द्वारा औजारों के लिए ऋण, विभाग द्वारा कार्यवाही कर दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

111. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का जन जीवन पर प्रभाव डालने हेतु चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति का मुख्यालय नादोती से बामन वास पर स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खनिज पदार्थों का अजायब घर—इसके उचित सर्वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडाभीम तहसील में निकलने वाली सोप स्टोन की खानों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

115. श्री लाल शंकर (सागवाड़ा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन कर दो या जिन पंचायतों को शामिल किया जाये एवं पंचायत भवन निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घनगांव कटारापाड़ा की माइन्स पट्टी कातला की खानों का विकास कराने हेतु चर्चा के लिये)।

117. श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना): मांग सं. 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री गिरधारी लाल कमेटी द्वारा पंचायत राज व सामुदायिक विकास की सिफारिशों को लागू कराने हेतु चर्चा के लिये)।

118. श्री विजयसिंह भदेरा (बांसीकुई): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं असफलता पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत

(श्री विजयसिंह नदेरा)
चुनाव कराने में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

120. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भंग करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायती राज को राजस्थान में सुदृढ़ बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत के चुनाव शीघ्र कराने हेतु विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज कर्मचारियों को उचित चिकित्सा पुनर्भरण व्यय के अभाव पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा श्रमिकों को खानों को लीज नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा भूतपूर्व सैनिकों को लीज में प्राथमिकता नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

126. श्री नूरा (मसूदा) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों व पंचायतों को अपर्याप्त सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण आवासीय योजना देलवाड़ा पर चर्चा के लिये)।

128. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झामर कोटड़ा) माइन्स, उदयपुर में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झामर कोटडा माइन्स में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

130. श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स

(श्री नरपतराम बरवड़)
के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइनिंग विभाग खान के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को ऋण भी दे, इस पर चर्चा के लिए)।

131. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर क्षेत्र में माइन्स विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

132. श्री गोबिन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन में अनियमितताओं के कारण इसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

133. श्री शिवनारायण (थानागाजी): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सालेटा तहसील थानागाजी की पत्थरों की खान चालू नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

134. श्री जगदीश सिंह (धोलपुर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धोलपुर पंचायत समिति क्षेत्रों के विकास योजनाओं की की गयी उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

136. श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं को अधिकार देकर विकेन्द्रीकरण को पनपाने की चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के पुनर्गठन हेतु चर्चा के लिये)।

138. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायतों के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति व जिला परिषद् के कार्यों का मूल्यांकन कर परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले की खानों में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

Page No 46

(46)

(श्री नवरंग सिंह)

141. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले की खानों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

142. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास योजनाओं की शिथिल गति पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामुदायिक विकास कार्यों में हुई धांधली व प्राथमिक स्कूलों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आगामी चुनावों में पंचायत में ग्रामीण जनता को कम दूरी वाले क्षेत्र में रखवाना)।

145. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र शाहबाद किशनगंज में खनिज पदार्थों की खुदाई उनसे आधारित उद्योग धन्धों को ग्रामीण पिछड़े, गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को दिलाये जावें इस पर चर्चा के लिये)।

146. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास की संभावनाओं में आने वाले अवरोध एवं कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माईन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानों के लीज पर देने की प्रणाली के कारण होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

148. श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज मंडी): मांग सं. 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विकास योजनाओं से गांवों का विकास असफल रहा इस पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेरे क्षेत्र में कितने खनिज का उपयोग तथा कितनी खानें और खोजी जा सकती हैं, इसका सर्वे कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

150. श्री हरिसिंह यादव (बानसूर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों को शक्तिशाली बनाने के क्रम में चर्चा के लिये)।

151. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दांता-

(श्री मदनसिंह दांता)
रामगढ़ के सरपंचों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

152. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति अन्ता में लघु सिचाई के विकास की संभावनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की निष्क्रियता को समाप्त कर उनको सक्रिय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक अभियन्ता सामुदायिक विकास योजना कोटा द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं के कारण हुई क्षति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा स्वीकृत बजट का उपयोग न होने के विषय में चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग द्वारा लीज दिये जाने के सिस्टम में सुधार करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनन खनिज सम्पदा का समुचित उपयोग न होने विषयक चर्चा के लिये)।

158. मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति भीम के विकास अधिकारी की अयोग्यता और अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

159. श्री माणक लाल (नैनवां) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार फिजूल खर्ची पर चर्चा के लिये)।

160. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत राज संस्थाओं के सम्बन्ध में कमेटी बनाकर इन्हें पुनर्गठित कराने बाबत चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्व पंचायत समिति लाडनूं पदेन सदस्यों में से एवं सदस्य द्वारा 51 रुपया प्रतिदिन से दिए जाने तथा जयपुर से लाडनूं कार से टी. ए. चार्ज करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरडक)

162. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों को पंचायतों के सचिव बनाने से कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवक ही सचिव का कार्य करेंगे इस पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर आवासीय भवनों की मरम्मत के नाम पर किये गये घोटालों के सम्बन्ध में विभाग को जानकारी मिलने पर भी कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खनिज उद्योग निगम जयपुर द्वारा नागौर की जिप्सम खान मजदूरों को वेतन में 30 पैसा प्रति टन वृद्धि किये जाने के निर्णय को लागू कराने हेतु दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान खनिज उद्योग निगम नागौर द्वारा जिप्सम खानों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई नहीं किये जाने के कारण देय अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया (मकराना व लाडनूं जिला नागौर में खानों के पानी भर जाने के कारण हजारों मजदूर बेकार हो जाने तथा सरकार द्वारा पानी निकालने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नई नीति के अनुसार इमारती पत्थर की खान निम्बी जोधा जिला नागौर के प्लाट काटने व खान का कार्य हाथ से करने वालों को एलाट करने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर में इमारती पत्थर की खान की नाजायज लीज देने व पुराने कब्जेदारों को गलत रूप से हटाने पर चर्चा के लिये)।

169. श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों को अधिक सक्षम एवं सशक्त बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

171. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों को अधिकार व कर्तव्य दिलाने पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कोलायत क्षेत्र में स्थित माइन्स को कुछ खास लोगों को लीज पर देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

173. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (राज्य में इस वर्ष 1977 के अन्त तक पंचायतों व पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के चुनाव कराने में विभाग द्वारा कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ग्राम पंचायतों का स्वावलम्बी बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायत ककोड़ के निलम्बित सरपंच को अपने पद से पृथक् करने पर चर्चा के लिये)।

176. श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत, खेमली के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नाथद्वारा व मावली क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज के व्यापक सर्वेक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

178. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बड़ी सादड़ी): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों का पुनर्गठन कर चित्तौड़गढ़ जिले को विकास की दृष्टि से आदर्श जिला घोषित कराने हेतु विभाग द्वारा केन्द्र को सिफारिश कराने हेतु चर्चा के लिये)।

179. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (सामुदायिक विकास के नाम पर फिजूल खर्ची करने एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (खानों के पट्टे देने की प्रक्रिया के सरलीकरण एवं खनिज सम्पदा उत्खनन् के विकास तथा खनिजों का डम्प हटाने पर चर्चा के लिये)।

181. श्री हजारीलाल (सरदारशहर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक

(श्री हजारीलाल)

विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत एवं पंचायत समितियों में किये जाने वाले सरकारी हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्रुप सचिवों की नियुक्ति से पंचायतों के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों की आर्थिक हालत सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों की निजी आय के खर्च पर लगे प्रतिबन्धों पर चर्चा के लिये)।

185. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से होने वाले अपव्यय की अव्यवस्था एवं अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माईनिंग इण्डस्ट्रीज को ऋण दिये जाने में विभाग द्वारा बर्ती जाने वाली घोर अनियमितता पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (माइन्स विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से हो रहे अपव्यय व व्याप्त अव्यवस्था एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर चर्चा के लिये)।

188. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण आवास स्थल विकास हेतु कोई भी सुदृढ़ योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यों में द्रुत गति लाने एवं खनिज के दुरुपयोग को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

190. श्री गोपाल सिंह (खन्डेला): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में विस्तार सेवाएं कतई शिथिल हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

191. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रान्त की खनिज सम्पदा को अधिकाधिक खनन् करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 51

(51)

(श्री गोपाल सिंह)

कम कर दिया जाय (प्रान्त में मौजूदा खनन् पट्टा प्रणाली में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

193. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम-का-थाना तहसील के रामपुरा क्षेत्र में लाइम स्टोन की नियम विरुद्ध दी गई लीज को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में खनन् पट्टों के एकाधिकार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

195. श्री उमराव सिंह ढाबरिया (बनेड़ा): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रमुखों को दिये जाने वाले भत्ते के अनुदान पर चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति को दिये जाने वाले अनुदान में पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (गांवों में मास्टर, ग्राम सेवक आदि के रहने की व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक-सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बनेड़ा पंचायत समिति के प्रांगन में खोदे गये ट्यूबवेल के बारे में चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्राम सेवकों के कार्यों पर चर्चा के लिये)।

201. श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल): मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायती राज कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें इस प्रकार के सुधार किये जायें जिससे ग्रामों के औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जा सके)।

202. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिये जाय (सरपंच चित्ताम्बा के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाने पर भी उसे निलम्बित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई परियोजना अलग से न चलाकर पंचायत समितियों के मारफत चलाने बाबत चर्चा के लिये)।

Page No 52

(52)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

204. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायतों में काम करने वाले सचिवों को सहयोगी के रूप में काम लगाने बाबत चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कांग्रेस सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग के कारण निलम्बित माण्डल पंचायत समिति के सरपंचों को बहाल कर दिये जाने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय। (सामुदायिक विकास की एकीकृत योजना जिला आधार पर तैयार करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय। (कृषि की उत्पादकता में गिरावट न हो पाये, इसके लिए कम्पोस्ट खाद के उत्पादन की संगठित योजना तैयार करने में विकास विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

208. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (सी. ए. डी. कार्यक्रम पंचायत समितियों के मारफत ही चले उस बाबत चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में लगे ग्राम सेवकों के कार्यकलापों पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (पोषाहार कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली ढंग से संचालित करने और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में व्याप्त गड़बड़ियों को दूर करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई कार्यक्रम को सामुदायिक विकास कार्यक्रम से पृथक् कर सिंचाई विभाग को ही सौंपे जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाये [पंचायती राज संस्थाओं को सहायता प्रदान करने की विधि और मानदण्डों का पुनरीक्षण किया जाय और इस सहायता को विकास प्रेरित (Development Oriented) बनाने बाबत चर्चा के लिये]।

213. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडल क्षेत्र में माइका पर आधारित बड़े पैमाने पर इन्सूलेशन ब्रिक्स (ताप निरोधक ईटों) के उत्पादन सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कर दिया जाय) खान व खनिजों के सर्वेक्षण और चित्रण पर अधिक प्रभावशाली ढंग से ध्यान देने और इस सम्बन्ध में एकीकृत योजना निर्माण करने संबंधी चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (अभ्रक खानों के खनन् कार्य में असुरक्षा व्याप्त है और गहराई में जो खनिज जमा है, वह पिलर्स के गिरा दिये जाने से नष्ट हो जाता है, अतः इस व्यवसाय को वैज्ञानिक पद्धति से संचालित करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (अभ्रक खान श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये भ्रमणशील चिकित्सा इकाई को व्यापक आधार पर एवं कुशलतापूर्वक संचालित कराने में विभाग द्वारा शीघ्र व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 40, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिला में सोप स्टोन माइन्स के व्यवसाय पर उदयपुर मिनरल डवलपमेन्ट सिंडिकेट के चले आ रहे एकाधिकार को समाप्त कर अधिकाधिक लोगों को सोप स्टोन के माइनिंग प्लाट्स आवंटित किये जाने संबंधित चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में अभ्रक खान उद्योग को पुनर्जीवित करने और उन पर आधारित श्रमिक परिवारों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले की दरीबा राकफास्फेट परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कम दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में खनन् पट्टों के एलाटमेन्ट में हुई गड़बड़ियों की न्यायिक जांच करवाने और खनन् उद्योग में व्याप्त एकाधिकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु कम कर दिया जाय (प्रभावशाली खान मालिकों और विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से रायल्टी की चोरी को रोकने की अविलम्ब व्यवस्था करने सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय खानों व खनन् पट्टों से संबंधित अपीलों आदि की सुनवाई के लिये वर्तमान में प्रचलित अधिकारी स्तर की व्यवस्था को समाप्त कर न्यायिक व्यवस्था या ट्रिब्यूनल या एपीलेट कोर्ट उन प्रत्येक जिलों में स्थापित की जाय जहां सहायक अभियन्ता (खनिज) के कार्यालय हैं, जिससे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
लोगों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके, इस सम्बन्धी विभाग द्वारा कार्यवाही करने हेतु चर्चा के लिये)।

223. श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा माइन्स के ठेके दिये जाने में अनियमितता. किये जाने पर चर्चा के लिये)।

224. श्री सूर्यनारायण चौधरी (नीम-का थाना) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना में लाइमस्टोन खनिज उद्योग को बढ़ावा देने हेतु चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (लाइम स्टोन खीरोड़ के बाबत चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (कंकर व बजरी के सही रूप में ठेके पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)

227. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (माइन्स कास्ट के मुताबिक लीज एरिया 10 कि.मी. के अन्दर मोदी परिवार को लीज एरिया को सीमित करने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (मांवड़ा खोखरा को माइन्स के रूल्स के विरुद्ध खुदाई कर बर्बाद करने के बाबत चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (मांवड़ा खोखरा एवं जीलो में माइन्स की लाइम स्टोन की लीज तीन वर्ष बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय [रामपुरा (पाटन-सीकर) में लाइम स्टोन की खानें अनियमित रूप से दिये जाने पर चर्चा के लिये]।

231. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नीम का थाना क्षेत्र में ठेके-दारों को जीलों में मार्बल की लीज न बढ़ाने के गैर कानूनी कार्य के बाबत चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत माग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के पुर्नावलोकन के बाबत चर्चा के लिये)।

233. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नीम का थाना के खननकर्ताओं की माइन्स की लीज के बाबत पुनः निर्णय लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

234. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक—माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग द्वारा 1960

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

से 1977 तक मोदी बन्धुओं से प्राप्त किये प्रमाण-पत्र गायब करने के बाबत, चर्चा के लिये)।

235. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (मांडवा में खनन कर्ताओं द्वारा अनियमित रूप से खुदाई करने, जनता में असुरक्षा पैदा करने की चर्चा के लिये)।

236. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (माइन्स विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने की चर्चा के लिये)।

237. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (मांवड़ा खोखरा में व्यापक रूप से जालसाजी करके गलत सर्टिफिकेट देकर, 1960 से चल रही व्याप्त धोखाधड़ी को रोकने में विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

238. श्री एच. एन. शर्मा (वेगूं) मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ में पत्थर की खानों में व्याप्त धांधलेबाजी पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स पर कर्मचारियों को ही पट्टे प्लाट करने बाबत चर्चा के लिये)।

240. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी में पत्थर की जो खाने हैं उनको सड़कों से जोड़े जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही करवाने पर चर्चा के लिये)।

241. श्री रंगजी (सपोटरा): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खनिज सम्पदा का उचित सर्वे नहीं कराये जाने से होने वाली हानि पर चर्चा के लिये)।

242. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खनिज विभाग में जो अव्यवस्था चल रही है, उसको सही करने के बारे में चर्चा के लिये)।

242. श्री नन्दलाल (उदयपुर ग्रामीण): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर संभाग का सर्वेक्षण कर माइन्स आवंटन करने हेतु चर्चा के लिये)।

243. श्री विजयेन्द्रपालसिंह (आसीन्द): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेन्टोनाइट को एक्सपोर्ट करने में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

245. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक–माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

(श्री दाऊदयाल जोशी)
दिया जाय (दरा गेम्स सैंचुरी में माइन्स विभाग द्वारा खनन् के लिए लीज दी गई है जिससे जंगली पशुओं का अभाव हो गया है उसे तुरन्त रद्द कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

246. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के सोजत एवं अटपड लाइम स्टोन के राष्ट्रीयकरण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

247. श्री जिथिंग (कुशलगढ़) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ में माइन्स के अपार भण्डार का खनन् कार्य चालू कराने बाबत चर्चा के लिये)।

248. श्री मेघराज (चूरू) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स लागू होने से गांवों में बसने वाले लोगों के अधिकारों पर हुये कुठाराघातों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

249. श्री सूर्यप्रकाश (खैरवाड़ा) : मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय (स्थानीय व्यक्तियों को माइन्स के परमिट देकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में चर्चा के लिये)।

250. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक-माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के सोजत तहसील के लाइम स्टोन की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कराने बाबत चर्चा के लिये)।

251. श्री माधवसिंह (सोजत) : मांग संख्या 43, मुख्य शीर्षक माइन्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माइन्स के लीज पर देने एवं अलॉटमेन्ट किये जाने में विभाग द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 40 व 43 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : जो कटौती प्रस्ताव दोनों मांगों के सम्बन्ध में पेश हुए हैं और जो वक्ता महोदय मांगों पर चर्चा में भाग लेंगे, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि कुल 81 वक्ता महोदय हैं और कट मोशन भी दोनों मांगों के काफी हैं। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं कि वे अपने विचार संक्षेप में रखेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव डिबेट को इनीशियेट करेंगे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। हमेशा रात के 10-11 बज जाते हैं इससे बड़ी परेशानी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा इसलिए होता है कि मुझे कोई सहयोग नहीं देते हैं। आप बिराजिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री गिरधारी लाल भार्गव से

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
बोलने की अनुमति ले ली है। उनके स्थान पर मैं बोलने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, गिरधारीलाल जी भार्गव ने क्या ठेका ले रखा है कि वही प्रारम्भ करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं, नियमों में क्या प्रावधान है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहीं नहीं है। यह हो नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं जानकारी करके देखता हूं कि यह नियमों के अन्तर्गत है या नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव आपने नामंजूर फर्मा दिया है।

श्री शिवचरण सिंह : यह रोज-रोज अपनी ही चला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर. मैं कार्यक्रम में परिवर्तन करूं और किन्हीं माननीय सदस्य को कारणवश प्रमुखता दे दूं तो अन्य किन्हीं माननीय सदस्य को आपत्ति है ?

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको आपत्ति है। यह कैसे हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि किन्हीं माननीय सदस्य को कोई काम हो।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय गिरधारी लाल जी भार्गव अभी बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने समय मुझे दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई परिस्थिति है तो उनको समय दे सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोलिए, बोलिए।

श्री मूलचन्द डागा : बोलिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दस मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खनिज की मांग पर अपने कटौती प्रस्ताव द्वारा माइन्स के बारे में आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, 80 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आप समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इण्ट्रप्शन किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप निश्चित रहें। इण्ट्रप्शन के बावजूद समय दिया जाएगा।

Page No 58

(58)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, 80 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । कृपा करके आप सभी का समय निर्धारित कर दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह चाहूंगा कि जो डिबेट आरम्भ करने वाले हैं वे 10 मिनट में और अन्य माननीय सदस्य पांच पांच मिनट में अपने विचार रख दें ।

श्री मूलचन्द डागा : उनको 10 मिनट देंगे और हम को 5 मिनट ही देंगे ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में खनिज विभाग का विकास नहीं होने के कुछ कारण हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : टाइम ज्यादा हो जाएगा । आप भूमिका ही बांध रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो बोलेंगे ही ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस तरह से इनके कहने से कुछ नहीं होगा । ये तो दो ही बातें जानते हैं ।

श्री नवनीत पालीवाल : जरा दूर से बोलिए । माइक में मुंह घुसाकर बोलते हैं । कुछ समझ में भी नहीं आता ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाइम स्टोन की खानों के अन्दर जो गड़बड़ियां पिछले कई वर्षों से निरन्तर हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में कोई 56-57 सदस्यगणों ने एक ज्ञापन मुख्य मन्त्री महोदय को दिया है जिसकी फोटो स्टेट कॉपी मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की मेज पर रखने की इजाजत नहीं दूं तब तक सदन की मेज पर नहीं रखी जायेगी ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : श्रीमान्, मैं मानता हूं ।

श्रीमन्, निर्माण की दृष्टि से सीमेन्ट एक बड़ी चीज है । हिन्दुस्तान में सीकर और झुंझुनू जिले के अन्दर लाइम स्टोन का भण्डार है । वहां पर सीमेन्ट फैक्ट्री की घोषणा भी राज्य सरकार ने की थी । उस समय राज्य सरकार कांग्रेस की थी । कुछ राजनैतिक परिस्थिति के कारण और कुछ भ्रष्टाचार के कारण सारी की सारी योजना खटाई में पड़ गई । नीम का थाना के पास जो खानें हैं, वह एक व्यक्ति विशेष को दे दी गई । उन खानों का विवाद है लेकिन उस इलाके के अन्दर एक व्यक्ति को दे दी गई । लाइम स्टोन की खानों का पहले 20—25 व्यापारी काम करते थे । उनको एक व्यवस्थित ढंग से निकाला गया । वे खानें मोहनलाल मोदी को और उन्हीं के एक आदमी श्री किशन को राज्य सरकार की राजनीति के कारण दे दी गई । जिस खान पर दो लाख रुपया प्रति वर्ष डैड रेन्ट आ सकता था, उस खान को 30—40 और अब 60 हजार रुपये पर दे रखा है । इस प्रकार से गड़बड़ी हो रही है । इसके सम्बन्ध में एक प्रश्न भी आपके सामने रखा था । वहां की खानों में जो लाइम स्टोन है

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

वह मेजर मिनरल कहलाता है। मेजर मिनरल वह है जो कि मेजर इण्डस्ट्री में काम आता है। लाइम स्टोन खाद के काम में आता है इसलिए उसको मेजर मिनरल कहा जाता है। लाइम स्टोन जलाया जाता है फिर वह खाद के काम में आता है। मेजर मिनरल और माइनर मिनरल के लिए एक लॉ बनाया हुआ है। जो मेजर इण्डस्ट्री में मिनरल काम में आता है उस पर 1.25 पैसे रायल्टी लेते हैं। वहां पर एक खान है जो मेजर मिनरल में है। वहां से लाखों टन प्रति वर्ष बाहर भेजा जाता है। वहां इन तरीकों से पार्टी व्यापारियों को 15 साल से माइन दी है कि हम स्टील के कारखाने के काम के लिए लेंगे। इस नाम से उस पर मुहर लगाई है। यह सारी की सारी गड़बड़ी की जा रही है। यह गड़बड़ियां माइनिंग विभाग करता चला आ रहा है। जयपुर के माइनिंग डिपार्टमेंट में शायद ही ऐसा कोई बिरला अधिकारी हो जो भ्रष्ट नहीं है। लाखों रुपयों की रायल्टी की सालों से निरन्तर चोरी की जा रही है। पुलिस का सर्टिफिकेट लेने के लिए गये तो अकाउण्टेण्ट से लेकर ए. बी. सी. तक यह कह दिया कि यह सर्टिफिकेट है, यह वेसिस है। उसके आधार पर 3 रुपये के बजाय सवा रुपया रायल्टी ले रहे हैं वह वापस पार्टी को दीजिए, ऐसा कहा गया। यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, 420 का मामला है और षड्यन्त्र है जो कांग्रेस राज के समय से चलता आ रहा है। जिनका इस मामले में हाथ है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के चार-पांच सौ मुकदमे बनते हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर एक सीमेण्ट फैक्ट्री लगाने की घोषणा कर दी गई। इसके लिए जो बेसिक नार्म्स होते हैं, कितना एरिया होना चाहिए, कहां लगाई जानी चाहिए, और जो अन्य बातें होती हैं उन सब को छोड़ कर यह निर्णय ले लिया कि इसको दूसरी जगह लगा दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा का पूरा माइनिंग डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऊपर से उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी। यूरिया एक जगह सप्लाई होता है और लीज दूसरी जगह दी जाती है। जिस क्षेत्र के लिए सप्लाई किया जाय वहीं पर लीज दी जानी चाहिए। रामपुरा के अन्दर जो लीज दी गई है, वह माइनर मिनरल कन्सेशन्स रूल्स के अन्तर्गत दी गई है या मेजर मिनरल कन्सेशन्स रूल्स के अन्तर्गत दी गई है, कोई नहीं जानता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से तीन-चार लीज दे रखी हैं, रामपुरा में दो सौ एकड़ का एरिया है, व चार माइल का है। श्री किशन मोदी के विरुद्ध एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था और यह कहा गया था कि श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया भी इसके साझेदार हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय लालबहादुर के सामने भी ज्ञापन दिया गया था, राजस्थान के कुछ विधायकों और एम. पीज. के द्वारा, उस ज्ञापन में मोहनलाल जी सुखाड़िया के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के मामले थे, उनमें एक मामला यह भी था। यह आरोप लगाया गया था लेकिन इस आरोप पर भी·····

व्यवस्था का प्रश्न
सदनेतर व्यक्ति पर आक्षेप

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कोई पाइन्ट श्राफ श्रार्डर नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 273 में यह लिखा है कि "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply." अगर, श्रीमान, किसी व्यक्ति, जो सदन में मौजूद नहीं है, के खिलाफ कोई बात हो, श्रौर माननीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लिख कर दिया गया हो, श्रौर मंत्री महोदय को कापी मिल गई हो तो तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है । अगर नहीं, तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिये । किसी व्यक्ति का नाम· · ·

श्री खेंतसिह राठौड : व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों ।

श्री मूलचन्द डागा : व्यक्तियों के नाम लिये हैं, मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री किशन मोदी श्रौर नाम लिये हैं, डिपार्टमेंट वालों को भी भ्रष्टाचारी कहा है । डिपार्टमेंट वाले भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, यह तो श्राप जानें लेकिन जो नाम लिये गये हैं उनके बारे में मैं प्रार्थना करूंगा कि इनको रोका जाय श्रौर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाय ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को तो निश्चित रूप से मैंने प्रति नहीं दी है लेकिन मैंने एक· · ·

श्री मूलचन्द डागा : नहीं दी है, तो फिर नहीं बोल सकते ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ज्ञापन की प्रति दी थी । यह प्रश्न पहले भी कई बार सदन में उठाया जा चुका है । जिन व्यक्तियों का नाम मैंने लिया है वह इस समय सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए यह नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता ।

एक माननीय सदस्य : कौन-सा नियम बताया श्रापने ?

श्री मूलचन्द डागा : नियम 273 ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं । रूल 273 श्रापने रेफर किया है "Allegation of a defamatory or incriminatory nature.. " नेचर श्राफ एलीगेशन को डिफाइन करना है । इन्होंने जो डिफाइन किया है, वह गुड फेथ में किया है । ड्यूटी के डिस्चार्ज के बारे में एलीगेशन लगाते हैं श्रौर सही साबित कर सकते हैं तो उसको डिफेमेटरी नहीं माना जा सकता ।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिनके खिलाफ यह कह रहे हैं, उनके लिये डिफेमेटरी श्रौर इन्क्रिमिनेटरी दोनों है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रापने डिफेमेटरी कहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : दोनों कहा है। मेरा यह कहना है कि जो सदन में सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनके खिलाफ दोषारोपण किया जाय, यह इन्क्रिमिनेटरी भी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, यह इन्क्रिमिनेटरी है या नहीं, यह डेफिनेटली किसी के लिये नहीं कहा जा सकता। किस पर्सपेक्टिव में एलीगेशन लगाये जा रहे हैं, क्या सन्दर्भ है, क्या परिस्थिति है उनके आधार पर ही कहा जा सकता है। इसको इन्क्रिमिनेटरी नहीं माना जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल यह है कि क्या लिखकर दे दिया है ? He must give in writing इसमें है, "....previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned.

My submission is only that he should have submitted previous intimation.

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये !

श्री मूलचन्द डागा : 273 में दरख्वास्त दे देते।

श्री उपाध्यक्ष : जो एलीगेशन्स लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में काल अटेन्शन नोटिस भी मूव किया है। उसके सम्बन्ध में यह इजाजत दी है, उसको वे कटोती प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

मांग संख्या 40 व 43 पर विचार

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा निवेदन है कि रामपुरा के एरिया को रिजर्व रखें सीमेन्ट फेक्ट्री के लिए।

जिस तरह की व्यवस्था पूरे विभाग में चल रही है। उसका कारण जो भी है मगर इसमें अधिकारियों और राजनेताओं तक का हाथ है। जो मेजर मिनरल कन्सेशन्स के रूप में लीज उठायी, उसमें 45 हजार रुपये डेडरेन्ट के फिक्स किये गये। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जो कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उनके बहकावे में आकर कोई स्टेटमेन्ट मत दीजिये। मेरा निवेदन है कि माइनर और मिनरल कन्सेशन रूल्स के तहत डेड रेन्ट फिक्स किया जाता है, रायल्टी ली जाती है। वह चार मील का एरिया था, उसका रेन्ट फिक्स करना चाहिए था, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने, राजनेताओं से मिल कर रास्ता निकाला और इसको भी शामिल करने का प्रावधान किया।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं अभी समाप्त करता हूं, मुझे डिस्टर्ब कर दिया।

श्री मूलचन्द डागा : दस मिनट हो गये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसी तरह से लाइम स्टोन बेचा जा रहा है, डोलोमाइट का कोई भण्डार वहां पर नहीं है। लाइमस्टोन बिक रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी मूलचन्द जी डागा ने बात करते हुए अंगूठा दिखाया है। क्या सदन में अंगूठा दिखाया जा सकता है

श्री मूलचन्द डागा : कहां दिखाया ? क्या कह रही हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया सेंसिटिव मत होइए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो रोजाना हमें अंगूठा दिखाते हो ।

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : तो मैं कह रहा था कि बिना नोटीफिकेशन दिए 4-4, 8-8 मील की खानें लीज पर दे दीं जब कि 1967 में राज्य सरकार के कहने से एक बिहारी लाल महाजन ने 75 हजार रुपये जमा करा दिए थे । यह स्थिति मैंने ज्ञापन के साथ प्रस्तुत की है । ये सारे के सारे मामले हैं–चाहे रानपुरा का मामला हो, चाहे नीम का थाना का मामला हो पिछले 20-25 साल से भ्रष्टाचार चला आ रहा है । खनिज विभाग में सिवाय भ्रष्टाचार के और कोई चीज नहीं है । जब कांग्रेस सरकार ने देखा कि हम जाने वाले हैं, जनता सरकार बनेगी तो जो लीज पांच साल की थी, उसको दो साल बाद ही बढ़ा दिया । पिछले मन्त्रिमंडल के सामने तीन साल पहले ही दरख्वास्त दे दी कि 5 साल के लिए और बढ़ा दी जाय। आप अंदाज लगायें कि किस तरह से मनमानी हुई है । मंत्री महोदय, अगर नियमों में तरमीम करनी पड़े तो यह सदन आपके साथ है । यह भ्रष्टाचार के मामले हैं, इन केसेज में आपको सख्त कदम उठाने चाहिए । जिन्होंने भी इधर-उधर करने की कोशिश की है, निश्चित रूप से अधिकारियों के सहयोग से सफल हुए हैं, उन पर क्रिमिनल केसेज चलाने के लिए आप आदेश दें । पुलिस के कार्यों में बाधा न आए, यह आपकी विशेष जिम्मेदारी होगी । इस सारे भ्रष्टाचार को ऊपर लाना होगा ।

(समय–समाप्ति–सूचक-घन्टी)

अन्त में मैं एक बात कह कर जल्दी खत्म करता हूं ।

एक तरफ तो एक दरख्वास्त देने से ही तीन साल पहले लीज एक्सटेंड हो गई दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिनकी 7-7 साल से दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं लेकिन उन पर आज तक निर्णय नहीं हुआ है । किशन मोदी जो मोनोपोलिस्ट हैं . . .

श्री मूलचन्द डागा : It is legally barred. You can not quote that ruling. Quote that section.

श्री उपाध्यक्ष : डागा जी, रनिंग कमेंटरी मत शुरू कीजिए ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : डागाजी को विशेष रूप से यह कार्य सौंपा गया है, मैं जानता हूं ।

7 साल पहले जो दरख्वास्तें दी गई थीं वे आज तक पड़ी हुई हैं । क्या कारण देते हैं अधिकारी ? क्यों पड़ी हुई हैं ? बिना कारण दबा रखा है । इस प्रकार सरकारी रेवेन्यू खतम होता है । मंत्री महोदय, जिस दिशा में आप अपने विभाग को लाना चाहते हैं, विशेष कर राजस्व के मामले में, मैं सीकर व झुंझुनूं जिले की बात करता हूं कि निश्चित रूप से सीकर व झुंझुनूं जिलों में कम से कम एक करोड़ रुपये आप बतौर रेवेन्यू के खनिजों से एक वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं । आज सरकारी खजाने का सवाल

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

है, लोगों को रोजगार दिलाने का सवाल है, छोटे-मोटे लोगों को रोजगार दिलाने का सवाल है, इसलिये निश्चित रूप से आप पूछिए, दरख्वास्तें क्यों पड़ी हैं ? उनमें क्या खामियां हैं ? जितने माइन्स इंजिनियर्स हैं, सेक्रेट्रीज व डिप्टी सेक्रेट्रीज हैं जिन्होंने उसमें सहयोग दिया है आप उनके खिलाफ एक्शन लें अन्यथा भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर पायेंगे । इस खनिज विभाग में भ्रष्टाचार उतना ही गहरा है जितना कि गहरा खनिज होता है । तो भ्रष्टाचार ऊपर निकालना है उसमें आपको जितने सहयोग की आवश्यकता है हम आपको देंगे। मूलचन्द डागा जैसे कुछ लोग ही बाधक बन सकते हैं· · ·

(व्यवधान)

हुजूर, मैंने अगर कुछ सच्ची बातें रखी, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : मुझे कोई तकलीफ नहीं है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इनको वेतन मिलता है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सूर्यनारायण को मेरा समय दिया है· · ·

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा था कि गिरधारीलालजी का समय वे लेंगे ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे आपकी आज्ञा मानने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन मैं समझता हूं आपने जो व्यवस्था दी थी वह यह थी कि पहले वह बोलें, बाद में मैं ।

श्री उपाध्यक्ष : जब वे बोलने के लिए खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा था कि वे गिरधारीलाल जी के समय का भी उपयोग करेंगे । उन्होंने आपके समय का उपयोग कर लिया है । आपने उनकी बात सुनी फिर भी आपने आपत्ति नहीं की ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष जी, इनको 5 मिनट बोलने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर कोई व्यक्ति आकर कहे · · · · ·

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं माइन्स पर नहीं बोलूंगा । आप यदि अनुमति दें तो मैं केवल सामुदायिक विकास पर ही बोलूंगा । मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट ले लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : भार्गव साहब बोलें ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : सूर्यनारायण का नम्बर आये तब बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हार्ड एण्ड फास्ट रूल मत बनाइये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी हुआ है ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : जब सूर्यनारायणजी ने कहा कि वे गिरधारी लाल जी की जगह बोल रहे हैं तब आपको आपत्ति करनी चाहिये थी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, नियमों को मैंने पढ़ लिया है ।

श्री रतनलाल वर्मा : माइन्स पर सूर्य नारायण जी बोले, लेकिन सामुदायिक विकास पर नहीं बोले । गिरधारी लाल जी को सामुदायिक विकास पर बोलने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे पहले कहने दीजिए । पहले भी मैंने निवेदन किया था कि हार्ड एण्ड फास्ट रूल मत बनाइए । मैंने परसराम जी मदेरणा को भी यह सुविधा दी थी । उन्होंने कहा था कि मेरे बोलने का समय इनको दीजिए, मैंने उनको भी अलाउ किया था ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : आप चाहें तो उनको बुलवायें, हमने तो न्याय की बात कही है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं, भार्गव साहब, आप पांच मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष जी, आपने मेरे साथ न्याय किया उसके लिए धन्यवाद । वरना अन्याय करने वालों ने बहुत कोशिश की । इनकी तो पुरानी आदत है अन्याय करने की, वह आदत नहीं गई है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह न्याय नहीं है। × × ×

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह शब्द एक्सपंज किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं महसूस कर रहा हूँ····

श्री जयनारायण सालोदिया : यह शब्द बहुत ही आपत्तिजनक है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी बातों पर इतना कहते हैं···

(व्यवधान)

मैं इसको एग्जामिन करूंगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय सदस्या ने कहा कि × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप फेवर नहीं कर रहे हैं । आप तो उनका जो कानूनी हक है वह दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

× × ×अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा गलत है इन कांग्रेस वालों की।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। मैं इनकी भावना को समझ गया हूं। आप इनकी भावना को शायद समझे नहीं हैं। मैंने उनको बोलने की इजाजत दी है तो सदन की सहमति से दी है। मैंने फेवर करके बोलने की इजाजत सदन की सहमति से दी है। आप इन्हें बोलने दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य का प्रश्न है। इस प्रकार की बात कांग्रेस वाले कह कर गलत परम्परा हाउस में पैदा कर रहे हैं। यह बहुत बुरी परम्परा पड़ जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने किसी को फेवर किया है वह सदन की सहमति से किया है और मैं ऐसा कर सकता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फेवर नहीं मेहरबानी फर्माई है आपने इन पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, गिरधारी लालजी साहब।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों के चुनाव राजस्थान में हुए 13 साल हो गये हैं। उसके बाद से आज तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। उपाध्यक्ष महोदय, जो दीप स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने हमारे राजस्थान में पंचायती राज का जलाया था उस दीप को बुझाने का काम करने वाले आज विपक्ष में बैठे हैं। इन्हीं लोगों ने इसे बुझाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन कांग्रेस वालों ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गान्धी की आत्मा को इस दीप को बुझा कर सताया है। आज उसी का नतीजा है कि यह विपक्ष में बैठे हैं।

(व्यवधान)

हां, हां बोलिये। खड़े होकर बोलिये। मैं भी बोलना जानता हूं। आपसे ज्यादा बोल सकता हूं लेकिन मैं अनुशासन वाली पार्टी का सदस्य हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जब बोलूं तो माननीय सदस्य व्यवधान नहीं डालें। यह मेरे बोलने में व्यवधान डाल रहे हैं। हालांकि मैं इनसे ज्यादा बोल सकता हूं और जोरदार शब्दों में बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में व्यवधान नहीं डालें। आप बोलिये, भार्गव साहब।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास बोलने को कुछ भी नहीं है। कुछ बोलने को हो तो बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, डागा साहब।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कांग्रेस के सदस्य जनता पार्टी के सदस्यों को बोलने नहीं देते हैं और उनका समय वेस्ट करते हैं, यह बात अच्छी नहीं। आप कृपया इनको पाबन्द कीजिये। अगर यह बीच में व्यवधान करना बन्द नहीं करेंगे तो फिर हम भी इनको नहीं बोलने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वर्माजी, आप जरा विराजिये। मेरी बात आप सुन लिया करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, इन्ही कांग्रेसियों की भूलों के कारण आज हमारे राजस्थान में पंचायती राज समाप्त हो गया। अगर हमारी जनता पार्टी की सरकार गांवों का प्रशासन पंचायत समितियों, पचायतों को सीधे संविधान के अन्तर्गत दे दे तो आज जो हमारी पंचायतों में हालत हो रही है वह सारी की सारी सुधर जाय और वह इन सरकारी अधिकारियों की मर्जी पर नहीं रहें। जिस प्रकार आपने विधान सभा को शक्ति दी है उसी प्रकार आप संविधान में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को दे दें तो मैं समझता हूं कि पंचायती राज का जो दीप हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जलाया था वह वास्तव में वापस प्रज्जवलित हो सकता है। मेरा निवेदन है कि पंचायतों के चुनाव की एक निश्चित अवधि होनी चाहिये। यह बहुत ही आवश्यक है। इसके लिये आपको कानून में प्रावधान कर देना चाहिये। पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव करा कर आप उन्हें वापस जिन्दा करें। अगर आज जनता पार्टी भी पुरानी कांग्रेस सरकार की तरह टालमटोल करती रही और जिस तरह से सदन में पहले खेतसिंह जी पंचायतों के चुनाव को आगे बढ़ाने की घोषणा करते थे उसी तरह घोषणा की गई तो जो पंचायतें कांग्रेस के कुकर्मों के कारण पंगु बन गयी हैं वह पंगु ही बनी रहेंगी। आज, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों की हालत बहुत खराब है। गांवों में जो स्कूल हैं उनमें कहीं पर विद्यार्थियों की संख्या तीन है तो कहीं पर 15 या 25 है। इसके अलावा गांवों में अध्यापकों का आप ट्रान्सफर तो कर नहीं सकते। जो भी वहां पर अध्यापक हैं उनकी हालत खराब है। उन्हें सरकारी स्कूल के मास्टरों की तरह मेडिकल बिल के रिएम्बर्समेन्ट वगैरह की फेसीलिटीज नहीं हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि उन्हें मेडिकल बिल्स का पेमेन्ट हो। जो भी सुविधा राज्य सरकार के अध्यापकों को है वही सुविधा पंचायत समितियों के अध्यापकों को मिलनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं और वह भी इन पंचायत समितियों और पंचायतों के माध्यम से जो कि कांग्रेस के कुकर्मों से आज मृतप्राय: हो गयी हैं। इन्हें आप अगर जीवित करना चाहते हैं तो आप एक समिति बनाइये। कांग्रेस की सरकार ने श्री गिरधारीलालजी व्यास की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी। उसने शायद टू टायर या थ्री टायर सिस्टम की सिफारिश की थी। वह रिपोर्ट अब बहुत पुरानी हो चुकी है, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये एक नयी समिति बनायी जाय।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यह और आगे चुनाव सरका रहे हैं। यह चुनावों को लम्बा खींचना चाहते हैं। समिति बनाने की बात करते हैं तो गयी साल दो साल की।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक नयी समिति बनायें जो इन सभी मुद्दों पर विचार करे। आज जब मंत्री जी अपना भाषण दें उस वक्त चुनावों की तारीख की घोषणा करें। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में 232 पंचायत समितियां हैं और 196

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तहसीलें हैं। इन पंचायत समितियों और तहसीलों की सीमा एक कर दी जाय। आज जिला परिषदें हैं और डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट आथोरिटी है। जिला परिषद् का चेअरमैन जो होता है वह जिला प्रमुख होता है। उसमें एम. एल. ए. और एम.पी. भी सदस्य होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट आथोरिटी में एम. एल. ए. और एम.पी. सदस्य होते हैं पर उसका चेअरमैन कलेक्टर होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को एक कर दिया जाय। आज अभी स्थिति ऐसी है कि जिला परिषदों में जो प्रमुख हैं वह विपक्ष के हैं, विपक्ष का मतलब है कांग्रेस वाले, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार से उनका टकराव हो जाय। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इन दोनों को एक कर दिया जाय तो काफी दिक्कत समाप्त हो जायेगी। आज इस प्रकार की व्यवस्था गुजरात और महाराष्ट्र में है। वहां पर चेअरमैन के सामने मंत्रीजी का भी उसकी बैठक में कोई विशेष अस्तित्वन हीं है। मैं समझता हूं कि इससे काफी काम हो सकेगा। इसी प्रकार सहकारी समितियां हैं गांवों में करीब 7297 और ग्राम पंचायतें हैं करीब 7,292। अगर इन सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर ग्राम पंचायतों जितनी कर दी जाये और उनको भी इन्हीं में शामिल कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि सीमा का झगड़ा मिट जायेगा और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम कर्जा दिला सकेंगे, स्कूलों का निर्माण भी करा सकेंगे। साथ ही जो वहां पर स्टेंण्डिग कमेटीज आज मृत प्रायः हो गयी हैं उन्हें वापस जीवन मिल जायेगा। अगर इस प्रकार से सुधार आप करेंगे तो ठीक है अन्यथा वह कमेटीज मृत प्रायः ही पड़ी रहेंगी। बाकी, उपाध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस वालों ने सरपंचों और उप सरपंचों को खिला खिला कर मोटा कर दिया और चुनावों में उन्हीं के माध्यम से चुनाव जीतते रहे। इसका कारण यह भी था कि इन कांग्रेसियों के पास करने धरने को कुछ नहीं था, इनका कोई मेनीफेस्टो था नहीं, इसलिये दादागिरी गांवों में करके चुनाव जीतते रहे। इनका पर्दाफाश हो गया है। बेचारे पंच सरपंच इनके कर्मों को रो रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर चुनावों की तिथि की घोषणा आज ही करें। साथ ही मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं थोड़ा माइन्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज जो कई छोटी छोटी माइन्स हैं उन्हें आप छोटे तबके के लोगों को दे दें जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उन्हें आप छोटी छोटी माइन्स दीजिये। उनको फाइनेन्शियल मदद देनी चाहिये। मिनरल बेस्ड इन्डस्ट्रीज और छोटे छोटे कारखाने लगने चाहिये। प्रोसेसिंग और ग्राइन्डिग की मशीन लगनी चाहिये जिससे लोगों को काम मिले और हमको भी इनकम हो।

रॉक फास्फेट से भी 18 करोड़ की आमदनी हुई है और फोरिन एक्सचेन्ज हमको

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिला है। बम्बई कलकत्ता राक फास्फेट हम भेजते हैं। क्यों नहीं यहां पर उसका प्लान्ट लगाया जाय ? राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट का समय चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले भी मांगा था और वह आपको दे दिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों में लाखों रुपया बकाया है। उनकी आप वसूली कीजियेगा। एक केस है जिसमें 34 लाख रुपया बकाया है। हाई कोर्ट में केस हार गये और अब सुप्रीम कोर्ट में गये हैं। पिछली सरकार ने स्टे दे दिया। आपको इस रुपये की वसूली करनी चाहिये थी। जयपुर उद्योग में 17.50 लाख रुपया बकाया है। पिछली सरकार ने इस प्रकार की गलती की है।

इसके अलावा माइन्स को आपको सड़कों से जोड़ना चाहिये। पानी भरा हुआ है। मजदूरों का शोषण हो रहा है।

(समय-समाप्त-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं। मुझे आशा है मैंने जो कुछ निवेदन किया है उस पर आप विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग प्रगति-पत्र प्राप्त हुआ है। इससे मालूम होता है, राजस्थान में खनिजों का अपना एक विशेष महत्व है। विकासशील देश को सुदृढ़ बनाने के लिये खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में खनिजों का भण्डार है, यहां प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध हैं। लेकिन खनिजों का जितना दोहन होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ। खनिज आधारित जितने कारखाने लगने चाहिये थे उतने नहीं लगे। राजस्थान में कुछ खनिज तो इस प्रकार के हैं जो राजस्थान में सेन्ट पर्सेन्ट उपलब्ध होते हैं। उनका यहां दोहन ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। टंगस्टन 11 हजार टन राजस्थान में ही होता है। अभ्रक, एस्बस्टस फ्लोराइट—ये सारे के सारे राजस्थान में होते हैं। इसी प्रकार से गारनेट, रॉक फास्फेट ये सब प्रकार के खनिज हमारे राजस्थान में होते हैं लेकिन इनको एक्सप्लोइट करके इनका उपयोग करने के लिये कारखाने अपर्याप्त हैं। रॉक फास्फेट, सोपस्टोन, जिप्सम, फ्लोराइट खनिजों का दोहन करने की जो प्रक्रिया है वह ठीक नहीं है। इसलिये इनके दोहन के अन्दर प्रगति नहीं हुई है। यदि इन खनिजों का दोहन ठीक प्रकार से होता तो आज राजस्थान खुशहाल और हरा भरा हो सकता था, राजस्थान की उपलब्धि कहीं अधिक हो सकती थी, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो सकती थी। मैं यह जानना चाहूंगी कि हमारे यहां से रॉक फास्फेट के लिये जो सुधार संयंत्र के लिये नमूने भेजे गये थे उनका क्या हुआ ? अब तक उनके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगी कि ज्योलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर हमारे यहां न उद्योगों की स्थापना हुई और न ही उनका विस्तार हुआ। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिये जिससे खनिजों का उपयोग करते हुए अपने यहां और भारतवर्ष में इन सबका विस्तार और फैलाव हो सके। साथ ही जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको रोजगार दिया जा सके। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जहां खनिज उत्खनन होता है, वहां पर जाने के लिये न सड़कें हैं और न ही मार्ग हैं। उनकी भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारी सरकार को छोटे छोटे खनन् पट्टे वहां के लोगों को देने चाहिये। पिछली सरकार के माननीय सदस्यों को ही खनन् पट्टे दे दिये। उनको भ्रष्टाचार कबूल करना चाहिये। जो भ्रष्टाचार उसमें हुआ है वह उनको स्वीकार करना चाहिये। खनन् पट्टे दिये गये उनकी जांच के लिये आपको कमेटी बैठानी चाहिये। जो पट्टे दिये गये थे वे नियमानुसार नहीं थे। अब पट्टे देने में नियम बरतने चाहिये। इसके अलावा पट्टे धारियों के लिए ऋण की व्यवस्था भी होनी चाहिये। सरकार उनको ऋण उपलब्ध करवाये। हमारे राजस्थान का भाग्य इस पर बहुत निर्भर करता है। गांवों में बेरोजगार लोग हैं। उनको इससे रोजगार मिल सकता है। राजस्थान का भविष्य इस पर निर्भर करता है। भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारी जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करती हूं कि वह यह काम करे।

हमारे जयपुर जिले में चीनी मिट्टी, ताम्बा, लोहा, लाइम स्टोन, सोपस्टोन के जो प्रचुर मात्रा में भंडार हैं उनके विकास के लिए सरकार को काम करना चाहिए। इससे काफी लोगों को काम मिलेगा और रेवेन्यू भी सरकार को प्राप्त होगी।

झामर कोटड़ा की खानें हैं उनके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इस तरह की खानों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि वहां रहने वाले मजदूरों को सुविधा मिले। इसके अतिरिक्त आवागमन के साधनों की उपलब्धि भी करावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे मुख्य मंत्रीजी की काफी पहुंच है। जैसा कहा था वे राजस्थान में उद्योगों का जाल बिछा देंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी और खनिज मंत्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की घोषणा करें, इस कार्य को बढ़ायें और राजस्थान को विकसित करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय हो चुका है। आप बिराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सामुदायिक विकास योजना पर दो मिनट का समय चाहती हूं।

सन् 1952 में सामुदायिक विकास योजना महात्मा गांधी की पुण्य तिथि...

श्री मूलचन्द डागा : वह बात कहो...

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मैं बात कहूंगी आप उसको ठीक नहीं समझते।

Page No 70

(70)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
महात्मा गांधी का नाम आपको प्रिय नहीं है। मुझे तो उतना ही प्रिय है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्षों तक उनका नाम लेकर कमाई खाते रहे अब उनका नाम सुनने की भी सामर्थ्य नहीं रही है। गांधी बाबा....

श्री मूलचन्द डागा : गांधीजी का उसूल था कि मीठे वचन बोलें।

श्री नवनीत पालीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे जो नियम हैं उनमें 269 में नियम के अन्दर लिखा हुआ है कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसको इन्ट्रप्ट न करें। माननीय डागाजी इन्ट्रप्ट कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उसमें लिखा है कभी कभी बोलना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे भी शब्द होते जो रेलिश नहीं होते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना। 1959 में लागू हुआ। हमारे राजस्थान को इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नागौर में सबसे पहले इसका उद्घाटन किया गया। गांधी बाबा की विकेन्द्रीकरण की योजना थी वह सबसे पहले हमारे यहां लागू हुई। दुर्भाग्य यह रहा कि जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस कारण पंचायती राज को सफलता नहीं मिली। इसके अलावा लघु सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दिया। छोटे छोटे तालाब सिंचाई के काम में आने चाहिए उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साथ पेयजल की व्यवस्था भी करनी चाहिये थी जो पिछली सरकार ने नहीं की। उसके साथ केयर योजना.....

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई की डिमाण्ड पर आप कह चुकी हैं और वह डिमाण्ड पास हो चुकी है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बच्चों और माताओं को जो पोषाहार मिलना चाहिए वह नहीं मिला। उसकी तरफ भी हमारी सरकार ज्यादा ध्यान दे। मैं समझती हूं कि यदि इस कार्यक्रम को इस रूप में लिया जाये तो उचित रहेगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बिराज जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे भाषण की समाप्ति के पूर्व ही बैठ जाती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओंकार लाल चौहान।

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत ही लिमिटेड है। जो सामुदायिक विकास की डिमाण्ड प्रस्तुत है उसके संबंध में मैं दो-तीन सुझाव पेश करना चाहता हूं। यह सबको विदित है कि भारत गांवों में बसता है और गांवों का विकास, ग्रामीण विकास

(श्री ओंकारलाल चौहान)

हम करना चाहते थे। सामुदायिक विकास योजनाओं का आधार विकेन्द्रीकरण बनाया, प्रजातन्त्र के अन्दर राजस्थान भारत में ऐसा प्रदेश है जहां 1959 के अन्दर डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन का आधार बना। उसके बाद में आन्ध्र, बिहार और गुजरात में यह हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने की है वह यह है कि पंचायतें बनीं, पंचायत समितियां बनीं, जिला परिषदें बनीं और थ्री टायर बेसिस पर पंचायती राज का गठन किया गया। लेकिन जो चीज हम चाहते थे वह हमें नहीं मिली। उसका खास कारण एक ही है कि पंचायतों के चुनाव जिस समय होने चाहिये थे वह नहीं हुए। पंचायतों के चुनावों के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव मूव किया है। हम अपेक्षा करते थे कि चुनाव की एक प्रक्रिया बने और उस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव करा के प्रजातन्त्र सही मायने में गांवों में लायें। आज स्थिति यह है कि 13–14 साल गुजर गए लेकिन चुनाव नहीं हुए। इस कारण यह संस्था बिलकुल निर्जीव हो गयी, इसमें कोई जान ही नहीं रही। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गत सरकार ने बराबर वायदे किये चुनाव कराने के लिए लेकिन वायदे करके भी चुनाव नहीं कराये। इससे यह मतलब निकलता है कि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया और पालिटिकल रिलेशन्स के आधार पर कार्य किया गया। इसकी वजह से सारी की सारी जनता परेशान हुई और ग्रामीण विकास रुक गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो कि कहीं चुनाव फिर पोस्टपोन हों और जो ग्रामीण विकास होना चाहिये वह रुक जाये। उस परिपाटी पर नहीं चलना चाहिये। उस परिपाटी से अलग हट कर समय पर चुनाव कराये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह सकता हूं, जैसा पंचायतों का स्वरूप है उसको देखने से पता लगता है कि पंचायतें सक्षम नहीं हैं और वह एक इकानामिक वायेबल यूनिट नहीं है। क्या इसका यह आशय समझा जाये, जैसा कि गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट में है कि पंचायतों को भंग करके ग्राम पंचायतों की सब-कमेटी बने और उसके माध्यम से कार्य कराये जायें? अगर हम पंचायतों को सक्षम बनाना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करें या फिर कोई दूसरी कमेटी बैठा कर ऐसे तरीके निकालें जिससे पंचायतें एक तरह से इकानामिक वायेबल यूनिट हो जायें। यदि यह प्रक्रिया अपनानी पड़े तो क्या राज्य सरकार तैयार होगी कि दिसम्बर के पहले पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर ले और चुनाव समय पर करा ले? इसमें मुझे शंका है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समय पर चुनाव पूरे हों इसके लिए आवश्यक है कि एक दूसरी कमेटी बना दी जाय। उस कमेटी से इसी समय में यह काम पूरा करा लिया जाये। अगर निर्धारित समय में कमेटी का पूरा काम नहीं हो तो फिर कमेटी नहीं बैठाई जाये और चुनाव करा दिये जायें ताकि इस निर्जीव संस्था में जान आये।

पेयजल के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। जो प्रगति रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कहीं भी यह जिक्र नहीं है, किसी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

भी जगह यह अंकित नहीं कि जो रुपया पी. एच. ई. डी. से पंचायतों को पेयजल के लिए दिया गया वह रुपया समय पर खर्च क्यों नहीं किया गया, इसकी जांच की गई। हमारे राजस्थान में ऐसे भी गांव हैं जहां पीने का पानी नहीं है, कहीं खारा पानी है। इस पर काफी चर्चा सदन में हो चुकी है। ऐसे भी गांव हैं कि जहां पानी नहीं है और कुए भी नहीं खोदे जा सकते, वहां तालाबों का गन्दा पानी पीकर लोग रहते हैं। क्या वजह है कि इस बारे में जानकारी नहीं आई? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस तरह की कार्यवाही की है जिससे यह आंकड़े मिल सकें?

इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भू-आवंटन का काम बहुत जोरों से हुआ और 8,54,023 भू-खण्ड आवंटित हुए। मैं कहना चाहूंगा कि उनको आर्थिक सहायता दी जाये ताकि जिन लोगों को भू-आवंटन हुआ है उनके मकान बन सकें और उनको रहने की सुविधायें प्राप्त हो जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन-चार सुझाव मैं खनिज के संबंध में देना चाहूंगा। रॉक-फास्फेट के बारे में एक सराहनीय काम हुआ है। 1968-69 से 1976-77 के अन्दर जो प्रगति की है इसमें सन्देह नहीं कि वह काफी प्रगति हुई है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रॉक-फास्फेट में अभी भी काफी एक्सपेन्शन की गुंजाइश है। अगर सर्वे किया जाये और ठीक ढंग से देखा जाये तो कई लूहोल्स को प्लग किया जा सकता है और आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में हाउस में प्रश्न भी आये हैं। रॉक-फास्फेट की तरफ ध्यान दिया जाये तो हम अपनी आमदनी इसके जरिये से बढ़ा सकते हैं और जो हमारा घाटे का बजट है उसकी स्थिति को ठीक कर सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शाहबाद के अन्दर सर्वे की जानी चाहिए। वहां पैट्रोल मिल सकता है। वहां इसकी गुंजाइश है। वहां पर हम पैट्रोल निकाल सकते हैं।

बूंदी में सीमेन्ट का कारखाना लगा सकते हैं। बूंदी के अन्दर सीमेन्ट की काफी आवश्यकता है और वहां इसके लिए रा मेटेरियल भी मौजूद है। वहां सीमेन्ट का कारखाना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे मकराना की खानों में पानी भर जाता है और फिर खनन् का काम नहीं कर सकते हैं। खुशी की बात है कि कुछ रुपया राज्य सरकार ने इसके लिए रखा है लेकिन जितना रुपया होना चाहिए उतना नहीं रखा गया है। इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जहां पानी भर जाता है अगर वहां पर रोड्स बना दी जायें और आवागमन के साधन ठीक कर दिये जायें तो उससे और ज्यादा काम होगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही लेबर पोटेंशियलिटी में वृद्धि होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक सड़कों का काम कराया जाये।

जहां तक कोटा का सवाल है वहां पर लगभग 28 पर्सेन्ट ट्राइबल लोग रहते हैं।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

वह मजदूर लोग हैं, श्रमिक हैं उनको उनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर काम देना चाहिए। उसके आधार पर लेवर पोटेन्शल भी बढ़ेगा, लेवर को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने कुछ सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं उनकी ओर राज्य सरकार ध्यान देगी और ठीक करने का प्रयत्न करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह !

श्री अजीत सिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, विकास विभाग की मांग के अन्दर मेरे कटौती प्रस्ताव में विभाग के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के संबंध में है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां जनता के प्रतिनिधि सरपंचों को मंत्री महोदय ने सस्पेण्ड किया है वहां मैं यह चाहता था कि विभाग में भ्रष्टाचार होता है उसको खत्म करने के सम्बन्ध में भी कदम उठायें। यह विभाग भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसलिए फाइलें आगे नहीं जातीं। जैसा स्टेटमेन्ट में कहा है कि कुछ फाइलें बी. डी. ओ. के पास, कुछ फाइलें कलेक्टर के पास और कुछ फाइलें विभाग के पास पड़ी हैं। अनेक केसेज दबे पड़े हैं। विभाग फाइलें लेकर बैठा हुआ है और उन्हें निकलने नहीं देता। आज हालत यह है कि इस विभाग के अन्दर केवल एक कप चाय से फाइलें दबाई जाती हैं। चाय का एक कप पिला दो फाइलें दबवा लो। एक एक महीना हो जाता है लेकिन मोस्ट अरजेन्ट लगाने के बाद भी आपके सामने फाइलें प्रस्तुत नहीं होतीं। फिर भी इसके सम्बन्ध हमारे मंत्री महोदय मौन रहते हैं। आप केवल सरपंचों के ऊपर ही स्ट्रिक्ट हुए हैं। आप अपने विभाग को क्यों नहीं टाइट करना चाहते हैं? आप देखें कि कहां गलती होती है। हम स्पष्ट एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं फिर भी कार्यवाही में ढिले होती है। आप आज से दस साल पुराने मुर्दे उखाड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन आपके आफिस के अन्दर कोई सख्ती नहीं कर रहे हैं। आज जनता यह चाहती है कि जो गलतियां प्रस्तुत हों आप उनके ऊपर भी एक्शन लें। आप जन नेताओं को पेनेलाइज करेंगे लेकिन विभाग के मामलों में आप चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं मानता हूं आपने अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। केवल ट्रांसफर करने मात्र से हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। आप अपने विभागीय अधिकारियों को टाइट करिये। वे क्यों नहीं फाइल समय पर निकालते?

माननीय उपाध्यक्ष जी, विकास के जितने भी काम हैं बिल्कुल ठप्प पड़े हैं, पूरी तरह रुक गये हैं। कृषि विस्तार के विकास कार्य बिल्कुल रुक गये हैं। ग्राम सेवकों को कृषि विस्तार के अन्दर लगा दिया है इस कारण दोनों ही काम बन्द हैं। न कृषि विस्तार का काम हो रहा है न पंचायतों का काम हो रहा है। जो आपने अलाटमेंट के लिये आदेश दिये हैं वह आदेश भी इन पंचायतों के अन्दर काम नहीं आ रहे। ओवरसीयर्स यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते। आप उसके लिये व्यवस्था करिये ताकि यह तो मालूम हो सके कि कहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और कहां नहीं हो रहा है। आपने आदेश दिये हैं लेकिन सारी की सारी रिपोर्ट्स विभाग में आती

(श्री अजीतसिंह)

नहीं इसलिये मालूम नहीं पड़ता कि कहां भ्रष्टाचार हुआ है। आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय लिया ? कृषि विस्तार के अन्दर ग्राम सेवकों को लगाया जाये या नहीं, इसके सम्बन्ध में आपकी क्या नीति है, वह भी जवाब के समय में बतावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं चाहूंगा कि आप रीएग्जामिन करें। माइन्स के सम्बन्ध में दो शब्द और...

श्री उपाध्यक्ष : माइन्स के संबंध में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप बिराजिये।

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सामुदायिक विकास और माइन्स दोनों मांगों के ऊपर कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं सामुदायिक विकास पर अपने विचार रखना चाहता हूं।

ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हुए, वास्तव में वह कांग्रेस की भूल थी। मैंने समय समय पर कांग्रेस सरकार को भी यह ध्यान दिलाया था कि चुनाव समय पर होने चाहिये। मैं कहता हूं कि कोई भी डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन हो, अगर उसके चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। जिस प्रकार विधान सभा के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव समय पर होते हैं वैसे ही पंचायत के चुनाव समय पर होने चाहिये। अब प्रश्न यह उठता है कि जनता सरकार पंचायतों के चुनाव भी समय पर करायेगी या नहीं करायेगी ? मुझे कुछ शंका होती है क्योंकि अगर सरकार पंचायतों का पुनर्गठन करना चाहती है तो उसमें समय लग सकता है। अगर कोई समिति इस विषय में बैठाना चाहती है तो भी समय लग सकता है। मेरा तो यह सुझाव है कि गिरधारीलाल व्यास की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, मंत्रि-मण्डल उसको एग्जामिन करे। जनता सरकार को इससे एलर्जी नहीं होनी चाहिये कि कांग्रेस सरकार के द्वारा व्यास समिति बनायी गयी थी। अगर उसकी रिकमंडेशन बढ़िया हैं तो उनको कार्यान्वित न किया जाये। उसकी कुछ रिकमंडेशन्स अच्छी हैं। पंचायतों का पुनर्गठन किया जा सकता है, पंचायत समितियों को स्ट्रेंन्थन किया जा सकता है, जिला परिषदों में जो एडवाइजरी कमेटी है उसको और भी पावर्स दिये जा सकते हैं—इस प्रकार के इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर सुझाव दिये हुए हैं। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि मंत्रि-मण्डल गिरधारीलाल व्यास समिति की जो रिपोर्ट है, उसकी जो रिकमन्डेशन्स हैं उनको एग्जामिन करें। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिये लॉ में अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट बिल पुट अप करना चाहिये। जल्दी सदन बुलाकर अमेंडमेंट बिल रखकर चुनाव फरवरी में ही हो जाने चाहिये। अगर चुनाव फरवरी में नहीं हुए तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन पंचायतों से, पंचायत समितियों से असंतुष्ट हैं। पंचायत समितियां तो अब समाप्त हो गईं, ग्राम पंचायतों से भी वे असंतुष्ट हैं। इसलिये यह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
जो एक्शन ले रहे हैं सस्पेन्ड करने का उससे भी वे सन्तुष्ट नहीं होंगे। अगर इसका कोई हल है तो वह है केवल जल्दी चुनाव कराना। इसलिये पंचायत चुनावों के बारे में जल्दी से जल्दी निर्णय करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जब आप जवाब दें तब आप घोषणा कर दें। आप घोषणा स्पष्ट करें और उस घोषणा का पालन भी करायें।

अब मैं दूसरी बात रखना चाहता हूं माइन्स के बारे में। माइन्स के बारे में मेरा यह सुझाव है कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में बिरमिया विलेज है। वहां रॉक फास्फेट अधिक मिलता है। वह इनफीरियर क्वालिटी का जरूर है। जैसा झामरकोटरा में है वैसा नहीं है परन्तु उस क्वालिटी का शुद्धिकरण कर सकते हैं। रूस और दूसरे मुल्कों की क्वालिटी से वह बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर उसका खनन् करेंगे तो उस एरिया में जो अकाल की स्थिति रहती है उस स्थिति का मुकाबला करने में भी बड़ी मदद होगी। इसलिये अच्छी तरह से छानबीन की जाये और रॉक फास्फेट के खनन् की कोशिश की जाये। रॉक फास्फेट का अगर नो प्राफिट, नो लास बेसिस पर भी खनन् करना पड़े तो करिये, इससे उस एरिया के लोगों को एम्पलायमेंट मिल सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

रोजगार उपलब्ध करने के लिए जनता सरकार ने जो घोषणा की है कि दस साल में रोजगार उपलब्ध करेंगे उस घोषणा के अनुसार रोजगार देने का यह अच्छा साधन होगा। इसके खनन् कार्य को हाथ में लेना चाहिये। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी पूरी तरह से जांच कराई जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष जी,...

(व्यवधान)

आप डिस्टर्ब मत करिये।

यह पंचायती राज इतना पुराना है फिर भी मन्त्री जी ने जिला परिषदों और पंचायतों को भंग कर दिया। उस समय जोश के साथ यह घोषणा की थी कि नवम्बर में, दिसम्बर में चुनाव करवा दूंगा। फिर जनवरी के लिये कहने लग गये। अब शायद फरवरी की भी बात आ जायगी। मैं समझता हूं आज मन्त्री जी जवाब देने में असमर्थ हैं। जैसी गिरधारीलाल जी व्यास समिति ने रिपोर्ट दी उसके अनुसार ये समय पर इलेक्शन करा पायेंगे, इसमें मुझे शक है। मैं यह कहना चाहता हूं आज जो दूसरी डिमान्ड है उसको छोड़ कर पूरे एक दिन का समय इसके लिए रखिये। जो पंचायती राज सिस्टम पर रिपोर्ट तैयार कराने में सरकारी धन का, समय का दुरुपयोग किया गया है यह उचित नहीं है। कई रिपोर्ट्स इस पर तैयार की गई थीं, लेकिन उनको ड्राप कर दिया गया। उन रिपोर्ट्स पर सदन में पूरे दिन विचार होना चाहिए। पहले पहल सादिक अली साहब की रिपोर्ट आई, उसके बाद गिरधारीलालजी की रिपोर्ट आई।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सारे हिन्दुस्तान में जहां जहां पंचायती राज सिस्टम है, उसका उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है। डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन का उद्घाटन नागौर में सबसे पहले हुआ, यह ठीक है लेकिन पंचायती राज को ठीक से लागू नहीं किया गया। पंचायतों को पूरी तरह से इक्विप नहीं किया गया। अब आप पंचायती राज का जो गठन करने जा रहे हैं उसमें कैसा इलेक्टोरल कालेज हो, जिला परिषदों को आप क्या पावर्स देना चाहते हैं, पंचायत समितियों को आप क्या पावर्स देना चाहते हैं, पंचायतों को किस प्रकार सुदृढ़ करना चाहते हैं आदि बातों का यदि आप आज जवाब देने में असमर्थ रहें तो मैं चाहूंगा एक पूरा दिन इसके ऊपर विचार करने के लिए लिया जाय। ग्रामीण जन शक्ति का किस प्रकार उपयोग करके ग्रामीण लोगों को क्या क्या सुविधायें और पावर्स देना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी स्पष्ट नीति होनी चाहिये। मेरा निवेदन है हर गांव के लोगों से विकास के बारे में सलाह लेकर विकास किया जाय, इस बारे में हमारा इतने वर्षों का जो अनुभव है, जो हमारा पंचायती राज का अनुभव रहा है, दूसरे राज्यों की जो रिपोर्ट्स हैं। उनके बारे में पांच मिनट के टाइम में क्या कुछ कहा जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। आपने बहुत ही थोड़ा समय बोलने के लिये दिया है, उसमें मैं डिमान्ड पर कहूँ या किस चीज पर कहूं। इसलिये मैं चाहूंगा, पूरे दिन के लिये इस पर डिबेट रखी जाय। टू टायर सिस्टम रखना चाहते हैं, या किस प्रकार का सिस्टम रखना चाहते हैं, या जिला परिषद् भी रखेंगे? जैसा सिस्टम पहले रखा था, मेरा निवेदन है वैसा तो नहीं रखना ही ठीक है। पंचायत समितियों का काम सिर्फ बजट पास करना हो, और यदि पंचायत समिति न माने तो वापस कर दें, यह क्या मखौल वाली बात है। मेरा निवेदन है कि आप गुजरात वाला सिस्टम रखें। वहां आई.ए.एस. अधिकारी पंचायत समिति के अन्डर में काम करते हैं। जितने विकास के काम होते हैं वे सब पंचायत समिति के अन्डर में रह कर काम करते हैं। मेरा निवेदन है यदि आप पंचायती राज को सक्रिय बनाना चाहते हैं, तो माननीय सदस्यों के जो सुझाव हैं वे भी आने चाहिये। आप बैठे बैठे सरपंचों को निलम्बित कर दें यह कतई नहीं होना चाहिये। यह सब इल्लीगल भी है। उसके बावजूद आपके विभाग में यह दृढ़ भावना है कि ये सब कांग्रेस के समय के चुने हुये हैं इसलिये अच्छे नहीं हैं, इन सब को निलम्बित कर दो, यह काबिले बर्दाश्त नहीं हैं। आज की स्थिति यह है कि सरपंचों को दस्तखत करके रुपया उठाना पड़ता है। काम कोई करता है इसलिये सारा दोष उन पर ही मंढ देना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। आपके भी प्राईवेट सैक्रेटरी और सचिव रहते हैं। आपको पैसों के खर्च के लिये कोई दस्तखत नहीं करने पड़ते हैं इसलिये आप पर दोष साबित होना मुश्किल होता है लेकिन सरपंचों को अपने दस्तखत करके पैसे उठाने पड़ते हैं। इसलिये आपको बदले की भावना कतई नहीं रखनी चाहिये।

आपकी यह मंशा है कि पंचायती राज को ठीक बनाना चाहते हैं लेकिन पंचायत एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं वह मंशा आपकी है नहीं। इलेक्टोरल कालेज

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्या होगा, वह भी तय करने की मंशा नहीं है। तो फिर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जैसा आपने कहा है, ग्राम पंचायतों की सीमा का भी पुनर्गठन करना चाहते हैं। एक तरफ तो आपने पंचायत समितियां भंग कर दीं और जिला परिषदों को भी भंग कर दिया दूसरी तरफ पंचायत को भंग नहीं किया। ऐसा तो आपने इसलिये नहीं किया इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटर कहां से लायें। अगर वे भी आपको मिल जाते तो शायद आप जिला परिषदों की तरह पंचायतों को भी भंग कर देते। जिस ढंग से आप सरपंचों को सस्पेन्ड करने जा रहे हैं, उनको दण्ड तो आप देंगे नहीं अतः वह भी उचित नहीं है कि सरपंचों को आप सस्पेन्ड करें। उनको यदि अपराधी समझते हैं तो शो-काज नोटिस दें, इतना भी आपको सब्र नहीं है। आपको डर है इलेक्शन हो जाय और कहीं वह वापस न आ जाय। राज्य सरकार का फर्ज है कि जो धन का दुरुपयोग करे उसको दण्ड दे। कोई भी पार्टी का इसमें मतभेद नहीं है। जनसंघ का सरपंच है, कांग्रेस पार्टी का सरपंच है लेकिन आपकी पार्टी में तो सब पार्टी शामिल हैं। हमारे यहां से जो करप्ट थे वे भी आपकी पार्टी में चले गये। इसलिये आप पंचायती राज के साथ खिलवाड़ न करें। आप जिला परिषदों को मजबूत बनायें। जो उच्च प्राथमिक पाठशालाओं तक की सेवायें पंचायत को देने की बात है, वह भी विचारणीय है। जिला परिषद् वास्तव में काम करे वरना जिला परिषद् को समाप्त करें और सारी पंचायतों की एक यूनिट है, सरपंच, उसको जो अलाउन्स देने की बात है, उस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। प्रधान को अलाउन्स मिले, प्रमुख को मिले तो सरपंच को क्यों नहीं मिले? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सामुदायिक विकास विभाग प्राप्त करना चाहता है वह नहीं आने से विकास विभाग ने सब काम बन्द कर दिया। केवल मास्टरों को तनख्वाह बांटने, एल. डी. सी., यू. डी. सी. को तनख्वाह बांटने का काम ही समितियों का नहीं रहे, इसलिये पंचायती राज को अगर रखना चाहते हैं तो इसके लिये मेरी आप से दरख्वास्त है कि सदन में एक पूरे दिन इस पर बहस हो। जो बदनामी करना चाहते हैं पंचायती राज की, कांग्रेस राज्य की वह तो किसी प्रकार नहीं चलेगी। आपको भी आज घोषणा करनी पड़ेगी नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ। एक तो आपने सब संस्थाओं को भंग कर दिया, दूसरे छः महीने, एक एक साल तक इलेक्शन नहीं करायें, आज तो आप अंगुली हमको दिखा रहे हैं लेकिन आगे के लिये आप भी समझ लें और आप इस बारे में गहराई से विचार करें। पंचायत कानून में संशोधन करने और कमेटियों का गठन करने की बात तो आप छोड़ दें क्योंकि आपने ही इस बीमारी को पनपाया है--दोनों तरफ से आप फंस गये हैं इसलिये एक बार इलेक्शन तो करवा ही दीजिये।

अब मैं माइनिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जालौर में मिनरल्स की भी बहुतायत है। जालौर का ग्रेनाइट नामक पत्थर देश भर में प्रसिद्ध है। विदेशों में उसकी काफी मांग है। इतना अच्छा कलर वाला हिन्दुस्तान में पत्थर नहीं मिलता है। इसको डवलप किया जाय। मोदरा में चमकीला

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पत्थर निकला है उसको भी डवलप करने की बात है । तीसरा करड़ा में जो प्रेसियस मैटल मिला है, वह बहुत ही कीमती मैटल है । वह काफी बड़े क्षेत्र में मिला है । इस तरह तीन जगह तो मिनरल्स एक्सप्लोर हो चुके हैं और भी माइनिंग स्कीम हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि माइनिंग के सम्बन्ध में पूर्ण जिले का सर्वेक्षण हो । जसवन्तपुरा में रॉक्स है उनमें ताम्बे के अच्छे आसार हैं । उसका भी सर्वेक्षण होकर एक्सप्लाइटेशन किया जाय । इस रूप में जो जालौर जिला वर्षों से अविकसित रहा है वह विकसित किया जाय और सरकार इस तरफ अब ध्यान दे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये । मैं उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, 59 को जब पंचायत राज हमारे राजस्थान में कायम हुआ था वह आज होते होते केवल तनख्वाह बांटने वाली पंचायतें रह गई हैं । उनके पास कोई काम नहीं है, न बजट का प्रावधान है । लिहाजा जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर विचार करके कि 1959 में पंचायत राज का क्या रूप था और आज क्या है यदि आप जल्दी से जल्दी चुनाव करवा सकें तो बड़ी कृपा होगी ।

मैं इन पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलने वाले स्कूल और इनके अध्यापकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । पंचायत समितियों में स्कूल कहां हों, किस तरह हों, कितने अध्यापक हों यह सारी जिम्मेदारी विकास विभाग की है और, मंत्री महोदय, आपकी है, लेकिन स्कूल खोलता है शिक्षा विभाग । शिक्षा विभाग बिना यह विचार किए कि कहां पर स्कूल होना चाहिए, किस जगह पर खोलना पहले आवश्यक है, अपने आप स्कूल खोल देता है । पंचायत विभाग से इस बारे में जानकारी लेने की उसको कोई चिन्ता नहीं है । वैसे यह नीति का प्रश्न है । इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स और डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन का पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलने वाले स्कूलों से कोई सम्बन्ध नहीं है । न तो शिक्षा से सम्बन्ध है, न स्कूलों के इन्सपेक्शन से सम्बन्ध है और न ही स्थानान्तरण से सम्बन्ध है । स्कूल कहां खोलना चाहिए उसके लिए पंचायत समिति या ग्राम पंचायत से पूछ कर, वहां पर स्थित जो आपके अधिकारी हैं या राजनैतिक स्तर के जो भी नुमायन्दे हैं उनसे पूछ कर आवश्यकता के अनुसार स्कूल खोला जाना चाहिए । इसलिए आप इस पर सोचें । होना यह चाहिए कि जितनी प्राथमिक शालायें, स्कूल पंचायत समितियों के अन्तर्गत चलते हैं उनको जब भी खोला जाय तो आपके विभाग द्वारा खोला जाना चाहिए ।

मैं आपको अध्यापकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि स्ट्रेंग्थ के हिसाब से आज चालीस-पचास अध्यापकों की हर पंचायत क्षेत्र में कमी है । स्कूल खोल दिये लेकिन कहीं दो अध्यापकों की जगह एक अध्यापक है, कहीं चार की जगह एक अध्यापक है । आपके स्कूलों में सौ सौ तक बालक पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं । मैं अपने जिले के सम्बन्ध में आपको निवेदन

(श्री राम रघुनाथ)

करना चाहूंगा कि अभी भी स्ट्रेंथ के आधार पर प्राथमिक शालाओं में करीब चार सौ अध्यापकों की कमी है। इसके लिए हमने पहले भी प्रयत्न किया था। विकास विभाग कहता है कि शिक्षा विभाग अध्यापकों की नियुक्ति करेगा और शिक्षा विभाग कहता है कि विकास विभाग से सम्बन्धित यह मामला है। जब स्ट्रेंथ आपकी दी हुई है कि जो भी स्कूल खुलेगा उसमें इतने अध्यापक होने चाहिये लेकिन उतने दे नहीं पाते हैं। आपने प्राथमिक शालायें खोल दीं, विद्यार्थी भी हैं लेकिन अध्यापक आपके पास में नहीं हैं। जब शिक्षक नहीं हैं तो आप कैसे विद्या दे सकेंगे? यह बहुत सीरियस मामला है। मेरा निवेदन है कि जितने स्कूल खुलते हैं उनमें जितने शिक्षकों की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था स्कूल खोलने के साथ ही या नया सैशन शुरू होने के साथ ही हो जानी चाहिए। बालकों की शिक्षा का सवाल है इसलिए इसकी व्यवस्था तुरन्त हो जानी चाहिए।

इसके साथ मैं मेडिकल एड के लिए यही कहना चाहूंगा, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि पंचायत समितियों में अध्यापकों के लिए मेडिकल एड की व्यवस्था की जाय।

इसके साथ ही जो अध्यापक पंचायत समितियों में कार्यरत हैं और जिन्होंने बी.एड., एम.एड. कर रखा है उनको इंसपेक्टर आफ स्कूल समय पर लेता नहीं है, शिक्षा विभाग लेता नहीं है जिससे वर्षों तक उनको प्राथमिक शालाओं में रहना पड़ता है। आपको ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बी.एड., एम. एड. करने के साथ ही या कुछ साल के बाद शिक्षा विभाग उनको अपने पास में ले ले ताकि वे थर्ड ग्रेड से सैकिन्ड ग्रेड प्राप्त कर सकें। इस तरह के अध्यापक, जिन्होंने बी.एड. या एम.एड. कर लिया है, काफी लम्बे अर्से से प्राथमिक शालाओं में पड़े हुए हैं।

इसके साथ ही पंचायत समितियों के टाइम में जो शिक्षा कर लगाया गया और उससे जो धन एकत्रित किया गया उसके सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। शिक्षा कर और राजस्व कर अमूमन पंचायत समितियों के पास है। शिक्षा कर का जो पैसा पंचायत समितियों के पास पड़ा हुआ है इस पैसे का उपयोग स्कूल भवन बनाने के लिए या फर्नीचर खरीदने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए स्वीकृति चाहते हैं तो उनको स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। मैं आपको बताऊं कि पंचायत समिति डीडवाना में पांच छः लाख रुपया पड़ा है। हर साल उस रुपये का उपयोग करने की स्वीकृति के लिए आवेदन करते हैं कि स्कूल भवन बनाने के लिए या फर्नीचर के लिए इजाजत दी जाये लेकिन इजाजत नहीं देते हैं। आखिर उन्होंने जनता से कर इकट्ठा कर लिया वह स्कूल भवन के लिए काम लेना चाहते हैं स्कूल गांव में चल रहा है तो उसके लिए उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकेंगे तो फिर कहां उपयोग किया जायगा? आप उनको क्यों इजाजत नहीं देना चाहते? स्पष्टतौर से बतायें कि इस सम्बन्ध में आपकी नीति क्या है? वह कर लगाकर पैसा इकट्ठा किया गया, उसे राज्य सरकार अपने कोष में काम में लेना चाहती है या क्या करना चाहती है यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।

(श्री राम रघुनाथ)

मेरा निवेदन है कि गांव से जो पैसा इकट्ठा किया है उसे स्कूल के लिए, फर्नीचर के लिए लगाना चाहें तो उनको समय पर इजाजत मांगने पर इजाजत दी जाये।

इसके साथ ही जो ग्राम पंचायतें विकास के काम कराती रहती हैं उनके कम्पलीशन और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर आपका ओवरसियर नहीं है, टेक्निशियन की समुचित व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आप बराबर सस्पेंड करते जा रहे हैं, वह इसलिए कि उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट या कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने काम करवा दिया, हिसाब पंचायत या पंचायत समिति में प्रस्तुत कर दिया। आपका ओवरसियर या टेक्निशियन उसको जाकर देख ले और सर्टिफिकेट दे दे। लेकिन वह देते नहीं हैं और दण्ड उनको भुगतना पड़ रहा है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि टैक्निकल आदमी की समुचित व्यवस्था करें ताकि वह मौके पर जाकर कम्पलीशन या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे।

कुओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में कुए बनायें तो कुओं की मरम्मत कराना, पानी की व्यवस्था कराना, ये सारे काम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपने 1975–76 से एक भी पैसा ऐसे कुओं के लिए पंचायत समिति को नहीं दिया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक दो मिनट में समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

अगर आप पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो बड़ी योजनायें तो अपने पास रखें लेकिन छोटी योजनाओं के लिए पंचायत समितियों को पैसा दिया जावे ताकि वे कुए बनायें। इसके अलावा जहां आवश्यकता है कुओं की मरम्मत की या नये कुए बनाने की तो अगर उनको पैसा मिल जाता है तो वे इन कामों को कर सकती हैं। लेकिन 1975-76 से कोई बजट में प्रावधान इस काम के लिए नहीं रखा है, कोई पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब है कि गांवों में जो पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं उसके लिए आप चिन्तित नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है मन्त्री महोदय कि पंचायत समितियों के तहत अगर आप इन कुओं को नहीं रखना चाहते हैं तो फिर छोटे-छोटे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए आपके बजट में प्रावधान होना चाहिये।

लघु सिंचाई के लिए, छोटे मोटे एनीकट, बांध बंधवाने के लिए 1974-75 के बाद में कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। हजारों लाखों रुपयों के बांध अधूरे पड़े हुए हैं, दिनों दिन टूटते जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी समय ले लिया है। कटौती प्रस्तावों से भी परे दूसरे विषयों पर बोल रहे हैं।

श्री राम रघुनाथ : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन टूटे हुए बांधों की मरम्मत

(श्री राम रघुनाथ)
और अधूरे कामों को पूरा करवाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाय।

अन्त में मैं एक छोटा-सा निवेदन और कर देना चाहता हूं। डेगाना में टंगस्टन का आर. आई. एम. डी. सी. के तहत कार्य कर रहे हैं। टंगस्टन बहुत महत्वपूर्ण है और अपने प्रान्त में ही नहीं हिन्दुस्तान में भी बहुत कम जगह होता है। इसको अधिकतर पहले एक्सपोर्ट किया जाता था Sorry इम्पोर्ट किया जाता था। जब से डेगाना में टंगस्टन अधिक मात्रा में निकालने लगे हैं यह समस्या सुलझ गई है। इसके सम्बन्ध में अभी और ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको मेकेनाइज किया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं किया गया है। डेगाना में टंगस्टन निकालने का काम अभी भी मैंन्यूअली किया जाता है, हाथों से किया जाता है। हालांकि इसमें काफी लोग एम्पलाइड हैं।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

लेकिन टंगस्टन को अधिक इम्प्रूव्ड तरीके से निकाला जाय तो गांव के अन्दर और अधिक एम्पलायमेंट बढ़ा सकते हैं। टंगस्टन जिस पहाड़ी में है उसमें से निकालने की यही रफ्तार रही तो वह सौ साल तक समाप्त होने वाला नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण मिनरल है। आप विशेष ध्यान देकर अधिक मात्रा में इसको निकालने का प्रयास करें तो इसको देश में और विदेश में बेचकर अधिक धन का उपार्जन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस माइन्स के बारे में ध्यान लगाकर विचार कीजिए ताकि ज्यादा लोगों को मजदूरी मिल सके और सरकार को आय भी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं जब सदन में आया, उपाध्यक्ष महोदय, तो मुझे एक सेंटेन्स अच्छा पढ़ने को मिला जो यहां कोट करना चाहता हूं : Kautilya the great Political Economist has stated——

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सदस्य, हिन्दी का उपयोग करें।

श्री मूलचन्द डागा : in his renowned Arthshastra that Mines are the source of treasury and the treasury comes from the people and the earth.

जिस देश में खनिज सम्पदा हो वह देश कभी भी गरीब नहीं बन सकता और उस देश का विकास रुक नहीं सकता। लेकिन अपने माईन्स डिपार्टमेंट को बन्द कर देना चाहिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे डाल देना चाहिए ताकि सरकार का खर्चा कम हो। कोई आवश्यकता नहीं है इस माइन्स डिपार्टमेंट की। यह केवल एक काम करता है रेवेन्यू कलेक्शन का। न कोई इसमें टेक्निकल सेल है, न इसके अधिकारियों में वह नोलेज है जो इस काम से आती है। ज्योलोजिकल डिपार्टमेंट अलग है जो माइन्स डिपार्टमेंट के अन्तर्गत होना चाहिए, मेहरबानी करके इसे बन्द कर देना चाहिए भगवान के नाम पर.....

श्री रतनलाल वर्मा : यह आपने छः महीने पहले तो नहीं कहा था ?

श्री मूलचन्द डागा : बस एक यही बात याद रहेगी जिन्दगी भर तक। मैं एक

(श्री मूलचन्द डागा)

ही बात कहना चाहता था, श्रीमान् यह सवाल ही नहीं है कि इसके नीचे कोई काम है।

(2.00 म० प०)

(मेजर श्री फतहसिंह सभापति, पीठासीन)

कितने कण्टेम्प्ट केसेज कोर्ट में हैं, कितने एफिडेविट दे चुके हैं आफिसरों के खिलाफ लेकिन कुछ एक्शन नहीं। लीज लेने जाओ तो झगड़ा, एग्रीमेंट लिखाओ तो झगड़ा, एक्जीक्यूट कराओ तो झगड़ा। राजस्थान में जो माइन्स डिपार्टमेंट है यह सिर नीचा कर देता है राजस्थान का। अपील में जाते हैं देहली में, तो राजस्थान के माईन्स डिपार्टमेंट का जवाब महीनों तक नहीं आता है। मैं जानना चाहता हूं, कितनी एप्लीकेशन पड़ी हैं माइन्स डिपार्टमेंट की ओर उनके पड़े रहने के क्या कारण हैं? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप उदयपुर से आने वाले हैं, वकील हैं, यह हमारे प्रदेश का भाग्य है कि एक मंत्री को सात महकमें सौंपे गए हैं सुबह से शाम तक भगवान जाने कैसे काम करते हैं। आज माइन्स का महकमा देखा तो 6 महीने बाद माइन्स के महकमें को देखेंगे। माइन्स डिपार्टमेंट की राक फास्फेट की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखिए। आई. बी. एम. की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखिए। आपका डिपार्टमेन्ट क्या कर रहा है, गवर्नमेन्ट क्या कर रही है? जितना अच्छा मिनरल वह तो निकाल रहा है। और जो लो ग्रेड का है, उसको छोड़ रहा है यह रांग प्लानिंग हो रहा है। इसके काम करने का गलत तरीका है। इससे सारे देश को नुकसान हो जाएगा। आपकी मुस्कान बनी रहे, इसलिए आपको इधर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहता हूं। रॉक फास्फेट में क्या चल रहा है। यह आप बताना चाहते हैं तो आई. बी. एम. की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखिए। वहां पर क्या काम हो रहा है, यह हम आपसे जानना चाहते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। अगर आप माइन्स के मजदूरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यह सेफ्टी डिपार्टमेंट आपका है इससे आप क्या मजदूरों का लाभ कर रहे हैं? अजमेर में इसका आफिस लगा हुआ है। डाइरेक्टर सेफ्टी का वर्क आपको देखना है तो आप देख लीजिए। क्या सेफ्टी मेजर्स लेबर के लिए काम में लिये जा रहे हैं? मेहरबानी कर के आप इसको देख लीजिए।

मैंने एक बात पार्लियामेंट में भी उठायी थी कि राजस्थान में, जोधपुर डिवीजन में गोटन और सोजत रोड़ में चूना बहुत अच्छा है। यह बात वहां पर बार-बार कही थी और इस ओर ध्यान दिलाया था कि वहां पर एक केल्शियम का कारखाना खोला जाए। सदन में मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे कि वह कारखाना गोटन में खुला या नहीं?

श्री शिवचरण सिंह : खुल कर बन्द हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : खुल कर बन्द हो गया, सुनिए यह नई बात। यह राजस्थान का भाग्य है कि खुल कर बन्द हो गया जनता पार्टी के राज में, मेरे ख्याल में इस पार्टी के राज्य की भगवान ही रक्षा करेंगे। हमें गालियां

(श्री मूलचन्द डागा)

दो और जीओ। इस सरकार के चलाने का एक यही तरीका रह गया है, कांग्रेस को गाली दो, और जिन्दा रहो। इनके दिमाग में भी यही बात है।

सामुदायिक विकास मंत्री जी को कहना चाहता हूं, सामुदायिक विकास योजना की इतनी बड़ी रिपोर्ट आपको दे दी फिर भी आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं। यह रिपोर्ट है हाई पावर कमेटी आन पंचायती राज। श्रीमान्, इस रिपोर्ट में लिखा है कि निष्क्रिय, प्राणहीन पंचायतों में काम कुछ नहीं हो रहा है। आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं, यह जनता पार्टी क्रान्ति लाना चाहती है, सम्पूर्ण क्रान्ति जिसका नारा है और समाज की आखिरी पंक्ति के आदमी को यह महसूस कराना चाहती है कि यह राजस्थान मेरा है, भैरोंसिंह शेखावत का हाथ इसको बनाने में उतना नहीं है, जितना मेरा हाथ है लेकिन समाज को सुधारने की अपेक्षा, समाज का मनोबल बढ़ाने में आपने यह काम किया है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट हुए हैं।

श्री सभापति : आपका टाइम तो समाप्त है।

श्री मूलचन्द डागा : दुर्भाग्य है। दो मिनट हैं। बड़ी कृपा की है।

श्री सभापति : समाजवाद में सबको समान अवसर मिलना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : आपका न्याय चांदी का न्याय है।

मैंने आपको एक बात बतलाई है। मेरा निवेदन है कि आप अक्टूबर में सैशन बुलाइये और पंचायती राज पर डिस्कशन कर लीजिए। अगर आवश्यक हो तो कानून में रद्दोबदल कीजिए। सामुदायिक विकास खंडों की बड़ी बातें आप कहते हैं। उनको आप एक नई जिन्दगी देना चाहते हैं, इसमें अपनी जवानी और बुद्धि का तेल डालना चाहते हैं, अपना दिमाग लगाना चाहते हैं तो मेहरबानी करके उस पर विचार करने के लिए सैशन बुलाइये। आप एक नया एक्ट बनाइये हम आपके साथ सहयोग करेंगे। राजस्थान की जनता आपको आशीर्वाद देगी। जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। लेकिन हिम्मत करिये। नवम्बर में सैशन बुलाइये। नहीं बुलाएंगे तो फरवरी, मार्च पर बात चली जाएगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। राजस्थान ने पंचायती राज के बारे में बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है। जो लोग पंचायत समितियों में बैठे हैं उन पर क्यों खर्चा कर रहे हैं? जवान आदमियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पंचायत समितियों में लोग बैठे हैं, ग्राम सेवक बैठे हैं उनकी जवानी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके पास काम नहीं है। वे जिन्दगी को गांव में किस रास्ते पर ले जावें। निकम्मे आदमी के दिमाग में शैतान अपना कारखाना डाल देता है। सैंकड़ों आदमियों पर दौलत और पूंजी बेकार खर्च की जा रही है।

आज पंचायतों में कितना डुप्लीकेशन वर्क हो रहा है। एग्रीकलचर डिपार्टमेंट के कर्म-

(श्री मूलचन्द डागा)
चारी को आपने सघन खंड के लिए लगा दिया पंचायती राज में। एक विलेज लेवल वर्कर को आपने कह दिया, दस बजे पीराजी के यहां जाना, 11 बजे रामसिंह जाट के यहां जाना, 9 बजे रूपजी के यहां जाना। यह सघन खंड अच्छा लगाया…

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

हम भी चले जाते हैं, चाय का समय हो गया है।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पंचायती राज मंत्री उत्तर दें, तो मेहरबानी करके, हिम्मत के साथ कहें, चाहे तो पहले शेखावतजी से पूछ लें…

श्री सभापति : समय समाप्त हो गया माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : आप नहीं कह सके तो पहले उनसे पूंछ लें जिनके बलबूते पर नाच रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी से पूंछ लेना शाम को डिबेट का क्या जवाब देना है। यह कहें कि विचार कर रहे हैं, तो यह सवाल का जवाब नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस पर विचार कर के, इस एक्ट में संशोधन करिए। आप नया कदम उठाइये, हम भी सहयोग देंगे।

श्री सभापति : श्री शिवचरणसिंह।

श्री शिवचरणसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, खनिज और सामुदायिक विकास पर मैंने दो कट मोशन्स दिए हैं। पहले मैं पंचायती राज के बारे में कहना चाहूंगा। पंचायती राज व्यवस्था की हिन्दुस्तान को क्यों जरूरत पड़ी? हमारी अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। आजादी के बाद देश का राज चलाने वालों ने यह महसूस किया कि हमारे ग्रामों के जनता के विकास को कौनसी एजेन्सी हो। अंग्रेजों के शासन काल में डिफरेन्ट टाइम की ऐजेन्सी थी। इनके माध्यम से डवलपमेन्ट हुआ, वह शहरों तक ही रह गया, देश के कर्णधारों ने यह महसूस किया कि गांव के डवलपमेन्ट के लिए पंचायती राज हो उसके बाद में पंचायत व्यवस्था आई। गांव के विकास के लिए, गांव के डवलपमेन्ट के लिए यह एजेन्सी बनी। पावर का डिसेन्ट्रे-लाइजेशन किया गया। इस उद्देश्य से सामुदायिक विकास योजना को क्रियान्वित किया गया। यह अनुभव की बात रही है। मैं पंच, सरपंच, एम.एल.ए., प्रधान, सभी पदों पर रहा हूं। मेरा यह अनुभव रहा है इस एजेन्सी के बारे में कि पहले डवलपमेन्ट का निश्चय राज्य चलाने वालों ने इस संस्था को चलाने वाले लोगों ने किया था। पंचायती राज के सेट अप के साथ टेक्नेज भी थे दूसरा काम करने की भी प्रणाली थी तथा प्रशासनिक काम भी था। परन्तु काम का यह दायरा रहा कि सरपंच डवलपमेन्ट को देखें। मैंने कल भी कहा था बीमारी आडिट से शुरू होती है। आडिट से भ्रष्टाचार शुरू होता है। पंचायत इन्सपेक्टर को ट्रेनिंग दी और भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई है। आज यह स्थिति सामने आई है कि पंचायती राज समाप्त हो चुका है। यह सरकार सम्पूर्ण क्रान्ति की ओर जा रही है, सम्पूर्ण क्रान्ति करें, अन्त्योदय करें परन्तु मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस पंचायत

(श्री शिवचरण सिंह)

राज का स्वरूप बदले । पंचायती राज का स्वरूप इस प्रकार का हो कि जो पंचायती राज स्थापित करने का उद्देश्य था वह पूरा हो । गांवों में ग्रामूलचूल परिवर्तन करना ग्रौर दूसरे डवलपमेण्ट के काम का स्वरूप बनाना चाहते थे लेकिन ग्रभी तक कोई स्पष्ट स्वरूप उभर कर नहीं ग्राया है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, पंचायती राज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए था कि वास्तव में वह ग्रपना एक ग्रलग स्वरूप बना सके ।

ग्रब मैं खनिज पर ग्राता हूं । हमारी ग्राय के 3 स्रोत हैं–कृषि, पशुपालन, फोरेस्ट ग्रौर मिनरल । इनमें से एक खनिज भी है । मिनरल में हमारा राज्य ग्रन्य राज्यों की ग्रपेक्षा सम्पन्न है । हमारे यहां खनिज का एक डिपार्टमेण्ट है । ग्रभी तक किसी भी स्टेट में ऐसा ग्रार्गेनाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं है । इसमें टैक्स पेयरों का इतना रुपया खर्च होने के बाद जो रिटर्न मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है । हमारे यहां कुछ ऐसी माइन्स ग्रौर मिनरल्स हैं जिनका सीधे गवर्नमेण्ट ग्राफ इण्डिया से सम्बन्ध है । हमारे यहां तांबा है, सोप स्टोन है, ग्रेन स्टोन है । लेकिन हमारे यहां के माइन्स डिपार्टमेण्ट की ग्रोर से कोई इस सम्बन्ध में काम नहीं किया गया है कि किसी चीज का उपयोग कैसे किया जाये, कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रागे बढ़े । मैं डिपार्टमेण्ट वालों से कहना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा । मेरे दल का समय दिया गया है ।

श्री सभापति : यह दल का प्रश्न नहीं है, समय का है ।

श्री शिवचरण सिंह : यह जो माइन्स डिपार्टमेन्ट है ।

श्री खेतसिंह राठौड : 'मेरे दल' कितने जोर से बोला है । चार ग्रादमियों का दल है ।

श्री सभापति : नूरा जी का दल सबसे बड़ा है ।

श्री शिवचरण सिंह : माइन्स डिपार्टमेन्ट यह देखे कि जो साधन हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करें । हमारे राज्य में सैण्डस्टोन काफी है । यह करोड़ों रुपयों का जापान ग्रौर ग्रमेरिका जाता है । वहां पर इसकी बड़ी भारी डिमाण्ड है । ग्राप ताज्जुब करेंगे कि सबसे ज्यादा सैण्डस्टोन राजस्थान में होता है । गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया की हिदायत है कि सैण्डस्टोन के बिना दिल्ली में कोई मकान नहीं बनना चाहिए । पंजाब ग्रौर हरियाणा से इन्जीनियर आकर सैण्डस्टोन ले जाते हैं । राजस्थान कैनाल बना रहे हैं वहां पर सैंड स्टोन को पका कर काम में लेते हैं ।

गारनेट पत्थर है, वह कोस्टली है । जालौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी गारनेट है । मद्रास से एक्सपोर्ट होता था उससे भारी रुपया कमाया है । अब तो बम्बई में भी मांग बढ़ रही है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मेरा यह निवेदन है कि माइन्स डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा विकास करे । जहां तक इसके राष्ट्रीयकरण की बात है, उसको भी

(श्री शिवचरणसिंह)

आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यह आपके दल की नीति है।

श्री सभापति : आपका ध्यान आकर्षित करना है।

श्री शिवचरणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो बड़ी बड़ी पार्टियां थीं 77 उनमें से करीब 75 पार्टियों ने सरेन्डर कर दिया। सरकार की अपील पर लेकिन दो पार्टियों ने नहीं किया। उनमें एक है, रामनारायण व्यास और दूसरे हैं...

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

उन्होंने सरकारी हुक्म को नहीं माना। वह आज भी सरकार को अंगूठा दिखा रहे हैं। सत्ता को अंगूठा दिखा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): सभापति महोदय, मैंने इस विषय पर अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। देश की आजादी के बाद राजस्थान के अन्दर जो ढिलमिल नीति रही है, उसके कारण ही जो ग्राम पंचायतें हैं, उनकी आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान नहीं देने का, यह कारण रहा है। सभापति महोदय, जब तक इस संस्था का आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं उठायेंगे तब तक यह संस्था पनप नहीं सकती है। गांवों में जो उनका है, उसमें चेतना आये और गांवों का विकास हो। इसके लिए जरूरी है कि इस संस्था का आर्थिक स्थिति में सुधार हो यह सरकार का पहला कर्तव्य है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपने पंचायतों के चुनावों की घोषणा की है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि केवल चुनाव कराने से ही सुधार आ जायेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं गांधीजी के आदर्शों के अनुसार जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक पंचायतों में जान नहीं आ सकती है, उनमें जीवन नहीं आ सकता है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा राज्य सरकार को पंचायतों के बारे में सोचना चाहिए ताकि उनकी बारहों मास आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाय।

इसके अलावा एक सुझाव मेरा यह भी है कि जब तक पंचायत एवं पंचायत समितियों की महीने में एक दो बार मीटिंग नहीं होगी और जब तक आप पटवारी अथवा ग्राम सेवक को सचिव नियुक्त नहीं करेंगे तब तक वहां पर किसी भी प्रकार की मीटिंग नहीं हो पायेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 12 सालों में बीस पच्चीस पर्सेंट को तो छोड़ दीजिये, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 75 पर्सेंट ग्राम पंचायतों की तीन-तीन सालों में कोई मीटिंग नहीं हुई, उसके कारण क्या हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास न तो कोई आर्थिक साधन है, न कोई आमदनी का जरिया है न उनमें कोई सचिव का पद है। इसलिए महिने में एक दो बार मीटिंग बुलाई जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि उनमें ग्राम सेवकों और पटवारियों को लगाया जाय तथा पूरे पंचायत क्षेत्र का भू-राजस्व पंचायत को दिया जाय।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि पंचायतों और जिला परिषदों को सशक्त

(श्री रामसिंह विश्नोई)
बनाया जाय उनके पास कोई अधिकार नहीं होने से हम देखते हैं कि जयपुर में भीड़ इकट्ठी होती है कलेक्टर को आपने मुख्य मंत्री से भी अधिक अधिकार दे रखे हैं और पंचायतों और ज़िला परिषदों के पास कोई अधिकार नहीं हैं छोटे मोटे काम भी पंच या सरपंच लोग वहां पर नहीं कर सकते, हर काम के लिए उनको यहां आना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उनको सशक्त करने के लिए एक तो टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाय जिससे उनको पैसा मिल सके और उनकी आमदनी का एक अच्छा जरिया हो सके। दूसरे कलेक्टर साहब को आपने मुख्य मंत्री से भी ज्यादा अधिकार दे रखें हैं, उनमें कुछ कटौती करके जिला परिषदों और पंचायत समितिमों को अधिकार दिये जायं जिससे उनको सशक्त बनाया जा सकता है।

श्री सभापति : Thank-you

माननीय श्री रघुनन्दन व्यास।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : आदरणीय सभापतिजी, मेरे सात कटौती प्रस्ताव सामुदायिक विकास की मांग पर हैं। मेरी यह मान्यता बनी है कि सामुदायिक विकास की स्थापना ग्रामीण विकास के उद्देश्यों को लेकर हुई लेकिन वह सूर्य ग्रहण का दिन था जिस दिन इसकी स्थापना हुई इसलिये सामुदायिक विकास के नाम पर विनाश हो गया, गावों में लोगों का चारीत्रिक पतन हो गया गांवों में झगड़े बढ़ गये और कोई ऐसी स्थिति शेष नहीं रही जिससे गांवों में मानवता जिन्दा रह सके गांवों का जनजीवन भ्रष्ट हो गया और इससे समर्थन मिला सरकारी मशीनरी का सरकारी अधिकारियों का विकास अधिकारियों का, वी एल डब्लूज का और उन्हीं के कारण यह सारा विनाश हुआ। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों के हितों की दृष्टि से जो काम करने चाहिये वह गांव की जाजंम पर बैठ कर किये जायं ताकि उनको प्रोग्रेसिव किया जा सके। जो भी निर्णय अभी तक लिये गये हैं पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के द्वारा उसमें गांवों की जनता की भावनाओं का कभी आदर नहीं किया गया। जो कुछ भी किया वह ऊपर से थोपा जाता रहा है, ऊपर से सारी चोरियां निकली हैं। पंचायतों की संख्या 7364 है. सारी की सारी भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में है और निर्जीव है। इन 7364 पंचायतों में से 5 हजार पचायतें पिछले आठ वर्षों से डिफेक्टिव हैं। किसी ने उनको चैक नहीं किया ग्राम सभाएं नहीं हुई। और जो भी कागजों में कार्यवाही हुई उस कार्यवाही को जिलाधीश से लेकर मन्त्री महोदय तक दबाये बैठे हैं। इस नाते से गांवों के साथ और गांवों की जनता के साथ भयंकर अत्याचार हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से, अगर राज्य सरकार यह चाहती है कि गांवों में प्रजातन्त्र कायम हो, गांवों का सर्वांगीण विकास हो तो वह अविलम्ब ग्राम पंचायतों को भंग करे और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किया गया है, इसी प्रकार उनमें प्रशासकों की नियुक्ति करे। आज ग्राम पंचायतों के तीन हजार से अधिक मुकदमे जिला परिषदों, कलेक्टोरेट और डाईरेक्टोरेट में दबे पड़े हैं उन सबको निकाला जाय, जो पुलिस को दिये जाने वाले हैं उनको पुलिस

(श्री रघुनन्दन व्यास)

को हैण्ड ग्रोवर किया जाय ग्रौर जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी है, उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाय। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय के पास में भी कुछ पंचायतों के खिलाफ कागज लेकर गया था, लेकिन मुझे यही कहा गया कि ग्रभी तक कागज नहीं ग्राये हैं, फाइल नहीं ग्राई है। इसका मतलब यह है कि जो बात हम कहते हैं उनकी पालना कराने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ग्रव्यवस्था इसीलिये ही बढ़ती जा रही है। ग्रभी एक माननीय सदस्य ने ग्राडिट की बात कही, मैं कहता हूं कि ग्राडिट विभाग जो है वह भी भ्रष्टाचार का जन्मदाता है। उसका कारण यह है कि ग्रगर उनको कोई पैसा नहीं मिलता तो सरपंच, सचिव ग्रौर ग्रकाउन्ट्स स्टाफ के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, उनके खिलाफ चार्जेज लगाये जाते हैं। कई लोग सस्पेन्ड पड़े हुए हैं, उनके कागज नहीं मिल रहे हैं उनके कागजों के बारे में बताया नहीं जाता है, ग्राज तक उनको कोई चार्जशीट नहीं मिली। यह विकास की स्थिति है। इसलिए, सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब संगठन की स्थिति ऐसी है तो गांवों का विकास क्या होगा? पंचों के नाम से, सड़कों के नाम से स्कूलों के नाम से पैसा खा गये। पंचायत समितियों में चलने वाले 90 प्रतिशत स्कूलों में ग्रध्यापक नहीं हैं। उनके ग्रन्दर विद्यार्थियों की संख्या कम है इतने एस.डी.ग्राई. लगा रखे हैं, वे न मालूम क्या करते हैं। इसका मतलब यह है कि शिक्षा के प्रसार में जो काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है ग्रौर पूरा का पूरा बजट व्यर्थ खर्च हो रहा है। पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां कहा गया है—विद्या का समय तपस्या का जीवन होता है। 'बालानाम ग्रध्ययनम तपः'। मैं यह दोष लगाता हूं कि सामुदायिक विकास के नाम पर इस तरह की स्थिति बना रखी है, यह सब भ्रष्ट ग्रधिकारियों की जिम्मेदारी है उनको...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

निकालना चाहिये।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कम से कम पांच मिनट दिये जायं ग्रौर उसके बाद ग्रपने वक्तव्य को सारांश में समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री रघुनन्दन व्यास : मैं एक दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सिरोही जिले में, जहां से मैं ग्राया हूं, चार माइन्स चलती हैं, बसन्तगढ़, पीपला देई ग्रौर खारा रावला। वहां पर तांबा नाम की धातु निकलती है। ग्राज माइन्स की हालत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जालौर में ग्रेनाइट धातु है, उसको स्टेट इण्डस्ट्रियल एन्ड मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन को दे दिया, लेकिन जब से उसको सौंपा गया है, वहां काम नहीं हो रहा है बल्कि जो काम पहले हो रहा था उसका डेस्ट्रक्शन किया गया है। केवल कुछ लोगों का पालन किया जा रहा है उसके जरिये।

(श्री रघुनन्दन व्यास)

तीसरी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को खामों के पट्टे दिये गये, इस तरह की बात यहां पर कही गई, उनकी संख्या बताई गई। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को पट्टे दिये गये यह बिल्कुल फ्रॉड है। उसकी जानकारी कराई जाय तो मालूम होगा कि ठेका किसी दूसरे व्यक्ति के पास है और कागजों में अनुसूचित जाति के लोगों के नाम हैं। जितनी संख्या बताई गई है मैं माननीय सभापतिजी, यह निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय तो पता लगेगा कि पांच प्रतिशत लोग भी अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार वहां है। आफिस में लोग जायें तो अधिकारी मिलते नहीं। यह स्थिति सिरोही की है। जो वहां तांबा निकला है उसका उपयोग वहां हो, इस ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके अलावा जालोर से ग्रेनाइट फैक्ट्री को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने का प्रयास करें।

श्री सभापति : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मुझे 17 साल का तजुर्बा है जिला परिषदों का। सारी बातें अगर कहूँगा तो निश्चित तौर से बहुत समय चाहिये लेकिन मैं संक्षेप में ही कुछ सुझाव मंत्री महोदय को दूंगा। सर्वप्रथम तो मैं निवेदन करूंगा, सादिक अली कमेटी के सामने मुझे बुलाया गया था और गिरधारी लाल कमेटी का भी मैं सदस्य था। हमने उन तीनों राज्यों––गुजरात, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश की स्टडी की थी। देश में यदि सही रूप में पंचायती राज थोड़ा बहुत अच्छा चलता है तो इन राज्यों में और राजस्थान में चलता है। गिरधारी लाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर देखेंगे तो यह बहुत अच्छी रिपोर्ट है और सादिक अली रिपोर्ट में भी कुछ अच्छे सुझाव हैं। इसलिए आप इन दोनों रिपोर्टों को मिलाकर अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे और पंचायती राज को सक्षम यूनिट बना सकेंगे। इसलिए मेरा सर्वप्रथम सुझाव है कि एक और कैलाश मेघवाल समिति बना दी जाय, उसके सामने दोनों रिपोर्ट्स पेश हो जायें, उसमें विधान सभा सदस्यों को लिया जाय, उनके तजुर्बे सुन लें। उसकी रिपोर्ट आने के बाद एक्ट बनायें और पारित करायें जिससे ये इकाइयां सक्षम बन सकें।

आपने बहुत जल्दी की और पंचायत समितियां और जिला परिषदें तोड़ दीं। आपने देखा कि कांग्रेस के ही ज्यादा सदस्य उनमें हैं जनता पार्टी के नहीं हैं इसलिये उनको तोड़ दें तो अपना कुछ काम जम जाए। लेकिन तीन महीने में आपने फिजा बिगाड़ दी जिससे आपको पंचायती चुनावों में मुंह की खानी पड़ेगी। खैर यह तो चुनाव की बात है। आपको चाहिये यह था कि पहले आप एक्ट में तरमीम लाते उसके बाद में चुनाव कराते तो ज्यादा अच्छा रहता। अब चूंकि आपने पंचायतें और जिला परिषदें तोड़ दी हैं तो निश्चित तौर से चुनाव कराना लाजमी हो गया है। यदि चुनाव नहीं कराते हैं तो फिर प्रजातन्त्र की दुहाई देना

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बन्द कीजिये और जैसा मुझसे पूर्व वक्ता ने सुझाव दे दिया, पंचयतों में प्रशासक मुकर्रर कर दें और 12 महीने और निकाल दें। उसके बाद और नतीजे देखेंगे। यदि आप चुनाव करायें तो जो पुरानी प्रणाली है और इलेक्टोरल कालेज बने हुए हैं, उसके हिसाब से चुकाव करायें, ताकि सही प्रतिनिधि आ सके। यदि सारे सरपंच, विधायक और एम. पीज. मिलाकर प्रमुख का चुनाव हो तो उससे जिले का रिप्रेजेन्टेशन आ जाता है और वही पद्धति अच्छी है। हमने सुना है कि आप कोशिश में लगे हुए हैं कि सिर्फ विधायक और एम. पीज. को मिलाकर प्रमुख का चुनाव हो। अगर ऐसा चुनाव करेंगे तो वह चुनाव घटिया किस्म का होगा, सही रिप्रेजेन्टेशन भी नहीं होगा और उसको लोग पसन्द भी नहीं करेंगे...

श्री विट्टल प्रसाद शर्मा : जोधपुर वालों को फायदा होगा।

श्री खेतसिंह राठौड : फायदा तो और जगह भी होगा। जब रिजल्ट्स आयेंगे तब मालूम पड़ेगा।

अध्यापकों के बारे में इतना ही कहना है कि उनके मेडिकल बिल्स 15 साल से पेंडिंग पड़े हैं। आपको चुकाने हैं तो चुकाइये नहीं तो कह दीजिये कि हम ये बिल्स नहीं चुकायेंगे ताकि उनका यह सोचना बन्द हो जाय।

इसी प्रकार बी. एल. डब्ल्यू. का कोई भविष्य नहीं है, प्रमोशन के अवसर नहीं हैं इसलिए आप कोई न कोई रास्ता ढूंढें जिससे उनका प्रमोशन हो सके और वह भी विकास अधिकारी के पद तक पहुंच सकें।

सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमने पूना जिला परिषद् का अध्ययन किया उसका बजट है 27 लाख रुपये का जब कि जोधपुर जिला परिषद् का बजट है 17 हजार का। आप सोचिये कहां 27 लाख कहां 17 हजार। जहां बजट ही नहीं है वहां निश्चित रूप से विकास कार्य नहीं हो सकते। इनको बीगोड़ी दी जाए। जब बिक्री कर हटा रहे हैं तो उनको कुछ और रियायतें देकर आर्थिक दृष्टि से सक्षम करें। साथ ही जिला परिषदों को मजबूत करें, उनको पावर्स भी दें।

इसके अलावा जो जिलाधीशों को डी. पी. ए. पी. का कार्य दे रखा है वह जिला परिषदों के सुपुर्द करना चाहिये जिससे जिला परिषदें सक्षम हो सकें। उनका प्रेसीडेंट नॉन-आफिशियल होना चाहिये। यूं भी अच्छी बात नहीं है कि हम विधायक व एम. पीज. जाकर सरकारी अधिकारी के सामने बैठें और उस बैठक की अध्यक्षता करें, यह शोभाजनक बात नहीं है। इसलिए नान-आफिशियल को उसका अध्यक्ष रखना चाहिए।

खानों के बारे में मैंने एक छोटासा कटौती प्रस्ताव दिया है, वह सिर्फ यह है कि हमारे इलाके में सिर्फ पत्थर की खानें हैं सेंड स्टोन की जिससे छोर्ण पट्टियां निकलती हैं। एप्लीकेशन्स बहुत ज्यादा संख्या में पेंडिंग पड़ी हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए,

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जो सही रूप में काटते हैं और मजदूर हैं, उनमें भी अनुसूचित जाति व जन जाति के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए उनको खनन का पट्टा समय पर मिलना चाहिए। वे वर्षों तक घूमते रहते हैं फिर भी एप्लीकेशन्स का निपटारा नहीं होता है। उन एरियाज की ओपनिंग के लिए सड़कों का निर्माण अवश्य कराना चाहिए। आप पूरे रेवेन्यू की वसूली करने में तो जल्दी करते हैं लेकिन उनका विकास करने की दृष्टि से एक कोड़ी भी खर्च नहीं करना चाहते तो खानों का विकास नहीं हो सकता। जहां जहां माइनिंग एरिया में आपने सड़क बनाई है, निश्चत रूप से वहां ओपनिंग हुआ है और आमदनी चौगुनी हुई है। खास तौर से मेरे इलाके छेतरा और शेरगढ़ में पत्थर की खानें हैं वहां रेवेन्यू अच्छी है लेकिन सड़क का प्रबंध नहीं किया है इसलिए उन इलाकों का विकास किया जाए जिससे आमदनी ज्यादा हो, मजदूरों को लाभ मिले और खान काटने वालों को सहूलियत हो। धन्यवाद।

श्री सभापति : Thank you.

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा। समय का ध्यान रखें।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना): सभापति महोदय, जिस पंचायत राज की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर, 1959 में नागौर में ज्योति जलाई थी और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके देश और राज्य को नई दिशा दी थी, उनके अनुयायियों ने उस ज्योति को बुझा दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने बुझाया।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : जनता पार्टी का बड़ा दायित्व है कि उस ज्योति को फिर से ज्वलंत करें। लोक राज के जो 5 आधार-भूत स्तम्भ हैं-पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधान सभा व लोक सभा-उनको जनता पार्टी पुनः जीवित करेगी, इस आशा व विश्वास के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मथुरादास मथुरा : Do you think air-conditioning is being maintained properly ?

श्री सभापति : It is helpful to me. You don't want me to run away?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, अभी लोक सभा के चुनाव हुए और कांग्रेस की बहुत भारी पराजय हुई तो हमारी भारत सरकार ने देखा कि जनता का बहुमत कांग्रेस के पक्ष में नहीं है इसलिए विधान सभाओं को भंग किया गया। उसके बाद कुछ समय पहले हमारे सामुदायिक विकास मंत्रीजी ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों को भंग किया है। यह एक अच्छा कदम उठाया है लेकिन, सभापति महोदय, आज भी गांवों में पंचायतें कायम हैं, सरपंच और पंच पिछले 12-15 सालों से वहां पर बैठे हुए हैं। वह लोग वहां पर जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पंचायतों को भी भंग किया जाय और उनके चुनाव जल्दी से जल्दी करवाये जांय। अगर आपने चुनाव नहीं कराये और गांवों की पंचायतों में वही पुराने पंच और सरपंच रहे तो वहां

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

पर बहुत गड़बड़ी फैलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो पंचायतों के चुनाव करा दो या आप गांवों में जो पंच, सरपंच हैं उन्हें भी हटा दो। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा एक छोटासा उदाहरण पंचायत मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो अकलेरा पंचायत समिति है उसके वही पुराने पंच और सरपंच जमे हुए हैं। सन् 65 में चुनाव हुए थे। उसके बाद में कोई चुनाव नहीं हुए हैं। वे पंच और सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं आपको अकलेरा का उदाहरण देना चाहूंगा वहां पर सरपंच ने एक महिला विशेष को जो जमीन चार हजार रुपये की थी वह जमीन 2100 रुपये में ही दे दी। बाद में इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायत हुई। सरपंच ने जिन सात पंचों के दस्तखत करवाये थे, वह बेचारे बरबाद हो गये। उनसे वसूली करने के आदेश दिये गये। सभापति महोदय, 15 साल हो गये हैं। वह सात पंच तो बरबाद हो गये हैं उनमें से तीन पंच मर गये हैं। वहां पर अब ऐसी स्थिति है कि सिर्फ तीन पंच ही रह गये हैं। आज करीब 9 साल से यही स्थिति चल रही है वह तीन पंच भी बैठे बैठे हजारों रुपये के गबन घोटाले कर रहे हैं। इसकी हम जांच कराने के लिये कहते हैं। डवलपमेंट कमिश्नर साहब को लिखा, सरकार को लिखा लेकिन कोई एक्शन उस सरपंच के खिलाफ में नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, वह सरपंच कहता है कि मैं तो चान्दी का जूता मारता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरा यह निवेदन है, खास तौर से पंचायत विभाग के मन्त्री जी से कि चान्दी का जूता तो अब गया, वह तो कांग्रेस के राज्य में चलता था अब जनता पार्टी के राज्य में चान्दी का जूता चलने वाला नहीं है। अगर जनता पार्टी के राज्य में भी चांदी का जूता चलता है तो इससे अधिक शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इसके लिये मैं भी आपसे मन्त्री जी, दो-तीन बार मिला। आपने मुझे बताया कि मेरे पास फाइल नहीं आयी है। मैंने इसके बारे में पूछताछ की है। मुझे अब बताया गया है कि फाइल आपके पास आ गयी है। या तो वह फाइल आपके चैम्बर में पड़ी होगी या आपके पास कहीं इधर उधर पड़ी होगी इसलिये आप उसको देख लीजिये और आप जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही करें तो उचित रहेगा।

इसी संबंध में, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों में जो काम करने वाले अध्यापक हैं, और जो ग्राम सेवक हैं उनकी पिछली सरकार ने जो कम्पलसरी डिपोजिट 811 और 858 के तहत राशि काटी थी वह दूसरे डिपार्टमैन्ट्स में तो मिल गयी है, लेकिन अध्यापकों को वह राशि पिछले तीन-चार से भी अधिक साल हो गये हैं लेकिन नहीं मिली है। वह राशि उन्हें दिलायी जाय। इसके लिये बार बार लिखा गया, पर उनको पैसे रिटर्न करने की आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उनको पैसे रिटर्न करने की कार्यवाही करायी जाय। सभापति महोदय, छोटे छोटे अध्यापक हैं, बेचारे गरीब ग्राम सेवक हैं उनकी हालत तो वैसे ही खराब है। इसलिये उन्हें जो अभी तक पेमेन्ट नहीं हुआ है वह पेमेन्ट जल्दी से जल्दी करावें। इसके लिये आप विकास

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

अधिकारी को लिखें, चाहे डवलपमेंट कमिश्नर को लिखें पर आप उन्हें जल्दी से जल्दी पैसे दिलावें।

इसी संबंध में मैं एक बात और निवेदन करना चहाता हूं पिछली सरकार ने एक ही आदेश से राजस्थान में जो न्याय पंचायतें थीं उन्हें भंग कर दिया था लेकिन न्याय पंचायतों के जो सेक्रेट्री थे उनमें कई लोगों की तनख्वाह बकाया थी उसका आज तक पेमेन्ट नहीं हो सका है। कई लोगों के चार-पांच हजार रुपये हैं। आज तीन तीन साल से वह लोग भटक रहे हैं। मैं पंचायत मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसके बारे में कुछ सोचें और इसके लिये व्यवस्था करें।

इसके साथ ही एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। माइनिंग डिपार्टमेंट में जो इन्सपैक्टर्स हैं उनमें बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है। हमारे इलाके में जो खानों के इन्सपेक्टर्स हैं वैसे तो सभी जगहों के माइनिंग इन्सपेक्टर्स की शिकायतें हैं पर हमारे यहां के इन्सपेक्टर्स की आम शिकायतें हैं भ्रष्टाचार की। मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि इन इन्सपेक्टर्स के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री सभापति : इस पर तो आपका कटमोशन नहीं है।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : आम शिकायतें हैं, सभापति महोदय, उनके लिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनकी जांच करा कर भ्रष्टाचार को रोका जाय।

श्री सभापति : मनोहर सिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, सबके पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि मैं खुद ग्राम सेवक हूं और मैंने जिन्दगी भर गांवों में सेवक की तरह ही काम किया है इसलिये जब कभी राजस्थान में कम्युनिटी डवलपमेंट के चार हजार ग्राम सेवकों के बारे में विचार होता है तो उनकी हालत को देख कर मुझे दुःख होता है। सभापति महोदय, जब सबसे पहले हमारे यहां पर कम्युनिटी डवलपमेंट का अभियान शुरू किया था तब हमारे कम्युनिटी डवलपमेंट के जो मन्त्री थे श्री एस. के. डे. साहब उन्होंने उस वक्त यह कहा था कि ग्राम सेवक जो हैं वह एक ऐसा आदमी होगा जो कि अच्छे काम करेगा तो तरक्की करते करते न केवल एक्सटेन्शन आफिसर ही बन सकता है वरन् वह बी. डी. ओ. और डवलमेंट कमीश्नर तक बन सकता है। सभापति महोदय, मुझे आज दुःख के साथ कहना पड़ता है कि न तो वह एक्सटेन्शन आफिसर ही बन सके न विकास अधिकारी ही बन सके। डवलपमेंट कमिश्नर बनना तो बहुत दूर की बात है। आज जो ग्राम सेवकों की दयनीय हालत है वह आप देखें तो आपको बहुत ही दुःख होगा। सभापति महोदय, ग्राम सेवक कोई धनवान नहीं होना चाहता :

सेवक की तकदीर में, गोली गाल अभाव
किन्तु चले कुंकर बता, बिना त्याग
बलिदान।

अरे! वह धन नहीं चाहता। बेचारा बलिदान ही कर रहा है। पर कम से कम उसे इज्जत तो दो। इसलिये मेरा मन्त्री

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

महोदय से यह निवेदन है कि आप देखिये और जो भी अच्छा काम करें उसे एक्सटेन्शन आफिसर बना दीजिये। उससे अच्छा और अधिक काम करने पर बी.डी.ओ. तक पहुंचा दीजिये। आप हर पंचायत समिति में पांच पांच ऐसे आदर्श ग्राम सेवक ढूंढ़ लीजिये और फिर उनको ऊपर उठाइये। मैं आपको एक उपमा देना चाहता हूं कि जैसे एक माला होती है उसमें गेन्दे के फूल होते हैं आप इसी तरह विधान सभा को डोरा मान लीजिये और गांवों को फूल। जिस प्रकार वह माला होती है वैसा ही सम्बन्ध गांव का तथा केन्द्र का होना चाहिये। लेकिन फूल मुरझा गये हैं और डोरा ही डोरा दिख रहा है। तो आज वही हालत आपने इनकी कर दी है। आप केन्द्रीकरण मत कीजिये। आप उनको अलग फलने फैलने दें। श्रीमान्, यह महात्मा गांधी का भारत है। यहां पर पंचायत व पंचायत समितियों में जो भी ग्राम सेवक या अधिकारी रखें वह आप अच्छे लोग रखिये, चरित्रवान रखिये, निष्ठावान, ईमानदार और ऐसे व्यक्ति रखिये जो कि शराब नहीं पीते हों। शराब की बात मैं विशेषतौर से कह रहा हूं क्योंकि शराब पीयेंगे तो वहां के लोग क्या तरक्की करेंगे वह पंचायत, पंचायत समिति बरबाद हो जायेगी। अगर वहां पर कोई शराबी हो तो आप उसको तुरन्त हटाइये। इसके अलावा, सभापति महोदय, थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैंने इस सदन में कई बार निवेदन किया कि आप शिक्षा को पंचायत समितियों को मत दो। यह आप उनसे लेकर वापस शिक्षा विभाग को दे दो। आप पंचायत समितियों के पास गांवों के विकास का काम रखो। कृषि के विकास का काम उनको दो। इनको वह काम दो जिनसे पंचायत समितियों के नीचे आने वाले गांवों का विकास हो सके। आप इनके माध्यम से सिंचाई का काम कराइये। उन्हें ऋण दीजिये। चाहे आप सिंचाई की रेट बढ़ा दीजिये पर आप स्कूलों का काम इन्हें मत दीजिये। सिंचाई का काम दीजिये उन्हें आप। लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा दीजिये पर उनको काम सिर्फ विकास का ही दीजिये। फिर आप देखें कि वह अच्छा काम कर रही है तो उन्हें और काम दीजिये। इसके साथ

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन ग्राम सेवकों को तो कम से कम बी.डी.ओ. तक अच्छा काम करने पर बढ़ा दो।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह से बेचारे सरपंच और पंच 15 साल से पड़े हुए हैं उसी तरह वेचारे ग्राम सेवक पड़े हुए हैं इनके तबादले कराइये। इनके पास कोई काम नहीं है बेकार पड़े रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मेरे 9 कटौती प्रस्ताव हैं। खनिज के भी हैं।

श्री सभापति : 9 नहीं, आपके 11 कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो, सभापति महोदय, मुझे आप दो मिनट ज्यादा ही बख्शावें।

श्री सभापति : आपको पांच की जगह सात मिनट मिलेंगे, आप बोलते रहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, मैं खुद ही ध्यान रखूंगा। आप को घण्टी बजाने की जरूरत नहीं है।

श्री सभापति : ठीक है, चलिये चलिये। डेकन क्वीन की तरह चलिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, खनिज के मामले में सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा माननीय विजयसिंह पथिक जी, जो स्वतन्त्रता सेनानी थे, ने बिजोलिया के अन्दर काम किया है। वहां पर 25 हजार मजदूर पत्थरों की खान में काम करते हैं। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं इस ओर उन्होंने ध्यान रखा। पहले की कांग्रेस सरकार के समय में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की जो शर्त थी तथा गरीब लोगों के लिये खानों के पट्टे लेने में जो बाधा थी वह आपने हटा दी। यह बहुत ही अच्छा काम आपने किया। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर सौ गांव हैं। आप वहां जो खानों के पट्टे बांट रहे हैं उनमें से आप एक इन्च भी जमीन बड़े बड़े सेठों को मत देना। पुराने कांग्रेस राज्य में इन सेठों ने, बड़े बड़े नेताओं ने वहां खानें ले रखी हैं। बिजोलिया में खानों के अन्दर जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें आप छोटे छोटे प्लाट दीजिये, दो प्लाट छोटे दीजिये। सबसे पहला हक तो उन्हीं लोगों का है जो वहां पर काम करते हैं। बिजोलिया के मजदूरों का दूसरा हक आता है। मान्डलगढ़ क्षेत्र में मजदूरी का जो काम करते हैं उन्हें आप प्राथमिकता दें। इससे अन्त्योदय की योजना भी सफल होगी और बेचारे मजदूर सुखी होंगे।

इसके अलावा एक एक हजार मजदूर जहां हों वहां पर आप उनके लिये एक डिस्पेन्सरी की व्यवस्था कीजिये। उसमें एक कम्पाउन्डर की व्यवस्था कीजिये। वहां सड़कों की हालत खराब है क्योंकि वहां पर रोजाना सैकड़ों ट्रक पत्थर के निकलते हैं। मेरा निवेदन है कि वहां आप सड़कों का विकास कीजिये, सड़कें बनाइये।

श्री सभापति : पांच मिनट हो गये हैं। आगे आपकी मर्जी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ करिये, स्कूल खोलिये, आमोद प्रमोद के साधन वहां चलाइये। अभी तो आमोद प्रमोद का साधन राज्य सरकार की ओर से वहां है–शराब। लाखों रुपयों की शराब वहां पर बिकती है। एक मजदूर 20-25 रुपया कमाता है तो वह शराब में खो देता है।

श्री सभापति : इसका भी कोई कटौती प्रस्ताव है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मजदूरों की हालत कैसे सुधरेगी ? जब तक शराब है तब तक सुधरेगी नहीं।

निवेदन करना चाहता हूं कि खानों को इस तरह से बना दीजियेगा कि ज्यादा से ज्यादा गरीब बेकार लोगों को काम पर लगा सकें। यही बात कह कर मैं बैठना चाहता हूं।

श्री **सभापति** : माननीय श्री जगदीश सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शंकर लाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री समरथ लाल।

श्री समरथलाल (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सामुदायिक विकास मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों के विकास अधिकारी जो ए.ई.ओज हैं, वे एग्रीकल्चर के होते हैं, जो इलाके अधिक पशुओं के होते हैं वहां एनीमल हस्बेन्ड्री के होते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से ए.ई.ओज. विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं उस समय से पंचायत समितियों का प्रशासन अच्छा नहीं रहा। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी आर.ए.एस. आफिसर्स होने चाहिये क्योंकि वे प्रशासन के काम को भलीभांति जानते हैं और कर सकते हैं। आज राजस्थान में पंचायत समितियों के प्रशासन की जो हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। उसका कारण है सक्षम अधिकारी वहां नहीं रखे गये। इसीलिये मैंने यह निवेदन किया था।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों की हालत को सुधारा जाय, उनका पुनर्गठन किया जाय। इसके लिये मेरा निवेदन है कि एक एक पंचायत समिति में 30, 40 पंचायतें हैं, उनको कम करें। दो पंचायतों की एक पंचायत बनायें और उनको अधिकार इस प्रकार से दिये जायं कि गांवों के विकास के काम वे सक्षमता से कर सकें।

पंचायतों के सरपंच हों, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिये। कम से कम वे आठवीं कक्षा पास हों।

श्री सभापति : मैं हस्तक्षेप तो नहीं करना चाहता। आप कटौती प्रस्ताव की सीमा से बाहर जावेंगे तो समय नहीं दिया जायगा।

श्री समरथलाल : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो पंचायत हैं रेणी और डेरा। वहां पर पशु मेला लगता है उस पशु मेले से ग्राम पंचायत रेणी को करीब 25 हजार की सालाना इनकम होती है और डेरा ग्राम पंचायत को 12 से 15 हजार रुपये सालाना की इनकम होती है। इस प्रकार हिसाब लगाया जाय तो 12 साल से ग्राम पंचायत हैं। 12 साल में इस ग्राम पंचायत को 3 लाख की इनकम हुई है। इसमें से ग्राम पंचायत रेणी ने शुद्ध खर्चा 40 हजार का किया है, ऐसा मौके पर नजर आता है। मैंने इस सम्बन्ध में सवाल भी किया था सवाल का उत्तर मंत्री महोदय ने दिया उसको सुनकर मेरी जो मंत्री महोदय में आस्था थी वह कम हो गयी। उन्होंने सरपंच को बचाने की कोशिश की है। जिस सरपंच ने 1 लाख $1\frac{1}{2}$ लाख का घोटाला किया हो, उसको कांग्रेस ने बचाया और

(श्री समरथलाल)

उसी को यह सरकार भी बचा रही है। उसको बचाने की कोशिश की है।

मंत्री महोदय, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि वह सरपंच भ्रष्टाचारी है। गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि यह भ्रष्टाचारी है। डेरा पंचायत को भी 12 साल में 1 लाख 80 हजार की इनकम हुई। आपने जवाब दिया कि आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं कि कितनी आमदनी हुई। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं। 1 लाख 80 हजार की आमदनी हुई और एक नया पैसा भी उस पंचायत में खर्च हुआ हो यह नजर नहीं आता है। वैलेन्स देखा जाता है तो एक नया पैसा भी वैलेन्स में नहीं है। वह पैसा कहां गया ?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस प्रकार से सामुदायिक विकास में दोनों सरपंचों ने लाखों रुपयों का घोटाला किया है। जो आपने जवाब दिया उसको मैं सही नहीं मानता हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुबारा जांच करें।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा, खान और खनिज के बारे में राजगढ़ एरिया में सर्वेक्षण किया जाय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजगढ़ एरिया राजस्थान में खनन के मामले में किसी एरिया से कम नहीं है। मैं नहीं जानता कि विभाग क्यों उसकी उपेक्षा करता है? कई बार कहा, पिछले समय में भी कहा था, अब भी निवेदन कर रहा हूं कि राजगढ़ एरिया का सर्वे करवायें, उसके आधार पर राजगढ़ एरिया में बहुत से बहुमूल्य खनिज प्राप्त होंगे। राजगढ़ में अभ्रक है, संगमरमर है, लाइम स्टोन है। राजगढ़ बड़ी मंडी है वहां सीमेन्ट का पत्थर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजगढ़ एरिया की इससे तरक्की होगी, उसका विकास होगा और राजस्थान की आर्थिक हालत सुधरेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

दूसरा निवेदन यह कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि जहां जहां ये खाने हैं उनसे लाख रुपया राज्य सरकार को प्राप्त होता है लेकिन वहां आने–जाने के रास्ते बिलकुल नहीं हैं।

श्री सभापति : समाप्त करिये। यह सब माननीय सदस्यों ने कह दिया है।

श्री समरथलाल : आधा मिनट लेना चाहूंगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य! आसन के विचारों को समझिये।

श्री रामकिशोर जी मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह है पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की जो दयनीय दशा है उस पर चर्चा के लिये।

सभापति महोदय, पंचायतों में शिक्षा के बारे में आज तक जो होता रहा है, उस में राजनैतिक प्रभाव के कारण शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको अच्छी तरह से पूरा नहीं किया जा रहा है। राजनैतिक दवाब के

(श्री रामकिशोर मीणा)

कारण प्रभावशाली व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं होने देते। अतः मैं सरकार से मांग करूंगा कि प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों के अधिकार-क्षेत्र से मुक्त रखा जाय और राजनैतिक दबाव की परिधि से उनको बाहर निकाला जाय।

सामुदायिक विकास की योजनाओं के पुनर्गठन की बहुत बड़ी संभावनायें हैं और आवश्यकता इस बात की है कि उनका इस प्रकार से गठन किया जाय जिससे समाज का अधिक से अधिक सुधार हो सके और उसका विकास भली भांति संभव हो सके। अभी तक सामुदायिक विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये वह लक्ष्य हमेशा बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाये जाते रहे। वास्तविकता यह है कि उनकी प्राप्ति बहुत कम हो पाई है। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास के बारे में जो भी कदम उठाया जाये वह इस प्रकार का हो कि वह वास्तविकता के ऊपर आधारित हो और उसकी भली भांति पालना की जा सके।

सभापति महोदय, राजस्थान में खनिज की विपुल सम्पदा है। उसका अधिक से अधिक खनन होना चाहिए। उसके उपयोग के लिए अभी तक क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर नहीं किया गया। जिस क्षेत्र में अधिक राजनैतिक प्रभाव रहा है वहां तो उसका विकास किया गया लेकिन जो क्षेत्र राजनैतिक दृष्टि से प्रभावहीन थे उनमें कोई विकास नहीं किया गया। अतः मेरा निवेदन है खनिज सम्पदा के बारे में कि जहां खनिज सम्पदा की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाये और उपलब्ध सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग किया जाये ताकि देश के आर्थिक विकास में पूर्ण रूप से योगदान दिया जा सके।

मेरे क्षेत्र में कई खनिज सम्पदाओं के मिलने की सम्भावना है। उनका सर्वेक्षण किया जाये। पहले भी सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। एक खान भाखरी है जो लम्बे अर्से से बन्द पड़ी है। उसको अगर चालू किया जाये तो जो मकानों के निर्माण के लिये पट्टियों की विशेष तौर से आवश्यकता होती है उस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है और सरकार को भी बहुत वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकती है। अतः मेरा मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि खनिज सम्पदाओं का अधिक से अधिक पता लगाकर उनका उचित ढंग से उपयोग किया जाये। जो सरकारी अधिकारी या कोई भी पदाधिकारी इन चीजों के अन्दर बाधा उपस्थित करते हैं उनसे उनको मुक्त किया जाय और जो ऐसा करते हैं उनको दण्डित किया जाये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला!

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : सभापति जी, 1959 की 2 अक्टूबर को राजस्थान हिन्दुस्तान का वह पहला राज्य था जहां पंचायती राज लागू हुआ। एक कल्पना, एक नयी दिशा जो विकेन्द्रीकरण की लेकर चले थे वह नयी कल्पना साकार

(श्री शीशराम ओला)

हुई । शुरू में पंचायती राज ने बड़ा सक्रिय कार्य किया । उस समय आई. ए. एस. और आर. ए. एस. अधिकारियों को बी. डी. ओ. बनना ही पड़ता था । कोई भी आई. ए. एस. अधिकारी विकास विभाग की सर्विस किये बिना कलेक्टर आदि नहीं बन सकता था । एक दो जगह तो शायद आई. पी. एस. को भी भेजा गया था । कहने का तात्पर्य यह है कि अधिकारी व ग्रामीण जनता एक दूसरे को समझने की स्थिति में आये । पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी इसका अनुकरण करके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों ने बहुत लाभ उठाया । वहां पर पंचायती राज बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है । लेकिन हमारे यहां इसके विपरीत हुआ । जिस राज्य ने एक नयी दिशा सारे राष्ट्र को दी थी उस राज्य में एक के बाद एक सारे अधिकार पंचायती राज से वापस लेने शुरू कर दिये गये। कोई भी सरकार आये, कांग्रेस सरकार रही और आज जनता पार्टी की सरकार है लेकिन वास्तव में शासन आई. ए. एस. अधिकारी ही करते हैं । आई. ए. एस. अधिकारियों को बरदाश्त नहीं हुआ कि जहां अच्छी सहूलियतें नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं ऐसी जगहों पर जाकर विकास अधिकारी रहें । गांव में रहने वाले सरपंच के कहने में आई. ए. एस. अधिकारी काम करें यह उनको पसन्द नहीं था । इसलिए एक के बाद एक कानून आते गये और अधिकार वापस लेने की स्थिति पैदा हुई । इससे पंचायती राज का ढांचा ही निर्जीव हो गया। जो एक्सटेन्शन आफिसर्स थे चाहे वह पशुपालन विभाग के थे या कृषि विभाग के थे उन्हें विकास अधिकारी नियुक्त करना शुरू कर दिया । जब आई. ए. एस. और आर. ए. एस. बी. डी. ओ. होते थे तो जिले का सारा प्रशासन इस बात से चिन्तित रहता था कि यह बी. डी. ओ. साहब आज बी. डी. ओ. हैं कल सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं । वह भी प्रशासनिक सेवा के थे । इसलिए उनकी जो भी चिट्ठी जाती थी उस पर बहुत तवज्जोह दी जाती थी और काम को करने में कोई बाधा नहीं आती थी....

श्री सभापति : अब आप क्या चाहते हैं, वह बता दीजिए ।

श्री शीशराम ओला : मैं दो, तीन मिनट में समाप्त करता हूं ।

तो उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा पंचायती राज बिल्कुल निर्जीव हो गया । पंचायती राज के लिए विकास विभाग में अधिकारियों का अलग से जो केडर होना चाहिये था, जैसे रेवेन्यू विभाग में आर. ए. एस. अधिकारी का केडर है या एनीमल हस्बेन्ड्री में केडर है इस प्रकार का कोई केडर हमारी सरकार ने स्थापित नहीं किया । एक आफिसर कहीं से पकड़ लाये, दूसरा कहीं से पकड़ लाये और पंचायती राज को बिल्कुल पंगु बना दिया । उसको कांग्रेसी सरकार ने पंगु बनाया और उसको डबल कर दिया माननीय श्री मेघवाल साहब ने । जो ग्रामीण इन्स्टीट्यूशन पंचायती राज की थी, जिसके माध्यम से साधारण से साधारण आदमी, गांव में रहने वाले आदमी में चेतना आई थी उसको एक मिनट में एक

(श्री शीशराम ओला)

कलम से समाप्त कर दिया। जो पार्टी यह कहे कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आपके सामने आये हैं, मेहरबानी करके हमको वोट दो, जो पार्टी केवल लोकतंत्र के नाम से वोट लेकर आयी उसने पंचायती राज को एक मिनट में समाप्त कर दिया। 80 प्रतिशत जनता के अधिकारों के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात किया है और मंत्री महोदय हंसते हैं। हंसने क्या हैं जब आपका घेराव होगा तब आपको पता लगेगा कि आपने ग्रामीण जनता के अधिकारों पर कितना कुठाराघात किया है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहूंगा कि इस विकास विभाग का नाम विकास विभाग नहीं रखा जाये और सारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि जब से एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स लगे हैं उसके बाद से दो, तीन महीने में पंचायती राज के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीण जनता की पंचायत राज के अन्दर जो आस्था थी वह प्राय: समाप्त हो गयी है। ऐसी सूरत में जो भी विकास के कार्य हैं वह सारे के सारे विकास के कार्य पंचायती राज के माध्यम से हों। जो भी अलग अलग मद के कार्य हैं सिंचाई के, बिजली के वह सारे के सारे काम उनके अधीन आयें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो हमारी पहली सरकार की विकेन्द्रीकरण की यह नीति थी कि गांवों तक इस राज को पहुंचाना है और गांधीजी के सपनों को साकार करना है उस नीति का पालन कर ग्रामीण जनता के विश्वास को वापिस कायम करना होगा। उसको कायम करने के लिए अधिक से अधिक अधिकार पंचायती राज को दिये जाने चाहिए। इसके साथ ही पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवाये जाने चाहिए। यही प्रशासक रहे तो पंचायती राज की जो मूलभूत नीति है वह समाप्त हो जाएगी।

एक मिनट के लिए खनिज विभाग के ऊपर भी अर्ज करना चाहूंगा। राजस्थान में इतनी अधिक खनिज सम्पदा होते हुए भी खनिज विभाग के कारण बड़े-बड़े लोग उसका लाभ ले रहे हैं और साधारण व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ उसको नहीं मिल सका। इसलिए मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिले। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग और वह लोग, जो जवानी में फौज में जाते हैं और जवानी में ही रिटायर हो जाते हैं, 30–35 की उम्र में वापिस आ जाते हैं उनके लिए रिजर्वेशन हो। उनको भी खनिज विभाग के पट्टे दिये जायें ताकि वह अपना निर्वाह कर सकें। दूसरी जगह रिटायरमेंट की उम्र 55 वर्ष है लेकिन उनको 35 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाना पड़ता है इसलिए ऐसे लोगों को छोटे-छोटे हिस्सों में खनिज विभाग के पट्टे दिये जायें ताकि वह अपना निर्वाह कर सकें।

मंत्री महोदय, आप देखेंगे कि पंचायती राज पर कितना धन खर्च होता है लेकिन एक मिनट में कलम फेर दी जैसे कसाई अपने बकरे पर फेर देता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपको पंचायती राज में सुधार करना होगा, लाल फीताशाही को समाप्त करना होगा।

(श्री शीशराम ओला)

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : माननीय सभापति महोदय, सामुदायिक विकास का · · ·

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य जरा आप बाधा नहीं डालें धीरे बात करें।

आप चलिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सामुदायिक विकास विभाग को सामूहिक अफसर विकास विभाग कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें अफसरों के द्वारा जितना भ्रष्टाचार हो रहा है शायद किसी अन्य विभाग में नहीं हो रहा है। मैंने जो कट मोशन दिया है उसकी मूल भावना अफसरशाही से जुड़ी हुई है। डा. लोहिया ने जो कल्पना की थी पंचायती राज के बारे में जनता सरकार इसको साकार कर पायेगी, इस बात की मुझे आशंका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप प्रमुख को शक्तिशाली बनायें, सारे जिले की जनता के द्वारा सीधे उसका चुनाव होना चाहिए आज जिला परिषदों को भंग करके उनमें अफसर बैठा दिये हैं। अफसरशाही सब जगह चल रही है मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जन प्रतिनिधी के साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे वह अवर्ण हो और अफसर सवर्ण। इसमें मंत्री भी शामिल हैं क्योंकि जनता सरकार ने उन सरपंचों के बारे में कुछ नहीं किया जिनको कांग्रेस सरकार ने बन्दी कर दिया था। वे लोग अभी भी निलम्बित हैं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस संबंध में आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। आप इन्ट्रोडक्शन में इतना समय लगा देंगे तो····

श्री ईश्वरचन्द्र : एक दो मिनट में खत्म करता हूं।

श्री सभापति : ज्यादा समय नहीं मिलेगा।

श्री ईश्वरचन्द्र : पचपहाड़ के सरपंच जब मीसा में बन्दी थे तब कांग्रेस सरकार ने उनको निलम्बित कर दिया। आज तक उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनके बारे में आज तक जनता सरकार ने कोई विचार नहीं किया।

दूसरा मैं एक और निवेदन करूंगा विकास योजनाओं के बारे में। पंचायत समितियां शिक्षा शुल्क लेती हैं। यहां से एक अफसर ने सक्यूंलर भेज दिया कि यह शिक्षा शुल्क मिडिल स्कूलों को न दिया जाये···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट पर डिस्कशन नहीं है। डिमाण्ड्स पर जब चर्चा होती है उस वक्त आपको अपने कट मोशन्स तक ही सीमित रहना चाहिए। इससे ज्यादा लाभ होगा क्योंकि समय नहीं है। आपका बोलने का अधिकार है इसलिए नहीं रोकना चाहता।

श्री ईश्वरचन्द्र : अपने समय में ही समाप्त कर दूंगा।

एक सक्यूंलर ऐसा निकाला कि केवल पांचवीं तक के स्कूल में इस पैसे को लिय

(श्री ईश्वरचन्द्र)

जायेगा। इस सक्यूंलर का कोई ग्रौचित्य नहीं है। जहां जरूरत नहीं है वहां ग्रापका पैसा बेकार पड़ा रहता है। ग्रापके एक विभाग का दूसरे विभाग के साथ ताल मेल नहीं है। ग्राज मंत्री महोदय नये हैं, युवा हैं काफी स्प्रिट भी रखते हैं लेकिन ग्रफसर उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मैं उनको फेल तो नहीं करता लेकिन वे सप्लीमेंट्री के काबिल हैं। ग्रफसरों की फाइलों के नीचे दबे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में न एनीकट का काम हो रहा है न कोई दूसरा काम हो रहा है–

"तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने
मैं किसके हाथ पे ग्रपना लहू तलाश करूं।"

किस तरह से सामुदायिक विकास होगा मेरी समझ में नहीं ग्राता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य की वेदनाग्रों को समझने की कोशिश कीजिए। यह माननीय सदस्य की ही नहीं वल्कि सदन की भी हैं।

माननीय श्री किशनसिंह भाटी।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा मेरे कटौती प्रस्तावों के बारे में कि मुख्यतः पंचायतों को ग्रात्म निर्भर बनाने ग्रौर उनके पुर्नगठन करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इस सम्बन्ध में बहुत से व्यक्ति बोले हैं। मेरे भी कुछ संशोधनों के साथ करीब करीब वही सुझाव रहेंगे जैसे गुजरात में पंचायती राज सफलता से चल रहा है। दूसरी भी कुछ स्टेट्स में पंचायती राज चल रहा है। उनको ध्यान में रखते हुए ग्रौर दूसरी भी जो रिपोर्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बात को जानने की व्यवस्था की जाये कि राजस्थान का जो पिछला ग्रनुभव है वह किस कोटि का है। पंचायती राज की व्यवस्था देश में कोई नई नहीं है। पंचायती राज भारतवर्ष में शुरू से ही बुद्धिस्ट पीरियड से है। इतिहास में इतिहासकार जायसवाल ने लिखा है कि ग्राम पंचायतें इतनी मजबूत थीं कि उस समय पूरी डेमोक्रेसी थी जैसी ग्राज कल स्विटजरलैण्ड में है। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हमारी पंचायतों में थी, डेमोक्रेटिक संगठन था। इसलिये पुरानी जो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था थी उसके मुकाबले ग्राजकल जो व्यवस्था है वह बड़े शहरों में रहने वालों के लिये दूसरे ग्रधिकारियों के लिये नई है। उनको जानकारी तक नहीं है कि उस समय ग्रपने ग्राप में पंचायतें ग्रात्म निर्भर थीं। उस दृष्टि से पंचायती राज को देखा जाये। राजस्थान में नई प्रणाली के ग्रन्तर्गत ग्रगर पंचायतों को ग्रात्म निर्भर बनाया जाये तो पंचायती राज कारगर हो सकता है। उसके बारे में मेरे सुझाव हैं। एक ग्राम के व्यक्ति को रोज का जो कार्यक्रम करना पड़ता है, राशन कार्ड बनवाना हो, कर्ज की राशि देनी हो, गिरदावरी करानी हो तो ग्राम स्तर पर जो काम हो सकता है उसके लिये तहसील ग्रौर एस. डी. ग्रो. तक ग्राना पड़ता है। हमने ग्रन्त्योदय की योजना चलाई इसमें 13 ग्राइटम्स जमीन से सम्बन्धित हैं। ये ग्राइटम्स पंचायतों के माध्यम से पूरे होने चाहिये। लेकिन पंचायतें ग्राज पंगु हैं, नाम

(श्री किशनसिंह भाटी)

मात्र की पंचायतें रह गई हैं। इन समितियों को, परिषदों को मुख्यतः देखा जाय तो कलेक्टर, एस. डी. ओ. और तहसील लेवल पर मोहताज रहना पड़ता है। सारा ग्रामीणों का कार्यक्रम, जितनी घटनायें होती हैं, जो कुछ वे करते हैं, उसके लिये इस लेवल पर वे मोहताज रहते हैं जिला हैडक्वार्टर पर मोहताज रहते हैं। इसमें सबसे मुख्य अंग पटवारी का इन्स्टीट्यूशन है। उस पटवारी को विलेज पंचायत के नीचे देना चाहिये। विलेज पंचायत मनमानी करती है या आफिसर मनमाने तौर पर कोई काम करता है, यह मैं नहीं कहूंगा, वह अलग बात है। लेकिन जो सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है उनका भी उसमें दोष है। उन्होंने पार्टी पोलिटिक्स का प्रश्रय लिया। इसलिये आवश्यक यह है कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बना दीजिये। मैं कहता हूं हमारी शब्दावली ही कुछ ऐसी है हालांकि यह रिलेटेड नहीं है फिर भी मेरा निवेदन है, जिस तरह ग्राम का सेवक ग्राम सेवक कहलाता है उसी तरह प्रदेश का राज्यपाल प्रदेश सेवक कहलाये, राष्ट्रपति राष्ट्रसेवक कहलायें विधान सभा जो आज यहां है वह भी प्रदेश पंचायत कहलाये और संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाये। जैसा नेपाल ने किया है, लोकसभा वहां की राष्ट्रीय पंचायत है। मैं कहता हूं इस शब्द में द्योतकता है, इस शब्द की अपनी एक महानता है। केवल शब्दों की ही शक्ति है जिससे ग्राम आदमी को उसका बोध होता है बाकी और कुछ नहीं है। तो, सभापति महोदय उस बोध ज्ञान का भी अपना एक महत्व है।

पटवारी को पावर्स देने से जहां फसल खड़ी है उसकी गिरदावरी करता है और गिरदावरी करने के बाद पटवारी जो कुछ लिख देता है वह ऊपर तक सही माना जाता है। अगर पटवारी ने लिख दिया अकाल नहीं है तो पिरेमेडिक सिस्टम में वही जयपुर तक मंजूर होगा। पटवारियों को इतनी पावर्स हैं कि वह जो बेसिक रिपोर्ट दे दे वह सही होती है। पटवारी खुदा हो गया है उसको कोई नहीं बदल सकता है। इसलिये पटवारी का इन्स्टीट्यूशन विलेज पंचायत में जाना चाहिये। यह जरूरी कर दीजिये कि ग्राम सभा सभी ग्रामीणों की ग्राम सभा में एज ए होल, विलेज पंचायत में एज ए होल उस रिपोर्ट पर अप्रूवल लेना जरूरी होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

यह मुझे वार्निंगघंटी से मिली है।

इसलिये आप महत्वपूर्ण निर्णय लें इस तरह पंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय हैं इन पर अप्रूवल के लिये साल में ग्राम पंचायत के जितने वोटर्स हैं उनकी जनरल मीटिंग होनी चाहिये। वह जनरल बाडी कहलानी चाहिये। उसमें महत्वपूर्ण आर्थिक मामले हुए, बजट पर और महत्वपूर्ण योजनाओं पर अप्रूवल लेना जरूरी हो जाय। ऐसी व्यवस्था इस इन्स्टीट्यूशन में करें।

आज विकास को जहां आगे बढ़ाने का प्रश्न है वह नीचे ग्राम स्तर से होना चाहिये Planning should come from bottom and not from above जय प्रकाशजी भी यह कहते हैं, गांधीजी भी यही कहते थे। हम सब भी यही भाषण देते हैं कि ग्राम स्वराज्य आ जाय लेकिन उसके साथ ही हम ग्रामीणों को आर्थिक आत्म निर्भरता नहीं देना चाहते हैं।

(श्री किशनसिंह भाटी)
प्लानिंग जो कुछ होता है वहां से होता है। मैं कहता हूं पंचायतों को और भारतवर्ष को आत्म निर्भर कराना चाहते हैं तो गांवों के विकास का क्या कार्यक्रम हो और किस तरह विकास योजना बनाई जाय? इस सब की जिम्मेदारी पंचायतों पर ही डालिये। इसका सारा प्लानिंग पंचायतों से ही आना चाहिये फिर आप चाहे टू टायर सिस्टम करें या थ्री टायर सिस्टम करें, कुछ भी करें। प्लानिंग ओरिजिनेट वहां से ही होनी चाहिये it should begin from the bottom या जिला परिषद ज्यादा सशक्त है तो केवल जिला परिषद् से ओरिजिनेट होनी चाहिये। अभी जैसे आपने बीच में जागीरदारी एबोलिश की, महाजन बिचोलियापन को एबोलिश किया उसी तरह it should be done मेरा मानना है ये मिडिल एजेन्सीज न रहें। उनकी बनाई हुई विकास योजना पर जिला परिषद् गहराई से सोचे फिर वह स्टेट में आये और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का हो कि उनके सुझावों पर पूरी तरह अमल करे। इस तरह नीचे से प्लानिंग होना चाहिये। गांव में चाहे वेक्सीनेशन का मामला हो, चाहे वनपाल का मामला हो ऐसे छोटे अधिकारी पर किसी न किसी तरह पंचायत का कन्ट्रोल रहे। उसमें पंचायत का हस्तक्षेप अवश्य रहना चाहिये। आज कोई जंगलात का मामला हो उसका कन्ट्रोल जयपुर से होता है। मजबूत से मजबूत जिला परिषद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गांवों में विलेज पंचायत और वहां जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें सामंजस्य बैठाने का····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कार्य करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक निर्भरता के लिये केवल इतना करना चाहिए कि भू-राजस्व का पूरा अंश नहीं तो मेजर पोर्शन पंचायत को देना चाहिये। भू-राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा जो गांवों से निकलता है वह दिल्ली और जयपुर में जमा न हो, बल्कि जो गांवों के प्लानिंग की प्रायोरिटीज हैं उनमें ही अधिक भाग इसका लगना चाहिये। आखिर जब हम उनके लिये यह कहते हैं कि पैसा कहां से दें तो इस तरह भू-राजस्व का एक हिस्सा जरूर उनको मिलना ही चाहिये तथा ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में उपस्थित खानों की रायल्टी आदि की आय भी उन्हें ही दी जाये या उसका हिस्सा दें क्योंकि मूलतः यह उन्हीं की सम्पत्ति है। इस तरह का हिस्सा देकर हम उनको आत्म निर्भर कर सकते हैं।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान बूंदी क्षेत्र की ओर दिलना चाहूंगा। पंचायत समितियों में जो पहले सरपंच थे उन्होंने एक प्रकार का पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रखा था। मैं कुछ नाम चार गांवों के नाम बताना चाहूंगा जहां उन्होंने भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी पनपाई। जमीपुरा और गरदा है तो जमीपुरा के भूतपूर्व सरपंच रामसिंह हैं उन्होंने ग्राम सेवकों को मकान बनाने के लिये पैसा दिया। वह मकान तो नहीं बना पाये लेकिन वहां दीवारें अवश्य मौजूद हैं। इसी प्रकार गरदा के जो सरपंच है इल्यार अली·····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्या आपने इस तरह की चर्चा के लिये माननीय मंत्री महोदय को नोटिस दिया है ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : मेरा कट मोशन है।

श्री सभापति : आपका कट मोशन जनरल है। अगर माननीय मंत्री महोदय से जवाब चाहते हैं तो नियमों का पालन करना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : बूंदी क्षेत्र में लगभग एक हजार खानें हैं। उन खानों पर किनका अधिकार है ? मजदूरों का नाम लेकर जो पूंजीपति सेठ हैं वह उन खानों पर अपना आधिपत्य जमाये बैठे हैं। उनका सम्बन्ध अब तक पुराने जो मंत्री थे खान मंत्री थे, उनसे चला आ रहा है। बूंदी से डाबी जैसे क्षेत्र को, जहां खानें हैं, सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। सड़कें आज भी अधूरी पड़ी हैं। वे पूरी क्यों नहीं हुई ? वे पूरी इसलिए नहीं हुई कि उन खान मालिकों का और भूतपूर्व मंत्री महोदय का आपसी संबंध था। उसका उदाहरण अभी भी यह है कि गवर्नमेंट के टैक्स का लाखों रुपया बकाया है। उन मंत्री महोदय ने और खान मालिकों ने मिलकर इस प्रकार के सम्बन्ध बनाये हैं और वहां पर सड़कें नहीं बनाने दीं। मेरा निवेदन है बूंदी से लक्ष्मीपुरा डाबी तक सड़क बना दी जाय तो जो उन खानों में पत्थर निकलता है, पट्टी कातले निकलते हैं उनको सारे देश में सस्ती दरों पर भेजा जा सकता है। उससे रेवेन्यू मिलेगी। और सरकार को लाभ होगा।

श्री सभापति : श्री निर्मलकुमार।

श्री सभापति : माननीय श्री निर्मलकुमार।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से पंचायत मंत्री महोदय का पंचायतों के पुनर्गठन और चुनावों की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान में जो पंचायतें बनी हैं उनकी दोषपूर्ण प्रणाली के द्वारा निर्माण हुआ है। राजस्थान में ये पंचायतें लोगों की सेवा नहीं कर सकी हैं और ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुकी हैं। मेरा मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है कि यह छोटी छोटी जो पंचायतें हैं इनको समाप्त करके इनका पुनर्गठन किया जावे। या तो विधान सभा के स्तर पर या तहसील के स्तर पर इनका निर्माण किया जाय। इसके साथ ही इनको अधिकार अधिक देने चाहिए ताकि इनकी आर्थिक स्थिति अधिकाधिक सुदृढ़ हो सके। इसी प्रकार से जो नीचे के स्तर के कार्य हैं ग्रामीण जनता के निर्माण के सम्बन्ध में, उनकी दैनिक आवश्यकता के सम्बन्ध में, खेती के सम्बन्ध में, पशुपालन के सम्बन्ध में, जो भी इस तरह के कार्य हैं, सारे के सारे कार्य वहां से संचालित हों। वहां सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण करें ताकि गांवों का विकास कर सकें और देश की उन्नति कर सकें। इस प्रकार का कार्यक्रम बनायेंगे तो हम जनता की भली प्रकार से सेवा कर सकेंगे। पंचायतों के चुनाव हुए करीब बारह तेरह वर्ष हो गये हैं और मन्त्री महोदय ने सिर्फ पंचायत समितियों को समाप्त किया है, पंचायतों को समाप्त नहीं किया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि एक ही झटके के अन्दर सारे सरपंचों को समाप्त करके जो बी. डी. ओज. हैं उनको प्रशासक नियुक्त किया जावे।

(श्री निर्मल कुमार)

मंत्री महोदय से मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा जो शिक्षा का कार्य पंचायत समितियों के अण्डर में है उसको शिक्षा विभाग को ही दे दें, क्योंकि इस विभाग के अन्दर बड़ी अव्यवस्था है। जितने शिक्षक चाहिए, उतने शिक्षक नहीं हैं। वहां पढ़ाई के साधन भी ठीक नहीं हैं। मंत्री महोदय ने एक दो सरपंचों को बिठाया है। इन सरपंचों के बिठाने से काम नहीं चलेगा। यह तो एक ही प्रकार के एक जैसे ही लोग हैं। उनके खिलाफ काफी आरोप हैं उनकी जांच करवा कर उनको अधिकाधिक दण्ड देना चाहिए। उनसे सारा पैसा वसूल करके उनके ऊपर केस चलाया जावे पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो लगान सरकार लेती है वह सारा का सारा लगान पंचायतों को दे दें जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो।

ग्राम सेवकों के बारे में निवेदन करना है कि ग्राम सेवक शहरों में रहते हैं, देहातों में नहीं जाते। इन्होंने अपनी-अपनी दुकानदारी खोल रखी है। इन ग्राम सेवकों को बाध्य किया जावे कि वे देहातों में रहें, कृषकों के बीच में रहें और इन्होंने जहां-जहां धन्धा कर रखा है वह धन्धा समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

मान्यवर, खनिज के मामले में मेरा एक कटमोशन है। राजस्थान के भूतपूर्व खनिज मन्त्री श्री जुझारसिंह जी को घर बिठाने की जिम्मेदारी मेरे पर डाली थी। मैंने उनको घर बिठा दिया। अब यह विभाग की, खनिज मन्त्री महोदय की जिम्मेदारी है कि भ्रष्टाचारियों को घर बिठायें और उनकी जांच करें ताकि राजस्थान से भ्रष्टाचार अधिक से अधिक दूर हो सके। बड़े-बड़े लोगों को बीस बीस मील की पट्टी दे रखी है लेकिन खनिज का कार्य डेढ दो मील में होता है। इस सारे भ्रष्टाचार को रोका जाय। जिन्होंने मीलों लम्बी पट्टियां रोक रखी हैं पीढ़ियों के लिए, बाल बच्चों के लिए, उनसे उनको वापस लेकर गरीब लोगों में वितरित की जावे। मन्त्री महोदय ने कहा था कि कोटा स्टोन के मालिकों से अनुनय विनय कर रहे हैं कि वे इसका कुछ हिस्सा छोड़ दें। अनुनय विनय वाली बात नहीं चलने वाली है। अनुनय विनय तो कांग्रेस के मन्त्री करते थे, उनको चुनावों के लिए चन्दा लेना था। आपको तो चन्दा लेना नहीं है इसलिए उनका सम्बन्ध समाप्त करके गरीबों को वह पट्टे किसी प्रकार से मिलने चाहिये। जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं वे इससे ऊंचा उठेंगे।

आज खान ही ऐसा साधन है जहां पर कल ही लोगों को काम पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो लोग खान लेने जाते हैं, दस दस फीट के नीचे पत्थर निकलता है या नहीं इसके लिए खड्डा करके या बोरिंग करके स्थान को देखने नहीं दिया जाता है। पहली बार पैसा भर देने के बाद, सफाई कराने के बाद नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसलिए सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि वहां पर खड्डा करके देख सकें कि पत्थर है या नहीं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

गरीब आदमी न जाने कहां से पैसा लाता है, सारे साधन जुटाता है। उसके बाद भी पत्थर नहीं निकले, और कोई सामान नहीं निकले तो वह बिल्कुल बरबाद हो जाता है,

(श्री निर्मल कुमार)

वह कर्जे में डूब जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां भी इस प्रकार की समस्यायें हैं, जहां पर मिट्टी ज्यादा है वहां उनको इस प्रकार से छिद्र करके देखने दिया जाय।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री सभापति : आपने अपने कटौती प्रस्ताव पर बोल लिया है।

श्री निर्मल कुमार : मान्यवर, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाय।

श्री सभापति : धन्यवाद।

माननीय श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र कराये जायें। आपने पंचायत समितियों और जिला परिषदों को तो भंग कर दिया मगर मौजूदा हालत से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आपने जो घोषणा की थी कि हम नवम्बर या दिसम्बर में चुनाव करवा देंगे, उस घोषणा के अनुसार चुनाव करा सकेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनाव अविलम्ब करायें, चाहे आप गिरधारीलाल व्यास की कमेटी की रिपोर्ट को मान कर कराइये, चाहे सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को मान कर कराइये या जो व्यवस्था चल रही है उसी हिसाब से कराइये, उससे हमें सरोकार नहीं है। मगर मैं निवेदन करता हूं कि चुनाव अविलम्ब कराये जायें वरना यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के लिए यह पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी, बापूजी के, गांधी जी के स्वप्नों को साकार करने की जो बातें आप करते हैं वह सिर्फ बातें ही बातें रह जायेंगी।

इनके सुधार के लिए मैं यह कहूंगा कि पंचायतों में या पंचायत समितियों में जो एक्सटेन्शन आफिसर का काम करने का जो तौर तरीका था उसमें कुछ सुधार लाया जाना चाहिये। पंचायत समिति के चाहे एनीमल हस्बेन्ड्री के एक्सटेन्शन आफिसर हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, उसके पास दूर करने हेतु फण्ड्स नहीं हैं। पंचायतों में जाने के लिए उनके पास टी०ए०डी०ए० का पैसा नहीं है तो वह किस प्रकार जा सकते हैं? एनीमल हस्बेन्ड्री वालों को किसी तरह की आप औषधियां नहीं देते। उनको बिठा रखा है पंचायत समितियों में लेकिन उनके पास औषधियों हेतु फण्ड नहीं है।

(3.37 म० प०)

(श्री राम नारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

प्लाण्ट प्रोटेक्शन को पंचायत समिति से अलग कर रखा है। मेरा सुझाव है कि प्लाण्ट प्रोटेक्शन के सुपरवाइजर्स की अलग से व्यवस्था नहीं रख कर पंचायत समितियों के साथ में रखी जावे। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग यह प्लाण्ट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण वालों को जानते नहीं हैं और सीधे पंचायत समिति में जाते हैं और वहां जाकर ही पौध संरक्षण

(श्री सूरजपाल सिंह)
औषधियां मांगते हैं। लेकिन आपने उनके आफिसर को पंचायत समिति से अलग रख छोड़ा है, दवाइयां अलग छोड़ रखी हैं जिनके लिए वे इधर-उधर भटकते रहते हैं, उन्हें समय पर प्लाण्ट प्रोटेक्शन की दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो प्लाण्ट प्रोटेक्शन यूनिट है उसको आप पचायत समितियों के साथ रखिये ताकि किसानों को सुविधा हो।

पंचायत समिति के अधीन जो विद्यालय हैं उनके अन्दर अध्यापक पूरे नहीं हैं। कई ट्रेंड अध्यापक बैठे हुए है, मगर पंचायत समिति में जहां तीन अध्यापक चाहिए वहां पर एक एक अध्यापक लगा रखा है। अब जहां सौ सौ, सवा सौ लड़के पढ़ते हों वहां एक अध्यापक मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बच्चों को कैसे पढ़ाता होगा।

पंचायतों के बारे में मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि कुछ सचिव जो कि मण्डौर से प्रशिक्षण प्राप्त हैं और चार चार, पांच पांच साल से उन सचिवों को हटा दिया गया है, उनको वापस काम पर लिया जाय और जो प्रशिक्षित सचिव हैं उनको ग्राम पंचायतों में वापस नियुक्त किया जावे।

पंचायत समितियों के अधीन जितने भी विद्यालय हैं उनके भवन की मरम्मत का काम भी वर्षा काल से पूर्व कराया जाए ताकि आमेर जैसी कोई दुर्घटना भविष्य में न हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री नवरंगसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मणिराम।

श्री मणिराम (तारानगर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे कटौती प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। पंचायत तथा पंचायत समिति चुनाव हुए 12–14 साल हो गये हैं। इस वजह से प्रधान, प्रमुख को तो हटा दिया गया है लेकिन सरपंच गांवों के अन्दर वैसे के वैसे कार्य कर रहे हैं। खास कर हमारे देहातों के अन्दर जो स्कूल हैं वह पंचायत समितियों के नीचे थे। इन स्कूलों में आज जाकर देखा जाय तो स्कूल में सौ छात्र हैं लेकिन अध्यापक एक ही है। पढ़े-लिखे लड़के गांव में भारी तादाद में हैं लेकिन उनको सरकार की ओर से नौकरी में स्थान नहीं दिया जाता है। इसलिए जो पढ़े-लिखे छात्र स्कूल से निकले हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, उनको नौकरी दी जाए। इसके अलावा देहात के अन्दर एक अध्यापक के नीचे 100 छात्र बैठते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए यह कार्य पूरा किया जाए तो गांव के देहाती छात्रों के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

मेरे क्षेत्र की जो पंचायत समिति है, अगर उसकी इन्क्वायरी कराई जाए तो आपको पता चलेगा कि लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। पशुपालन के नाम से, भेड़ पालन के नाम से रकम किसी के नाम से उठा ली गई है और पैसा कोई और ले गया है। अगर इन्क्वायरी हो तो पता चलेगा कि इसमें कितना घोटाला हुआ है।

(श्री मणिराम)

इसी प्रकार से ग्राम पंचायतों के कुछ सरपंचों ने···

श्री **सम्पतराम** : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि उनकी जानकारी में कोई केस हो तो बतावें।

श्री **मणिराम** : इसी प्रकार पंचायतों के कुछेक सरपंचों की मुझे जानकारी है। जैसे मेड़ता ग्राम पंचायत के सरपंच की शिकायत मंत्री महोदय को मैंने दी है। जिसमें कई हजारों का गोलमाल है। वहां के निवासियों ने मेरे को शिकायत पहुंचायी और मैंने संबंधित मंत्री महोदय को वह शिकायत भेज दी है। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया होगा। इसके अतिरिक्त और भी केसेज पंचायतों के हैं। आसर, केलवा, साबी, मिठावा, कनदेस इत्यादि ग्रामों के सरपंचों के मामले ऐसे हैं कि उनकी इन्क्वायरी करने से ही पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ और क्या हो रहा है। सरपंचों ने यहां तक गड़बड़ी की है कि यदि किसी के मवेशी घर से निकल गये तो पंचायत के सरपंच ने उसकी सूचना उस व्यक्ति को तत्काल नहीं दी और उसको दूसरे दिन ही नीलाम कर दिया। उन्होंने रोकड़िया खुला रखा है और पीछे की मीटिंग दिखा कर, ऐसे घपले किए हैं। हमारे कालावास पंचायत के सरपंच ने ऐसे घपले किए हैं और न जाने कितने किए होंगे। यह सारी गड़बड़ी ज्यादा दिनों तक सरपंच रहने के कारण हुई है। तीन, चार साल का पीरियड होता तो गड़बड़ी नहीं होती। दस-बारह साल से सरपंच हैं। वे इसके मालिक हो गये। इस वजह से गड़बड़ी हुई है। मेरा सरकार को निवेदन है कि इनके चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करावें।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

ताकि यह गड़बड़ी आगे न हो। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायतों के चुनावों में आप जितना विलम्ब करेंगे, उतना ही यह मामला खटाई में पड़ेगा। इससे नुकसान होगा। गांव के लोगों की भी पंचायतों से श्रद्धा उठ गई है। सरपंच, पंच गांव को नहीं समझते और गांव के लोग पंचायत को नहीं समझते। यह सारा मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायतों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करवाए जाएं। इससे गांवों की भी उन्नति हो सकती है। वरना यह मामला बहुत ही पेचीदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह मकासर।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** (हनुमानगढ़) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 15 साल से पंचायतों की जो अवस्था हो गई थी, जो जागीरें हो गई थीं, उस जागीर व्यवस्था की लावारिश लाश को आपने दफना दिया, यह कत्ल नहीं है। फिर भी सरपंच, पंच बाकी रह गए हैं। यह भी साथ साथ खत्म होने चाहिये थे।

खैर! अब आप जो नया कानून बनाएंगे, चुनाव करायेंगे, उनके बारे में आपको सुझाव देना चाहता हूं। जो पंचायतों में घोटाले हैं, भ्रष्टाचार हैं, उनकी जांच के लिए आप बाकायदा चार-पांच सेल बनाइये। 15 साल के अन्दर जिन सरपंचों ने रुपया उड़ाया

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

है, आज मंत्री महोदय कहते हैं उनके नाम बताओ। कितने नाम आप चाहते हैं ? यह सारी की सारी हवा ही खराब है। आप नाम से नहीं बाकायदा सेल बना कर जितने भी गबन हुए हैं, उनकी जांच करिये और वसूली करिये। करोड़ों रुपया आपको मिलेगा, फायदा होगा और आने वाली पंचायत का भविष्य अच्छा होगा। जिन सरपचों ने 12 साल तक घोटाले किए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले सरपंच बिगड़ेल हो जाएंगे। इसलिए एक सेल बनाइये और कोई रियायत मत करिये। सिफारिश आ जाती है तो आप आंख मूंद लेते हैं। अगर सरपंच जनता पार्टी का है तो रियायत दे देते हैं।

हमारी नयी पंचायतें कैसी बनें, इसके बारे में भी आपको सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह करें कि पंचायत का सर्किल आप छोटा करें। इससे एफीशिएन्सी आएगी। हमारा पंजाब हरियाणा का तजुर्बा है। जितनी दूरी का एरिया आप पंचायत का रखेंगे, उसके काम में सुस्ती होगी।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव से शिक्षा कर लेते हैं। यह शिक्षा कर का पैसा गांव में रहना चाहिए। गांव में ही लगना चाहिये। इसका फायदा गांव वालों को ही मिलना चाहिए। आप कहते हैं वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। मिडिल स्कूल हैं। राज्य सरकार उनको यह शिक्षा कर का पैसा नहीं दे रही है। स्कूल की बिल्डिंग भी राज्य सरकार नहीं दे रही है। प्राइमरी स्कूल नहीं हैं, इसका क्या मतलब है ? करोड़ों रुपया पड़ा है, वह आप गांव को दीजिए। जहां से आप शिक्षा कर वसूल करते हैं उस गांव में उस रुपये से भवन बनेगा, स्कूल टीचर के क्वार्टर बनेंगे। मिडिल स्कूल को शिक्षा कर का रुपया आप नहीं देते हैं, प्राइमरी स्कूल को देते हैं। परन्तु प्राइमरी स्कूल है ही नहीं मिडिल स्कूल हैं, सैकन्डरी स्कूल है। बड़े गांवों में यह अजीब तमाशा है। मेरा निवेदन है कि शिक्षा कर का जितना पैसा है वह जिन जिन गांवों से वसूल किया गया है, उन्ही गांवों में लगे ताकि लोग जनता पार्टी को पसन्द करें।

सरपंच होल टाइमर होना चाहिए। वसूली का काम जितना भी हो, वह तहसीलदार, पटवारी के जिम्मे है। लगान की वसूली वही करता है। सैकड़ों पटवारियों ने गबन किया है। जो छोटे कर्मचारी हैं वह रकम अपने पास नहीं रख सकते अतः उन्हें परेशानी होती है। उन्हें दूसरे, तीसरे दिन हैड क्वार्टर जाना पड़ता है। यह रिकवरी का काम है इसलिए लगान की वसूली का काम सरपंच के जिम्मे किया जाए। उसको कमीशन मिलेगा, वह पेड वर्कर होगा, उसको वेज मिलेगी। इससे वह भ्रष्ट नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा। किराये का साधन उसके पास हो जाएगा। वेज के रूप में लगान का कमीशन जो पटवारी को मिलता है, वह सरपंच को मिले ताकि वह काम कर सके।

दूसरी बात मैं प्रधानों और प्रमुखों के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं। आपने उनके चुनाव देखे होंगे। हमने देखे हैं। प्रधान के चुनाव कैसे होते हैं। पंचों को एक बस में डाल देते हैं। कोई बस हरिद्वार की

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

तरफ जाती है, कोई दूसरी तरफ जाती है। उनको नोहरों में इकट्ठा कर लेते हैं। गंगानगर में प्रधान का चुनाव किस तरह से होता है। एक चुनाव मैंने देखा। वहां पर शराब की बोतलें रख दी जाती हैं। मन भर के पीओ। शराब पीने के कारण तीन आदमी आपके ही पंच सरपंच मर गये। यह आपके चुनाव की व्यवस्था है। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधान और प्रमुखों के चुनाव पंचायतों के चुनाव के साथ ही होना चाहिए ताकि राज्य सरकार पर भी अधिक भार नहीं पड़े। एक बार इनके लिये भी तीन या पांच साल का पीरियड तय कर दें नहीं तो आये दिन अविश्वास के प्रस्ताव आते रहते हैं। जिस तरह से एम.एल.ए. के चुनाव पांच साल में होते हैं उसी तरह से इनके चुनाव के लिए भी पांच या तीन साल का टाइम आप मुकर्रर कर दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ साथ पंचायतों को आर्थिक अधिकार और आर्थिक मजबूती देने का प्रश्न है। उनको आप अधिकार देवें, अधिकार दिये बिना कोई पूछता नहीं है, सरपंच की कोई वकत नहीं है। सरपंच को कोई नहीं पूजता, अधिकारों को पूजते हैं। लोग तहसीलदार से नहीं उसके अधिकारों से डरते हैं। उनको आप अदालतों के अधिकार दीजिये। लोग सरपंच की परवाह नहीं करते इसका कारण यह है कि सरपंच में विश्वास नहीं है क्योंकि उसको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए छोटे-छोटे मामले, गांवों के मामले, 323 के मामले, रास्ते के मामले के सारे राइट्स आप उनको दीजिये। वे मजिस्ट्रेट से अच्छा न्याय करेंगे। आप डरते क्यों हैं? यह हो सकता है वे लोग पढ़े लिखे नहीं हों लेकिन समझदार होते हैं। इससे टाइम पर गांव वालों को न्याय मिलेगा और मजिस्ट्रेट से अच्छा न्याय मिलेगा। इसलिए आप उनको व्यापक अधिकार दीजिये और आर्थिक दृष्टि से मजबूत कीजिये। आज उनको एक धेले का भी अधिकार नहीं है। गांवों में बहुत सी भूमि खाली पड़ी है, हरिजन और दूसरे लोग उसमें काश्त करना चाहते हैं, उसमें अनाज पैदा करना चाहते हैं तो तहसीलदार उनको रोक देता है, उनको काश्त नहीं करने देता। इसलिए गांवों के स्कूल भवन बनाने के, पंचायतों की आमदनी को बढ़ाने के, खाली जमीन को ठेके पर देकर काश्त कराने के सरपंचों को अधिकार दिये जाने चाहिए। आज गांवों के एरिया में ही सरपंचों को कोई अधिकार नहीं मिले हुए हैं। एक तरफ तो आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो खाली भूमि पर काश्त करना चाहते हैं उनको तहसीलदार रोक देता है। यह बहुत जरूरी बात है। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं मेघवाल साहब, तो आज आप राज्य मंत्री हैं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्या आप यह कानून नहीं बदल सकते? हम सिफारिश करेंगे, आप लायक आदमी है, आपको फुलपलेज्ड मिनिस्टर बना दें। आप काम करिये। उनको आप व्यापक अधिकार दीजिये जिससे कि जनता को राहत मिल सके।

इन्हीं सुझावों के साथ में उम्मीद करता हूं कि आप पंचायतों को सुचारु रूप से चलायेंगे। जो मर चुकी हैं, जिनको आपने

(श्री रमोपतसिंह मकासर)
दफना दिया है, उनको आप पुनर्जन्म देकर एक होनहार बालक की तरह जिलायेंगे।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल।

श्री अमृतलाल (डूंगरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायतों को सुचारु रूप से कैसे चलाया जाय एवं उनमें जो भ्रष्टाचार होता है उसको कैसे रोका जाय, इस सम्बन्ध में बताऊंगा। वैसे डूंगरपुर जिले के अन्दर ही नहीं सारे राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हुए काफी लम्बा अर्सा हो गया है और उस लम्बे समय के अन्दर जो भी सरपंच थे, जो भी प्रधान थे वे सब राजा बन चुके हैं, ठाकुरों की तरह रहते हैं, और अपने मनमाने ढंग से फैसला करते हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत पंचायत समितियों में जो धनराशि प्राप्त हुई थी उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। आये दिन ग्राम जनता की शिकायतों के बावजूद भी सरपंचों ने कोई सुनवाई नहीं की। आज भी ऐसे सरपंच मौजूद हैं। यद्यपि पंचायत-समितियों और जिला परिषदों को समाप्त कर दिया गया लेकिन पंच और सरपंच आज भी मौजूद हैं और आज भी पहले जैसे कार्य मानमाने ढंग से करते चले आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सुचारु रूप से पंचायतों को चलाने के लिए, पंचायतों की जड़ों को मजबूत करने के लिए, पंचायतों के एरिया को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता है। वह आवश्यकता इस बात की है कि पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा किया जाय। पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने फर्माया कि जो शिक्षा कर वसूल होता है वह पंचायतों में जाता है। पंचायत समितियों के अन्दर स्टेंडिंग कमेटियां बनी हुई हैं। सारा शिक्षा कर दूसरे कार्यों के लिये वितरित करते हैं लेकिन प्राइमरी स्कूलों को उससे कोई सहयोग नहीं मिलता। यह असन्तोष फैला हुआ है गांवों के अन्दर कि हम शिक्षा कर तो देते हैं लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे नहीं हैं, पढ़ाई कुछ होती नहीं। उनको लम्बा अर्सा हो चुका है। इसलिए वह अपने ढंग से मनमाने तरीके से काम चलाते हैं, किसी की मानते नहीं हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इस समय भी वही सरपंच मौजूद हैं, उन लोगों ने वही तरीका अपनाया हुआ है। मैंने देखा कि पंचायत समितियों में जो भी पूंजी दस बारह साल में जमा हुई है वह अपने ढंग से, अपने गांवों में ले जाते हैं। दूसरे गांवों के लोगों में कोई बात नहीं करता, उनकी कोई सुनता नहीं, केवल अपनी ही भलाई के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सम्बन्धित जिलाधीशों को अवश्य सूचना दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरी बात, मांडल माइन्स के अन्दर क्लोराइट निकलता है, मजदूर लोग वहां पर मजदूरी करते हैं। वहां पर एक क्राइटेरिया अपनाया हुआ है कि जब तक एक मजदूर दस किलो माल नहीं निकालेगा दस किलो

(श्री अमृत लाल).

पत्थर नहीं निकालेगा तब तक उसकी हाजरी नहीं लगाई जायगी। खानों को खोदने के लिए पहले मिट्टी को अलग करना पड़ता है। वह मिट्टी 4 फीट भी हो सकती है, 10 फीट भी हो सकती है, जब तक वह मिट्टी नहीं निकालेगा तब तक उसकी हाजरी नहीं लगती है। मिट्टी निकालने के लिए उसको दो दिन भी लग जाते हैं। अगर उसको दो दिन मजदूरी नहीं मिलेगी तो वह खायगा क्या? इसलिए यह बैन हटाना चाहिए। मैं खास तौर से आगाह करूंगा कि इस ओर मन्त्री महोदय ध्यान दें। मांडल पूरी तरह से आदिवासियों और गरीबों की बस्ती है। उनके पास और कोई धन्धा नहीं है, मजदूरी करके जो पैसा मिलता है उससे वे लोग अपना भरणपोषण करते हैं, इसके सिवाय उनके पास कोई चारा नहीं है। खेती की जो जमीन थी उसको खानें खोद कर खत्म कर दिया है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को, जिनकी जमीनें खुर्द बुर्द कर दी गई हैं, जमीनें दिलाई जायं, प्राथमिकता के आधार पर

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तभी वह अपने बाल बच्चों को जीवित रख सकेंगे।

यह दो तीन बातें थीं, वह मैंने आपसे निवेदन कीं। मुझे आशा है माननीय मन्त्री महोदय उनकी ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती नारंगी देवी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री कौशलकिशोर जैन।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, 1976 में सामुदायिक विकास के नाम पर 8,54,023 भू-खण्ड आवण्टित किये गये। जब हम जेल में थे हमें उस समय पता चला कि राजस्थान सरकार 23,00,880 रुपये उन भू-खण्डों के विकास के नाम पर राजस्थान के विभिन्न अंचलों में खर्च कर रही है। सभापति महोदय, उन 8 लाख 54 हजार भू-खण्डों में इन दो वर्षों में कितने मकान बने? कितने कागजी आवंटन हैं? कितनों को कब्जे दिये गये? जो 23 लाख रुपये खर्च किये गये उनका हिसाब क्या है? उसके बारे में विचार करना चाहिये।

मैं जब नया नया विधान सभा में आया था तो 15-15 सालों के प्रमुख और प्रधानों को घर बैठा दिया गया था। 7364 पंचायतों के सरपंचों को क्यों नहीं घर बैठाया गया? उस समय जो कठिनाई आई होगी शायद उसी प्रकार की मजबूरी मुख्य मंत्री महोदय के सामने आ रही है। जब ऐसे केस आते हैं कि यह सरपंच भ्रष्ट हैं उस समय उनके विभाग में विचार आता है, कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं है। इन्क्वायरी करते हुए कितना समय निकल गया है। इस बारे में मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं। बीगोद पंचायत के अधिकारी के खिलाफ 6,847.37 पैसे का गबन का आरोप लगाया गया। पता नहीं कितनी ऐसी शिकायतें मन्त्रियों की फाइलों में चली जाती हैं। उन पर विचार करना चाहिए।

(श्री कौशल किशोर जैन)

माइन्स के कटौती प्रस्तावों पर मैं निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा माइन्स की दृष्टि से राजस्थान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माइन्स की दृष्टि से राजस्थान का यह स्थान देश में महत्व रखता है। माइका की दृष्टि से राजस्थान का नाम दूसरा है। सबसे ज्यादा माइका भीलवाड़ा में निकलता है। बिहार के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। मैं निवेदन करूंगा कि 40 साल से पुरानी एक माइका माइन है, 1960 में वह माइन अच्छी स्थिति में थी लेकिन पिछली सरकार की उदासीनता के कारण दुर्दशा हो गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 1960 में उसमें 10 हजार व्यक्ति रोज काम करते थे। 7,256 टन माइका का वार्षिक उत्पादन होता था। देश को 50% माइका भीलवाड़ा देता था। दिल्ली के अन्दर एक अभ्रक सलाहकार समिति बनी हुई है। उसमें आंध्र के प्रतिनिधि हैं, बिहार के प्रतिनिधि हैं लेकिन देश में माइका उत्पादन की दृष्टि से जिस प्रदेश का दूसरा स्थान हो उस प्रदेश का वहां पर कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। राजस्थान का कोई भी एम. पी. आज भी उस माइका सलाहकार समिति में नहीं है। इसलिए राजस्थान के सवाल को कौन उठाये? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दिल्ली की इस अभ्रक सलाहकार समिति में राजस्थान के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित करें इसी प्रकार से दिल्ली में एक 'मिटको' संस्था बनी हुई है। माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन। उसमें पिछली बार सेम्पिल भेजे गये लेकिन राजस्थान ने नहीं भेजा। मुझे आश्चर्य है कि राजस्थान ने क्यों नहीं भेजा? मैं निवेदन करूंगा कि मिटको माइका की खरीद करता है। किसी भी व्यापारी को 60% माइका मिटको को बेचना होता है। 40% वह कहीं भी बेच सकता है। इसी प्रकार से 2% अभ्रक भी मिटको को देना पड़ता है जो व्यापारी अपनी ओर से कहीं बेचता है। आज भीलवाड़ा में 2 करोड़ का अभ्रक लोगों के गोदामों में पड़ा हुआ है। आखिर मिटको 60% माइका लेने का दावा करती है। उसको वह लेना पड़ेगा। यह भी आवश्यक होगा कि उस संस्था को खरीदना पड़ेगा। लेकिन मिटको माइका नहीं खरीदता है इसलिए भीलवाड़ा के गोदामों में बेकार हो रहा है। आज हालत यह हो गई है कि जहां 10 हजार आदमी रोज काम करते थे, वहां 500 आदमी काम करते हैं। आज 60 टन प्रति माह का उत्पादन है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के उद्योगों की ओर ध्यान दें। भीलवाड़ा में माइका उद्योगों के लोगों को काम दें, रोजगार दें, इस बारे में पुनर्विचार करके उसे नवजीवन प्रदान करें।

सभापति महोदय, एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि पंचायत समिति सुवाना का जो केन्द्र है, वह पंचायत के मध्य में नहीं आता है। उस समय के कुछ राजनैतिक कारणों से ऐसा किया गया था। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति का केन्द्र बीच में होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि वह भीलवाड़ा ही होना चाहिये। लेकिन जो लोग पंचायत समिति के केन्द्र को जाते हैं तो उनको भीलवाड़ा होकर जाना पड़ता है। भीलवाड़ा बीच में पड़ता है। भीलवाड़ा को क्रास करके जाना पड़ता है।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

सभापति महोदय, मैने ये दो तीन सुझाव रखे हैं, इनको मन्त्री महोदय पूर्ण करें।

श्री सभापति : माननीय माधोसिह। (114)

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हरीश कुमार शर्मा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री करतारसिह।

श्री करतारसिह (किशनगढ़) : माननीय सभापति जी, मैंने सामुदायिक विकास और माइन्स के बारे में कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को धन्यवाद है कि वह व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं। सबसे पहले मैं सामुदायिक विकास मन्त्री महोदय का ध्यान इस विभाग के भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वह ध्यान देकर गौर करें। इस विभाग का 'डवलपमेंट' नाम रखा गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका नाम डवलपमेंट नहीं है अपितु डवल पेमेंट विभाग है। जितना खर्च हुआ है उसके हिसाब से सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है। अधिकारी भ्रष्ट हैं। पुरानी सरकार के जो अधिकारी हैं वही सब इस कार्य में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसका उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में तिलोनिया ग्राम है। जिस ग्राम का मैं रहने वाला हूं वर्तमान में वहां समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र नाम से एक संस्था है। जिस आवास में यह केन्द्र है वह आवास सन् 1960 से विकास विभाग का आवास था। वह काफी बड़ा है। उस भवन में 1965 तक ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर चलता रहा राजस्थान में वह सबसे बढ़िया सेन्टर था लेकिन उसे बाद में तोड़ दिया गया। राजनैतिक कारणों से 1965 में ट्रेनिंग सेन्टर हटने के बाद जितनी पाइप लाइन्स वहां लगी हुई थीं और जितनी चद्दरें वहां से उखाड़ी गई, वह न मालूम कहां ले गये। मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो पाइप लाइन्स और चद्दरें थीं उनको ले जाने की क्या जरूरत थी? कुछ समय बाद वहां कोई न कोई विभाग चलाना होगा। लेकिन पता नहीं सामान कहां ले गये। सुनने में आया है कि सवाई माधोपुर ट्रेनिंग सेन्टर में ले गये हैं। लेकिन मैं समझता हूं वह सामान वहां नहीं पहुंचा होगा। आप जांच करें जो 1965 से तिलोनिया में ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर था वहां से कितना सामान निकाला गया, क्यों निकाला गया और वहां पहुंचा या नहीं? बाद में यह आवास सन् 1972 से समाज कार्य अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया को एक रुपया प्रति माह किराये पर दे दिया गया। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की चालबाजी समझी जाए या मिली भगत जिस कारण यह विकास विभाग का आवास समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र को मामूली पैसे में दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि रचनात्मक कार्य नहीं हुआ। समाज कार्य के नाम से यह संस्था धोखा देकर केन्द्रीय सरकार से पैसा ले रही है, राज्य सरकार से पैसा ले

(श्री करतार सिंह)

रही है, तथा विदेशी संस्थाओं से लाखों रुपये ले रही है। लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ केवल भ्रष्टाचार होता है। मेरा निवेदन है कि आप पुनः उस भवन को विकास विभाग को दें। विभाग कोई आफिस खोले या ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेंटर खोले या कृषि संबंधी कार्यक्रम चलायें ताकि वहां किसानों को राहत मिल सके और जो राजकीय सम्पत्ति की दुर्दशा हो रही है, वह नहीं हो सके।

अब मैं स्कूल की मांग पर आता हूं। जो पंचायत समितियों के स्कूल हैं उनकी दुर्दशा हो रही है, वहां पूरी संख्या में अध्यापक मौजूद नहीं हैं। 50–60 बच्चे होते हैं तथा केवल एक अध्यापक पढ़ाने के लिए होता है। अध्यापक शहरी क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। उनकी हर समय इच्छा होती है कि एक दो घंटे पढ़ाकर अपने घर वापस जायं। तो आप जो अध्यापक नियुक्त करें उनके लिए आप आदेश दें कि जो रूरल बेस्ड हों उन्हीं को गांवों में लगायें और उनको अपने गांव के पास नजदीक से नजदीक रखें ताकि वह शीघ्र घर जाने या ट्रांसफर की कोशिश में न लगा रहे।

स्कूल बिल्डिंग के बारे में निवेदन है कि आज स्कूलों की जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनकी रिपेयर्स के साधन नहीं हैं। उनमें फर्नीचर नहीं है। अधिकांशतः स्कूल भवन ही नहीं हैं।

(समय-समाप्त-सूचक घण्टी)

मेरे आठ कटौती प्रस्ताव हैं, थोड़ा समय और दिया जाए।

इसके साथ ही जितने टीचर्स क्वाटर्स आपने बना रखे हैं, उनकी उपयोगिता नहीं है, सब बेकार पड़े हैं। आप जांच करायें कि कितने क्वाटर्स बेकार पड़े हैं?

पंचायत समितियों में जो भ्रष्टाचार है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की पंचायत समिति किशनगढ़ के लिए निवेदन करना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। पंचायत समिति सिलोरा के प्रधान हरिश्चन्द्र शर्मा ने वहां धांधली मचा रखी है। वे पीपलोद नामक ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। उन्होंने कुए के निर्माण के लिए 14 हजार रुपए पंचायत समिति से उठा लिए हैं लेकिन कोई कुआ नहीं खुदवाया है। इसकी शिकायत जिलाधीश को की गई तो पता नहीं उनको कैसे मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ कार्यवाही होने वाली है, उन्होंने पत्थर डाल कर नाम मात्र को काम करना शुरू किया। आप जांच कीजिए, उसने क्यों ऐसा भ्रष्टाचार किया है? ऐसे अधिकारियों को पुलिस कार्यवाही कर के भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडित करवाने हेतु कदम उठाने चाहिए।

इसके अलावा जो शिक्षा कर वसूल करते हैं वह उसी गांव में खर्च करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस समय प्राइमरी स्कूल पर ही पैसा खर्च करने के आदेश हैं। वास्तव में स्थिति यह है कि कई गांव ऐसे हैं जहां मिडिल स्कूल हैं, वहां मिडिल स्कूल पर भी यह धन राशि खर्च की जा सकती है।

सरपंचों के लिए तो आपने अच्छा काम किया कि भ्रष्टाचार के लिए कइयों को हटा

(श्री करतार सिंह)

रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कुछ सरपंच बिना वजह से राजनैतिक कारणों से हटाए गए हैं। उदाहरणार्थ मेरे क्षेत्र के धराई ग्राम पंचायत में श्री रामचन्द्र चौधरी का केस है। उन पर कोई आरोप नहीं है, बिना आरोप के उनको तंग कर रहे हैं। इसलिए आप सोच समझकर कदम उठायें, पूरी जांच करके ही सरपंच को हटायें।

इसके अलावा मेरे पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति मुख्यालय बना रखा है ग्राम सिलोरी में। इससे ग्रामवासियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वहां आवागमन का पर्याप्त साधन नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब पूरी पंचायतों का पुनर्गठन करें तो ध्यान रखें कि किस पंचायत समिति क्षेत्र के सेंट्रल प्लेस में ही पंचायत समिति का मुख्यालय रखें।

इसके अलावा जितने अधिकारी गांवों में जाएं तो आप सरपंचों को आदेश दें कि वे उनका ध्यान रखें तथा उनकी डायरी में रिपोर्ट करें कि वह वहां आया या नहीं। उसके बाद ही उन्हें तनख्वाह दी जाए। वर्तमान में गाड़ियां शहरों में ही घूमती हैं और गांवों में नहीं जाती हैं तथा अधिकारी झूठे टी. ए. बनाते हैं अतः आप यह नियम बनायें कि जब तक सरपंच वेरीफाई नहीं करे तब तक तनख्वाह अधिकारियों को नहीं मिले व उनको महीने में कम से कम 7 दिन अवश्य टूर करनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह यादव।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को शक्तिशाली एवं व्यवहारिक बनाया जाए। मेरा पिछले 18 साल का अनुभव बताता है कि हमारी विकास समितियां विनाश समितियां बनकर रह गई हैं। उन पर जितना धन लगाते हैं वह विकास के काम में नहीं लगाकर, स्टाफ के मेन्टीनेन्स पर खर्च होता है। आज 18 साल बाद देहातों में जाकर सर्वे कराना चाहें तो कहीं ऐसा नजर नहीं आएगा कि गांवों का विकास हुआ हो। इसलिए पंचायत समितियों और जिला परिषदों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। जिस तरह से पहले सिस्टम चला है अगर इन संस्थाओं को उसी तरह से रखें तो उसका कोई फायदा नहीं है, केवल हमारे धन का अपव्यय हो रहा है। मेरा सुझाव है कि पंचायत समितियों को शक्तिशाली बनाया जाए, इसके लिए इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाए उनकी पावर्स ज्यादा की जायं, वे टैक्स लगा सकें और सरकार उनको ज्यादा अनुदान दे। इसी प्रकार पंचायत समितियों के माध्यम से जिला परिषदों का भी इस तरह से गठन किया जाए कि जिला लेविल पर सारे जिले का योजनाबद्ध विकास हो सके। हमने पिछले 20 साल में जितने धन का अपव्यय किया है मगर उनको दफ्तरों के मार्फत केवल दफ्तरों पर खर्च न करते और सरकारी माध्यम से विकास पर खर्च करते तो हमें आज महसूस होता कि हमारे यहां विकास हुआ है। लेकिन इन महकमों और डिपार्टमेंट की धनराशि दफ्तरों के खर्च में व्यय हो गई।

(श्री बहादुर सिंह)

दूसरी बात, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत मन्त्रीजी से जो निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज पंचायत समितियों के अन्दर जो महकमें हैं चाहे ग्राम सेवक का है, चाहे कृषि का महकमा है, चाहे और कोई है वह व्यवहारिक नहीं है। आज, सभापति महोदय, ग्राम सेवक पंचायत समितियों में पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। पेन्शन याफ्ता जिस तरह घर में बैठे रहते हैं उसी तरह से वहां बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति है कि कोई वर्क वहां पर नहीं कर रहे हैं। तो महज पेन्शनर्स की तरह जो रह रहे हैं उनका वहां होना बिलकुल ही व्यवहारिक नहीं है। अगर हम गांवों के अन्दर कृषि का विकास करना चाहते हैं तो हमें इनके सहारे नहीं रहना है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि आपको इन्हें व्यवहारिक बनाना पड़ेगा। एक नया दृष्टिकोण हमें इसे देना होगा। आज, सभापति महोदय, इन ग्राम सेवकों को कृषि के संबंध में कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आज, सभापति महोदय, जितना ज्ञान काश्तकारों को है उतना आपके इन ग्राम सेवकों को नहीं हैं। काश्तकारों को क्या बता सकते हैं ग्राम सेवक ? फलां फसल में क्या बीमारी है इसका तो ग्राम सेवक से पहले उनको पता रहता है। यह ग्राम सेवक कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं, सभापति महोदय, आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन पंचायत समितियों को विनाश समितियां मत बनने दीजिये। आप इन्हें ऐसा बनाइये कि वहां पर व्यवहारिक तौर पर विकास हो सके।

सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा पंचायत मन्त्री जी से कि पंचायत समितियों में, पंचायतों में पिछले 20 साल के दौरान भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। उनमें करोड़ों रुपये के गबन घोटाले हुए हैं। एक एक पंचायत समिति में लाखों रुपये पंचायतों की जमीनों को बेच कर ये सरपंच और पंच लोग हजम कर गये। इनके खिलाफ राज्य सरकार को कई बार लिखा गया, कई बार उन लोगों के खिलाफ में मिसलें बनीं पर, सभापति महोदय, राजनैतिक प्रभाव के दबाव में आकर किसी के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, सुरक्षा कोष का रुपया सुरक्षा कोष में जमा कराने के लिये मेरे ही इलाके की पंचायत समिति में जमा किया गया। उस पैसे को सरपंच ने अपनी जेब में रख लिया और पंचायत समिति के पैसे में से आधा पैसा निकाल कर सुरक्षा कोष में में दे दिया। सभापति महोदय, चन्दा सुरक्षा कोष के नाम से जमा किया और वह पैसा खुद सरपंच ही हजम कर गये। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के कई घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जानी चाहिये और दोषी लोगों के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिये। इसके साथ ही आने वाली पंचायत समितियों और पंचायतों को यह अहसास कराया जाना चाहिये कि अगर सरकार के धन का दुरुपयोग किया जायेगा, गबन घोटाले होंगे तो उनके खिलाफ में कार्यवाही की जायेगी और वह भी नहीं बचेंगे। इससे आने वालों को यह पता रहे कि हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है और हमें ईमानदारी से काम करना है। ऐसा करने पर ही वह ईमानदारी से काम कर सकेंगे। अगर,

(श्री बहादुर सिंह)

सभापति महोदय, पिछली सरकार जैसा ही सिलसिला चलता रहेगा तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार पंचायत समितियों को और जिला परिषदों को आपने भंग किया है उसी तरह इन सबको हमेशा के लिये भंग कर दीजिये इन्हें एबोलिश कर दीजिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

श्री सभापति : श्री रतनलाल वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : सभापति महोदय, पंचायत राज का उद्घाटन हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े ही उत्साह के साथ राजस्थान में नागौर में किया था। उस समय मैं भी वहां पर मौजूद था क्योंकि मैं भी उस समय सरपंच था। सभापति महोदय, मैं हमेशा से ही सरपंच रहा हूं। जब भी चुनाव हुए मैं सरपंच का चुनाव जीत कर सरपंच हुआ और आज भी सरपंच हूं।

श्री मथुरादास माथुर : चुनाव हुए ही कहां हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह पंचायतें, पंचायत समितयां कांग्रेस की दुकानें थीं। सरपंच और प्रधान और प्रमुख जो थे वह कांग्रेस वालों के एजेन्ट की तरह काम करते थे। सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार ने उनको अपना एजेन्ट मात्र बना रखा था, उनका उपयोग सिर्फ चुनावों के वक्त पर कांग्रेस सरकार करती थी। चुनावों के बाद वही सरपंच और प्रधान लोग जयपुर में आकर मन्त्रियों के तलवे चाटते रहते थे। मन्त्रियों के तलवे चाटने के सिवाय कोई काम उनके पास नहीं था। इसका एक कारण यह था, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का जो पंचायत एक्ट है उसमें एक धारा है 17 (4)। इसके अन्तर्गत सरपंच के खिलाफ में राज्य सरकार कोई भी कार्यवाही कर सकती थी उसको सस्पेन्ड कर देती, उसके खिलाफ में पुलिस केस बना देती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कि आपका जो सरपंच है वह कोई एम.ए.,एल.एल.बी. या कोई अकाउन्टेन्ट तो है नहीं जो कि हिसाब किताब का माहिर हो। पंचायत में सेक्रेटरी होता है वह कोई ट्रेण्ड व्यक्ति तो होता नहीं है। ज्यों ही कांग्रेस के मन्त्री जी खिलाफ हुए एक दरखवास्त दी और फोन बी.डी.ओ. साहब के पास गया। उन्होंने तत्काल रिपोर्ट दी कि फलां फलां सरपंच के खिलाफ में इतने रुपये की गबन के मामले हैं, उसके द्वारा धन का दुरुपयोग हुआ है। वहां से वह रिपोर्ट सीधी डी.डी.ओ. के पास जाती। फिर वहां से सीधे मिनिस्टर साहब के पास आती और फौरन सरपंच को सस्पेन्ड किया जाता था। सभापति महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा मैं खुद सरपंच के पद से पांच बार सस्पेन्ड हुआ हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोग मेरे भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं। आप इन्हें रोकें।

(श्री रतनलाल वर्मा)

जब यह बोलते हैं तब मैं बीच में बोलता नहीं हूं। यह मेरे भाषण में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहें तो रिकार्ड उठाकर देख लें, मैं पूरे छः बार सस्पेन्ड हुआ हूं लेकिन पांच ही बार बहाल हुआ। मेरे खिलाफ में इनको एक सुई की नोक जितना भी कोई मामला नहीं मिला। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पंचायत मंत्री महोदय, से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह लोग इस धारा 17(4) के अन्तर्गत एक ग्रामीण इज्जतदार आदमी की, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले आदमी की एक मिनट में इज्जत उतार देते थे। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों में काम करने का ज्यादा उत्साह नहीं रहता है। यह जो धारा 17(4) का गलत उपयोग करते हैं उसको रोका जाना चाहिये। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन है कि कोई सरपंच चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनता पार्टी का हो अगर किसी ने कोई गबन घोटाले किये हों, दो चार हजार रुपये खा गया हो, तो यदि गबन का मामला पकड़ा जावे और सिद्ध हो जावे तो बात अलग है, तब तो आप चाहे उसे जेल भेज दो लेकिन मेरा निवेदन है कि बेजा किसी भी पार्टी के सरपंच के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये। सभापति महोदय, जिस तरह एक कुत्ते के गले में पट्टा डाल देते हैं और वह जन्जीर से बन्धा होता है उसी तरह पंचायत एक्ट की धारा 17(4) डाल कर सरपंचों और पंचों को बान्धे रखते हैं। जिस तरह से यह लोग नचाना चाहते है उस तरह से वह नाचते हैं। जैसे आज कोई डी.डी.ओ., साहब, डिप्टी डी.डी.आर. साहब या विकास अधिकारी जी दौरे पर गये तो सरपंच साहब को फौरन आदेश जाते हैं साहब आये हैं दौरे पर। वह सरपंच उनके खाने-पीने की व्यवस्था करता है। उनके ठहरने का बन्दोबस्त कराता है जैसे वह सरपंच नहीं गांवभां भी हो। मिनिस्टर साहब आते हैं तो सरपंच उनकी सेवा करने में दो सौ चार सौ रुपये का खर्चा करते हैं, उनको रोटी खिलाने का सब इन्तजाम करते हैं। आखिर वह कहां से लावे ? जाते वक्त कह जाते है कि एडजस्ट कर लेना। यह क्या बात हुई कि एडजस्ट कर लेना ? वह कहां से एडजस्ट कर लें ? कोई थोड़ा भी खोला कि तत्काल उसके खिलाफ में जांच की जाती है और कहा जाता है, आपने यह गबन किया है। आखिर वह कहां से पैसे लावे ? सभापति महोदय, इस तरीके की बात कांग्रेस राज्य में थी। वह अब इस जनता राज में खतम होनी चाहिये। जो इस प्रकार से एजडस्ट करने की बात कहे उनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि यह जो प्राइमरी स्कूल्स आपने पंचायतों के नीचे दिये हैं वह तो बहुत अच्छा काम किया। पर जब इनको यह स्कूल दे दिये गये तो सिवाय उन मास्टर्स की तनख्वाह के एक धेला भी पंचायतों को नहीं दिया गया। बच्चों के बैठने के लिए न टाट पट्टी है, न ब्लेक बोर्ड, न भवन है, न कोई और चीज सिर्फ मास्टर लगा दिये गये। कहां बच्चे बैठें कहां पढ़े ? सभापति महोदय, राजस्थान के

Page No 121

(121)

(श्री रतनलाल वर्मा)

अन्दर पंचायत समितियों में सबसे पहले मैंने स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिये, प्राईमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए भवन बनाने, बोर्ड लगाने, कुर्सियों के लिए, और काम के लिये काश्तकारों से सालाना पांच रुपये वसूल किये । सरकार एक पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी तो पंचायत समितियों के लिए राज्य सरकार ने यह आदेश निकाला कि आप इस टैक्स में से एक हजार रुपये से ज्यादा बिना सरकार की मन्जूरी के खर्च नहीं कर सकते प्राईमरी स्कूलों के कार्य के लिये । आप सुनिये, पैसा गांव का है सरकार का पैसा नहीं। पैसा उस गांव के बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए, भवन के वास्ते या और काम के लिए खर्च करना है किन्तु कांग्रेस सरकार ने कहा आप खर्च नहीं कर सकते एक हजार से ज्यादा । इसके साथ ही यह शर्त और लगा दी कि सिर्फ प्राईमरी स्कूल के लिए आप उस पैसे को खर्च कर सकते हैं । पंचायत समितियों को वह पैसा खर्च करने का भी अधिकार नहीं, सभापति महोदय । पांच रुपये साल का टैक्स शिक्षा के लिये कौन दे ? वहां का काश्तकार, जिसके पास खाने पीने के लिये ही पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं, सिवाय लंगोटी के जिसके शरीर पर कुछ नहीं वह गरीब, टैक्स दे । पैसे वाले आदमी ने पैसा दिया नहीं । हमने इस पैसे को प्राईमरी स्कूल के भवन वगैरह के लिये खर्च किया तो राज्य सरकार ने उस पैसे के साथ खिलवाड़ किया, उसने आदेश दिया आप उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते । एक विज्ञप्ति निकाली, आप एक हजार से अधिक खर्च बिना सरकार की मंजूरी के नहीं कर सकते । मैं पंचायत मंत्रीजी को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस विज्ञप्ति को तत्काल समाप्त कीजिये, उस विज्ञप्ति को आग लगा दीजिये । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि साफ आदेश दीजिये, जो पैसा जिस पंचायत में इकट्ठा हुआ है, जितना इकट्ठा हुआ है उसी पंचायत क्षेत्र में प्राईमरी स्कूल है तो उसकी व्यवस्था में, मरम्मत में, टाट-पट्टियों में खर्च हो, स्कूल की शिक्षा के सिवाय वह पैसा खर्च न हो । यदि प्राईमरी स्कूल नहीं है और मिडिल स्कूल है तो मिडिल स्कूल पर खर्च हो, यदि मिडिल स्कूल नहीं है और सैकण्डरी स्कूल है तो वह पैसा सैकण्डरी स्कूल पर खर्च हो । वह पैसा शिक्षा के काम में ही लगे । आप तत्काल यह आदेश निकालिये । अगर नहीं निकालेंगे तो हमको सोचना पड़ेगा, गांव वालों को सोचना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है । उस पैसे को सरकार वहां के स्कूल की बहबूदी के लिये खर्च नहीं करने देगी और इस प्रकार यदि हमारा गला घोंटा जायगा तो, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि हम विधान सभा के सामने धरना देंगे, सरकार के आगे धरना देंगे और आन्दोलन करेंगे। आज तक किसान ने विधान सभा की घेराबन्दी नहीं की है । अब यह सरकार किसानों के लिये नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी ? कांग्रेस ने 30 साल तक राज्य चलाया लेकिन किसान के लिये उसने कुछ नहीं सोचा । उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के राज को बदल दिया । यदि जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा तो बहुत बड़ा कलह हो जावेगा । इस पर विचार करने के बाद आगे कार्य करिये ।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

(श्री रतनलाल वर्मा)

मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं।

सभापति महोदय, आज पंचायतों और पंचायत समितियों को आफिसरों का अड्डा बना दिया गया है। आज आफिसर ही आफिसर पर खर्च हो रहा है, एक धेला भी विकास के नाम पर खर्च नहीं हो रहा। कहीं आग लग जाय तो पंचायत के पास पैसा देने को नहीं। फिर किसी प्रकार राहत देने की व्यवस्था हो ?

थोड़ा समय दें तो मैं अर्ज करूंगा। सदन से निवेदन करूंगा।

कई माननीय सदस्य : लीजिये ! लीजिये !

श्री रतनलाल वर्मा : ग्राम पंचायत में जितने अधिकारी बैठे हैं, पटवारी उसका प्रशासनिक सेक्रेटरी हो, लगान ग्राम पंचायत वसूल करे, रैवेन्यू रिकार्ड ग्राम पंचायत में हो और ग्राम सेवक उसका सेक्रेटरी हो। कृषि का काम ग्राम सेवक करे। हमारे स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं उनके जो प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षा की दृष्टि से वे नोमिनेटेड सदस्य हों और बाकी ग्राम पंचायत के सदस्य बैठ कर बातें करें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करूं कि ग्राम पंचायतों को क्या अधिकार हैं ? पहले न्याय पंचायतों को रख दिया था। पंचायतों को अधिकार है 250 रुपया जुर्माना कर सकते हैं और जुर्माना न दें तो एक महीने की सजा देने का उनको अधिकार है। एक महीने की सजा देने का ग्राम पंचायत को अधिकार है।

पंचायत जो भी उचित समझें वह विकास कार्य करे। मैं सरपंच हूं। मैंने कम से कम 6 महीने तक जनता के सहयोग से दस हजार रुपये की जमीन आदि बेच कर स्कूल भवन बनाया। लेकिन सर्टिफिकेट आज तक नहीं मिला, इसलिये उस भवन में ताला लगा हुआ है। उसमें बच्चे नहीं पढ़ सकते पंचायत समिति में सर्वेअर नहीं, ओवरसीयर नहीं। एक सर्वेअर भी नहीं जबकि पचास हजार की इनकम है। तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि असिस्टेन्ट इन्जीनियर सिंचाई विभाग और असिस्टेंट इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी., डी एस.पी., आदि ये जितने भी अधिकारी हैं सब डिविजन में वे वहां पर रहते हैं वे सब के सब पंचायत समिति हैड-क्वार्टर पर होते हैं। सब डिविजन पर होते हैं एम.एल.ए. इसलिये पंचायत समिति का एक क्षेत्र बनाया जाय। इसके बजट पर फाइनेन्शियल कोई इम्पलीकेशन नहीं होगा। मैं आपको 15 दिन के अन्दर पूरा का पूरा प्लान कम्पलीट करके दे सकता हूं।

श्री सभापति : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं बिलकुल समाप्त कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इनको कोई पोर्टफोलियो दे दें तो अच्छा रहेगा।

श्री रतनलाल वर्मा : आज जिन सरपंचों पर मुकदमे चल रहे हैं उन सरपंच को पूछा तक नहीं। एम.एल.ए. यहां बैठे हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्व की विज्ञप्ति निकली। राज्य मंत्री, राजस्व से निवेदन करूंगा कि राजस्व की विज्ञप्ति को निकले 20 दिन हो गये। आज

(श्री रतनलाल वर्मा)

तक विधायकों को उसकी प्रति क्यों नहीं मिली ? कितनी बड़ी लापरवाही है ? इसको कैसे बर्दाश्त किया जाय ? मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि उस विज्ञप्ति से रुपये में आठ आना भी लाभ मिलने वाला नहीं है। इस सम्बन्ध में······

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अपने विचार राजस्व का विषय आवेगा तब रखूंगा। जो परिपत्र निकाला है, जो विज्ञप्ति जारी की है इसमें जो संकेत किया है, उससे अच्छी विज्ञप्तियां तो कांग्रेस राज्य में भी निकली। लेकिन अधिकारियों ने पालन नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उनका कुछ भी असर नहीं हुआ। यह मैं साबित करने के लिए तैयार हूं। माननीय राजस्व मत्री जी···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल वर्मा : एक मिनट।

माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां हैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। गरीब को मत सताइये। उसकी बददुआ से कांग्रेस 30 वर्ष राज्य करने के बाद उधर जाकर बैठ गयी। इस पर आपने नहीं सोचा, उस पर विचार करके विज्ञप्ति में सुधार नहीं किया और केवल बातों से काम किया तो किसान और गरीब सन्तुष्ट होने वाले नहीं हैं। गरीब अब दबने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि बहुत सोच समझ कर कदम उठायें आप यह बतायें ंचायत के सरपंच, कितने सस्पेन्ड हैं, कितने डी.डी.ओ. सस्पेन्ड हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा उदाहरण के लिए कि पंचायत समिति भिणाय में ऋण का पैसा अनुदान में बांट दिया गया सन् 1962 में विकास मंडल बना कर उनको पैसा दे दिया। आज तक उन अधिकारियों का कुछ नहीं हुआ। आज सरपंच की जांच कौन करेगा ? पंचायत इन्स्पेक्टर। डिप्टी बी.डी. ओ. की कौन जांच करेगा ? एन्टी करप्शन। 30 साल के कांग्रेस के शासन में जनप्रतिनिधियों की कोई वेल्यू नहीं रही। कांग्रेस के राज्य में जन प्रतिनिधि मिट्टी में मिल गये। कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट के पास और अन्य के पास भवन है, कारें हैं। किसने घर नहीं बनाये ? 95 प्रतिशत ने घर बनाए। सब के सब घर बनाने वाले थे। मेरी यह चुनौती और आक्षेप है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों पर गम्भीरता से सोच समझ कर विचार करना चाहिए। यह विधान सभा भवन, सब की सब चीजें राजस्थान की गरीब जनता की धरोहर हैं,····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मेरे पर कृपा करें।

श्री रतनलाल वर्मा : 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह सब किसानों के खून पसीने से बनी हुई हैं। जनता पार्टी ने वायदा किया है कि गरीबों का उत्थान करेगी। यदि उनकी अत्याचारों से रक्षा नहीं होती है तो जनता पार्टी को जीते जी मर जाना चाहिये। जीने का कोई हक नहीं है। अन्तत: सभापति महोदय, इतना ही कह कर स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री रतनलाल वर्मा)

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री मदनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : आदरणीय सभापति जी, मंत्री महोदय और सदन के साथियों, आज मेरे भी मेरे क्षेत्र की संगमरमर की खानों के संबंध में करीब-करीब दस कटौती प्रस्ताव हैं । संगमरमर के बारे में मुझे विशेष नहीं कहना । ताजमहल और उससे पूर्व में बनी इमारतों में संगमरमर की दस्तकारी से हमारे हजारों और लाखों लोगों ने रोजी-रोटी ही नहीं कमाई बल्कि इस देश को बहुत सुन्दर-सुन्दर मन्दिर, मस्जिद और आलीशान इमारतें दीं जिन्होंने हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा किया । उन इमारतों से ताजमहल बहुत ही प्रसिद्ध है । देश को यह मकराना के दस्तकारों की देन है । एक जमाना था जब संगमरमर से लोग दस्तकारी करके अपना पेट पालते थे । यह न तो मुनाफे का कारोबार था और न आमदनी का कारोबार था । केवल एक गुजारे का कारोबार था और उससे कुछ लोग मिलकर अपना पेट भरने की प्रक्रिया करते थे ।

सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संगमरमर एक ऐसी इन्डस्ट्री है जिसमें हजारों लोग लगे हुए हैं और अपना पेट पालते हैं । मकराना के ही नहीं, बल्कि जयपुर के मूर्तिकार, बम्बई और दिल्ली में मशीनों से संगमरमर को घिसने वाले गरीब मजदूर और इसको वेचने में लगे लोग इस कुदरत की दी हुई चीज से अपना पेट पाल रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि बार-बार अखबारों के लिखने के बाद, हिन्दुस्तान के सभी अखबारों ने उसमें चाहे राजस्थान पत्रिका हो, टाइम्स ऑफ इन्डिया हो, राष्ट्रदूत हो सभी ने हाईलाइट करके लिखा है कि मकराना की मारवल की खानों में पानी भर गया । सभापति महोदय, यह वहां के लिए बड़ी दयनीय स्थिति है । इसका कारण क्या है ? इसका एक कारण तो इस इलाके में ज्यादा बारिश का होना है और दूसरा यह है कि माइन्स डिपार्टमेंट की गलती भी है । सभापति महोदय, हमारे यहां पर 5 किलोमीटर में मारबल रेन्ज है । वहां पर इस बात का एहतियात नहीं रखा गया कि कुदरती तौर पर पानी बहने का निकास भी हो । हम अपने मकान को बनाते हैं तो उसमें भी पानी निकलने की जगह रखते हैं । मुझे अफसोस है कि बड़े गलत तरीके से सर्वे किया गया, कहीं भी 5 किलोमीटर में कुदरती तौर पर पानी बहने का रास्ता नहीं रखा गया । यह डिपार्टमेंट से गलती हुई और इसका नतीजा यह हुआ कि जो लो लेवल एरिया था, उसमें पानी जो बारिस का आया, वह फ्लडेड करता हुआ चला गया वहां पर 125 ऐसी खानें हैं जिनमें आज भी 60–60 फीट पानी भरा हुआ है । मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को 25 तारीख को पत्र लिखा था कि आप इस पानी की समस्या का कुछ समाधान निकालें । क्या राज्य सरकार इसके लिए चिन्तित है ? इस समस्या से तीन चार हजार मजदूर तो मकराना के बेकार हो जायेंगे और काफी मजदूर, जो बाहर रोजी रोटी कमा रहे हैं, भी बेकार हो जायेंगे यदि 6 महीने भी इस डिपोजिट को यूज नहीं किया तो । उन्होंने

(श्री अब्दुल अजीज)

जवाब दिया कि राज्य सरकार इसके लिए चिंतित है और अतिशीघ्र इस पर विचार कर रही है। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। इतना जरूर कहूंगा कि विभाग की ओर से इन्जीनियर्स का एक दल गया और उन्होंने इसका मुआयना किया। एक तिवारी साहब सुन्दर सिंह जी के साथ आये और उन्होंने सर्वे किया। उन्होंने राय दी कि अगर 3 डीजल पम्प 30 हार्स पावर के मिल जायें तो हम इस वाटर को बाहर निकालने में कामयाब हो जायेंगे। यदि ऐसा होता है तो मकराना के हजारों लोगों का इससे पेट भर सकेगा और जो लाखों रुपयों की सम्पत्ति लगी हुई और काटेज इन्डस्ट्री है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को भी इससे तकरीबन एक करोड़ की आय होती है। अगर इस समय यह सोचा जाये कि वहां कोई इसके लिए आन्दोलन नहीं हो रहा है या कहीं आवाज नहीं उठ रही है तो मैंने उनको शांत रहने के लिए दरख्वास्त की है और लोगों ने मेरी इस दरख्वास्त को माना है।

इस सरकार की तरफ से वहां के लोगों को दो चीजें मिली हैं। एक तो कुदरत की तरफ से पानी का आना और दूसरे 10 पर्सेन्ट का टैक्स लगाना। यह पहला जनता सरकार की तरफ से इनाम है और इसका असर तमाम खरीददारों पर पड़ेगा जो कि भारत में संगमरमर को खरीद रहे हैं। पानी की इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। इसके अलावा इसके विकास के लिये एक अर्ज करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में मार्बल की छोटी-छोटी कम से कम 500 माइन्स हैं अपने हिसाब से मजदूर और उसका परिवार कुछ और मजदूर, कैजुअल लेबर लगा लेते हैं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत बड़ी समस्या है इसलिए बोलने की इजाजत दें।

मैं अर्ज कर रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ, छोटी छोटी माइन्स देकर पिछली सरकार ने मिडिल क्लास को पनपाया और लोग खुशहाल हुए। आज के 30 वर्ष पहले जो कारोबार करते थे उनके घर नीलाम होते थे। पहले मारबल सिर्फ मन्दिर, मस्जिद और आलीशान बिल्डिंग में लगता था लेकिन आज हर आदमी अपनी बिल्डिंग को मारबल से सजाना चाहता है और मारबल का इस्तेमाल कर रहा है। उससे यह हुआ कि यह कुछ प्राफिटेबल बिजनेस हुआ। सरकार को भी आय मिली और यह अच्छा तरीका रहा। हमारे यहां कुछ माइन्स 1300 फीट लम्बी हैं और काफी लम्बे अर्से की लीज पर हैं। एक अमीर आदमी को ही लम्बी लीज देते हैं तो वह 50 फीट में भी अपना काम नहीं कर सकता, कुदरत की दी हुई इतनी कीमती चीज को वह एक्सकेवेट नहीं कर सकता और वह चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। यदि एक ही आदमी इस तरीके से अमीर बने तो यह उचित नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं दरख्वास्त करूंगा कि छोटी माइन्स देना ही बिलकुल न्यायोचित होगा। इसलिए जिनके पास लम्बी माइन्स हैं उनमें आप कटौती कीजिए। वह आज बेकार पड़ी हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता है इसलिए फौरन उनके बारे में राज्य सरकार गौर करे। खनिज विभाग के वरिष्ठ इन्जी-

(श्री अब्दुल अजीज)
नियर्स को चाहिए कि उसमें दखल करते हुए लम्बी लीज को कम करें और छोटे-छोटे लोगों को लीज दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरी वहां की समस्या है कि माइन्स के दोनों तरफ बहुत जबरदस्त मलवा पड़ा हुआ है और वह लाखों टन है सांभर लेक का जब मामला आया, उसमें पानी भरा और रेल्वे बोर्ड वालों ने उसका लेवल ऊंचा उठाना चाहा तो मैंने सुझाव दिया था, और मैंने सचेत किया था कि बहुत अच्छा हो यदि यह मलबा जो खानों के दोनों तरफ लाखों टन पड़ा है इसको रेल्वे बोर्ड इस लाइन को ऊंचा उठाने में काम में लें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो वहां का मलबा उठ जायेगा और काम में भी आ जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी रेल्वे लाइन से सांभर होते हुए जोधपुर के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कोई सुझाव दिया जाता है और उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता तो उससे नुकसान होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहता हूं कि आप वहां पर कोई न कोई एक्सपेरीमेन्टल माइन्स खोद कर बतायें। मैं चेलेंज करता हूं कि आप एक भी एक्सपेरीमेन्टल माइन्स बतायें जिसे इस प्रकार से काटा हो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने इन्जीनियर्स और वरिष्ठ एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से उसको एक्सकेवेट करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : नेक्स्ट। श्री रघुवीर सिंह।

श्री अब्दुल अजीज : दो तीन पाइन्ट्स बड़े अहम हैं अगर आप इजाजत देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।

राज्य सरकार ने इस बार बड़ा अच्छा किया कि लाखों रुपया माइन्स के डवलपमेन्ट में सड़कों के लिए योगदान देने की बात कही है। वहां जो सड़कें बनीं उनकी आज तक मरम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां-जहां नई खानें हैं उनको भी खोलें। उनको खोलने का मैं अनुरोध भी करता हूं क्योंकि अभी दो तीन साल से नयी खानें देने का काम बन्द है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री अब्दुल अजीज : नयी खानें देने के साथ ही साथ उनको रोड से भी जोड़ा जाये।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री फतहसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल !

(अनुपस्थित)

श्री बत्ती लाल !

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज की स्थापना विकेन्द्रीकरण की भावना से प्रेरित होकर की गई थी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय।

मांग संख्या 40 व 43 पर विचार

श्री बत्तीलाल : कुछ समय पहले हम अनुमान करते थे कि अब कभी पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे लेकिन मातृभूमि पर बलिदान होने वालों की वजह से हमें फिर से इस विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वर्षों तक कांग्रेस सरकार केन्द्रीकरण करती रही है। माननीय सभापति जी, इस सत्ता के केन्द्रीकरण से हमारी पंचायत समिति नादोती अपंग बन कर रह गई। इसका मुख्यालय बामनवास है। जबसे पंचायत समिति बनी तब से आज तक वहां का प्रधान नहीं बदला। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा और जनता की ओर से मांग करूंगा कि बामनवास को अलग पंचायत समिति बनाया जाय या हमारा मुख्यालय नादोती में रखा जाये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेरी पुर जोर मांग को नोट करें। उस एरिया के जो गरीब लोग हैं उनके विकास के लिए सरकार क्या सोच रही है? जिनका कांग्रेस ने हमेशा शोषण किया, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? जितनी भी धनराशि दी गई वह नादोती क्षेत्र में नहीं लगाई गई। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी की सरकार आई है, उसे अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो या तो अलग से पंचायत समिति बना दीजिये या नादोती पर मुख्यालय रखिये। इतना लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, 45–46 पंचायतें हैं। सरकार की नीति है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार हो। वहां पर अनेक स्कूलें हैं किन्तु आवागमन के साधनों के अभाव के कारण वहां कोई पहुंच नहीं सकता। वहां के टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के स्थान पर अपने घर के कामों में लिप्त रखते हैं। जनता की मांग है कि मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें। आज जो भारत को यह पुनः नई आजादी मिली है इस आजादी से हमारे क्षेत्र को लाभान्वित करें।

मेरे कुछ माइन्स पर भी कटौती प्रस्ताव हैं। टोडाभीम तहसील में जो खानें हैं वहां पर बरसात के दिनों में कोई कार्य नहीं होता है क्योंकि आवागमन के साधन नहीं हैं और बरसात में वहां लोग आ जा नहीं सकते। इससे जो सैंकड़ों लोग रोजगार प्राप्त करते हैं वे बेरोजगार बन कर रह जाते हैं और गरीबी की ओर अग्रसर हो जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां के लोगों के विकास के लिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि उन खानों पर 12 मास काम चलता रहे इसके लिए वहां नादोती से भगवान सड़क लिंक कर दी जाये।

(श्री बत्तीराम)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों को शिक्षा का संचालन सौंपा हुआ है। उसका अच्छा संचालन नहीं हो सकता है। इससे वहां के नागरिकों की नींव इतनी कमजोर हो जायेगी कि आगे जाकर सैकेण्डरी और हायर-सैकेण्डरी में 50 प्रतिशत रिजल्ट रह जायगा। इसलिए जनता सरकार प्राथमिक शालाओं का संचालन इंसपेक्टर आफ स्कूल्स को दे, न कि पंचायत समितियों को।

मैं आपके माध्यम से और भी अनेक मांगें रखता हूं। उनमें खास हैं पंचायतों का पुनर्गठन किया जाय। जो पचायतें लम्बी चौड़ी हैं उनको छोटा किया जाये। कई ऐसी समस्यायें हैं। पुनर्गठन के लिए सरकार जोर दे और इस विषय पर आज ही आश्वस्त करें।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती सुमित्रासिंह !

(अनुपस्थित)

श्री माणकलाल (नैनवा) : सभापति महोदय, आधा मिनट देरी हो गई।

श्री सभापति : मेरा दोष नहीं है।

श्री माणकलाल : नेचर का दोष है, आधा मिनट लेट हो गया।

श्री सभापति : आखिर में समय रहा तो आपका नाम बोलूंगा।

श्री माणक लाल : तीन मिनट में खत्म करता हूं।

श्री सभापति : आपका सबके बाद में। जो माननीय सदस्य बैठे हैं, सदन की गरिमा को बढा रहे हैं, जो सदन के संचालन में सहयोग दे रहे हैं उनका हक मार कर आपको समय नहीं दे सकता।

नेक्स्ट ! माननीय श्री रामकृष्णदास।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री लालशंकर।

माननीय श्री दिग्विजय सिंह !

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नरेन्द्रपालसिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मथुरादास माथुर !

श्री लालशंकर (सागवाड़ा) मैं हूं।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी के सिद्धान्त को लेकर हमारे ग्रामीणों के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर में हमारे लोकतन्त्र के विकास के लिए पंचायती राज का उद्घाटन किया था किन्तु उसके बाद में ग्रामों की ओर, जहां 80 प्रतिशत जनता रहती है पिछली सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पंचायतों से कांग्रेस पार्टी ने केवल अपने प्रचार विभाग

(श्री लाल शंकर)

का कार्य कराकर भ्रष्टाचार बढ़ा रखा था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी पिछली सरकार ने अनियमिततायें की हैं उनकी पूरी जांच करें और आगे पंचायतों का पुनर्गठन होना चाहिए। पंचायतों के लिए भवन का निर्माण भी होना चाहिए। पंचायतों के पास क्वार्टर नहीं हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी विकास की योजना बने इसका रूप ठोस हो। इससे ग्रामीणों की, देहातों में जनता की बेरोजगारी मिटेगी और नौकरियां सुलभ हो सकेंगी। पंचायतें मजबूत हों, गांव के छोटे-मोटे झगड़ों का पंचायत में निपटारा कर लें ताकि आगे बड़ी कोर्ट में न जाना पड़े। महात्मा गांधी जी व लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो आकांक्षायें थीं जनता सरकार उन्हें पूरा करे।

मैं निवेदन करूंगा कि मेरा माइन्स की मांग पर भी कटौती प्रस्ताव है। छोटी-छोटी खानें व माइन्स हैं, पट्टियां काटना, ग्रेवल बनाना ये ग्रामीण आदिवासियों का धन्धा है। वहां रोड्स बननी चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए ताकि किसानों की रोटी-रोजी की व्यवस्था हो सके इसके। अलावा गरीब आदिवासियों के लिये मकान बनाये जाने चाहिए। वे लोग पट्टियां निकालते हैं, ग्रेवल हाथ से तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि पिछली सरकार ने जो रायल्टी लगाई है वह माफ करनी चाहिए ताकि पिछड़े जिले डूंगरपुर में खुशहाली आये। माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस ओर शीघ्र ही ध्यान दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : सभापति महोदय, मेरा एक ही कट मोशन है वह है पंचायत राज पर गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट पर · · ·

श्री सभापति : आपका कटौती प्रस्ताव बहुत व्यापक है।

श्री मथुरादास माथुर : श्रीमन्, हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 राज्य सरकार पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह अपने राज्य में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट पंचायतों को ताकतवर बनाये और कायम करे। इस सिस्टम को इन्ट्रोड्यूज हुए काफी अर्सा गुजर गया मगर आज भी हम उन पर पंचायतों को सशक्त नहीं बना सके। अच्छा होता धारा 40 डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के चेप्टर में न होकर संविधान के दूसरे चेप्टर में होती तो एनफोर्सेबल होती। लेकिन हमने पंचायती राज कायम किया और सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान ने इसका श्रेय लिया। हमने थ्री टायर सिस्टम कायम किया और उसके अनुसार पंचायतें कायम कीं और जिला परिषदें कायम कीं। लेकिन श्रीमान्, पंचायतों पर तवज्जह कम दी गई। मैं हमेशा कहता आया हूं कि पंचायतें एक डिगनिफाइड आर्डर्ली इन्स्टीट्यूशन बनाई जावें लेकिन संविधान के आर्टिकल 40 के अन्दर जो जजबात हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाये। श्रीमन्, मेरा पहला सुझाव मंत्री महोदय को यह है कि पंचायती राज को पॉलिटिक्स से दूर रखें। मुख्तलिफ नेताओं

(श्री मथुरादास माथुर)

को और मुख्तलिफ आदमियों की इसको फुटबाल न बनायें। अब आपकी सरकार बनी है इसलिए पंचायतों का पेटर्न अलग होना चाहिए, आपकी सरकार चली जाय और हमारी आ जाय तो कोई और तब्दीली आ जाय, श्रीमन्, ऐसा कभी नहीं होता इसलिए आपको बदलना लाजमी हो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायती राज में सबसे बड़ी बात निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज सक्षम और मजबूत बने हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। आपकी सरकार दिल्ली में भी है। हमने भी प्रस्ताव पास किया है संविधान के आर्टिकल के अन्तर्गत ये पंचायत बनें, पंचायत राज सिस्टम बने तो न यह आपके हाथ में रहेंगी और न मेरे। कल मैं उधर था और आज इधर आ गया हूं, आज आप उधर हैं कल इधर आ सकते हो और हम कल इधर से उधर भी जा सकते हैं, और मुमकिन है और कोई भी उधर आ सकता है इसलिये पंचायती राज के साथ इस प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिये।

Panchayat Raj should find a place in the Constitution of India.

हमारे संविधान में उसकी जगह होनी चाहिये। आज संविधान में दो लिस्ट हैं, एक कानकरेन्ट लिस्ट और दूसरी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं और कनकरेन्ट लिस्ट में समवर्ती सब्जेक्ट होते हैं। एक तीसरी लिस्ट होती है वह होती है यूनियन लिस्ट जिसमें केन्द्र की सरकार से ही सम्बन्धित सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन हमारे संविधान में लोकल सेल्फ का कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संविधान में स्थान दिलवाइये। उसके सब्जेक्ट को भी इस संविधान की सूची में जुड़वा दें।

कभी पावर्स खींच लेते हैं, कभी पावर्स दे देते हैं और कभी क्या कर देते हैं कभी क्या लेते हैं, कभी बदनाम करते हैं बी. डी. ओ. को और कभी पंचायत को पैरेलाइज कर देते हैं। अगर इसी प्रकार पंचायतों में पैरेलाइजिंग स्थिति रही तो पंचायत राज कभी सफल नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज तक पंचायती राज लड़खड़ाता रहा है चौराहे पर। आपकी हुकूमत बन गई इस लिये नहीं लड़खड़ा रहा है, आपसे पहले ही लड़खड़ा रहा है। हमारे हिन्दुस्तान में मंत्री बदल जाते है तो देश भी बदल जाता है, यह नहीं होना चाहिये। श्रीमान् डे साहब ने कम्युनिटी डवलपमेंट स्कीम इन्ट्रोड्यूज की और पंचायत राज खड़ा किया लेकिन दूसरे मंत्री आये तो उन्होंने पंचायत राज को खत्म कर दिया। आज पंचायत राज दो बीमारियों से तड़प रहा है--एक बीमारी तो यह कि इसको 12–14 साल हो गये लेकिन चुनाव नहीं हुये और इसके पोंड में फ्रेश वाटर नहीं आया। श्रीमन्, जिस पोंड में फ्रेश वाटर नहीं आता है उसका पानी सड़ जाता है। इसलिये इस पंचायती राज में लोगों की दिलचस्पी खतम हो गई। कई मर गये, किसी को हमने निकाल दिया, किसी को आपने निकाल दिया, आप भी कम नहीं रहे। ये तो अब मरे हुये लोग हैं, यह संस्था ही खतम है। अब आप इसमें से किसी को निकालो या मत निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक तो बीमारी यह थी और दूसरी बीमारी यह है कि पंचायतों के पास वर्क्स आपरेशन के लिये फन्डस नहीं हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

पंचायती राज फेल इसलिये हो गये, ट्रान्सफर आफ फन्ड कर जो दूसरे फन्ड हैं उन्होंने उनके मार्फत खर्च करना शुरू किया

Panchayat Raj system became dependent on the plan development यह नारा लगा दिया। अब आपको यह तय करना पड़ेगा और कुछ प्रिन्सिपल्स तय करने पड़ेंगे कि पंचायत राज विकास का एक औजार बने, पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इन्स्टीट्यूशन बने। आपके पास पैसा हो, फन्ड हो वह चलो हो पंचायत राज के मार्फत और उसे खर्च करें। यह नहीं हुआ, इसका नतीजा यह हुआ कि पंचायतें ढीली पड़ गईं। आज गांवों में पंचायतों के जरिये काम करना है उसमें योजनाबद्ध विकास शब्द इस्तेमाल होते हैं। उनसे लोगों को एलर्जी हो गई।

मेरा पहला निवेदन है पंचायती राज को संविधान के अन्तर्गत लाने की कोशिश करें..

(5.06 म.प.)

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री सभापति, पदासीन)

अगर आप हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम भी सहयोग इसमें करेंगे। जो दूसरा निवेदन है वह यह है कि इसका करेक्टर क्या रहे

(व्यवधान)

मैं चालू रखूं।

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन का बेस रहे या श्रम या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बेस रहे? पहले तो इसकी ट्रेनिंग दें कि हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है एग्रीकल्चर का या क्या करना है। मैं समझता हूं गांव वाले ज्यादा जानते हैं लेकिन इसको तय करना पड़ेगा। अभी They are the apparatus for the participation of the people in the development यह नारा दिया जा रहा है। अब इसको बनायें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इन्स्टीट्यूशन तो इसके लिये फन्ड भी आ जाय, कोआपरेटिव का पैसा आ जाय, रूल्स बन जायं। तो इसको वैसा रूप देना होगा। कम्युनिटी डवलपमेंट फन्ड से पैसा मिलता है वह दे देते हैं लेकिन पंचायतें खाली पड़ी हैं और जिला परिषद् तो बूढ़ी संस्था है। यह तो मरने लायक है। इसलिये इस प्रिन्सिपल को तय करना पड़ेगा कि करेक्टर क्या हो? दूसरा प्रिन्सिपल यह तय करना पड़ेगा कि आप कितने टायर सिस्टम रखना चाहते हैं–टू टायर सिस्टम या थ्री टायर सिस्टम। कुछ स्टेट्स में टू टायर सिस्टम चल रहा है और कुछ स्टेट्स में थ्री टायर सिस्टम चल रहा है। मगर टू-टायर सिस्टम में ऐसा भी है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् हों, पंचायतें नहीं हों। वह तो नहीं कर सकते–पंचायतें तो रहेंगी। अब सवाल यह है कि पंचायत समिति रखें या जिला परिषद् रखें। मेरा निवेदन है पंचायतों के प्रति एक कन्सट्रक्टिव सेंस डवलप हो गया जैसे किसी गांव वाले को किसी काम से डीडवाना जाना पड़े या जयपुर जाना पड़े तो वह जयपुर ज्यादा पसन्द करेगा इसलिये कि जयपुर ज्यादा नजदीक है और वहां अन्य काम भी किये जा सकते हैं। अब जिला परिषद् का क्या रोल है। गिरधारीलाल जी ने जिला परिषदों को खुदा बनाने की कोशिश की है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इसका पर्पज क्या है? जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज बनी हुई हैं तो इस प्लानिंग में उसका क्या

(श्री मथुरादास माथुर)

रोल होगा ? इस समय ज्यादा गहराई में जाने का समय नहीं है। मेरा यह निवेदन है जिला परिषद् बना कर रखी है उसमें एम. पीज. भी हैं और भी लोग बैठते हैं। उसके पास फन्डामेन्टल पावर्स नहीं हैं। उसका डाइरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। इसलिये पंचायतों को खूब मजबूत कीजिये। अब सवाल यह है कि पंचायतों का एरिया और पापूलेशन क्या हो ? राजस्थान में निर्धारित पापूलेशन के आधार पर सेंट पर्सेन्ट पंचायत नहीं हो सकती। दोनों बातों पर ही सेंट पर्सेन्ट पंचायत नहीं हो सकती हैं। इसलिये एक कमीशन मुकर्रर कर दीजिये जो यह तय करे कि हमारे यहां कितनी पंचायतें हों उस कमीशन को यह बता दीजिये कि पंचायत की इतनी पापूलेशन होनी चाहिये। जैसलमेर में पापूलेशन नहीं है मगर एरिया बहुत बड़ा है। 10–10 मील पर पंचायत के हैडक्वार्टर्स नहीं हैं तो वह किस काम में आने वाला है। इसलिए दोनों को समझ कर राजस्थान की सक्सेज को, राजस्थान की सिचुएशन को, इसके करेक्टर को देखते हुए इस बात का फैसला करिये। आज राजस्थान में सात हजार और कुछ पंचायतें हैं। वे इकोनोमिकली वायबल नहीं हैं। वे पैसा नहीं ला सकतीं, गांव में टैक्स लगा नहीं सकतीं। यह मान कर चलिये कि टैक्सेसिंग पावर्स पंचायतों के पास हो नहीं सकती हैं। वे गांव में टैक्स लगाकर अपने रिसोर्सेज क्रियेट कर नहीं सकती। इसके लिए भी जरूरी है, आप सोचिये कि पंचायतों की पावर्स क्या हों, उनके रिसोर्सेज के साधन क्या हों ? यह बहुत जरूरी है। आज गांव के अन्दर चार विलेज आफिसर्स हैं। एक तो है पटवारी। हमें आज यह फैसला करना पड़ेगा कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन पैरेलल चल रहा है। उसमें से किसको रखना है। आपका विलेज लेवल वर्कर है और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पटवारी है। अब आगे चलिये। आपका बी. डी. ओ. है और रेवेन्यू का तहसीलदार है, आपका प्रधान है और रेवेन्यू का एस. डी. ओ. है। अब और आगे चलिये, जिला परिषद् के लेवल पर आपका एक डवलपमेंट आफिसर है और रेवेन्यू का कलेक्टर है। यह जो दो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहे हैं उनके बारे में आपको फैसला करना पड़ेगा। आज लैंड रेवेन्यू कितना है, कुल 9 करोड़ का लैंड रेवेन्यू और इसके लिए कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन। इसके मुकाबले में सेल्स टैक्स देता है चालीस-पचास करोड़ रुपया और एक्साइज से आता है 30-40 करोड़ रुपया और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना है। 9 करोड़ की इन्कम करने के लिए यह राजस्थान का सबसे बड़ा महकमा है जो स्टेट को इन्कम कम देता है और फिर नीचे से पटवारी से लगा कर रेवेन्यू बोर्ड तक का एडमिनिस्ट्रेशन है। जिसकी 54–55 पर्सेन्ट आमदनी हो और 45–46 पर्सेन्ट खर्चा होता हो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं नहीं सुना होगा। इस सारे काम को आप पंचायती राज को दे दें वह अपने आप कर लेंगे कलेक्शन। 9 करोड़ की आमदनी और फिर जब फेमिन होता है तो 7–8 करोड़ का रेमिशन देते हैं। आप इसको पंचायती राज को दे दें, वे अपने आप रख लेंगे रेकार्ड और जो भी लिटिगेशन होगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से लड़ लेंगे अपने मुकदमे। आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से पटवारी को हटा नहीं सकते, पटवारी

(श्री मथुरादास माथुर)

ब्यूरोक्रेसी का बेस है। इसके लिए, श्रीमन् एक कमेटी बनी थी जिसमें मेरे जैसा सीनियर आदमी भी था और लेट दामोदरलाल व्यास और सांवलदान जी उज्जवल भी उनमें थे। हम सारे हिन्दुस्तान में घूम कर आये थे, मगर इस पटवारी को नहीं हिला सके। जिस पटवारी से बड़े बड़े दिग्गज लेट भगवतसिंह मेहता बड़े दुःखी थे लेकिन वे भी उसको नहीं हिला सके। पटवारी हट गया तो राजस्थान की धरती जमीन में चली जायेगी। इस पटवारी को आप नहीं हटा सकते और विलेज लेवल वर्कर को भी आप नहीं हटा सकते, दोनों के बीच में टकराव होगा। पंचायतें बनाते हैं तो आपको सेक्रेटरी भी बनाना पड़ेगा। मुझे आप सरपंच बना देंगे गांव का, जिसकी पांच सात हजार की आबादी है, जिसकी कुछ इन्कम है तो उसके लिए सचिव भी चाहियेगा। मुझे सरपंच बना दिया तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूं, मेरा अपना धन्धा है, खेती करता हूं। तो पंचायत के काम के लिये एक सेक्रेटरी भी देना पड़ेगा और दूसरी तरफ सहकारी समितियों के लिए भी एक सेक्रेटरी देना पड़ेगा। सहकारी समिति का सेक्रेटरी, पंचायत का सेक्रेटरी पटवारीजी अलग बैठे हैं, पटवारी को आप हटा नहीं सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आप लैंड रेवेन्यू को ट्रांसफर कर दीजिये पंचायतों को, वे अपने आप वसूली कर लेंगी लैंड रेवेन्यू की। म्यूटेशन भी वही लोग कर लेंगे पंचायत लेवल पर, आपके पास आने की जरूरत नही रहेगी। यह बोर्ड आफ रेवेन्यू से लगा कर फर्स्ट अपीलेट अथोरिटी और यह कलेक्टर फार रेवेन्यू है। मैं पूछता हूं कि कितना काम है आज कलेक्टर के पास रेवेन्यू का? उसके मुकाबले में एक्साइज और सेल्स टैक्स की कितनी रेवेन्यू कलेक्शन है और कितना उनका एडमिनिस्ट्रेशन है। आज आपको आधुनिक पंचायती राज का निर्माण करना है या उस पुराने लार्ड विलियम बेंटिंग और डलहोजी के टाइम से चले आ रहे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है? इन दो में से एक को चूज करें। जो कुछ करना है करें फर्म डिसिजन के साथ करिये। अब यह भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार के पंचायती राज को कायम करना चाहते हैं पुराने जमाने में रियासतों के समय में भी पंचायतें हुआ करती थीं। अब आपको उसी पुराने ढर्रे को चलाना है या नयी सोसायटी का निर्माण करना है जो समाज की सेवा कर सके। डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन करने के लिए अगर पंचायतों की स्थापना करनी है तो हिम्मत से आगे बढ़िये और दोनों में से फैसला कर लीजिए। तो ये मेरे तीन-चार स्पेसिफिक सुझाव हैं। फण्डामेंटली पहला संविधान में समावेश करना पड़ेगा। दूसरा आप रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं या पंचायती राज चलाना चाहते हैं। इन दोनों के बीच में से फैसला करना पड़ेगा दोनों पेरेलल नहीं चल सकते हैं। दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और कोई काम नहीं कर सकेंगे। तीसरा यह कि टू-टायर सिस्टम रखना चाहते हैं या थ्री-टायर सिस्टम रखना चाहते हैं? चौथा फैसला यह कर दीजिए कि हमारे यहां पर अब कोई कमेटी नहीं बनेगी। सबसे पहले बलवन्तराय मेहता कमेटी बनी जिसने पंचायती राज को जन्म दिया। मैं भी इस कमेटी का मेम्बर था, मैं इनके बारे में जब बात करता हूं तो

(श्री मथुरादास माथुर)

पिछले बीस-तीस साल का इतिहास मेरे सामने घूमता है। उसके बाद सादिक अली कमेटी बनी, उसके बाद नायक कमेटी बनी, फिर भण्डारी कमेटी बनी और इसके बाद यह गिरधारीलाल व्यास कमेटी। ये पांच कमेटियां बन चुकी हैं। इस गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट था तो मैंने अभी दो-तीन दिन पहले ही पढ़ा है....

श्री **नवनीत पालीवाल** : बाकी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी ?

श्री मथुरादास माथुर : रिपोर्ट तो कई पढ़ता हूं लेकिन इस रिपोर्ट को मैं नहीं पढ़ सका था क्योंकि मैं राजस्थान से बाहर था। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस रिपोर्ट से मेरा फण्डामेंटल मतभेद है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे रिपोर्ट लिखने वाले कितने ही काबिल व्यक्ति रहे हों इसमें मैं उनका साथ नहीं दे सकता उन्होंने इस रिपोर्ट में पंचायती राज का सत्यानाश करने की कोशिश की है। इस रिपोर्ट से जिला परिषदों को खुदा बनाने का प्रयास किया गया है। इस सम्बन्ध में अभी मैं और अधिक विस्तार में नहीं कहता क्योंकि समय नहीं है। लेकिन आपको यह जरूर कहता हूं कि अब और कमेटी मत बनाइये। आप तो सदन में आ जाइये सीधे केबिनेट डिसिजन को लेकर। कमेटी पैदा करने वाले तो हम खुद मौजूद हैं, आपको सलाह देंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पचायती राज ठीक हो। हम इसमें कोई पोलिटिक्स नहीं लाना चाहते। आप अपनी केबिनेट में बैठकर अपने पंचायती राज सिस्टम के बारे में फैसला कर लें। मोरारजी भाई से लगा कर जयप्रकाश नारायण तक, क्योंकि जयप्रकाश नारायण भी अध्यक्ष थे पंचायती राज कमेटी बनी थी उसके, तो उनसे लगा कर आज तक जो भी फैसला करना है कैबिनेट में बैठ कर फैसला कर लें और सीधे सदन में चले आयें और एक दफा पूरी बहस हो जाय। आपकी थिंकिंग क्या हो, आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो इसका फैसला हो जाय। उसके बाद छोटी मोटी पावर्स की बातें तो जब कानून बनेगा यह सब हो जायगा पहले बेसिक प्रिंसिपल तब तय कर लेंगे। इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है कि कानून कैसे बनेगा। तय हो जाय। इसलिये मैं आपको कहता हूं कि अब और कमेटी मत बनाओ और सीधे सदन में आ जाओ। यहां पर एक दिन भर पूरी बहस हो जाय ...

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : दो दिन हो।

श्री मथुरादास माथुर : बहस होने के बाद आप नतीजे पर पहुंचें और नतीजे पर पहुंच कर फैसला कर लें अंतिम रूप से, फिर कानून बना दें। इस कानून को बनाने में हम सहयोग देंगे। हम चाहते हैं कि पंचायती राज सशक्त हो, हर पांच साल में एक कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं पड़े। इस पंचायती राज की यह हालत नहीं चाहते। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन करने के लिए पंचायती राज को ग्रास रूट तक ले जाना पड़ेगा और गांव वालों को सबसे ज्यादा मजबूत और सशक्त करने के लिए आपको ग्राम सभा को मजबूत बनाना पड़ेगा। आज

(श्री मथुरादास माथुर)
तक ग्राम सभा को नेग्लेक्ट कर दिया। पांच छः आदमी हो गए और ग्राम सभा को कोई पूछता तक नहीं। ग्राम सभा पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आज अगर आपके साथ में ग्राम सभा हो तो आप किसी प्रोग्राम को, किसी परीक्षण को एक्जीक्यूट कर सकते हैं। समय की कमी है इसलिए बहुत सारी बातें नहीं रख सकता। इसलिए मैंने आज आपके सामने इसके स्ट्रक्चरल, कांस्टीट्यूशनल ग्रास्पेक्ट पर अपनी बात कही है। फिर आपसे कहता हूं कि पंचायती राज में जिन्दगी डालने के लिए पहले डिसीजन कर लें, बाद में इसकी पावर्स, इसके रिसोर्सेज के बारे में चर्चा कर लेंगे कौन से टैक्सेज होंगे, कहां से पैसा आएगा। अपने कटमोशन के जरिये मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि पंचायती राज के साथ आज जो खिलवाड़ हो रहा है, जिस चौराहे पर पंचायती राज खड़ा है इसकी अगर परवाह नहीं की तो पंचायती राज इस चौराहे से आगे नहीं बढ़ सकेगा बल्कि पीछे चला जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि आप स्वयं तो फैसला कर नहीं सकते, आपके मुख्य मंत्री को फैसला लेना पड़ेगा। मुख्य मंत्री को यहां पर बड़े-बड़े फैसले करने होंगे, कई फैसले करने पड़ते हैं उनको, सरकार को बदलना, एक्सटेंशन, रिडक्शन कई फैसले करने पड़ते हैं। बड़े इम्पोर्टेन्ट काम हैं उनके पास। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप उनसे बात कर लें और बात करके फैसला करके फिर यहां आयें। फिर पंचायती राज के इलेक्शन करायें। मुझे पंचायती राज इलेक्शन की भी कोई जल्दी नहीं है लेकिन यह नहीं हो कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे उस नाते इधर-उधर घुमा कर डायरेक्ट इलेक्शन करायें या इन्डायरेक्ट इलेक्शन करा लें, सरपंचों को बुला लें, पंचों को नहीं पूछें। तो यह जो इस तरह की टी. बी. की बीमारी है और उससे सर दर्द है तो बाम लगाने से हैडक नहीं मिटेगा, जब तक कि तपेदिक के कीटाणु नहीं मरेंगे। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पंचायती राज के इलेक्शन जब भी करायें मुकम्मल करायें। फरवरी में करा लें, मार्च में करवा लें, अप्रेल में करा लें, कोई जल्दी नहीं है। इलेक्शन जल्दी नहीं कराये तो कोई इन्कलाब नहीं होने वाला है, कोई जमीन आसमान एक नहीं होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि आप इस बारे में बहुत सोच समझ कर निर्णय करेंगे जिससे पंचायती राज से गांवों को फायदा हो और दुनिया में सर उठा कर कह सकें कि हिन्दुस्तान जिस रियासत में विलीव करता है उससे आगे चलता है। इससे पंचायती राज जो आज चौराहे पर खड़ा है वह आगे बढ़ सकेगा।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह नदेरा।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

एक माननीय सदस्य : विजयसिंह जी बोल रहे हैं।

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) : माननीय सभापति जी, आज यह स्थिति पंचायती राज की पैदा हो गई है कि 13 साल से चुनाव नहीं हुए। इसके पूर्ण मुद्दे में जाएं, इसके तथ्यों पर जाएं तो समझने में देर नहीं लगेगी कि हमारे से जो पूर्व

(श्री विजय सिंह नदेरा)

का शासन था, वह क्या चाहता था । सन् 1959 में जिस प्रजातन्त्र की नींव को गांव स्तर पर नेहरूजी ने डाला, डिसेन्ट्रेलाइजेशन किया, प्रजातन्त्र को गांव के स्तर तक उभारा, आने वाले दूसरे लोगों ने, दिल्ली में बैठने वाली उन्हीं की पुत्री ने, जो गांवों की पंचायतों में विश्वास नहीं रखती थी, जो प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखती थी, धीरे धीरे उसको खत्म किया । उसके इन्डीकेशन पर पंचायतों के चुनाव नहीं हुए । उन्होंने यह समझा कि पंचायतों के चुनाव नहीं होने चाहिए और ग्राम स्तर पर प्रजातन्त्र नहीं होना चाहिए । यही मूल कारण था और इसीलिए चुनाव नहीं कराये गये । ये जो बातें थीं, इनको हमें समझना होगा और समझ कर, सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी इस घोषणा से काम नहीं चलेगा कि चुनाव कराये जाएंगे । आपको डेफिनेटली, निश्चित रूप से यह कहना पड़ेगा कि चुनाव इस तारीख को कराएंगे । आप म्युनिसिपैलिटिज के चुनाव की तैयारी करा रहे हैं । इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं । वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो गया है । परन्तु पंचायतों के चुनाव कराने के लिए निर्देश आपने अभी तक नहीं दिए हैं । लोगों को संशय में डाल रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस स्थिति में सभापति जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को सदन के सम्मुख यह घोषणा करनी चाहिए कि पंचायती राज के चुनाव कब हो रहे है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अतिरिक्त पंचायतों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वह सारी स्थिति हमारे मंत्री महोदय के सामने आ रही है । इसको भी आपको समझना होगा । भ्रष्ट पंचायती राज के कर्मचारियों और इसमें रहने वाले लोगों को 12 साल तक थोपा गया एक गैंग के रूप में षडयन्त्र के रूप में, एक तरह से उनको वहां पर मठाधीश के रूप में बिठा दिया गया था । उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? आपके माध्यम से सभापति जी, मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसको भी स्पष्ट करें कि वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

मैं विशेष आपसे निवेदन नहीं करना चाहता, क्योंकि समय की कमी है । इसलिए इन दो मुद्दों पर आपको निवेदन करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : रामनारायण जी चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, आज पंचायती राज, सामुदायिक विकास की मांगों पर विचार हो रहा है । माननीय सदस्यों ने पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सुझाव दिए हैं । यहां पर यह विचार भी आया है कि पंचायती राज के चुनाव जल्दी होने चाहिए । एक विचार यह भी आया कि कोई आकाश नहीं गिर रहा है,

(श्री रामनारायण चौधरी)

चुनावों को पोस्टपोन्ड किया जा सकता है। इस पर पहले डिसकशन हो। यह ठीक बात है। मैं एक बात बताना चाहता हूं। चुनावों को आप टाल नहीं सकते। जो गांवों में रहते हैं, जिनका ताल्लुक गांव में पंचायती राज से है उनको यह भ्रम है कि क्या स्थिति होगी, चुनाव होंगे या नहीं होंगे। पंचायत समितियों को आपने भंग कर दिया। अब शक्ल क्या है, उनकी पोजीशन क्या हो गई? सारे राजस्थान की 2 करोड़ 75 लाख जनता इससे प्रभावित है, वह बेचैन है। इसलिए यह ऐलान करना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी कि आप चुनाव कब करवाना चाहते हैं और किस तरह से चुनाव करवाने का विचार कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसी कानून को आप रखें। अच्छा कानून बनावें। बढ़िया कानून बनावें। हम उसका समर्थन करने को तैयार हैं। लेकिन चुनाव का कार्यक्रम आपको देना होगा और राजस्थान के जो लोग पंचायती राज से संबंधित हैं, उनको आप अधिक दिनों तक संशय में नहीं रख सकते।

आपने उन पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भंग किया जो डेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही थीं। जिनके चुनाव पहले हुए थे। लम्बे अर्से से उनके चुनाव नहीं हुए। परन्तु ये चुनी हुई थीं। मंत्री महोदय आप भी इस बात को मानेंगे कि जो प्रशासन आज यहां पर बैठा हुआ है, क्या आप उसे सही मानते हैं। जो इलेक्टेड रिप्रिजेन्टेटिव थे, उनमें आप भी बैठते थे? अब बी. डी. ओ. है। तो जो आज परिस्थिति है, क्या वह पहले से बेहतर है? क्या आपकी आत्मा इसकी गवाही देती है? अगर देती है तो, मंत्री महोदय, यह बड़ा पेचीदा सवाल है। जिस व्यक्ति के हाथ में राजस्थान का पंचायती राज है, जिस पंचायती राज की महात्मा गांधी ने कल्पना की, जिसको मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जिसको आशीर्वाद आपके नेता जयप्रकाश नारायण ने दिया हो, उसको आप इस तरह से समाप्त कर रहे हैं, उसको समाप्त करने में आनंद ले रहे हैं तो बड़ा दुख होता है। आज आप रोजाना एक सरपंच को सस्पेन्ड कर रहे हैं। पंचायत के सरपंच को सस्पेन्ड करके, उसकी घोषणा कर के आप आनंद ले रहे हैं। उत्साह से घोषणा कर रहे हैं। मुझे इस सम्बन्ध में एक बात याद आती है। सैकिन्ड वर्ल्ड वार की यह बात है। इटली के तानाशाह मुसोलिनी को इस बात का आनंद आता था। लड़ाई के दिनों में वह अपनी बीबी को रोज पीटता था और आनंद लेता था। अगर नहीं पीटता तो उसको आनंद नहीं आता। तो यही कार्यक्रम आपने बनाया है। ग्राम पंचायत के सरपंचों को आप पीट रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है। आप आनंद ले रहे हैं। किसी सरपंच को आप सस्पेन्ड कर दें तब आपको आनंद आता है। यह राजस्थान के लिए एक दुखद परिस्थिति है। राजस्थान के लिए बड़ा विचारणीय प्रश्न है। आपके हाथों में पंचायती राज कमजोर करने के लिए नहीं दिया गया है। आप जयप्रकाश नारायण से प्रोत्साहन लीजिए, महात्मा गांधी से प्रोत्साहन लीजिए। पं. जवाहरलाल नेहरू से प्रेरणा लीजिए। जो कुछ अब तक हुआ है, उससे शिक्षा लीजिए। आप हमारी बात नहीं मानें तो आपकी पार्टी के वर्मा जी हैं उनको

(श्री रामनारायण चौधरी)

बिठा कर आप बात को समझने की कोशिश करें कि पंचायती राज में सरपंच, प्रमुख, प्रधान क्या है। यह हो सकता है कि कोई पंच, सरपंच बेईमान हो, कोई प्रधान बेईमान हो, कोई प्रमुख बेईमान हो, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि व्यवस्था बेईमान है। बिना प्रमाण के आप सरपंच को सस्पेन्ड करते हैं, तो उसका अपमान करते हैं। उसको अपमानित मत करिए। मान्यवर, आप मेहरबानी करके पोलिटिकल ग्राउन्ड पर, पोलिटिकल मोटिव के आधार पर उनको सस्पेन्ड मत करिए। ऐसे सरपंच मेरे पास आये हैं जिनको चार्जशीट दे दी गई है। उनकी जांच नहीं करवाई गई। कुछ भी नहीं लिखा गया। यहां से तार दिया गया कलेक्टर को, अमुक सरपंच को सस्पेन्ड कर दो और उप सरपंच को चार्ज दिला दो। वह सरपंच भागा भागा वहां पर आया। पंचायती राज डिपार्टमेन्ट में गया। यह चिट्ठी मेरे पास आई है। संबंधित आफिसरों के पास फाइल नहीं मिलती। उसको यह नहीं कहा कि फाइल नहीं है। यह कहा महकमे ने कि आप मंत्री जी से मिल लीजिए। संभव है फाइल उनके पास हो। परन्तु कोई फाइल है ही नहीं। आर्डर नहीं। आप ऐसा मत करिए। मान्यवर, आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति मत बनने दीजिए। आपका सम्बन्ध राजस्थान की जनता से सबसे ज्यादा है। 7400 ग्राम पंचायतों से आपका ताल्लुक है। आज आपका उत्तरदायित्व राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। इसलिए यह प्रश्न विचारणीय है। आप इस पंचायती राज मूवमेन्ट के मसीहा हैं। इनको पीछे मत हटाइये।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं। मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा। मैं पंचायत मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कि आप स्पष्ट घोषणा करें कि आप ग्राम पंचायतों के चुनाव कब करायेंगे। आप एक्ट कीजिए, पोलिटिकल मोटिव से नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

माननीय श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री ईश्वरचन्द्र : आपने अपने समय में क्या किया था ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी : हमने जो किया है, आपके जो एम.एल.ए. हैं, उनसे पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात नहीं करें। आपस में बात नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री ईश्वरचन्द्र : इन्होंने किया है, बिना इन्क्वायरी के और बिना सुनवाई के मीसा में बन्द। सरपंचों को निलम्बित कर दिया। पचपहाड़ के सरपंच सत्यनारायण को निलम्बित किया, बिना जांच कराये। इनको क्या हक है बोलने का ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री हजारीमल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री बजरंगलाल।

(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

अरे, बैठिये साहब।

माननीय श्री बंशीलाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गोपालसिंह (खण्डेला)।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री सभापति : माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री नूरा।

श्री नूरा (मसूदा) : सभापति महोदय, पंचायत राज संस्थाएं किसानों के नजदीक रहने वाली संस्थाएं हैं। लम्बे समय तक चुनाव नहीं होने से जो पंचायतें और जिला परिषदें भंग करने का प्रस्ताव दिया गया था मैंने उसका स्वागत किया। वह इसलिए किया कि लम्बे समय तक चुनाव नहीं हुआ था और प्रधान और प्रमुख से उनको दिये गये अधिकार ले लिये गये थे। उनके पास साधन नहीं होने की वजह से वह पैसा बेकार जा रहा था। वहां पर लम्बे समय तक चुनाव नहीं हुए थे। मैंने यह सोचा था कि चुनाव होंगे। जिला परिषद् और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे लेकिन चुनाव में आज भी ढिलाई नजर आती है। इससे जनता के अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा गांव के जो कार्य चलते थे...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह प्रतिनिधि पंचायत समितियों से हट गये। उनकी जगह आफिसर्स का राज हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं समझ रहा हूं, सभापति महोदय, मैं अपनी बात पर आ रहा हूं।

मेरा इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव था। इस प्रकार से धन के अभाव में पंचा-

(श्री नूरा)

यतों की हालत खराब हुई। पैसा नहीं होने पर भी चुने हुए पंचों को पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गई। उनके पास सैक्रेटरी नहीं। चपरासी नहीं। आज कोई भी संस्था किसी एक व्यक्ति से नहीं चल सकती है। रिकार्ड मैण्टेन करने और कानूनी सलाह देने के लिए एक सचिव जो कि एक ऊंचे स्तर का अधिकारी होता है, नहीं होना इस पंचायती राज के ढीले होने का बहुत बड़ा कारण था। एक सचिव नहीं होने से रिकार्ड की जिम्मेदारी सरपंच के सिर पर थी। वह सरपंच कानून का जानकार नहीं होते हुए भी उसको सलाह देने के लिए सचिव नहीं था। पैसे के अभाव में पार्ट टाईम सचिव रखते, पार्ट टाइम चपरासी रखते। मीटिंग के समय दफ्तर खोलते। इस प्रकार से धनाभाव के कारण छोटी छोटी संस्थाओं का काम नहीं चलता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

काम चलाने में दिक्कतें होती थी। इन कारणों से काम ढीला हुआ था। आपने कानून में पंचायतों को कई जिम्मेदारियां सौंपी। कृषि, को-आपरेटिव, छोटी सिंचाई और समाज कल्याण की आपने उनको जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उस समय उनका पैसा पंचायतों में जाता था। लेकिन यह सारा हटकर उनके हाथ में शिक्षा का काम रह गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नूरा : वह सिंचाई की रेवेन्यू की वसूली करते। तालाबों को वापस ठीक कराने के लिए वह आमदनी नहीं बढ़ा सकते थे। धनाभाव के कारण तालाब टूटे पड़े हैं। धीरे धीरे उनके अधिकार कम हुए तो धीरे धीरे पंचायत समितियों का काम ढीला होता गया। उसके बाद ग्रुप स्कीम शुरू हुई। इसलिये पंचायतों के चुनाव जल्दी ही कराये जायें तो ठीक शासन चलेगा और गांवों के कार्यों को मदद मिलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ ही मैं पंचायतों के चुनाव जल्दी ही कराने की मांग करता हूं। यही कह कर मैं समाप्त करता हूं। मैं चाहता हूं पंचायतों के चुनाव जल्दी हो जायें तो आप गांवों के साथ इन्साफ करेंगे। यह बहुत बड़ा काम है इसलिए आप जल्दी ही चुनाव के काम शुरू करवायें।

श्री सभापति : माननीय श्री माधवसिंह।

श्री माधवसिंह (सोजत) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव खनिज के ऊपर है। आज जितना भ्रष्टाचार खनिज विभाग में है, उतना किसी और विभाग में नहीं है। परन्तु चूंकि खनिज विभाग का काम आम जनता के सामने नहीं आता है, चुपचाप खानों से माल निकल जाता है और बड़े बड़े सेठों और उद्योगपतियों के पास पहुंच जाता है इसलिए वह जनता के सामने चर्चा का विषय नहीं बनता है। इसलिए मंत्री महोदय से यही निवेदन करना है कि माइन्स की लीज देने में बड़े बड़े अधिकारी और नेता किस प्रकार से अपना व अपने चहेतों का काम करते हैं, किस प्रकार कैसे गलत तरीकों से लीज दिलाते हैं इस पर गहराई से विचार

(श्री माधव सिंह)

करें । मेरे क्षेत्र में बड़ी-बड़ी लीज आज कुछ ठेकेदार पिछले 50 साल से लिये बैठे हैं, और उसे कुछ ले देकर रिन्यू कराते रहते हैं। इससे सरकार को लाखों रुपयों की हानि होती है तथा मजदूरों का शोषण होता है। किसी प्रकार का कोई माइन्स सेफ्टी रूल काम में नहीं लिया जाता और न मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार वेजेज दी जाती है। आज सबसे बड़ी प्राब्लम बेरोजगारी की है। खनिज के माध्यम से बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है। जो इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट्स हैं उनको काम दिया जाये। लीज को छोटी बनाकर उन्हें प्लाट की जाय ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। पता नहीं अभी तक आपने इस बात की कोई पालिसी क्रियेट की है या नहीं कृपया यह बतायें कि खनिज सम्बन्धी आप पहले जैसी ही नीति अपनायेंगे या उसको चेंज करेंगे।

दूसरी बात है कि मेरे क्षेत्र में एक सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात चल रही थी। पिछली सरकार के केन्द्रीय रेल मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने यह एग्री भी किया था कि इलाहाबाद-दिल्ली सेक्शन ब्रॉड गेज हो जायेगा तो यह फैक्ट्री भी सेंक्शन कर दी जायेगी। परन्तु अभी तक उस बारे में कुछ भी नहीं किया गया पता नहीं क्यों जब हिन्दुस्तान में सीमेंट की इतनी मांग है और अरब देशों में भी इसकी इतनी मांग है फिर आप छोटी मोटी फैक्ट्रियों को सीमेंट की फैक्ट्री के लाइसेंस नहीं देते हैं? आसानी से अपनी सीमेंट कांडला पोर्ट की मार्फत एक्सपोर्ट कर सकते हैं।

इसके अलावा आपने मुल्तानी मिट्टी की लीज कैसे दी हैं, या उन्हें देने का क्या तरीका है? एक आदमी जो मिट्टी खोद रहा है उसको पता नहीं कि वह किस क्षेत्र में खोद रहा है। उसने सारी माइन्स बिगाड़ कर रख दी। दूसरे को बहुत समय लगेगा माइन्स को ठीक करने में।

क्या लीजेज जो दी जा रही है वह समाजवादी हिसाब से दी जा रही हैं। यह लिमिट नहीं कि एक आदमी को एक खान प्लाॅट की जायेगी या दो, तीन और चार-चार लीज दी जायेंगी। इसमें लिमिट करने की कोशिश भी की लेकिन इससे भी मजदूरों को बड़ी निराशा हुई है क्योंकि बड़े बड़े जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वे ही चुपचाप किसी मजदूर या रिश्तेदार, जिसका खान से कुछ भी लेना देना नहीं है, के नाम से अलॉट करा लेते हैं, माईनिंग इन्जीनियर से मिल कर।

तीसरी बात कुआ कोई खोदे और पानी कोई पीवे। खनिज कहां से निकलता है और माल कहां जाकर बिकता है। खनिज राजस्थान में निकलता है और उससे संबंधित उद्योग कहीं दूसरी जगह पर स्थापित किये जाते हैं। जैसे लाइम स्टोन, है, उससे कई तरह के केमीकल जैसे ब्लिचिंग पाउडर हाइड्रेटिड लाइम केलशीयम कारबाईड बन सकते हैं तो उसकी इंडस्ट्री भी वहीं लगनी चाहिये। मजदूर खोजत का तकलीफ पाये और माल कलकत्ता और कोटा में जाये और वहां का उद्योगपति मजा करे। इसलिए इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि लीज देने के छः महीने के अन्दर वहां फैक्ट्री लगाये। तभी उस लीज को कायम रखना चाहिये। होता यह है कि लीज लेते वक्त तो ठेकेदार तरह तरह के वायदे कर देते हैं, परन्तु बाद में विभाग से ले देकर फैक्ट्री लगाने की बात पर

(श्री माधव सिंह)

छूट ले लेते हैं। अब आपसे आशा है कि अगर निर्धारित समय में फैक्ट्री न लगे तो लीज को कैन्सिल करके तुरन्त दूसरे को दे दें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने अपना एक कटौती प्रस्ताव झामरकोटड़ा माइन्स को लेकर प्रस्तुत किया है। उदयपुर खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान का धनिक क्षेत्र है और यही कारण है कि उदयपुर की उन्नति हुई है। कई हमारे माननीय सदस्यों के मन में यह बात बैठी हुई है कि उदयपुर के साथ पक्षपात किया गया है, उदयपुर में ही हमेशा साधन और सुविधायें दी गई हैं—मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उदयपुर ने हमेशा खनिज सम्पदा के जरिये सरकार का खजाना भरा है चाहे रॉक फास्फेट हो, चाहे जिंक हो, सोपस्टोन हो, अभ्रक हो अथवा पत्थर हो। इसलिए माननीय सदस्य इस बात को अपने मन से निकाल दें कि उदयपुर का विकास किसी की मेहरबानी से हुआ है या उसके साथ कोई रियायत की गई है। वास्तव में जितना धन उदयपुर से राजस्थान सरकार ने कमाया है उसका बहुत कम भाग उदयपुर पर खर्च किया गया है।

अब मैं झामरकोटड़ा खान की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आजकल उसे राजस्थान स्टेट मिनरल्स एन्ड माइन्स के नाम से जाना जाता है। इस खान में हो रही अनियमितताओं के बारे में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस खान के सरकार के हाथ में आने के पश्चात् उसमें जो अनियमितताएं हो रही हैं उनकी ओर वहां के लोगों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं उपस्थिति पंजिका में की गई अनियमितताओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति पंजिका है, दिसम्बर 1976 की उसकी फोटोस्टेट कोपी मेरे पास है, तारीख 22 से 30 तक। किसी प्रकार के भी हस्ताक्षर नहीं थे, एस. के. रोजस के हस्ताक्षर नहीं किये हुए हैं, पूरे महिने की तनख्वाह बनती है। बाद में उन्होंने हस्ताक्षर किये। जनवरी में तीन अलग-अलग फोटोस्टेट कोपी है मेरे पास तारीख 1 से तीन तक हस्ताक्षर नहीं है, दूसरी कापी में तारीख 1 से 22 तक हस्ताक्षर अंकित हैं। इसी प्रकार फरवरी में भी नहीं किये हुए हैं। इन्टक के नेता होने के कारण छूट और रियायत दी जाती है। यह वहां के प्रशासन के लिए बहुत ही अशोभनीय बात है। जो नौकरी नहीं करता है उनको तनख्वाह लेने का भी अधिकार नहीं है।

इसी प्रकार वहां पर जो नियुक्तियां और पदोन्नतियां हुई हैं, उनमें अनियमितता की गयी हैं, घोटाले किये गये हैं, अपने-अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने के लिए ही पदोन्नतियां की गई हैं। पी. सी. माथुर, जो उदयपुर जिलाधीश के पी. ए. थे और 185

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
425 की ग्रेड में काम करते थे, जब से वहां आये 680-900 की ग्रेड में रखा गया और बाद में उनको 1000 से 1500 की ग्रेड दी गई। इसी प्रकार से वसु को, अकाउन्टेन्ट को 1970 में 630-900 की ग्रेड दी गई, 72 में 940 से 1200 पर पदोन्नत किया गया और 74 में 1050 से 1500 के ग्रेड में पदोन्नति दी गई और लेखा व वित्त अधिकारी बना दिया गया, 1976 में 1400 से 2000 की ग्रेड दे दी गई। उनकी योग्यता केवल बी. काम. है जब कि इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होना आवश्यक है। इसके लिए क्वालिफाइड नहीं होने के बावजूद उनको पदोन्नति दे दी गई। साठ वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति भी वहां पर काम नहीं कर सकता नियमों के अनुसार 55 वर्ष में रिटायरमेन्ट मिल जाना चाहिए। चूंकि वे अधिकारियों के कृपा पात्र हैं इसलिए उनको नहीं हटाया गया। 60 वर्ष के गोस्वामीजी आज भी वहां पर कार्य करते हैं। नये डम्पर्स खरीदे गये कुछ समय बाद उनको बेकार बताकर बेच दिया गया और जिनको बेचा गया वही कम्पनी माल को ढोने का काम उसी खान में करती है। इसमें खान के अधिकारी भी हिस्सेदार थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार की भारी अनियमितताएं इस खान में हुई हैं। आपने जो समय दिया है इतने कम समय में सारा का सारा वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, पच्चासों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको पदोन्नतियां दी गई वह उनको दी गई जो अधिकारियों के रिश्तेदार थे और उनके आदमी थे। जो योग्य थे और क्वालिफिकेशन रखते थे उनको साक्षात्कार के लिए भी नहीं बुलाया गया। उनके साथ अन्याय किया गया। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब लोगों की इन्क्वायरी कराई जाय। जिनको गलत पदोन्नतियां दी गई, अधिकारियों के रिश्तेदारों को, उनको बदल दिया जाय और उन आदमियों को अवसर दिया जाय जिनके साथ अन्याय हुआ है।

श्री सभापति : श्री नरपतराम बरवड़।

श्री नरपतराम बरवड़ (सूरसागर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम ही है कि जोधपुर जिला पत्थर उद्योग के लिए भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। वहां पर इस साल वर्षा ज्यादा होने के कारण सड़कों की हालत ही खराब हो गई। जिसका निरीक्षण मन्त्री महोदय स्वयं भी करके आये हैं। इसलिए उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि उनको समय के अन्दर ही ठीक करवा दिया जाय। जो सूरसागर के बाहर से सड़क निकाली गई है वह कम चौड़ी है। वह और चौड़ी की जाय ताकि ट्रक आमने-सामने से आसानी से निकल सकें। दूसरा, जो पत्थर, कंकर और बजरी पर कर लगाया है उसके बारे में।

श्री सभापति : इस विषय पर आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरपतराम बरवड़ : माइन्स से तो कन्सर्न्ड है। मैं समय के अन्दर पूरा कर दूंगा।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक वकील के आसन पर बैठने से यह फायदा रहता है।

श्री नरपतराम बरबड़ : इसका सीधा भार मजदूरों पर पड़ता है। और जो माइनिग लीज्स दी जाती हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स को उसके लिए जरूरी है कि माइनिंग लीज के साथ उनको ऋण भी दिया जाय नहीं तो वे खानों के अन्दर काम शुरू ही नहीं कर सकते। जब काम शुरू नहीं कर सकते तो बनियों से पैसा लेते हैं। इस तरह मजदूर, शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स वाले उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं।

जहां सूरसागर में बहुत खानें हैं वहां मजदूरों के आराम के लिए कोई स्थान नहीं हैं इसलिए एक विश्राम गृह बनाने की जरूरत है। मजदूरों के लिए हाउसिंग बोर्ड द्वारा बड़ी बस्ती बनाने की आवश्यकता है अतः विश्राम घर व बस्ती बनाई जाये। सूरसागर क्षेत्र में कम से कम 20 हजार शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के मजदूर रहते हैं, कम से कम वहां दसवीं कक्षा तक पाठशाला होना जरूरी है। एक अस्पताल भी होना जरूरी है जिसके अन्दर अनुभवी डाक्टर व नर्सेज हों। जहां गांवों में मामूली छोटी-छोटी पहाड़ियों व पठार हैं वहां लीज सिस्टम हटाना चाहिए क्योंकि गरीब किसान कभी-कभी कोई पत्थर निकालते हैं तो उनका चालान होता है इससे वे अदालतों में वर्षों तक घूमते रहते हैं। इसलिए बाहर की जो पहाड़ियां हैं उनको इस कानून से बाहर निकाला जाए।

मलबा हटाने के लिए हर खान मालिक से 200 रुपये एक्स्ट्रा वसूल किए जाते हैं लेकिन मलबा हटाया नहीं जाता है और ज्यों का त्यों विभाग में पैसा जमा रहता है। इसलिए मलबा हटाने की तुरन्त व्यवस्था करनी आवश्यक है। इसके अलावा वर्षा से जब खानें भर जाती हैं और 4 महीने काम बंद रहता है, उससे खानों के मालिकों को असुविधा रहती है और मजदूर परेशान रहते हैं, इसलिए पानी निकालने के लिए प्लान बनाना चाहिए और नहरें निकाली जाएं जिससे खानों के मालिक परेशानी का सामना न करें।

मैं उस क्षेत्र के पीने के पानी के लिए निवेदन करूंगा। जहां दूर—दूर पहाड़ियां आई हुई हैं, वहां पाइप लाइन्स नहीं पहुंची हुई है। वह भी खनिज विभाग द्वारा पहुंचना जरूरी है। माइनिंग लीजेज अब जारी की जाती हैं उसके अन्दर जिसने नसबन्दी करा ली है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह अत्यन्त आवश्यक है।

(समय-समाप्ति—सूचक घंटी)

हालांकि पंचायतों के सिलसिले में मेरा कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री सभापति : आप कितना भी बोलें एक भी आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री नरपत राम बरबड़ : हर जिले में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए प्रधानों के पद के लिए सीटें रिजर्व रखी जायं।

श्री सभापति : श्री एच. एन. शर्मा।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री ओम प्रकाश ।

(अनुपस्थित)

श्री रंग जी ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविंद सहाय ।

(अनुपस्थित)

श्री उगम राज मेहता ।

श्री उगम राज मेहता (ब्यावर) : सभापति महोदय, 25 जून, 1975 को इमर्जेंसी लागू हुई । उसके बाद जिस प्रकार हम लोगों को जेलों में ठूंसा उसी प्रकार ब्यावर क्षेत्र के मजदूर और गरीब किसानों पर भी भूतपूर्व सरकार ने कर लगाए । वहां की ग्रामीण जनता, वहां के किसान, मजदूर वर्ग ज्यादातर बेकवर्ड हैं । खानों से पट्टियां निकालकर शहरी क्षेत्र में बैलगाड़ियों द्वारा लाकर बेचते हैं और अपना निर्वाह उसी से करते हैं । इमर्जेन्सी में भूतपूर्व सरकार ने उनसे टैक्स वसूल किया और अभी तक रायल्टी ली जा रही है । आप शीघ्र ही किसानों को मदद देने हेतु यह रायल्टी समाप्त करें, खास तौर से मैं ब्यावर के लिए निवेदन करना चाहता हूं । वहां किसान और मजदूर वर्ग आंदोलन की राह पर हैं और इन्तजार कर रहे हैं कि यहां की सरकार क्या आदेश देती है । कृपया आप आज ही इसकी घोषणा करें ।

अब मैं अपने पंचायत क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे यहां नुन्दरी, महन्द्रतान और देलवाड़ा के, जो प्लाट्स अलाट किए गए हैं, उनका अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है, रुपए वसूल किए गए हैं, जितने प्लाट्स के आए हैं वह पैसे पंचायत ने खर्च कर कर दिए और अनाप-शनाप खर्च करके कोई हिसाब किताब नहीं रखा । वहां की जनता को प्लाट्स नहीं दिए गए पट्टे दे दिये गये हैं जिसकी शिकायत मैं स्वयं मन्त्री महोदय से कर चुका हूं । दो बार आप से मिला हूं लेकिन आपकी ओर से जवाब नहीं आया । वहां की जनता के प्रतिनिधि यहां पहले भूतपूर्व सरकार के सामने आंदोलन करके गए हैं और धरणा भी दिया है लेकिन आज तक उनको प्लाट्स का कब्जा नहीं मिला है । इसका कृपया शीघ्र ही उपाय खोजें और उनको प्लाट्स के कब्जे शीघ्र देवें ।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह ।

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान माइन्स एण्ड मेटल्स लि., जिसके लिए मेरा कटौती प्रस्ताव है, कहना चाहता हूं । राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जहां की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि खेती की जमीन न होकर 3/4 हिस्से में पहाड़ और रेगिस्तान है । उसमें भी जो माइन्स हैं, वह प्रदेश की धरोहर हैं लेकिन उसके द्वारा जो खनिज सम्पदा अर्जित की जाती है उसकी व्यवस्था में जो अनियमिततायें हैं, उनके सम्बन्ध में मैं जानकारी चाहूंगा । इस विभाग के अन्दर जो मशीनरी है उसकी कीमत 36 लाख रुपये है । इस प्रकार की मशीनरी है जो विदेशों से खरीदी गई, क्या इसके लिए टेन्डर्स काल किए गए ? यदि हां, तो

(श्री गोविन्द सिंह शक्तावत)
इससे और अधिक उपयोगी मशीन में यह खर्च क्यों नहीं किया गया ?

इस विभाग के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री भिंगल हैं, वह अपनी स्वेच्छा से लोगों को पदोन्नति देते हैं, वहां पर रखते हैं वहां पर सब कुछ मनमाने तरीके से हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। ए.जी. आफिस से एक श्री सिमलोत वहां पहुंचे थे, उसको वहां आने के लिये मजबूर किया गया। वह काम नहीं कर पाए। उसको अपने विभाग को वापस लौटना पड़ा। दूसरे महाशय, जिसको पदोन्नति दी गई, वहां पर सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते हैं, मिनी बसेज अधिकारियों के घरों पर चक्कर काटती हैं, उनके परिवार को घुमाना ही उनका मुख्य कार्य हो गया है।

इतना राक फासफेट निकलने के बावजूद जापान से इस माल को मंगवाया जाता है। हमारे देश में जो खनिज पैदा होता है उसके द्वारा आमदनी हो सकती थी वह नहीं हो पाती। एक माननीय सदस्य ने पहले बताया था कि डम्पर की भारी कीमत होने के बाद भी, 12।। लाख की कीमत होते हुए भी 5 लाख रुपये में बेच दिया गया। उन अधिकारियों की मिली भगत के कारण लाखों रुपये का गोलमाल हुआ है। सरकार इसकी पूरी जांच कराए।

मेरा यह भी निवेदन है कि उदयपुर के लेक पेलेस, स्टेट होटल और लक्ष्मी विलास होटल में जो मोटल्स एण्ड माइन्स कंपनी के गेस्ट्स समय समय पर जाते हैं उन पर कितना पैसा व्यय किया गया ? उन होटलों के बिल्स मांगे जायं तो आपको मालूम होगा कि कितने पैसे की शराब आ चुकी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी बात मैं आपको इसलिये कह रहा हूं कि राजस्थान में और खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में हमारे यहां पर खनिज भन्डार भरे पड़े हैं। अगर आप इस ओर थोड़ा अधिक ध्यान दें तो मैं आपसे यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज जो आय आपकी खनिज से है उससे कई गुना अधिक आय राजस्थान सरकार की बढ़ सकती है। इसलिये, सभापति महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष रूप से ध्यान देंगे खास तौर से उन अनियमितताओं के बारे में जो कि आज वहां खनिज विभाग में हो रही हैं।

श्री सभापति : दाऊ दयाल जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल।

(अनुपस्थित)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुखलाल सैणचा।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण।

श्री शिवनारायण (थानागाजी) : सभापति महोदय, मैंने खनिज विभाग की मांगों

(श्री शिवनारायण)

पर अपने कटौती के प्रस्ताव पेश किये हैं। सभापति महोदय, थानागाजी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक तालिका की खान है जहां पत्थर निकलता है। वहां पर पट्टी कासले निकालने में लीज का दुरुपयोग हो रहा है। सभापति महोदय, वहां की खानों को जो लीज दी गई थी वह एक भ्रष्ट कांग्रेसी को दी गई थी। उसने पैसा जमा नहीं कराया और उस पर दो वर्ष से एक लाख रुपये से अधिक की डिक्री हो गयी है। वह सहकारिता विभाग के द्वारा की गयी है। आज वहां स्थिति यह है कि वह खान बन्द पड़ी हुई है और वहां जो मजदूर लोग काम करते थे, सभापति महोदय, वे करीब 500 के लगभग हैं। वह बेचारे बेकार बैठे हुए हैं, खान बन्द पड़ी है। इसके अलावा जो पत्थर निकलते थे, उनकी पट्टियों को जो लोग बैलगाड़ी में डालकर ले जाते थे वह भी बेचारे बेकार बैठे हैं। 500 मजदूर बेकार हो गये हैं और बेचारे बरबाद हो गये हैं। इसलिये, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं खनिज मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही आप उस खान को चालू करने के आदेश जारी करावें। जो लीज उस भ्रष्ट कांग्रेसी को दी गयी थी उसको समाप्त करके वह खान आप वहां के मजदूरों को दीजिये ताकि जो बेचारे लोग बेकार बैठे हैं उन्हें मजदूरी मिल सके। बस यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री जीथिग भाई।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज।

(अनुपस्थित)

श्री सूर्य प्रकाश।

(अनुपस्थित)

श्री खंगारसिंह।

(अनुपस्थित)

लिस्ट तो खत्म हो गयी।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप मुझे बोलने का मौका दें।

श्री सभापति : श्री माणकलाल।

श्री माणकलाल (नैनवा) : सभापति महोदय, सामुदायिक विकास पर जो मांगें आज सदन में पारित होने जा रही हैं उस पर मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं। सभापति महोदय, आज से 15 वर्ष पूर्व हमारे यहां पर पंचायती राज कायम हुआ था। उसका यह उद्देश्य था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के मामले में कहां तक सफल हुए हैं यह तो मैं नहीं कह सकता पर इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार के विकेन्द्रीकरण के अन्दर पूरी तरह से सफल हो गये हैं। आज आपकी हर पंचायत और पंचायत समिति में भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैल गया है, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर एक दो मुद्दे भ्रष्टाचार के सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं कुछ उदाहरण आपको प्रमाण सहित पेश करना चाहता हूं।

(श्री माणकलाल)

सभापति महोदय, हमारे यहां एक हिन्डौली पंचायत थी वहां पर जो सरपंच था उसको अब बरखास्त कर दिया गया है और अब वहां पर उप-सरपंच काम कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको बतलाऊं, उस छोटी सी पंचायत के सरपंच ने भ्रष्टाचार का बहुत ही अच्छा विकेन्द्रीकरण कर दिया। उसने ग्राम पंचायत हिन्डौली के अन्दर एक लाख रुपये के गबन घोटाले कर डाले। इसके अलावा उसके ऊपर रिश्वत के हजारों रुपये खाने के चार्जेज हैं। उसने सभापति महोदय, फर्जी पट्टे बनवाये और लाखों रुपये का गबन किया। इसके बाद भी जब कि वह बरखास्त हो चुका है उसने हजारों रुपये कमा लिये हैं झूठे पट्टे देकर क्योंकि उसके पास पुरानी सरपंच की सील है। वह सील आज दिन तक उसके पास है। वह पुरानी तारीख में ही जमीनों के पट्टे दिये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय, उस बरखास्त सरपंच से सील और पंचायत की रसीद बुकें ले लें ताकि आगे वह भ्रष्टाचार नहीं कर सके। आप उससे वह सील और रसीद बुकें व चार्ज उप सरपंच को दिलवा दें जिससे कि वह अब नये पुरानी तारीखों में पट्टे नहीं दे सकें। इसके साथ-साथ और भी कई गोलमाल हमारे क्षेत्र में हुए उनकी ओर भी मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बहुत ही जबरदस्त गोलमाल हुआ है, सभापति महोदय, विकास का जो पैसा था उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सभापति महोदय, विकास फन्ड के कुछ बोन्ड्स, जो कि 31-3-77 को समाप्त होने वाले थे, की रसीदें और रसीद बुक्स नैनवा एस. डी. ओ., तहसीलदार आदि ने सन् 76 में दीं। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा इसका जब आडिट करवाया गया वी. पी. गर्ग एण्ड को. से जो कि चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट हैं बून्दी में तो उसके अन्दर यह पाया गया

"Shri R. P. Reader SDM Nainwa has only deposited Rs. 6095 to the fund. He has failed to deposit the balance collected by him of the blank receipts diaries as well as the counter foil of the receipts by him though he has admitted to have received Rs.13574 on 7-8-1976 no account of each diary (Receipt books) has been produced before us even upto this date."

इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि 13,574 रु. के प्राप्त करना स्वीकार किया है। पर सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि वह पैसा आज दिन तक कहीं भी जमा नहीं कराया गया है। वह पैसा आराम से एस. डी. ओ. साहब खा गये। सभापति महोदय, मैं कई बार इस सदन में एस. डी. ओ. नैनवा के बारे में निवेदन कर चुका हूं कि सरकार यानि मेरी पार्टी की सरकार की बहुत ही अजीब नीति है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एक नहीं, दो तीन नहीं कई चार्जेज हैं पर उस एस. डी. ओ. के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। पर ऐसे छोटे-छोटे लोग, सरपंच, पंच, थानेदार, ए. एस. आई. जैसे छोटे लोगों को सस्पेण्ड कर देती है लेकिन यह जो बड़े लोग एस.पी., डी.वाई.एस.पी. कलेक्टर, एस.डी.ओ. वगैरह हैं उन पर हाथ नहीं डालती है। इन आई.ए.एस. अधिकारियों के ऊपर हाथ डालते डरती है सरकार।

(श्री माणकलाल)

मैं तो समझता हूं कि हमारे जो मिनिस्टर हैं वह अपने को इन आई.ए.एस. अधिकारियों से सबोर्डिनेट मानते हैं। मेरे पास डाक्यूमेन्ट्री प्रूफ हैं आप चाहें तो बता दूं आपको। मैं इनको सदन की मेज पर रख दूंगा ताकि आपके पास पहुंच जायें। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप उनकी सी.बी.आई. से जांच करावें ताकि उनके खिलाफ में अच्छी, सही और जल्दी से जल्दी जांच हो सके और भ्रष्ट अधिकारियों की सवारी निकाली जा सके। इसके साथ ही मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि आज इन बड़े आफिसरों पर हाथ डालते हुए क्यों जनता पार्टी के मंत्री डरते हैं ? यह पता नहीं। हमारे जनता पार्टी के जो मन्त्री हैं वह पहले की कांग्रेस सरकार के मन्त्रियों की तरह भ्रष्ट नहीं हैं और वह गलत काम नहीं कर सकते हैं,यह एक गौरव की बात है। पर जब इन बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ में कोई कार्यवाही होती नहीं दिखती है तो हमारी आशायें धूमिल हो जाती हैं। इससे हमें बहुत गुस्सा आता है बड़ा जबरदस्त गुस्सा आता है। पर, सभापति महोदय, गुस्सा भी अपने पर ही आता है आपको तो दोषी, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में कार्यवाही करके सिंहों की तरह सामने आना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनसे निपटिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पंचायती राज में...

(विराम)

श्री सभापति : बोलिए जल्दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पंचायतों के चुनाव नहीं कराये जाने के पीछे अपनी सत्ता को खो देने का भय था। कांग्रेस सरकार ने इसलिए अनेक बार चुनावों की घोषणा की और घोषणा करने के बावजूद उसको स्थगित करते रहे और कभी चुनाव नहीं करवाये। जब जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराये जाने की घोषणा की तो सहसा लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने लोगों से कहा कि यह जनता पार्टी की सरकार है न कि कांग्रेस की सरकार।

गत तीस वर्ष के शासन काल में जिला प्रमुख, पंच, सरपंच ने क्या किया इस सम्बन्ध में मेरे साथी बन्धुओं ने काफी कह दिया है। मैं आप को कुछ सुझाव दूंगा कि किस प्रकार से पंचायतों को चमन बनाया जाय और किस प्रकार से गांवों का उत्थान हो। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिला प्रमुखों को हटाकर अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी दुकानदारी लगा रखी थी। सरपचों को नहीं हटाने से बन्दर बांट चल रहा है उससे लोगों में बड़ा भारी असंतोष है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें।

मैं पंचायत के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव देता हूं :--

सबसे पहले जो पैसा दिया जा रहा है विकास के नाम पर पचायत और पंचायत समितियों को, उस राशि में बढ़ोतरी की जाय।

बी.एल डब्ल्यूज को औद्योगिक ट्रेनिंग भी विशेष रूप से दी जाय जिससे कि गांवों में औद्योगिक विकास हो सके।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकारों के लिए कम्पोस्ट खाद जिस गति से बंटना चाहिये उस गति से नहीं बंटा। सरकार स्वयं खाद के खड्डे खोद कर काश्तकार को दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पहले अनुपस्थित थे, फिर भी आपको अनुमति दे दी गई है। 5 मिनट हो गये हैं। आप उस समय उपस्थित नहीं थे। नियमानुसार आपको अवसर नहीं दिया जाना चाहिए था लेकिन दे दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब मैं खनिज की मांग पर निवेदन करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले का प्रमुख उद्योग माईका है वह मृत प्राय: हो गया है। इस माइका उद्योग पर 15 हजार लोग काम करते थे। कांग्रेस सरकार की गलत नीति के कारण से यह उद्योग मृत प्राय: हो गया है। इस पर पचास हजार आदमी निर्भर हैं। वे बेकार हो गये हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा का यह एकमात्र उद्योग है इसको आप विकसित करने के लिए कदम उठायें।

इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि भीलवाड़ा जिले में खानों का सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, डवलपमेंट नहीं हुआ है। इस कारण खनिज सक्षमता नष्ट हो रही है। इसका योजना बद्ध ढंग से डवलपमेंट हो। आप भविष्य में ऐसी नीति अपनायें जिससे इसका डेवलपमेंट हो और आज जो स्थिति हो रही है उसमें परिवर्तन आये।

माइन्स उद्योग में प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की सुनाई को हटा दिया जाय व ट्रिब्यूनल कायम किया जाये जिससे माइन्स होल्डर्स को राहत मिल सके। मजदूरों का पैसा माइन्स ओनर्स में बाकी है, कोर्ट में उनके कई केसेज चल रहे हैं लेकिन पांच-पांच साल से फैसले नहीं हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उनके फैसले तुरन्त हों।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि दरीबा में रॉक फास्फेट का बड़ा भंडार मिला है। उसके लिये संयंत्र लगाने की योजना तुरंत शुरू की जाय।

(6.10 सायं)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

बिजौलिया में पट्टी की खानें हैं। वे खाने आज तक कुछ लोगों के हाथ में ही केन्द्रित हैं। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि खानों पर जो अधिकारी लगे हैं उनकी खुली जांच हो, जांच किसी अधिकारी के द्वारा नहीं अपितु किसी कमेटी के द्वारा हो, जिसमें विधान सभा के सदस्य हों जिससे जो ठेकेदार और अधिकारियों में बंदर बांट चल रहा है वह बन्द हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक जिक्र और करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिले में माइका उद्योग है। जो वेस्ट माइका रहता है उससे काफी उद्योग पनपाये जा सकते हैं। जो भी कारखाने लग सकते हैं उन पर ध्यान देकर अधिक से अधिक उद्योग लगायें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : एक बात कह कर समाप्त करता हूँ।

पंचायत समिति और पंचायतों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवक वी. एल. डब्ल्यूज. 20-20 साल से काम कर रहे हैं। उनसे सम्बन्धित कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है उसके लिए उनका कौन सा डिपार्टमेंट है यह निश्चित हो जाय।

इसके साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों में 15–15 साल से सचिव लगे हुए हैं उनमें से जो भ्रष्ट हैं उनको सजा दी जाय और जो ईमानदार हैं उनको बाहर न निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। आप अनुपस्थित थे पहले और फिर आपको समय दे दिया गया। अब बिराजें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मांग करते हुये मैं समाप्त करता हूं कि भीलवाड़ा में माइका उद्योग मृतप्राय: हो गया है उसके विकास की तुरन्त कोई योजना लागू की जाय व दरीबा रॉक फास्फेट परियोजना को तुरन्त चालू किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुझे भी समय देने के लिए कहा था। मैं हाजिर नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका कटौती प्रस्ताव था ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : अब मंत्री महोदय को बोलने दें।

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री, पंचायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की मांगों को लेकर कटौती प्रस्तावों पर जो बहस हुई है उस पर कई सुझाव आये। कुल मिलाकर दो बातों के बारे में इस सदन के माननीय सदस्य अधिक चिन्तित हैं। एक तो यह कि पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप क्या होगा और दूसरे यह कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कब होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार प्रदर्शन करता हूं विरोधी पक्ष के अन्दर बैठने वाले कांग्रेसी माननीय सदस्यों का कि जिन्होंने आज कुछ ईमानदारी से काम लिया है और इस सदन के सामने स्वीकार किया है कि पंचायती राज संस्थाओं को पेरेलाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वह इसलिए हुआ कि आज उनको स्वतंत्र चिन्तन करने का मौका मिला है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल जी नेहरू ने नागौर में इस पंचायती राज संस्था का उद्घाटन किया था। पंचायती राज का उद्घाटन होने के बाद विधिवत् पहली बार जो चुनाव हुए वह 1961 में हुए। इसके बाद जैसी कि मूल पंचायती राज अधिनियम में व्यवस्था थी कि 3 साल के बाद पुनः चुनाव होंगे, वह चुनाव दूसरी बार 1964 में हुए। 1964 या जनवरी, 1965 में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला

(श्री कैलाश मेघवाल)

परिषदों का गठन हो गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करना चाहता हूं आपके द्वारा इस सदन के सामने कि उस समय पंचायती राज संस्थाओं का जो स्वरूप था वह एक आदर्श स्वरूप था। वह आदर्श इसलिए था कि उसमें वह सारी भावनायें सन्निहित थीं जिनकी कि एक पंचायती राज व्यवस्था के अन्दर कल्पना की गयी थी, जिनकी महात्मा गांधी ने कल्पना की थी और श्री जयप्रकाश नारायण जी ने कल्पना की थी। पंचायतें इस देश में अनन्तः काल से ही चली आ रही हैं। ग्रामीण व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए ग्राम पंचायतों का बड़ा योग रहा है। इसलिए उनका विधवत् गठन करने के समय जो स्वरूप था उसमें दो बातें सामने थीं, एक तो अधिक से अधिक ग्रामीण जनता में ग्रामीण नेतृत्व उभारा जाकर विकास के कार्यों में उनकी मदद ली जा सके। मैं इस मुद्दे पर इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को दो रूप से उठाया था, आप क्या चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं या फिर जनता के प्रतिनिधियों के अन्दर कन्सोलिडेशन आफ पावर चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो बातें अलग अलग करके नहीं चलायी जा सकती हैं। तो जिस तरह से पंचायती राज की कल्पना है कि विकास के काम में ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग रहे और वह इसके अन्दर हिस्सेदारी करे ताकि एक प्रभावी ढंग से ग्रामीण नेतृत्व पनपे और धीरे धीरे जो पंचायती राज व्यवस्था है वह अधिक जनतांत्रिक इकाइयों के रूप में काम कर सके। इस कल्पना के साथ प्रारम्भ में जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों को जिस तरह के अधिकार दिये गये थे वह अधिकार अपने आप में पर्याप्त थे। आर्थिक दृष्टि से जो उनके ऊपर भार था कई मायनों में। साधारणतः यह चुनाव 1965 में होने के बाद 3 साल बाद हो जाने चाहिए थे लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस बात के लिए कोई कारण नहीं नजर आता कि चुनाव क्यों नहीं हुए। यह व्यवस्था थी कि तीन साल के बाद चुनाव होने चाहिए। मूल अधिनियम में प्रावधान था कि एक साल तक उन चुनावों को बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार ने उस प्रावधान का प्रयोग करते हुए 3 साल के बाद एक साल के लिए चुनाव आगे बढ़ा दिये और 1 साल के बाद भी चुनाव नहीं करा सकी। एक साल के बाद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार चुनाव नहीं करा सकी। कानून के अन्दर व्यवस्था थी कि 4 साल के आगे चुनाव नहीं बढ़ाये जा सकें तो फिर अध्यादेश का उपयोग किया गया। अध्यादेश जारी करने के जो सरकार के अधिकार हैं उन अधिकारों का जितना बुरी तरह और जितना गलत ढंग से पंचायती राज संस्थाओं के बारे में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने प्रयोग किया उसका उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता। यह इसलिए कि एक के बाद एक 5 अध्यादेश इसी बात के जारी किये गये कि ग्राम पंचायतों के चुनावों की अवधि आगे बढ़ाई जाये।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पहला अध्यादेश इस बात के लिए जारी हुआ कि जिन ग्राम पंचायतों को ग्रामीण जनता ने 3 साल के लिए चुना था उनकी अवधि उस अध्यादेश से 5 साल कर

(श्री कैलाश मेघवाल)

दी गयी। 5 साल की अवधि होने के साथ वही प्रोवीजो बना रहा कि राज्य सरकार एक साल के लिए और बढ़ा सकती है। तो 5 साल की अवधि के साथ वैसा प्राविजो कर दिया और एक साल फिर अध्यादेश के जरिये चुनाव आगे बढ़ा दिये। इस तरह से 6 साल हो गए। इसके बाद भी राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। फिर एक अध्यादेश द्वारा घोषणा की गयी। इस तरह लगातार घोषणा करने के बाद आखिरी बार 1974 में एक अन्तिम अध्यादेश निकाला और इस बात की घोषणा कर दी कि 31 दिसम्बर, 1977 तक चुनाव नहीं होंगे।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह 5 बार अध्यादेश निकाले गये और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लगातार 13 साल तक टाले जाते रहे। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश में 1967 को आम चुनाव हुए। 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए। 1972 में फिर से आम चुनाव हुए विधान सभाओं के। इसके बाद ऐसा कोई कारण नहीं था कि ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं होते। लेकिन जैसे कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात प्रकट की कि यह पंच, सरपंच प्रधान और प्रमुख लोगों को कब्जे में लेकर इनको वोट प्राप्त करने का माध्यम बनाकर कांग्रेसी सरकार ने अपनी राजनीति जारी रखी। इसलिए आज उनको स्वयं को स्वीकार करना पड़ रहा है कि पंचायती राज संस्थायें मर रही हैं, चौराहे पर खड़ी हैं, भूल-भुलैयां की स्थिति में खड़ी हैं और पैरेलाइज की स्थिति में खड़ी है। वह माननीय सदस्य नहीं हैं वह उपस्थित होते मैं पूछ लेता कि यह अध्यादेश कौन लाया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्था का जो घिनौना स्वरूप है इस स्वरूप को बनाने में कांग्रेस सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसको शायद राजनैतिक परिवर्तन में हम लोग भुला सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता कभी नहीं भूलेगी और इसलिए नहीं भूलेगी कि 13 साल तक जिस तरह पट्टेदारी देकर अपने एजेन्ट के रूप में कांग्रेस सरकार ने इनको काम में लिया उससे इनका घिनौना स्वरूप सामने आया है और वह अक्षम्य है।

आज की तारीख में भी 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा है और यह वह आंकड़ा है जो कि वसूलियों का है। तो यह जो पैसा दिया जाता रहा, धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती गयी और पैसे का दुरुपयोग होता चला गया। विकास विभाग का काम था कर्ज देने का, बीज बांटने का—इसका 25 लाख रुपया ऐसा है जिसकी वसूली पंचायती राज से होनी है। यह वसूली कैसे होगी इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

यह मैंने इसलिए निवेदन किया कि भूतपूर्व पंचायती राज मंत्री ने एक आरोप लगाया कि मैं सरपंचों को निलम्बित करने में आनन्द अनुभव करता हूं, मुस्कराहट लेता हूं। अब दो परिस्थितियां हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि देश में कानून की एक प्रक्रिया है और राजस्थान पंचायत अधिनियम

(श्री कैलाश मेघवाल)

कांग्रेस सरकार की देन है । यह अधिनियम 1953 में बना और राजस्थान में उस समय कांग्रेस का शासन था । देश में भारतीय दण्ड संहिता (इण्डियन पेनल कोड) बना हुआ है, ऐसी स्थिति में मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर कोई सरपंच गबन करता है, अगर कोई सरपंच ऐसी गतिविधियां करता है कि जो राजस्थान पंचायत अधिनियम के प्रावधान के विपरीत जाती हैं, कोई सरपंच अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है या नाजायज तौर से पंचायत कोष को खुर्द बुर्द करता है और जैसा कि कल परसों भी सवाल आया तब एक माननीय सदस्य श्री रघुनाथ विश्नोई ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया था कि 13 साल में जिस तरह की कार्यप्रणाली पंचायती राज की रही है उसमें आज कोई भी सरपंच ऐसा नहीं रहा है, अगर ढूंढा जाये तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो केस से बच जाये । 7300 पंच हों जहां, जहां आडिट रिपोर्ट्स हों, जहां लाखों रुपयों के घोटाले हों, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं 10 साल तक इस बात की पत्रावलियां चलती रहीं । राजनैतिक संरक्षण के आधार पर, जिन पर गबन के आरोप साबित हो चुके हैं, उनकी पत्रावलियों विभागीय जांच के नाम से रोकी गईं । अब पुलिस को सूचना दी जायेगी, तो कई तरह के रिकार्ड नष्ट करने के प्रयास भी चल रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के कोने कोने से शिकायतें आ रही हैं । यहां भी माननीय सदस्यों ने मुझ पर आरोप लगाये हैं कि आपने प्रधान को समाप्त किया, प्रमुख को समाप्त किया, सरपंच को क्यों छोड़ दिया । हमारे हाथ से सभी जाने वाला है इस स्थिति को सरपंच जानते हैं । इसलिये पंचायत की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द रहे हैं । सारे राजस्थान से इस तरह की शिकायत आ रही हैं । कभी कभी सोचता हूं क्या स्वरूप दें क्योंकि अब स्थिति बहुत अधिक उभर रही है । अगर पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली बनाना है तो इकानामिकली वायबल यूनिट्स को प्रोत्साहन देना पड़ेगा और उस नाते मैं, श्रीमान्, निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम विकास के अन्तर्गत जिस समय पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई थी उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर है । उस समय विकास के कार्यक्रम कम थे आज ज्यादा चल रहे हैं । श्रीमान्, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि पंचायतों...

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान्, एक मिनट बोलना चाहता हूं जो माननीय मंत्री महोदय कहना भूल गये । कांग्रेस सरकार ने कैसे संरक्षण दिया । हमारे कावरा के सरपंच मनोपसिंह के खिलाफ 409 का मुकदमा जवाजा पुलिस स्टेशन पर हुआ, मुन्सिफ कोर्ट में चालान पेश किया गया जिसमें केस सेशन्स अजमेर को कमिट किया एवीडेंस दी जाने वाली थी परन्तु तत्कालीन मंत्री श्री नारायणसिंह मसूदा ने हस्तक्षेप करके राज्यपाल के आदेश से उस केस को विड्ड्रा करा दिया ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने केवल एक बात कही है, मैं ऐसे

(श्री कैलाश मेघवाल)

अनेकों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें केवल इस कारण से कि सरपंच कांग्रेस पार्टी का था, कांग्रेस की सिफारिश थी, भयंकर गबन के आरोप होते हुए भी पत्रावलियों में निलम्बन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए आदेश रद्द करके वापस बहाल किया गया है। माफी चाहता हूं मेरी कोई मन्शा नहीं किसी भी सरपंच को सस्पेन्ड करूं। 20—25 पत्रावलियों का मैं अवलोकन कर रहा हूं। जिसमें सरपंचों को निलम्बित किया गया है। जिसके खिलाफ प्राईमाफेसी गबन के आरोप, अनियमितताओं के आरोप हों, केवल इसलिये कि जांच चलती रहे इनको बहाल किया जाय, यह कतई समझ में नहीं आता है। एक बात और कही गई है कि हाई कोर्ट ने एक ऐसी रूलिंग दी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट की कोई रूलिंग होगी उसके आगे नमन करते हैं। हमारा सिद्धांत रहा है कि रूल आफ ला के अनुसार चलेंगे। 19 महीने तक इस देश में जो काली छाया रही उससे अनुभव हुआ है रूल ऑफ ला के अनुसार चलने का। हाई कोर्ट ने अगर ऐसा कोई फैसला दिया है तो उस फैसले का निश्चित रूप से पालन किया जायेगा, आदर किया जायेगा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने निलम्बित किये हैं। इस बात की शिकायतें आईं कि सरपंच पंचायत की सम्पत्ति को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। पंचायत अधिनियम में ऐसा प्रावधान है उस तरह के कार्य करने के लिये दो तिहाई बहुमत चाहिये लेकिन दो तीन पंच काम चला रहे हैं। एक नहीं ऐसी कई पंचायतें हैं जहां ऐसा कार्य कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे समय में भी क्या राज्य सरकार चुप बैठी रहे? इसके बारे में राजस्थान पंचायत अधिनियम 53 की धारा 17 (4) है उसमें अनफेटर्ड डिस्क्रिशन है सरकार को निलम्बन करने का। जहां पर प्रमाण दिये गये उन्हें निलम्बित किया है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री रामनारायण चौधरी : आपने बिना नोटिस दिये निलम्बन किया। किसी ने एफीडेविट दिया उस पर सस्पेन्ड कर दिया। मंत्री पंचायती राज का कस्टोडियन है और सरपंच एक सिपाही है। एफीडेविट पर सस्पेण्ड करना आपकी मेलाफाइड इन्टेन्शन है।

मेजर श्री फतह सिंह : और आपने कोर्ट जाने के बाद कैस को विद्ड्रा कर लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : उस सरपंच से आपकी दुश्मनी हो सकती है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे अफसोस है आज भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपकी मार्फत इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं गबन के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, वे 100 हों, 200 हों, 500 हों उन सबको निलम्बित करूंगा। इस तरह नहीं किया जा सकता जिस तरह कांग्रेस ने किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे पास जब आये। मैंने कहा प्रमाण लाइये तब मैं कुछ कर सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : जो शपथ-पत्र पर सस्पेन्ड करते हैं, यह कहीं लिखा

(श्री रामनारायण चौधरी)
हुआ नहीं। आप इस तरह गला काट नहीं सकते हैं....

श्री नवनीत कुमार : जांच का तो 12-12, 13-13 साल तक इन्तजार कर लिया। माननीय सदस्य, आपको यह मालूम होना चाहिये केवल शपथ-पत्र पर सस्पेन्ड नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मांग यह भी है कि इनकी भी जांच की जाय।

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामने खड़ा हूं। सरपंच मैं भी था। तीन नये पैसे के कारण मुकदमा मुझ पर चलाया गया है और मुझे प्रधान से सस्पेन्ड किया गया है। 10—10 साल से मुकदमें चल रहे है। आप क्या बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, कितने ही कैसेज माननीय मंत्री महोदय को दिये हैं....

(व्यवधान)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : हमने दो केस दिये थे लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की और कोई जांच नहीं की। हमारा आरोप है हमारे पंचायत मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : राजनैतिक आधार पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। यह क्या कह रहे हैं ? हम गलत नहीं करने देंगे। किसी भी बेईमान को नहीं छोड़ेंगे। हमारा राजनैतिक कोई आधार नहीं है। हम तो गलत काम करने वालों को पकड़ेंगे।

(पुनः व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं गुण्डा गर्दी और चापलूसी नहीं चलने दूंगा। जो भी सरपंचों ने गलत काम किये हैं या इन अफसरों ने गलत काम किये हैं या करवाये हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं सिद्ध कर सकता हूं, क्या समझते हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। जरा शान्ति से अपनी बात कहिये। इस तरह बीच बीच में आप इन्ट्रप्शन न करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इन्टरप्शन तो यहां से हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया आसन का भी ध्यान रखें। आप बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मंत्री महोदय के भाषण के बाद सवाल पूछ सकते हैं, पहले कैसे इन्ट्रप्शन कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जानकारी है, आप बिराजिये।

श्री नवनीत कुमार : हमें तो यह शिकायत है कि भ्रष्टाचार के अड्डे तो इन्होंने बना रखे हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतनलाल जी, मैं आपको कह चुका हूं। आपको बार बार कह चुका हूं आप कृपया शान्त रहें। जो कुछ कहें शान्ति से कहें।

श्री सम्पतराम (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं जब मंत्री महोदय बोल रहे हैं उस समय माननीय सदस्य इन्ट्रप्शन न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सदन की सारी प्रोसीडिंग्स को सुचारु रूप से चलाने में कृपया मदद करेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं हमेशा के लिये कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : जनता पार्टी को बचाना है तो कन्ट्रोल कर लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया पर्सनल कमेन्टस मत कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगें लेकिन जब पंचायत राज की मांग पर बहस हो रही थी उस समय जो उन्होंने आरोप लगाये हैं जिन्होंने पंचायत राज को इस रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। हमें कैसा स्वरूप देना है, क्या स्थिति आगे बनेगी मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन की शंका व्यक्त करना चाहता हूं। यह जो स्वरूप है जिसमें पंचायत राज पंगु दिख रहा है, जिसमें गन्दगी भरी हुई है और बदबू दे रहा है इस सारे में क्या ढांचा बनेगा इसके बारे में जो अब हम इस पर चिन्तन कर रहे हैं, वह सरकार के विचाराधीन है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं पंचायत राज संस्था के मुद्दे सरकार के पास विचाराधीन हैं और उसमें कई प्रकार की स्थितियां आई हैं तो उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज यह प्रश्न उठाया गया कि टू टायर सिस्टम रहे या थ्री टायर सिस्टम रहे। इस मामले में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम राजस्थान को एक ऐसा पंचायती राज देना चाहते हैं जो ग्रामीण विकास की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और उसमें जितनी एजेन्सीज काम कर रही हैं उनका सबका सहयोग और समावेश होना चाहिये। आज मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं ग्रामों में कई तरह की एजेन्सीज काम कर रही हैं। इन ऐजेन्सीज के लिये इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे कार्य ऐसे हैं जो पंचायत राज के स्वरूप को निखारने में और पंचायतों को अधिक सुदृढ़ बनाने में सहयोग दें ताकि ग्रामीण जनता को यह विश्वास हो कि उनके सहयोग से और उनकी राय से सब कुछ हो रहा है। इस तरह की एजेन्सीज काम कर रही हैं। आज कापरेटिव इन्स्टीट्यूशन काम कर रहा है, ग्रामों में सहकारी समिति के आधार पर विकास के कुछ कार्य हाथ में लिये गये हैं लेकिन जो सामंजस्य प्रारम्भ में पंचायत राज संस्थाओं के साथ था वह अलग हो गया। वे यह सोचने लगे कि यह अलग काम है। आज स्माल फार्मर डवलपमेन्ट ऐजेन्सीज गांवों के विकास के लिये काम कर रही है

(श्री कैलाश मेघवाल)

दूसरी मार्जिनल फार्मर्स एन्ड एग्रीकल्चरल डवलपमेन्ट एजेन्सीज काम कर रही हैं इसके आधार पर लाखों रुपये अलग अलग रूप में किसानों को दिये जा रहे हैं। हम चाहते हैं पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् में सामंजस्य रहे। आज वह बिलकुल अलग इकाई के रूप में काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऐजेन्सीज है जो अलग से इकाई के रूप में काम कर रही हैं। इसके बाद तीसरा एग्रीकल्चरल रि-फाइनेन्स कार्पोरेशन है वह भी ग्रामीण विकास के लिये काम कर रहा है, चौथी संस्था कमान्ड ऐरिया डवलपमेंट है। इस तरह अलग अलग एजेन्सीज गांवों में अलग अलग ढंग से ग्रामीण विकास के लिये इकाई बन-कर काम कर रही हैं। ये चीजें मैंने सदन के सामने इसलिये रखी हैं कि जो चिन्तन चल रहा है और जो मुद्दे विचारा-धीन हैं कि ग्राम पंचायत एक वायबल यूनिट बने और उसका स्वरूप इस तरह का निखरे कि आने वाले समय में, भविष्य में किसान, मजदूर, गांव का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस करे कि हमारे विकास का कार्य हो रहा है। यह नहीं हो कि ऊपर से योजनायें आ गई और उसके आधार पर काम किया जाय। हम चाहते हैं मास लेवल पर सही मायने में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रालाइजेशन की सही सुन्दर कल्पना जनता के सामने आये और उसमें अधिक से अधिक सहयोग चाहते हैं। यह सरकार के विचाराधीन आज यह कहना पड़ रहा है कि पंचायत समितियों के अन्दर कई टैंक्स है लेकिन उनकी मरम्मत के लिए कोई प्रावधान नहीं है। बन्धे तहस-नहस हो रहे हैं लेकिन उनकी मरम्मत का उनके बजट में कोई प्रावधान नहीं हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं है। पंचायतों में लाखों रुपया सरकारी खजाने का खर्चा हुआ है लेकिन फिर भी आज पंचायत समितियां पंगु हैं।

शिक्षा के बारे में कहा गया है, ग्राम पंचायतों को तत्कालीन सरकार ने मिडिल स्तर तक की शिक्षा दी थी। आज यह हालत है कि पंचायत राज संस्थाओं से मिडिल स्तर की शिक्षा वापस ले ली है। आज यह भी आवाज उठ रही है कि प्राइमरी शिक्षा भी पंचायतों से ले ली जाय····

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको बताना चाहता हूं मिडिल स्कूल पंचायतों के पास कभी नहीं रही हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, आपके सामने विस्तार से इसलिए निवेदन कर रहा हूं चूंकि यह सारा कोर्डिनेशन बैठाकर ही तय करना है। टू टायर सिस्टम हो, थ्री टायर सिस्टम हो उनकी इकोनोमी, उनकी अन्य सुविधाओं की दृष्टि से किस तरह एक वायबल यूनिट हो ये सब तय करने वाले मुद्दे हैं। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि इसको पूरा कीजिए और उसको पूरा कीजिये। कुछ ने कहा इनको रखिये और इनको निकालिए। लेकिन अधिकतर माननीय सदस्यों ने कहा कि चुनाव कराने चाहिए। 13–14 साल हो गये है और चुनाव नहीं हुये हैं इससे गांव वाले असन्तुष्ट हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसी प्रारम्भ में घोषणा हुई है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप करके घोषणा की

(श्री कैलाश मेघवाल)

थी कि राज्य सरकार चुनाव किसी भी रूप में नहीं टालना चाहती है। सारी स्थिति देखने में, अध्ययन करने में कुछ समय तो अवश्य चाहिए। पुनर्गठन के प्रश्न पर हमको बहुत अधिक समय लगने की भी सम्भावना हो सकती है तो उस पुनर्गठन के प्रश्न को अभी छोड़ भी सकते है और इतना संशोधन कर लें कि जिससे काम चल जाय, आज जो स्वरूप है उससे निकल सकें। लेकिन चुनाव निश्चित रूप से करवायेंगे, इससे भी ग्रामों में संतोष का एक बहुत बड़ा काम होगा।

इसके बाद कटौती प्रस्तावों के बारे में निवेदन कर दूं कि अलग अलग माननीय सदस्यों ने कई तरह के कटौती प्रस्ताव दिये हैं। कुछ सरपंचों के विरुद्ध हैं तो कोई अधिकारियों के विरुद्ध हैं तो कोई किसी प्रधान के विरुद्ध हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैंने वे सभी कटौती प्रस्ताव नोट कर लिये हैं। मैं निश्चित रूप से उनके बारे में लिखित में जवाब दूंगा, उनकी क्या स्थिति है, हमारे विभाग के पास पत्रावली होगी तो उस पत्रावली को निकलवा कर जो भी स्थिति है उससे उनको अवगत कराऊंगा। अगर विभाग में पत्रावली नहीं है, विभाग के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो मैं व्यक्तिश: जो सम्बन्धित राजकीय अधिकारी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके आपको पूरी सूचना दूंगा कि इसमें क्या करने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा हमेशा यह प्रयत्न होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल इसलिए कि सस्पेंड करना है इसलिए सस्पेंड किया जाय, यह कोई मंशा नहीं है। लेकिन आज कोई न कोई सुधार तो करना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं से प्रारम्भ करना पड़ेगा जहां से सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो। यह भी सच है कि आज जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उनको देखते हुए जो कानूनी प्रावधान हैं, उनका प्रयोग किया जाय।

मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि सभी सदस्यों के जितने कटौती प्रस्ताव आए हैं उनके विषय में विस्तार से जवाब दे दूंगा। आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि माननीय सदस्यों ने चर्चा में जितने भी मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में अलग से जवाब दूंगा।

मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, सदन से निवेदन करूंगा कि पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जो मांग रखी गई है उसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में फर्मायेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया है कि उनका चिंतन चल रहा है और मामला विचाराधीन है कि टू टायर सिस्टम हो, थ्री टायर सिस्टम हो या सेवन टायर सिस्टम हो। तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि उनको चिंतन और विचार करने में कितना समय लगेगा ?

दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला परिषदों के

(श्री रामनारायण चौधरी)

बाद पंचायत समितियों को आपने भग कर दिया और सरपंचों को सस्पेंड कर रहे हैं तो माननीय मंत्री महोदय इसके चुनाव करवाने में कितना समय लेंगे ? ये दोनों बातें स्पष्ट कर दें । अगर ये दोनों बातें स्पष्ट नहीं होती हैं तो जो सस्पेंस बना हुआ है वह नहीं मिट सकता है । यह बात सही है कि चुनाव नहीं होने से असंतोष है । आप पुरानी बातों को दोहरा रहे हैं कि हमने यह किया वह किया, हम यह जानना चाहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं । आप स्पष्ट घोषणा कर दें कि कितने दिनों में चुनाव करायेंगे ? 26 जनवरी तक चुनाव सम्पूर्ण करवा देंगे ? यह परम्परा छोड़िये जैसे कांग्रेस सरकार में होता था कि यह विचाराधीन है, यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं । अब तो कांग्रेस सरकार नहीं है, अब आप सुधार क्यों नहीं करते हैं ? यहां पर तो वे लोग भी बैठे हैं जो लोहियाजी के अनुयायी हैं और जो यह मानते हैं कि हम पुरानी परम्पराओं को तोड़ेंगे । तो जो पुरानी परम्परायें हैं उनको तोड़िये । माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट घोषणा करें कि चुनाव कौन सी तारीख को करा देंगे ? दूसरा यह कि टू टायर सिस्टम होगा या थ्री टायर सिस्टम होगा ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जो आपने काले कानून बना रखे थे उनको भी तो बदलना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी है ।

श्री नवनीत पालीवाल : एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय । आपने भ्रष्टाचार के विशाल वट वृक्ष की डालों को भी छान लिया, जिला परिषदों के प्रमुखों को छान लिया और उसके बाद प्रधानों को छान लिया । अब सरपंचों के रूप में जो जड़ें गहरी बची हैं उनका सफाया आप कब तक कर रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : जवाब दे दिया है ।

श्री समरथ लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार के सरपंचों पर जो मुकदमें चल रहे हैं उनमें से कुछ को तो आपने दण्डित कर दिया । क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे जितने ऐसे सरपंच हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सरपंचों को जब तक ये पंचायतें भंग हों उससे पहले ही दण्डित किया जा सकेगा या बाद में किया जायेगा ?

श्री अब्दुल अजीज : मैं भी एक बात पूछ लूं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बाकी क्यों रहें, पूछिए ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं जनता पार्टी के राज्य मंत्री पंचायत से निवेदन करता हूं...

श्री नवनीत पालीवाल : राजस्थान सरकार के मंत्री से कहिये ।

श्री अब्दुल अजीज : राजस्थान सरकार के मंत्री से कह देता हूं । इस सदन में मुख्य मंत्रीजी के द्वारा कुछ इंजीनियर्स को और

(श्री अब्दुल अजीज)

कुछ अन्य लोगों का सस्पेंशन होने के बाद मैंने एक रोज आपके सामने यह बात रखी थी कि श्री डाबलसिंह, ए. ई. ओ., पंचायत समिति मकराना के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की बहुत शिकायतें हैं और उसने साठ-सत्तर हजार रुपये का गबन किया है। उसके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्यवाही की गई हो तो वह मेरी नालेज में नहीं आई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कुछ कहिये। आप पंचायत राज के मंत्री हैं और इससे ताल्लुक रखते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं सारे रिकार्ड सदन में पेश कर दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगर उन्होंने इस तरह के प्रमाण दिये, जैसा अभी कहा है उसके बारे में प्रामाणिक सबूत दिये तो ए. ई. ओ. के खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अब्दुल अजीज : यह सदन में रिकार्ड है, आप मुलाहेजा कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप और दे दीजिए।

श्री अब्दुल अजीज : मैं आसन से बराबर तीन रोज से यह जानकारी ले रहा हूं कि हम लोग मंत्रियों को अलग से रिप्रजेण्टेशन दें वह ज्यादा मोटिवेट करता है या जो कुछ यहां असेम्बली में कहा जाता है वह ज्यादा मोटिवेट करता है ? कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है ? जो कुछ सदन में कहा जाता है वह हुकूमत को चलाने में ज्यादा अहमियत रखता है या कि हम लोग अलग अलग जा कर के कागज मंत्रियों को दें, वह ज्यादा अहमियत रखता है ? सभापतिजी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। तीन रोज से मुतवातिर यह सवाल उठा रहा हूं कि आया जो हम यहां कहना चाहते हैं वह सरकार को ज्यादा मोटिवेट करता है या अलग अलग रिप्रेजेण्टेशन उनके घरों पर जाकर दें वह ज्यादा मोटिवेट करेगा ? अगर घर पर जाने से ज्यादा इफेक्ट करता है तो कहां से तो रिक्शे के पैसे लायेंगे, कैसे उनके पास पहुंचेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने बहुत इम्पोर्टेन्ट बात कही है। यह बात बिल्कुल सही है कि यहां असेम्बली फ्लोर पर जो कुछ कहा जाय तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को उसका नोट लेना चाहिए। अगर कोई भी माननीय सदस्य निष्पक्ष डाकूमेंट सहित कोई मामला पेश करते हैं, चाहे वह कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट घोटाले हों या कोई और हों, यह माननीय सदस्य की नेकनियति है कि अपने शासन काल में हुए पापों को उजागर कर रहे हैं....

श्री अब्दुल अजीज : यह तो अभी छः महीने पहले का मामला है।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये किसी विशेष अधिकारी के खिलाफ और यह सरकार से आशा की है कि हम स्वतंत्र और सही जांच करेंगे और उनके मामले को डील

(श्री सम्पतराम)

करेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो माननीय सदस्य सरकार की जानकारी में कोई भी इस प्रकार की बात किसी कर्मचारी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ लाते हैं, तो सरकार उस पर बराबर ध्यान देगी। लेकिन सरकार यह भी अनुरोध करेगी माननीय सदस्यों से कि जो चार्ज लगायें, जो कोई आरोप लगायें या किसी प्रकार की ऐसी बात कहते हैं तो उसके साथ एडीशनल रिकार्ड भी दे दें तो मदद होगी। माननीय सदस्य ने जो बात कही है और माननीय सदस्य कहते हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में पूरी बात है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर पूरा रिकार्ड उपलब्ध है तो हम दो महीने में कार्यवाही करके बता देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : केवल एक प्रश्न का उत्तर रह गया। भूतपूर्व मंत्री····

श्री उपाध्यक्ष : हो गया अब।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके चिंतन का समय तो बतलाइये।

श्री नवनीत पालीवाल : आप निश्चित रहिये, आपकी तरह 13 साल नहीं लगेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सारी बातें आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन कर दीं। हम इस सारे चिंतन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। यह हाई पावर कमेटी का निर्णय भूतपूर्व मंत्रिमण्डल का था और इससे बहुत से इकोनोमिकल प्रास्पेक्ट्स इन्वाल्व्ड हैं, वह लागू किये जा सकते हैं या नहीं, इसका भी अध्ययन कर रहे हैं। माथुर साहब ने तो डिक्लेयर ही कर दिया कि यह बिल्कुल बेकार रिपोर्ट है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस सारे चिंतन की प्रक्रिया से गुजरने में, पुनर्गठन की प्रक्रिया में से निकलने में समय लगने की सम्भावना हुई तो भी चुनावों को टाला नहीं जाएगा। मैं विश्वासपूर्वक घोषणा करता हूं कि चुनाव टालने की कतई इच्छा नहीं है। इन सारे संशोधनों को करने की जरूरत होने पर भी जितने संशोधनों से काम चल सकेगा उतने करने के बाद भी निश्चित रूप से चुनाव जनवरी तक करवा दिए जावेंगे।

श्री समरथलाल : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने निवेदन किया था कि जिन सरपंचों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी थी वह की है। अब भी इन सरपंचों के खिलाफ इस सदन के अन्दर जो आरोप लगाये गये हैं, क्या उन आरोपों की जांच आप पंचायतों को बरखास्त करने के पहले कर देंगे?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मैं निवेदन कर दूं जो आरोप यहां पर लगाये गये हैं, आपके प्रति उनकी भी तो जांच हो जाए।

श्री सूर्यप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा जिन सरपंचों ने भ्रष्टाचार फैलाया है, उनको निलम्बित किया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है। उन सरपंचों को प्रोत्साहन देने वाले जो ठेकेदार है, उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही है? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सरपंचों के जो ठेकेदार हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी रेप्लाई देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (राज्य मंत्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज के मामले में बहुत सम्पन्न है। जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, अधिक से अधिक खनिजों का दोहन हो सके, इसको आधार मान कर, खनिजों के जरिये अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इसको आधार मान कर, अधिक से अधिक खनिज का उपयोग हो सके, इसको आधार मान कर, पूरी तरह से चिन्तन चल रहा है।

श्रीमन्, मैं आपको निवेदन करूं कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है, जहां पर प्रदेश के जस्ता, सीसा, पन्ना का शत प्रतिशत उत्पादन होता है। रॉक फास्फेट 96 प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। इसकी झामरकोटड़ा में माइन्स हैं। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान को खनिज के रूप में उभारने के लिए, खानों को आर्थिक आधार मानकर इस साल जो योजनाएं हाथ में ली गई हैं, उनके अनुसार राजस्थान में दस हजार लोगों को रोजगार दिया जा सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन खानों को देने में नये ढंग से सोचा जा रहा है, प्रक्रिया अपनायी जा रही है। अधिकांश माननीय सदस्यों का यह कहना था कि जो लीज एलाट की जाएगी, वह किस तरह से की जाएगी। किस प्राथमिकता के आधार पर करना चाहते हैं। हम जो प्राथमिकता और आधार बनाना चाहते हैं, उसमें जो पहले एक्चुअल माइनर हैं, उसको देंगे। फिर जो मेन्युअल लेबर है, उसको देंगे। इसके बाद शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को देंगे। इसके बाद विलेज के पार्टीजन को देंगे उसके बाद लेन्डलेस लेबर को, उसके बाद एक्स सोल्जर को और उसके बाद डिसएबल्ड गवर्नमेंन्ट सर्वेन्ट को देंगे। यह आर्डर आफ प्रिफरेन्स है जिसके आधार पर खानों को अलाट किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजोलिया, जोधपुर में दो हजार पत्थर के पट्टे उपलब्ध हैं। वहां नई खानें अलाट की जा रही हैं। इन दो हजार खानों के लिए जोधपुर में आवेदन-पत्र आ चुके हैं। बिजोलिया के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाएंगे और इस आधार पर अलाटमेंट किया जाएगा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर में भी इसी तरह की योजना है। दो हजार नई खानों को आवंटित किया जाएगा।

खानों को उभारने के लिए यहां पर माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि सड़कों का अभाव है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खानों का विकास अधिक से अधिक हो, खनिजों का दोहन बहुत अच्छे कारगर ढंग से हो, उसके लिए हम स्वयं यह मानते हैं कि उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए लिंक रोड होनी चाहिये। 1976–77 में खानों पर सड़कें बनाने के लिए जो प्रावधान रखा गया था वह 21.38 लाख था। इस साल इस प्रावधान को बढ़ाकर 72 लाख रुपये कर

(श्री कैलाश मेघवाल)
दिया गया है। करीब करीब चार गुना खानों के लिंक रोड पर खर्च करेंगे।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। कहां कहां पर खानें इस प्रकार की उपलब्ध हैं, कौन कौन सा खनिज कहां कहां पर उपलब्ध है, किस तरह का है, यह सर्वेक्षण की प्रक्रिया विभाग द्वारा सारे राजस्थान में चलाई जा रही है। बहुत संक्षेप में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ, कि कई तरह की खानों का पता लगाया जा चुका है जसवन्तगढ़, नाथद्वारा, मकराना, झामरकोटडा इत्यादि में फ्लोराइट रॉक फास्फेट की ड्रिलिंग चल रही है। मकराना में संगमरमर का नया क्षेत्र तैयार किया गया है। वहां पर जो पानी भर गया है, उसके बारे में मैं यह निवेदन कर दूं कि वहां पानी निकालने की स्थिति रहती कहां है। जो पानी भर गया है, उसको कहां डालेंगे। इसलिए जिन लोगों की माइन्स है, यह उनकी ही जिम्मेदारी है। विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि पानी भर गया तो विभाग कार्यवाही करे। फिर भी विभाग इस बात पर विचार करेगा। जो छोटे माइनर्स हैं, उनको सुविधा देने की प्रक्रिया चालू है और उसके लिए प्रावधान करने की कोशिश की जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि···

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी भर गया है। छोटे-छोटे खान वाले हैं। लो लेविल पर हैं। गये साल भी इस प्रकार की व्यवस्था पिछली सरकार ने की थी। आपके विभाग के इन्जीनियर्स बैठे हैं, पम्प लगाकर डि-वाटरिंग किया गया था। ऐसा आप नहीं करेंगे तो जनता खुद अपने तरीके से सुविधा लेना जानती है। आप सुविधा दें वरना लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी को मुकर्रर करें और डि-वाटरिंग करें। यह लो लेवल का एरिया है। डि-वाटरिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कृपया आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि माइनर्स के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है। सरकार हर सम्भव सहयोग देने के लिए तत्पर है। जो माइन्स में पानी भरा है और जो स्थिति है, वह मैंने देख रखी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। मंत्री महोदय को पहले कह लेने दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार खनिज आधारित जो उद्योग हैं, उनको स्थापित करने में कई तरह से प्रोत्साहन दे रही है अकेले संगमरमर के उद्योग में सात से अधिक मारबल कटिंग, पोलिशिंग के लिए राजस्थान वित्त निगम से ऋण दिलाने की व्यवस्था की गई है। जहां जहां भी खनिजों का दोहन हो रहा है, वहां पर लेसीज को इस बात के लिए तैयार किया जाता है, आश्वासन दिया है कि इन खानों का किसी न किसी तरह से खनिज के आधार पर उद्योग को लगाएगे।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसी प्रकार विभाग के पुनर्गठन का भी प्रयत्न चल रहा है। विभाग का जो गठन है, उसके अनुसार कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। इस विभाग की अभी 22 यूनिट हैं। पुनर्गठन के आधार पर 33 या 30 बनाने का विचार है। उसके बाद माइनर्स की अधिक सेवा कर सकेंगे।

रायल्टी की चोरियां रोकने के सम्बन्ध में कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। शिकायतें भी की गई हैं। विभाग की तरफ से चोरियों को रोकने का तेजी से काम किया जायगा। रायल्टी की चोरियां रोकने के लिए एक फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया जा रहा है। कोई भी सूचना, किसी आधार पर या सूत्र पर प्राप्त होगी, फ्लाइंग स्क्वाड इस तरह की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगा।

सारे राजस्थान का खनिज के रूप में सर्वे लगातार होते रहना चाहिए। इसकी प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। इसलिए विशेष रूप से सर्वे की यूनिट खोली जा रही है।

इसी प्रकार वसूली के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है। जो वसूलियां बकाया हैं मैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बकाया हैं उनको वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में जो राज्य सरकार कर सकेगी, वह अवश्य करेगी।

इसके साथ साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि रॉक-फास्फेट प्राप्त करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। झामरकोटड़ा में जो आधुनिकतम मशीनें हो सकती है, वह मशीनें आ भी गई हैं। इस बारे में कदम उठाये जा रहे हैं।

जो भी शिकायतें माननीय सदस्यों ने की हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जांच की जाएगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर डाकूमेंट्स के आधार पर अगर पूरी शिकायतें हैं तो जांच की दिशा में अधिक आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए जो अलग-अलग कटौती प्रस्ताव रखे गए हैं, उनमें उठाये गये मुद्दों के बारे में जो उल्लेख है, उन सारे मामलों में निष्पक्ष जाँच की जायेगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का पक्षपात नहीं चलने दिया जाएगा। चाहे कितनी ही बड़ी पार्टी हो उससे सामूहिक तरीके से निपटा जायेगा। विभाग के कोई अधिकारी गलत कार्यों में सहयोग देते हैं अथवा भ्रष्टाचारी हैं, तो उनसे भी निपटा जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि जो मांगें प्रस्तुत हैं, वह पारित करवायें।

श्री अब्दुल अजीज : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि अब जो नयी माइन्स का एलाटमेंट करेंगे तो जयपुर और जोधपुर के उन लोगों को कर देंगे जो ऐसे काम को करना नहीं जानते हैं या आर्टिजन्स को करेंगे या उन लोगों को करेंगे जिनका इस कार्य से कोई वास्ता नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को बता दिया गया है।

श्री कौशलकिशोर जैन : दरीबा, भीलवाड़ा से 11 मील पर है। वहां रॉक-फास्फेट है। उसके बारे में सर्वे हो चुका है। उसके बारे में जानकारी देने की मंत्री महोदय कृपा करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : बीकानेर जिले की माइन्स हैं, वह एक ही परिवार के लोगों ने ली हुई हैं। उनके बारे में जानकारी देंगे ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा जिले में, उपाध्यक्ष महोदय, जो पत्थर की खानें हैं, उनके विकास के बारे में राज्य सरकार क्या करने जा रही है ? उनके पट्टे · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सम्पतराम : मेरा प्वाइण्ट ग्राफ ग्रॉर्डर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ ग्रापके माध्यम से। जो कटमोशन ग्राये उन पर सदन में माननीय सदस्य बोल चुके हैं। इस-लिये हर ग्रादमी के द्वारा प्रश्न पूछने की बात नहीं होनी चाहिए। ग्रगर कोई बहुत महत्व-पूर्ण क्वेश्चन हो तो वह पूछ सकते हैं। यह नहीं हो सकता है कि डिबेट होने के बाद फिर पूछा जाये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : ऐसा मालूम होता है कि हमारे पार्लियामेण्ट्री मिनिस्टर हैं, he is martial minister.

श्री रामनारायण चौधरी : जो प्रश्न उठाये जाते हैं, उनके बारे में पहले भी एक-एक घण्टे लगातार पूछताछ होती थी। वह प्रेक्टिस जरूरी है। मिनिस्टर के उत्तर में कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं ग्राते हैं तो सप्ली-मेण्ट्री करके जानकारी ली जाती है। यह गलत प्रेक्टिस है कि पूछे नहीं और मौन होकर बैठ जायें।

श्री रतनलाल वर्मा : नकलची नहीं बनो, ग्रकलची बनो।

श्री ग्रमृतलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो माइन्स का ग्रलाटमेंट होता है क्या वह उन्हीं लोगों को ग्रलाट की जायेगी जो कि बड़े लोग हैं ? मेरा निवेदन है कि खनिज क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त किया जाये। उन लोगों को ग्रलाटमेंट किया जाये जो कि खनन कर सकते हैं। बड़े लोगों को ही नहीं किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,18,75,000 रु. तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री रामनारायण चौधरी : नो।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : Only one voice वह भी भूतपूर्व की।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 माइन्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महो-दय को 11,26,31,000 रु. तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.18 बजे शनिवार दिनांक 24 सितम्बर, 1977 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट

पंचायत समिति इटावा के गांवों की जल प्रदाय योजना

374. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)— क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, इटावा में कितने गांव ऐसे हैं जहां जलदाय योजना लागू की जा सकती है तथा कितने गांवों में अभी जलदाय योजना लागू है ?

(2) क्या जलदाय योजना लागू करने हेतु गांव वालों से कुछ राशि जमा कराई गई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ? इन गांवों में अभी तक जलदाय योजना लागू क्यों नहीं हुई तथा सरकार इस हेतु क्या प्रयत्न कर रही है ?

(3) पंचायत समिति, इटावे में कितने गांव ऐसे हैं जहां पेय जल का नितान्त अभाव है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। सरकार ने इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अब तक क्या प्रयत्न किये ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में वर्तमान नियमों के अनुसार पन्द्रह ग्रामों में जल प्रदाय योजना लागू की जा सकती है। अभी तक किसी ग्राम में जल प्रदाय योजना लागू नहीं की गई है।

(2) जी हां। निम्न प्रकार राशि जमा करवाई गई है :—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	जन सहयोग	दिनांक
1.	सुमेरगंज मण्डी	2500) रु.	21-3-74
2.	पीपलादाकलां	2500) रु.	3-8-73
3.	जैता	4580) रु.	28-7-73

धनाभाव के कारण लागू नहीं की जा सकी। धन उपलब्ध होने पर जिला आयोजना समिति की प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं पर विचार किया जावेगा।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इस क्षेत्र का मास्टर प्लान बना लिया गया है और इन समस्याग्रस्त गांवों में धन उपलब्ध होने तथा जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव आने पर कार्य प्रारम्भ कराने पर विचार किया जावेगा।

प्रश्न 3 की सूची

पंचायत समिति, पीपलदा के समस्याग्रस्त ग्राम

1.	झीराना	फ्लोराइड ग्रस्त
2.	लक्ष्मीपुरा	फ्लोराइड ग्रस्त
3.	श्योगंज	फ्लोराइड ग्रस्त
4.	चकटोरी	खारा पानी
5.	सनमनपुर	खारा पानी
6.	खातोली	खारा पानी
7.	खेरड़ी बारीसर	खारा पानी
8.	श्रीपुर	खारा पानी
9.	निथोड	खारा पानी
10.	ढडेरा	खारा पानी

मसूरिया पहाडी पर पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना

375. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा)–क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मसूरिया पहाड़ी पर पर्यटन केन्द्र बनाने की योजना अधूरी पड़ी हुई है ?

(2) जोधपुर नगर में मसूरिया पहाड़ी के सौन्दर्यकरण एवं पर्यटन केन्द्र का कार्य पुनः शुरू कराने के लिए राज्य सरकार ने कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है या की जाने की संभावना है ?

(3) क्या यह सही है कि इस योजना पर करीब 10 लाख की राशि सड़क आदि के निर्माण में खर्च की जा चुकी है। यदि हां, तो उसकी क्या उपयोगिता है ?

(4) उपरोक्त पर्यटन केन्द्र के निर्माण में राज्य सरकार प्राथमिकता देगी या नहीं ? अगर नहीं, तो किन बिन्दुओं के आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पुनः शुरू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। सार्वजनिक निर्माण

(पर्यटन मंत्री)
विभाग ने इसे विकसित करने के लिये 11,04,060 रुपये के अनुमान भेजे हैं।

(3) जी हां। पर्यटन विभाग ने अब तक तीन भागों में कुल 5.60 लाख की राशि सड़क निर्माण आदि के लिये स्वीकृत की है। जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अब तक रु. 8,38,433 व्यय किये हैं।

(4) वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

जयपुर नगर में जल व्यवस्था में सुधार

376. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :–क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर में किन-किन मोहल्लों में जल व्यवस्था (प्रेशर) में सुधार करने के लिये बड़ी पाइप लाइन डालकर मकानों का कनेक्शन कर दिया गया है और शेष स्थानों पर यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(2) नगर में गृह निर्माण सहकारी समितियों की भूमि में बने मकानों का जल कनेक्शन और वाटर लाइन डालने का कार्य कौनसे राज्य आदेश के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा है ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) जयपुर नगर में कुल कितने सार्वजनिक नल हैं ? क्या कृषि भूमि पर बने मकान वालों की जल समस्या को हल करने के लिए सार्वजनिक नल लगाए जाने पर रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में पानी के बिलों में रकम अनाप शनाप लगाये जाने के कारण जनता परेशान है और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 से अब तक जिन मोहल्लों में बड़ी पाइप लाइन डालने का कार्य किया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शेष स्थानों पर भी कार्य धन राशि की उपलब्धि के अनुसार किया जायेगा।

(2) वर्तमान में सहकारी समितियों की भूमि पर पाइप लाइन डालने एवं 1971 से पहले के बने हुए मकानों पर कनेक्शन देने में कोई पाबन्दी नहीं है। किसी कृषि भूमि के परिवर्तित होने पर कनेक्शन देने में भी कोई पाबन्दी नहीं है। सबंधित आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जयपुर नगर में कुल 750 सार्वजनिक नल है। जी नहीं।

(4) बिल नियमों के अनुसार ही बनाये जाते हैं एवं उनके बाबत शिकायत होने पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(170)

प्रश्न एक की सूची

1. जयलाल मुन्शी का रास्ता
2. मिश्रराजाजी का रास्ता
3. कल्याण जी का रास्ता
4. भीण्डों का रास्ता
5. नाटाणियों का रास्ता
6. विद्याधर का रास्ता
7. बापू बाजार/नेहरू बाजार
8. चौड़ा रास्ता
9. जौहरी बाजार
10. घाट गेट बाजार
11. गलता रोड़
12. बालानन्द का रास्ता
13. गीजगढ़ ठाकुर का रास्ता
14. बालजी कोटरी का रास्ता
15. मंगल मार्ग
16. मेहरों की नदी
17. रामप्रकाश/सुभाष चौक
18. लंगूर के बालाजी का रास्ता
19. चान्दपोल बाजार
20. नीदड़राव जी का रास्ता

जोनल स्कीम

21. बनीपार्क
22. माहरी का नाका
23. कोटवाड़ा
24. शांती नगर एवं हथरोई
25. रामपुरा रूपा
26. दुर्गापुरा
27. बापूनगर
28. गांधी नगर व बजाज नगर
29. तिलक नगर
30. आदर्श नगर

PUBLIC HEALTH ENGG. DEPARTMENT

No. F. 4 (11) AS/PHE/ *Jaipur, 27-7-1977.*

ORDER

In supersession of this department circular of even number. dated 10-1-76, I am directed to convey sanction of the Govt. to the release of water connections in the developing colonies/Basties subject to the following conditions:—

1. 1971 and earlier Surveyed Kachi Basties :

Govt. in the LSG & UDH deptt. has issued orders for regularising all tree-pass into Govt. land in urban areas by Kachi Basties constructed till 1971. These Kachi Basties had been serveyed may be collectors. Hence in such Kachi Basties water connections may be given.

NOTE :—Some Kachi Basties are situated in places where the land is required by Govt. for important public purposes. Such Kachi Basties duallers are being alternative land along with regular rights when such shifting of Kachi Basties taken place then water connections be given in the newly located huts and houses.

2. Agricultural Landegally converted into the Abadi.

In the case of houses constructed on agricultural land whose convertion had already been sanctioned, water connection may be given.

3. Agricultural land factually convered into Abadi but not yet regularised.

Where conversion fees have not been paid because of delay in Government decision about reduction in rates or where conversion fees have yet been assessed by officer on special duty conversorn where such posts exists or by concerned UIT/Municipality in both types cases. The land having been factually converted the conversion-fees will be recoverable in due course, it is also recoverable as arrears of land revenue. Thus in such cases also water connections may be given to constructed houses, but not for open land where there is not construction. A simple certificate from OSD land conversion where such a post exists, or from UIT/Municipality Whichever

has jurisdiction, that the conversion is within the knowledge of the OSD or the local body and that proceeding for regularising the same & recovery of fee prescribed by Govt. is pending should be obtained by PHED providing water connections.

4. Post 1971 Kachi Basties :

Where encroachments have been made on public land after '71 no water connections should be given to individual houses, but as a number of such Kachi Basties have grown up, on humanitarian grounds, public stand post may be given.

Sd/-Addl. Secretary to Govt.

ब्यावर को जिला बनाने का प्रस्ताव

377. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या ब्यावर को जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो ब्यावर, भीम, आसींद, रायपुर व जैतारण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को मिला कर ब्यावर जिला बनाने में राज्य सरकार को क्या कठिनाई है ?

उत्तर

जी नहीं। ब्यावर, भीम, आसींद, रायपुर एवं जैतारण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर "ब्यावर" जिला बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। ऐसे प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा विचार करते समय राज्य की वित्तीय स्थिति एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों एवं राज्य के अन्य जिलों के पुनर्गठन के बारे में भी निर्णय लेना अनिवार्यतः जरूरी होता है। इन सब कठिनाइयों के कारण इस समय उक्त प्रस्ताव पर विचार करना सम्भव नहीं जान पड़ता।

कलेक्ट्री एवं सेशन न्यायालय शिफ्ट करने की योजना

378. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण)–क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार जनता की सहूलियत और सस्ता न्याय देने के लिए सचिवालय के निकट स्थित हाइकोर्ट भवन में कलेक्ट्री और उसके पास स्थित सेशन न्यायालय को शिफ्ट करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च न्यायालय भवन में बनीपार्क स्थित न्यायालयों व कलेक्ट्री के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, अस्तु ऐसा किया जाना संभव नहीं है।

राज्य की विभिन्न तहसीलों की भू-जल रिपोर्ट

379. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)
श्री कुन्जीलाल (बामनवास)

श्री रामकिशोर (सिकराय)—क्या भू-जल मंडल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की विभिन्न तहसीलों की भू-जल रिपोर्ट विभाग के पास तैयार नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट समय पर नहीं देने के कारण विद्युत विभाग की कई आर. ई. सी. योजनायें स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं अथवा समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण नई योजनायें प्रभावहीन पड़ी हुई हैं ? यदि हां तो, क्यों तथा भविष्य में समय समय पर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त होने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की 232 पंचायत समितियों में से 226 के अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं।

(2) जी नहीं। भू-जल विभाग द्वारा समस्त राजस्थान का सर्वेक्षण योजनाबद्ध तरीके से सन् 1971 से किया जा रहा है और समय पद्धति अनुसार भू-जल सर्वेक्षण के प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। अब तक सभी 232 पंचायत समितियों का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका है जिसमें से 226 पंचायत समितियों के प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। शेष 6 पंचायत समितियों के भू-जल सर्वेक्षण माह अक्टूबर, 1977 तक राज्य सरकार को प्राप्त हो जावेंगे। प्रति वर्ष पंचायत समितियों के सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर उनमें दर्शाये गए भू-जल उपलब्धि अनुसार राज्य सरकार द्वारा लघु सिंचाई योजना एवं ग्रामीण विद्युतिकरण योजना बनाने पर विचार किया जाता है।

आपात काल के दौरान विभागों को नेशनल हेराल्ड अखबार मंगवाने के आदेश

380. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)—क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान सचिवालय व राज्य के अन्य दफ्तरों में "नेशनल हेराल्ड" अखबार मंगवाना आवश्यक किया गया था ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि "इण्डियन एक्सप्रेस" अखबार को विभागों में बंटवाना बन्द कर दिया गया था क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध व आपातकाल में भी सही खबर छापता था ?

(3) क्या अभी भी "इण्डियन एक्सप्रेस, अखबार को विभागों में नहीं मंगवाने के आदेश प्रचलित हैं और "नेशनल हेराल्ड" अब भी आवश्यक रूप से मंगवाना पड़ता है?

उत्तर

(1) जन सम्पर्क विभाग द्वारा 'नेशनल हेराल्ड' को सचिवालय व राज्य के अन्य

(174)

(श्री दिग्विजय सिंह)
दफ्तरों में Subscribe करना अनिवार्य नहीं किया गया था और ना ही यह विभाग ऐसे आदेश देने की क्षमता रखता था।

(2) जन सम्पर्क विभाग द्वारा "इण्डियन एक्सप्रेस" को Subscribe करना बन्द नहीं किया गया और न ही वह विभाग ऐसा कर ही सकता था।

(3) जन सम्पर्क विभाग को ऐसे किसी आदेश के प्रचलित होने की सूचना नहीं है।

कुम्भलगढ़ किले पर पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना

383. श्री गोविन्दसिंह (कुम्भलगढ़)–क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

कुम्भलगढ़ के किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए राज्य सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो योजना के मुख्य मुख्य तथ्य क्या हैं ?

उत्तर

जी हां। मुख्य तथ्य निम्न हैं:–

(अ) उदयपुर से कुम्भलगढ़ होते हुए रणकपुर तक एक पैकेज टूर का प्रावधान।

(ब) कुम्भलगढ़ के किले का विकास एवं स्वल्पाहार तथा प्रसाधन (टॉयलेट फैसेलिटी) की व्यवस्था।

ग्राम ठाकरियावास में तार बन्दी से असुविधा

384. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनू)–क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम ठाकरियावास तहसील डीडवाना, जिला नागौर की जनता ने राज्य सरकार को यह शिकायत की है कि उनके ग्राम के तालाब पर व रास्तों पर डी. पी. ए. पी. की भेड़ पालन योजना के लिए तार बन्दी करके उनको रोक दिया है? यदि हां, तो यह शिकायत सर्वप्रथम कब मिली और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामवासियों का वर्षा के समय ग्राम से खेतों में जाने व तालाब में पानी पीने के लिए जाना बिलकुल बन्द हो गया है और कोई रास्ता नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस कार्य के लिए जिलाधीश, नागौर ने जो भूमि एलाट की है उसमें सार्वजनिक रास्ते व तालाब की भूमि नहीं है और उनके खसरा नम्बर अलग हैं ? यदि हां, तो उस पर अतिक्रमण क्यों किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकारी नीति के अनुसार ग्राम की पशु–गणना के आधार पर कि पशु आधा बीघा चरागाह भूमि होनी चाहिये ? यदि हां, तो इस ग्राम में इसके अलावा कितनी भूमि है तथा पशुओं की संख्या क्या है ?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(5) क्या राज्य सरकार इस प्रकार ग्रामवासियों के समक्ष कठिनाई पैदा करना उचित समझती है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह शिकायत दिनांक 30-7-77 को प्राप्त हुई थी। इस पर जिलाधीश को मौके का निरीक्षण करा कर ग्रामीणों के लिये तयशुदा ग्राम रास्तों को खुलवाने की कार्यवाही करने हेतु दिनांक 3-8-77 को आदेश दिये गये थे।

(2) यह पूर्णतः सही नहीं है। तारबन्दी वाले क्षेत्र में खेतों में जाने के दो कटाणी रास्ते थे, वे खुले हुये हैं, परन्तु नाड़ी की ओर जाने का रास्ता कटाणी रास्ता न होने से डी. पी. ए. पी. द्वारा की गई तारबन्दी में आने के फलस्वरूप बन्द हो गया है, यह रास्ता कई वर्षों से चला आ रहा था। इस मामले में परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डी. पी. ए. पी. ने मौके पर जाकर ग्रामवासियों से बातचीत करने के पश्चात् यह प्रस्तावित किया है कि खसरा नं. 299 वाली नाड़ी को तारबन्दी से छोड़ दिया जावे और उसमें आने-जाने के लिये रास्ता भी दे दिया जावे तथा नाड़ी के आस-पास का कुछ क्षेत्र भी पशुओं के लिये और छोड़ दिया जावे। खसरा नं. 262 में भी एक छोटी नाड़ी है, उसके लिये भी आने-जाने का रास्ता छोड़ दिया जाना प्रस्तावित किया है। इस प्रकार इन प्रस्तावों पर कार्यवाही होने से ग्रामवासियों की कठिनाई का हल हो जावेगा।

(3) यह सही है कि नाड़ी खसरा नं. 262, रकबा 12 बिस्वा व नाड़ी खसरा नं. 299, रकबा, 1 बीघा 18 बिस्वा आवंटन में शामिल नहीं थे परन्तु आवंटित भूमि के बीच में स्थित होने से तारबन्दी में आ गये। जहां तक नाड़ियों में जाने के रास्तों का सम्बन्ध है, यह रास्ते कटाणी रास्ते नहीं थे इस कारण तारबन्दी में आये। जो दो कटाणी रास्ते थे, वे खुले हुये हैं।

(4) साधारणतया प्रति पशु लगभग आधा बीघा भूमि चारागाह हेतु उपलब्ध होनी चाहिये। इस ग्राम की पशु सं. 495 है एवं डी. पी. ए. पी. को भूमि आवंटित करने के पश्चात् अंगोर ओरण एवं गोचर भूमि 158 बीघा 15 बिस्वा बची है तथा डी. पी. ए. पी. विभाग ने लगभग 50 बीघा भूमि उनकी आवंटित भूमि में से खसरा नं. 335 में ओर छोड़ रखी है।

(5) राज्य सरकार ग्रामवासियों के समक्ष कठिनाई पैदा करने को उचित नहीं समझती इसीलिये जिलाधीश को दिनांक 3-8-77 को रास्ते खुलवाने की कार्यवाही हेतु आदेश दे दिये थे।

नागौर जिले की जलप्रदाय योजना

385. श्री रामरघुनाथ (डेगाना)—क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कितनी जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं जो पहले से चली आ रही हैं ? इस वर्ष में कितनी जलप्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ? नई स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं के लिये कितनी धन-राशि का प्रावधान किया गया है ?

(श्री राम रघुनाथ)

(2) नई स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं को कार्यरूप में परिणित करने की दिशा में आज तक क्या प्रगति हुई है? क्या ये योजनायें हाथ में ली जा चुकी हैं या अभी केवल रूपरेखा या सर्वेक्षण ही तैयार किया जा रहा है?

(3) क्या राज्य सरकार उन तेरह गांवों को प्राथमिकता देना उचित समझती है जिनका पानी जहरीला हो गया है और राज्य सरकार उन्हें जहरीला घोषित कर चुकी है?

(4) अगर इन गांवों के लिए कोई अलग से योजना न बनानी पड़ी और पास की जलप्रदाय योजना चल रही हो, तो क्या राज्य सरकार मानवता और प्राथमिकता के आधार पर पास की चल रही जलप्रदाय योजना को तुरन्त पूरा कराना उचित मानती है? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक इसके लिए क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) नागोर जिले में पहले से कुछ स्वीकृत 75 जल प्रदाय योजनायें चली आ रही हैं। इस वर्ष अभी तक कोई नई जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) अभी तक नयी योजनाएं स्वीकार नही हुई है अतः प्रगति का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां।

(4) उपरोक्त 13 ग्रामों में से 10 ग्रामों के लिए जल प्रदाय योजनाएं त्वरित कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार को प्रस्थापित की गई हैं। केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

पंचायत समिति, बैराठ एवं कोटपूतली की पत्रावली

386. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)—क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, बैराठ और कोटपूतली की कोई पत्रावली गायब हो गई है? यदि हां, तो कब, कहां से और किसके पास से?

(2) क्या यह भी सही है कि सरपंचों ने मिल कर यह पत्रावली गायब की है ताकि विकास के दिये हुये पैसे का गबन आसानी से रफा दफा हो सके?

(3) क्या यह भी सही है कि करीब चार साल से विभाग में यह मामला चल रहा है? यदि हां, तो किस किस पर? इतना लम्बा समय लेने के क्या कारण हैं?

(4) अब इसके लिये कब तक निर्णय लेकर मुकदमा दर्ज करा कर छानबीन की जायेगी?

(5) इस मामले में किस किस की जुम्मेदारी ठहराई जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तहसील कोटड़ी में कृषि भूमि का आवंटन

387. श्री रामप्रसाद लढ़ढा (मांडल)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा क्षेत्र में 1971 से 1975 तक कुल कितनी कृषि भूमि आवंटित की गयी ?

(2) इस आवंटन में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को कुल कितनी कृषि भूमि आवंटित की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन में पक्षपात अपना कर काफी जमीन गैर काश्तकारों व व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों को दी गयी है, और आज भी ये लोग इस पर काबिज हैं ?

(4) क्या ऐसे व्यक्तियों को आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी है या की जा रही है ?

(5) यदि नहीं, तो क्यों ? गलत आवंटन की सूची सदन के मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के क्षेत्र में सन् 1971 से 1975 तक कुल 8,632 एकड़ भूमि आवंटित की गई।

(2) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 1538 एकड़ एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 1567 एकड़ भूमि आवंटित की गई।

(3) इस अवधि में हुए आवंटन के बाबत 20 मामलों में अपील होकर 'आवंटन को निरस्त किया जा चुका है इनका विवरण सूची 'क' में दिया गया है। 6 मामलों में अपील अतिरिक्त जिलाधीश के यहां विचाराधीन है, इनका विवरण सूची 'ख' में है। 6 अन्य मामले ऐसे हैं जिनमें उप खण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा प्राथमिक जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् इनमें राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1979 के नियम 14 (4) के तहत जिलाधीश कार्यवाही करेंगे। इनकी सूची "ग" है। 5 मामलें ऐसे हैं जिनमें अपील में आवंटन को बहाल रखा गया इनका विवरण सूची 'घ' में है। जिलाधीश ने जिन आवंटनों को निरस्त किया है उन्हें नियम विरुद्ध पाने पर ही निरस्त करने के आदेश दिये हैं। चारों सूचियां सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई हैं।

(4) उत्तर खण्ड 3 में दिया जा चुका है।

(5) जो आवंटन गलत पाये गये एवं जिन्हें जिलाधीश ने निरस्त किया उनकी सूची 'क' है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(178)

सूची 'क'

सूची आवंटन निरस्तीकरण मामलों की तहसील कोटड़ी

क्र. सं.	वर्ष	नाम आवंटिति	आवंटन की तारीख	आवंटन निरस्ती का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	1972	श्री बालूराम पि. गणेशराम छींपा सरसढ़ी	3–7–72	10–9–75
2.	,,	श्री गणेशराम पि. माधू छींपा ,,	11–6–73	10–9–75
3.	,,	श्री नन्दा पि. लछमण लुहार ,,	3–7–72	10–9–75
4.	,,	श्री चमना पि. भुवाना गूजर ,,	3–7–72	10–9–75
5.	1973	श्री हुकमचन्द पि. भूरालाल सुनार कोटडी	1–6–73	17–12–73
6.	1975	श्री रामधन पि. हीरा धाकड़ पारोली	7–8–75	11–1–77
7.	,,	श्री हीरा पि. भुवाना कोर ,,	1975	7–7–76
8.	,,	श्री कन्हैया राम पि. श्री कृष्ण धाकड़ बारोली	26–7–75	7–7–76
9.	,,	श्री मगना पि. काना धाकड़ ,,	1975	7–7–76
10.	,,	श्री बालमुकन्द पि. सालगराम शर्मा जीत्यास	7–7–75	26–10–76
11.	,,	श्री मांगीलाल पि. लक्ष्मीलाल गुप्ता ,,	7–7–75	19–10–76
12.	,,	श्री श्यामसुन्दर पि. चांदमल छापरवाल ,,	7–7–75	26–10–76
13.	,,	श्री अशोक पि. देबी दरोगा ,,	7–7–75	19–10–76
14.	,,	श्री रामदयाल पि. बंशीलाल ब्राह्मण रेडवास	7–7–75	19–10–76
15.	,,	श्री तेजमल पि. मोहनलाल पाटनी जीत्यास	7–7–75	19–10–76
16.	,,	श्री उदयलाल पि. भैरुलाल शर्मा ,,	7–7–75	26–10–76
17.	,,	श्री चाँदमल पि. मोहनलाल छापरवाल ,,	7–7–75	19–10–76
18.	,,	श्री धन्ना पि. नाना धाकड़ पारोली	7–8–75	12–1–77
19.	,,	श्री कासम पि. मीराबक्श सलावट ,,	7–8–75	7–7–76
20.	,,	श्री रामप्रसाद पि. मोहनलाल पारीक कपारोली	8–8–75	19–1–77

सूची 'ख'

विचाराधीन मामलों की सूची

1.	श्री सुरेशचन्द पिता भैरुलाल शर्मा निवासी विसनियां	आवंटन निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही जारी है।
2.	श्री नारायण पिता कालू जाट निवासी वन का खेड़ा	,, ,,
3.	श्री गोपाल पिता उरजा जाट निवासी वन का खेड़ा	,, ,,
4.	श्री छोगा पिता ऊदा जाट निवासी वन का खेड़ा	,, ,,
5.	श्री देवी पिता नारायण जाट निवासी वन का खेड़ा	,, ,,
6.	श्री कान्या पिता हजारी गूजर निवासी गन्धेरी	,, ,,

Page No 180

(180)

सूची 'ग'

सूची जिन मामलों में उप-खण्ड अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है

1.	श्री जमनालाल पिता लक्ष्मीलाल काबरा निवासी कोटड़ी	प्राथमिक जांच प्रक्रिया उप-खण्ड अधिकारी मांडलगढ़ द्वारा जारी है।
2.	श्री मुरलीधर पिता जमना लाल काबरा निवासी कोटड़ी	,, ,,
3.	श्रीमती जशोदा देवी पत्नी नाथूराम काबरा निवासी कोटड़ी	,, ,,
4.	श्री सत्यनारायण पिता कल्याण लड़ा निवासी कोटड़ी	,, ,,
5.	श्री कल्याणमल पिता पन्नालाल लड़ा निवासी कोटड़ी	,, ,,
6.	श्री देव करण वृद्धिचन्द पिता सोभाग सिंह लोढ़ा निवासी कोटड़ी।	,, ,,

सूची 'घ'

सूची जिन मामलों में आवंटन बहाल रखा गया

1. श्री श्याम लाल पिता श्री शिव नारायण भट्ट निवासी कोटड़ी	अतिरिक्त जिलाधीश के निर्णय दिनांक 25–9–72 से आवंटन बहाल।
2. श्री राम निवास पिता शिव नारायण भट्ट निवासी भीलवाड़ा	,, ,,
3. श्री रामजस पिता जानकी लाल मूंदड़ा निवासी कोटड़ी	अतिरिक्त जिलाधीश के निर्णय दिनांक 3–6–74 से आवंटन बहाल रहा।
4. श्री चांद नारायण पिता आनन्दी लाल मूंदड़ा निवासी मन्शा	,, ,,
5. श्री नारायण पिता जानकी लाल मूंदड़ा निवासी मन्शा	,,

जवाई बांध से सिंचित क्षेत्र में खुशहाली कर की वसूली

389. (891 क्र. मं.)—श्री गोपाल सिंह (आहोर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जवाई बांध से सिंचित क्षेत्र में खुशहाली कर पहले लगाया जाकर बाद में माफ कर दिया गया था ?

(2) अगर हां, तो क्या पहले यह कर लगने पर कुछ काश्तकारों से वसूल भी कर लिया गया था ? अगर हां, तो क्या यह कर माफ हो जाने पर किसानों को जिनसे वसूल कर लिया गया था उन्हें वापस (रिफण्ड) कर दिया गया है ?

(3) अगर नहीं, तो यह राशि उन गरीब किसानों को कब तक रिफण्ड करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

जवाई बांध से सिंचित क्षेत्र में अन्य मध्यम योजनाओं के समान खुशहाली कर लगाया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11–8–1971 द्वारा मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर खुशहाली कर समाप्त कर दिया गया।

(2) जी हां।

कुछ काश्तकारों से खुशहाली कर वसूल कर लिया गया था। दिनांक 11-8-1971 के आदेश द्वारा कर को समाप्त किये जाने के उपरान्त वसूली रोक दी गई। वसूल की गई राशि लौटाने का प्रश्न नहीं है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

बाड़मेर से नोरबड़-खड़ाला मार्ग पर चलने वाली बसें

380. (58 गृह. मं.) श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर से नोरखड़ा होते हुए खड़ाला तक के लिये कितनी बसों के परमिट जारी किये गये हैं और ये बसें कब से चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन बसों ने अपना रास्ता बदल दिया है और ग्राम जरल, मीठड़ा व माहबार होकर निर्धारित मार्ग से न चल कर ये बसें पिछले दो वर्ष से ग्राम कगाऊ दुगेरो का तला हाथीतला होकर चलाई जा रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ये बसें लगभग 22 किलोमीटर दुगेरों का तला से बाड़मेर तक उसी मार्ग पर चलती हैं जिसका कि राष्ट्रीयकरण हो चुका है ?

(4) क्या इस प्रकार निर्धारित मार्ग से न चलकर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बस का बिना अधिकृत प्राधिकारी की स्वीकृति के चलाना अवैध एवं दण्ड योग्य है ? यदि हां, तो विभाग ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की है तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) बाड़मेर नोखड़ा खुड़ाला मार्ग के लिये एक बस परमिट जारी किया गया

(परिवहन मंत्री)
है। इस मार्ग पर बस सेवा 30-10-69 से उपलब्ध है।

(2) जी हां। पिछले एक वर्ष से यह बस ग्राम हाथीतला, डूंगर तला कमांऊ होकर चल रही है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। इस संबंध में मो. वा. अ. की धारा 60 के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

शेरगढ़ बांध में सिंचाई

391. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)— क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शेरगढ़ बांध परवन नदी पर जिला कोटा की सिंचाई योजना में कटावर ग्राम से झाड़ोना, घूमेन, कराड़िया, लटूरा, लटूरी, डूंगरपुर, मोई कलां इत्यादि ग्रामों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सन् 1962 में सर्वे कराई गई थी ?

(2) यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या आगे कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

थाना सुनेल में दर्ज चोरी का मामला

392. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम रोशनवाड़ी थाना सुनेल (जिला झालावाड़) में माह जुलाई में हुई डेढ़ लाख के जेवरों की चोरी की बरामदगी में क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चोरी के सिलसिले में पकड़े गये कंजरों को पुलिस ने बिना तफतीश छोड़ दिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार का इरादा इस चोरी की जांच सी. आई. डी. द्वारा कराने का है ?

उत्तर

(1) अनुमानित 6,000/— रुपये की चोरी की घटना का मु. नं. 46 के अन्तर्गत धारा 457/380 भा. दं. सं. दिनांक 11-7-77 थाना सुनेल जिला झालावाड़ दर्ज हुआ था जिसका अनुसंधान अभी जारी है दौराने अनुसंधान जिन मुलजिमान पर शक हुआ वे फरार होना पाये गये, उनकी पतारसी के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं।

(3) अगर ऐसे तथ्य सामने आये जिससे अनुसंधान ठीक प्रकार नहीं होने का निष्कर्ष निकले तो अनुसंधान सी. आई. डी. द्वारा कराये जाने पर विचार किया जा सकता है।

ग्राम बसेठ के लिये स्वीकृत ट्रान्सफार्मर

393. डा. गंगा सहाय (कठूमर)-क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बसेठ के लिए दो ट्रान्सफार्मर स्वीकृत हुए थे परन्तु केवल एक ही लगाया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक ट्रान्सफार्मर भी ग्राम से काफी दूरी पर लगाया गया है जिसके कारण ग्राम के लोगों को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मौजूदा ट्रांसफार्मर ग्राम की आबादी वाले हिस्से से करीब आधा किलो मीटर दूर है। समुचित संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सभी लोगों को कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

खटवाड़ा गांव में औषधालय

394. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़)-क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत मुख्यालय पर औषधालय खोलने के लिये यदि वहां की जनता मकान बना कर राज्य सरकार को सौंप देगी तो क्या राज्य सरकार औषधालय खोल देगी ?

(2) क्या यह सही है कि गांव खटवाड़ा की जनता ने औषधालय के लिये सुन्दर भवन का निर्माण किया है और इस गांव की आबादी दो हजार से भी अधिक है ?

(3) क्या यह सही है कि खटवाड़ा गांव के दोनों ओर बनास तथा बेडच नदी के आ जाने से आवागमन वर्षा काल में बिलकुल बन्द हो जाता है जिसके कारण कई बार बीमार बिना उपचार के ही मर जाते हैं ? क्या ऐसे बड़े गांव में राज्य सरकार जल्दी ही औषधालय स्थापित कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। औषधालय के लिये कई बिन्दुओं को ध्यान में रखना पड़ता है।

(2) जी नहीं। भवन निर्माणाधीन है ग्राम की आबादी करीब 2500 है।

(3) वर्षा काल में आवागमन अवरुद्ध हो जाता है जिसके कारण ग्राम वासियों को कठिनाई होती होगी। नये स्थानों पर औषधालय खोलने का मामला विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 सितम्बर, 1977)

चुनावों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा

82. (11/मु.मं.) श्री एच.एन.शर्मा (बेगूं)-क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने विधान सभाओं के मतदान के दिन (10 व 13 मई, 1977) को सरकारी कर्मचारियों जिनमें वर्कचार्ज, रेगुलर, मस्टर रोल के कर्मचारी आते हैं के लिये सार्वजनिक अवकाश हेतु सरकारी विभागों के अधिकारियों को एक

ही आदेश जारी किये थे अथवा हर केटेगरी के कर्मचारियों के लिये अलग आदेश जारी किये थे ?

(2) क्या राज्य सरकार ने कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख कर एक ही प्रकार के आदेश अवकाश हेतु जारी किये थे जिसके पश्चात् भी कई कर्मचारियों की तनख्वाहें सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा काट ली गईं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

(3) क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेगी जिन्होंने कर्मचारियों का एक ओर तो वेतन काटा और दूसरी ओर मत देने के मौलिक अधिकार से उनको वंचित किया है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) मतदान दिवस (दिनांक 10 व 13 जून, 1977) को सरकारी कर्मचारियों जिनमें वर्कचार्ज व मस्टर रोल के कर्मचारी आते हैं को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु पृथक् आदेश जारी किये गये थे एवं जो सरकारी कर्मचारी नियमित सेवाओं के हैं उनके लिये सरकार द्वारा पृथक् से आदेश जारी किये थे।

(2) राज्य सरकार के आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख कर दिनांक 10 व 13 जून, 1977 का अवकाश सभी कर्मचारियों को दिया गया था। केवल कुछ ही स्थानों पर मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिकों को उस दिन का वेतन, स्पष्टीकरण के अभाव में नहीं दिया गया था। उन्हें भी तुरन्त भुगतान कर देने के आदेश दे दिये गये हैं।

(3) प्रश्न नहीं उठता। मत देने के मौलिक अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया गया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 सितम्बर, 1977)

डूंगरपुर में भू-संरक्षण का कार्य

84. श्री नन्दलाल मीणा (उदयपुर, ग्रामीण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण अधिकारी डूंगरपुर द्वारा रातड़िया, गलन्दर बोरखेड़, खुदरड़ा, मालजिया एवं कूटा तालाब बदड़ा में भू-संरक्षण के कार्य सम्पन्न कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या विभागीय एजेन्सी द्वारा या ठेकेदार द्वारा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त कार्यों के सम्पन्न होने के बाद किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की है ? यदि हां, तो कब और किसने ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में से आज बहुत से कार्यों का अस्तित्व ही नहीं है ?

(4) क्या इन कार्यों के सम्पन्न कराने के दौरान मेजरमेंट बुक भरी गई है ? यदि हां, तो मेजरमेंट बुक में जो प्रविष्टियां की

गई हैं, क्या मौके पर इनके विपरीत स्थितियां पाई गई हैं ?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदार एवं स्थानीय भू-संरक्षण सहायक सागवाड़ा की मिली भगत से राज्य सरकार को हजारों रुपये का घाटा पहुँचा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इन मामलों में क्या कार्यवाही की ?

(6) क्या यह सही है कि ठेकेदार एवं भू-संरक्षण सहायक दोनों ने मिलकर साझेदारी में धन्धा ठेकेदारी प्रारम्भ कर दी है ?

(7) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त सहायक को हटाने के कोई आदेश जारी किये हैं ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। कुछ कार्य विभाग द्वारा तथा कुछ कार्य ठेकेदार या आदिवासी सहकारी समिति और विभाग द्वारा कराये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। कार्य सम्पन्न होने के बाद तत्कालीन सम्बन्धित जिला भू-संरक्षण अधिकारी, सहायक अभियन्ता एवं कृषि सहायक द्वारा निम्नांकित तिथियों पर निरीक्षण किया:—

साइट का नाम	निरीक्षण करने वाले अधिकारी	दिनांक
रातडिया	कृषि सहायक	21-5-73
	सहायक अभियन्ता	5-6-73
गलन्दर	जिला भू-संरक्षण अधिकारी	18-5-73
बोरखेड	कार्य अपूर्ण है।	
मालनिया	कृषि सहायक	4-8-72
खुदरड़ा	"	4-1-72
फूटिया तालाब	"	19-5-72

उक्त कार्यों का अस्तित्व आज भी है।

(3) जी हां। कहीं भी विपरीत स्थितियां नहीं पाई गईं।

(4) जी नहीं।

(5) विभाग की ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या 104।कृ. म.

डूंगरपुर जिले में सम्पन्न किये गए कार्यों की सूची

कार्य	कार्य किये जाने वाली एजेन्सी का नाम
1. रातडिया	ठेकेदार एव विभाग द्वारा
2. गलन्दर	,, ,,
3. बोरखेड	आदीवासी सहकारी समिति द्वारा
4. खुदरडा	विभाग द्वारा
5. मालनियां	आदीवासी सहकारी समिति एवं विभाग-द्वारा
6. फूटा तालाब (वरदा)	,, ,,

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 सितम्बर, 1977)

हींचर बांध से सिचाई

113. (401क्र. मं:) श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हींचर बांध झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी पर बनाया गया ? यदि हां, तो इस बांध से किस किस गांव में कितने-कितने बीघा भूमि में सिंचाई होती है ?

(2) इस बांध के अन्तर्गत आने वाली भूमि की लगान की दर किस हिसाब से ली जाती है ?

(3) जिस समय यह बांध नहीं बना था उस समय इस क्षेत्र में लगान किस हिसाब से लिया जाता था ?

(4) क्या यह सही है कि बांध द्वारा सिंचाई न होने पर भी किसानों से सिंचाई की रेट वसूल की जाती है ?

(5) सिंचाई किस सन् से नहीं हो रही है ? जब सिंचाई नहीं होती है तो फिर लगान क्यों वसूल किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। हींचर बांध (हरिचन्द्र सागर) झालावाड़ जिले मे कालीसिंध नदी पर बनाया गया था। वह बांध सन् 1969 में टूट गया था। इस बाध को पुन: बनाने से संलग्न सूची के अनुसार ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(2) इस बांध के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की भूमि की लगान दरें निम्न हिसाब से प्रति बीघा ली जाती हैं:

चाही अव्वल	चाही द्वितीय	चाही तृतीय	
5.10	4.80	4.00	
माहू प्रथम	माहू द्वितीय	जाव—1	जाव-2
2.00	1.80	3.20	2.50
जाव—3	बारानी उत्तम	नहरी	
2.00	2.40	2.20	

(3) जिस समय यह बांध नही बना था उस समय भूमि वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार से लगान लिया जाता था :

जो प्रत्येक ग्राम में अलग अलग था। उदाहरण के रूप में ग्राम बागडसी की लगान की दर निम्न प्रकार थी। यह दरें प्रति बीघा 1971 तक लागू रही:

चाहू–1	चाही–2	तीर	खेड़ा–1	खेड़ा–2
4.50	3.00	1.50	2.00	1.50
सरे–1	सरे–2	उतार–1	उतार–2	मेर घास
1.44	1.25	1.00	00.75	00.62

(4) जी नहीं।

चूंकि बांध सन् 1969 में ही टूट चुका था, अतः बांध द्वारा सिंचाई न होने के कारण काश्तकारों से सिंचाई शुल्क वसूल नहीं किया जाता है परन्तु बन्दोबस्त के द्वारा निर्धारित नहरी किस्म भूमि का लगान 2.20 पैसा प्रति बीघा 1972 से लिया जा रहा है।

(5) सिंचाई 1969 से नहीं हो रही परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा सिर्फ तहसील, खानपुर में 13 ग्रामों का 1805.26 एकड़ भूमि का वर्गीकरण नहरी किये जाने के कारण सन् 1972 से लगान 2.20 प्रति बीघा लिया जा रहा है। यह लगान की दर बन्दोबस्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई थी। चूंकि बांध 1969 में ही टूट चुका है अतः उक्त भूमि अब सिंचित नहीं होती है। लिहाजा कोई इरिगेशन चार्ज नहीं लिया जाता है। वहां तक लैण्ड रिकार्ड्स में नहरी किस्म जमीन को तब्दील करने का प्रश्न है। चूंकि यह भूमि आदेश राजस्व विभाग (उपनिवेशन) के पत्र क्रमांक 7(22) ऐरी।63 दिनांक 30–1–68 उक्त भूमि प्राजेक्ट एरिया के अन्तर्गत घोषित की जा चुकी है अतः उक्त भूमि नान-प्रोजेक्ट घोषित होने के पश्चात् ही इस भूमि का पुनः वर्गीकरण किया जा सकता है।

सूची ग्राम जिनमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है

क्र.सं. 1	नाम ग्राम 2	तहसील 3	सिंचाई क्षेत्र एकड़ों में सी. सी. ए.
1.	घलेट	खानपुर	746
2.	जीरापुर	,,	1258
3.	पनवाड़	,,	2122
4.	बारेली	,,	192
5.	भटघाड़ा	,,	492
6.	समयखेड़ी	,,	251
7.	घोसला	,,	684
8.	उम्मेदपुरा	,,	444
9.	आंकोदिया कराडान	,,	791
10.	सरखण्डिया	,,	494
11.	ढोलिया खेड़ी	,,	275
12.	सारोला	,,	534
13.	बागडसी	,,	228
14.	सांगाहेड़ा	,,	575
15.	बम्बूलिया	सांगोद	462
16.	खजूरी	,,	226
17.	खरकनाखेड़ी	,,	352
18.	माईखुर्द	,,	1271
19.	गाडरवाड़ा	,,	532
20.	पामलाखेड़ी	,,	579
21.	दौरीनाकला	,,	1144
22.	बेखार	,,	773
23.	किशनपुरा	,,	1466
24.	भनक्याखेडी	,,	104
25.	नागराखेड़ी	,,	469
26.	अमृत कुवा	,,	180
27.	बागडस्या	,,	229
28.	आंकोदिया खोल	,,	480

Page No 191

(191)

1	2	3	4
29.	बोरीनाखुर्द	,,	324
30.	बरखेड़ी	,,	217
31:	गुरायता	,,	785
		योग	18629